छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **द्वितीय सत्र**

बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2024

(फाल्गुन 02, शक सम्वत् 1945)

[अंक 12]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2024

(फाल्गुन 2, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भले ही माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, पर हम सब आज सदन की ओर से उनको उनके जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई देते हैं, उनके सफल और यशस्वी जीवन की कामना करते हैं । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्री राजेश अग्रवाल ।

<u>अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति</u>

[लोक निर्माण]

1. (*क्र. 2041) श्री राजेश अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में अंबिकापुर नगर स्थित अंबिकापुर बिलासपुर चौक से लखनपुर जूनाडीह राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई टू लेन से बढ़ाकर फोर लेन कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त मार्ग के चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य कब प्रारंभ हो जायेगा?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी नहीं। **(ख)** प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, षष्टम विधान सभा में यह मेरा पहला प्रश्न है, कोई गलती होगी तो क्षमा चाहूंगा । मेरा प्रश्न उप मुख्यमंत्री जी से था, जिसका जवाब भी आ गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में आप ही के कार्यकाल में यह सड़क स्वीकृत हुई थी और लखनपुर में फोरलेन सड़क स्वीकृत था, जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने टू लेन कर दिया । मैंने इसको अंबिकापुर से लखनपुर तक फोरलेन करने के लिए निवेदन किया है । चूंकि यह अंबिकापुर से रायपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है और उस सड़क पर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक है और उस सड़क में लगातार बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं । कल रात में भी एक बड़ी दुर्घटना हुई है । 5 मोटर साईकिल सवार थे, उसमें से दो व्यक्ति मर गए हैं, तीन व्यक्ति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मरणासन्न स्थिति में हैं । कृपा इस सड़क को अंबिकापुर से लखनपुर तक फोरलेन करवाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सड़क भारत सरकार के अंतर्गत है और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, यह सही है कि ग्राम जूना लखनपुर से रजरीकला लगभग 5 किलोमीटर भाग फोरलेन के लिए प्रस्तावित था और लखनपुर शहर के आसपास जो 30 मीटर चौड़ाई से सड़क बननी थी, पर वहां पर रहवास था, व्यवसाय था और लोगों ने उसका विरोध किया और तत्कालीन मंत्री जी ने भी उस विषय पर पत्राचार किया और भारत सरकार ने इस सड़क को 5 किलोमीटर के स्थान पर 2 किलोमीटर सड़क को ही फोरलेन बनवाया और 3 किलोमीटर को टू लेन सड़क किया है। वर्तमान में फोरलेन सड़क का कोई प्रस्ताव नहीं है । वह भारत सरकार अपने मापदण्ड से करती है ।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं उस समय नगर पंचायत का अध्यक्ष था । किसी ने विरोध नहीं किया था, सिर्फ एक व्यक्ति के मकान को बचाने के लिए हमारे पूर्व मंत्री जी, जो उस समय वहां के विधायक थे, उन्होंने एक व्यक्ति के मकान को बचाने के लिए इस सड़क को फोरलेन से टू लेन कर दिया । उनके विजन को देखिए, आज हर आदमी टू लेन सड़क को फोर लेन और फोर लेन सड़क को सिक्स लेन कराने की मांग कर रहा है और उन्होंने क्या दुर्दशिता का परिचय दिया था कि फोन लेन को टू लेन किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- टू लेन की वजह से आप यहां पहुंच गए । आप तो उनको धन्यवाद दो । (हंसी)

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस सड़क को पुन: फोरलेन किया जाये ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय दिल्ली में किसकी सरकार थी ?

श्री राजेश अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव मंत्रालय से ही गया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन निर्माण हुआ है तो आप यह भी बात बताईए कि उस समय दिल्ली में किसकी सरकार थी ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ विधान सभा से आपके मुख्यमंत्री जी और विधान सभा से प्रस्ताव पारित करके भेजा गया है ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मंत्री महोदय ने जो चिट्ठी लिखी थी, वह चिट्ठी मेरे हाथ में है । यह सड़क भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार चाहे तो आवश्यकता के अनुसार अपने प्रस्ताव करती है ।

अध्यक्ष महोदय :- और कुछ है ?

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय आ गया है, चूंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र भी लगा हुआ है । हमारा पूरा क्षेत्र बिलासपुर तक तो फोरलेन बन गया है और एन.एच. अंबिकापुर से भी आगे बनारस तक फोरलेन होना है। केवल बीच का पैच फोरलेन के लिए बचा है और यदि वह फोरलेन बन जाता तो यहां से लेकर बनारस तक पूरा सड़क फोरलेन से जुड़ जाता और आवागमन की सुविधा होती। राजेश जी ने उस क्षेत्र का विषय रखा है । उसमें आबादी और हमारे अम्बिकापुर शहर का विस्तार और ट्रैफिक को देखते हुए लखनपुर तक फोरेलेन बनाने के लिए इसके लिए पुन: प्रस्ताव भेजेंगे क्या माननीय मंत्री जी ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये, हमारी सरकार लोगों को अच्छी आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने जो कहा है, उस पर विचार करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

सीतापुर विधानसभा श्रेत्र में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत नए भवन निर्माण

[लोक निर्माण]

2. (*क्र. 1645) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कितने नए भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए हैं? क्या उक्त स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने हेतु कोई कार्ययोजना बनाई गई है ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 स्वीकृत भवन कार्य 01, वित्तीय वर्ष 2022-23 स्वीकृत भवन कार्य 03, वित्तीय वर्ष 2023-24 स्वीकृत भवन कार्य 01, जी हॉ। संलग्न **प्रपत्र अनुसार** कार्य योजना बनाई गई है।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के नये भवन निर्माण की जानकारी चाही थी। इसमें जानकारी उपलब्ध हुई है। शासकीय नवीन महाविद्यालय कमलेश्वरपुर भवन निर्माण कार्य दिनांक 3.8.2022 को स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक किस कारण से भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, यह मैं जानना चाहूंगा ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय नवीन महाविद्यालय कमलेश्वरपुर जिला सरगुजा के भवन निर्माण के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है। इसे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नाबार्ड से लोन लेने की प्रक्रिया में है।

उन्होंने डिपाजिट मद से होने के कारण अब निविदा की सहमति दी है। हम शीघ्र ही काम के लिए निविदा करेंगे।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कब तक शुरू हो जायेगा ? माननीय मंत्री महोदय, एक समय सीमा बताये ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रियाधीन है। निविदा होने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक और चीज देखा गया है कि इस महाविद्यालय को लेकर ग्रामीणों में आपस में अपनी-अपनी सुविधा को देखते हुए खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। कमलेश्वरपुरवासी चाहते हैं कि यह कमलेश्वरपुर में बने और नर्मदापुरवासी चाहते हैं कि यह नर्मदापुर में बने। क्या ऐसा गाईडलाईन है कि महाविद्यालय जैसे संस्थान ब्लाक मुख्यालय में ही हो या किसी इसे किसी गांव में भी ले जाया जा सकता है ? मैं माननीय मंत्री महोदय, से जानकारी चाहता हूं।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तावित स्थल है, उसका चयन सोच-विचार कर किया गया है। प्रस्तावित स्थल के आधार पर ही कार्यवाही होगी।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। मुझे एक और जानकारी उपलब्ध हुआ है कि शासकीय महाविद्यालय, सीतापुर में आडोटोरियम का निर्माण होना है, जिसका कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो मैं जानना चाहूंगा कि यह कार्य कब तक शुरू होगा ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय महाविद्यालय सीतापुर में आडोटोरियम का निर्माण काम वर्ष 2023-24 में स्वीकृत हुआ है। निविदा स्तर का काम है। वित्त विभाग से स्वीकृति अपेक्षित है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलते ही आगे की कार्यवाही की जायेगी।

<u>अरपा भैंसाझार योजना की लागत</u>

[जल संसाधन]

3. (*क्र. 1719) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अरपा भैंसाझार योजना की कुल लागत कितनी है? इसमें कितनी बार बढ़ोतरी हुई है ? क्या निर्माणकर्ता फर्म द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया गया है ? निर्माणकर्ता फर्म को अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है? **(ख)** अरपा भैंसाझार की पूर्णता अवधि में कब-कब कितनी बार वृद्धि की गई है और क्यों? **(ग)** योजना में सिंचित रकबे का लक्ष्य कितना रखा गया है? क्या लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है? **(घ)** क्या अरपा भैंसाझार योजना का ऑडिट महालेखाकार द्वारा किया गया है ?यदि हां तो कब-कब ए.जी. द्वारा योजना भुगतान के संबंध में टिप्पणी की गई है?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) अरपा भैंसाझार योजना की वर्तमान लागत राशि रू. 1141.90 करोड़ है। इसमें एक बार बढ़ोतरी हुई है। निर्माणकर्ता फर्म द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया गया है। निर्माणकर्ता फर्म को अद्यतन स्थिति में कुल राशि रू.317.59 करोड़ का भुगतान किया गया है।**(ख)** योजना की पूर्णता अवधि में कुल 08 बार समयावृद्धि (1) दिनांक 14.09.2016, (2) दिनांक 24.07.2017, (3) दिनांक 17.07.2018, (4) दिनांक 29.06.2019, (5) दिनांक 17.08.2020, (6) दिनांक 04.08.2021, (7) दिनांक 22.03.2023 एवं (8) दिनांक 04.12.2023 को स्वीकृत की गई है। उपरोक्त समयावृद्धि विभिन्न कारणों से निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण दी गई है। **(ग)** योजना से 25000 हेक्टेयर में खरीफ फसल की सिंचित रकबे का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। **(घ)** जी हां, अरपा भैंसाझार येाजना का आडिट महालेखाकार द्वारा किया गया है। महालेखाकार द्वारा दिनांक 09.09.2019, 21.12.2022 एवं 03.08.2023 को जारी टीप द्वारा योजना में भुगतान के संबंध में टिप्पणी की गई है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा पहला सवाल है, इसलिए मैं भी आपसे संरक्षण चाहूंगा। मैंने अरपा भैंसाझार योजना के विषय में सवाल पूछा था। इसमें जवाब आया है कि वर्ष 2013 से पूर्ण होने की अवधि में 8 बार समय वृद्धि हुई है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अब तक कितना कार्य पूर्ण हुआ है और लक्ष्य की प्राप्ति कब तक हो जायेगी ? क्या सर्वे का भी कार्य पूर्ण हो चुका है ? क्या वहां पर डी.पी.आर. के हिसाब से र कार्य हुआ है ? क्या इसका फिजिकल आडिट हुआ है ? मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अरपा-भैंसाझार योजना एक वृहद परियोजना है। इस पर लगातार काम चल रहा है। अभी वर्तमान में लगभग साढ़े बारह हजार हैक्टेयर रकबा सिंचित हो रहा है। इस शीर्ष के जितने भी कार्य हैं, वे पूर्ण हो चुके हैं। कुछेक कार्य बाकी रह गये हैं, जिसके कारण अभी आधे क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। लगभग साढ़े आठ करोड़ रूपये का काम शेष है। उस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात इस योजना के माध्यम से लगभग 25 हजार हैक्टेयर रकबा सिंचित होगा, जिससे हमारे तीन विकासखण्ड को इस सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा, इसमें कोटा के लगभग 40 हैक्टेयर, तखतपुर क्षेत्र के लगभग 19,406 हैक्टेयर और बिल्हा क्षेत्र के लगभग 5,554 हैक्टेयर रकबा सिंचित होगा। जब इस योजना को प्रारंभ किया गया तो एक लमसम टेण्डर किया गया था। इसमें पूरा सर्वे का काम, बाकी सिंचाई की दृष्टि से जो-जो काम करना है, उसमें उस काम का प्रावधान किया गया था। इसमें 8 बार समय में वृद्धि की गई है। वहां पर वन भूमि का जो रिक्वायमेंट था, उसके अलावा राजस्व की रिक्वायरमेंट थी, उसके आधार पर राजस्व के माध्यम से उनको पेमेंट करना था, उसके कारण से यह योजना थोड़ी लंबित हुई । वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक लगातार

कोविड का दौर था, कोविड के दौर में भी हम लोगों के माध्यम से कार्य कराया गया । कुछ जगहों पर किसानों का मुआवजा को लेकर विरोध था, उसको भी शार्ट आऊट कर लिया गया है ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक था कि कब तक का टारगेट रखा गया है ? यह परियोजना कब खत्म हो जायेगी ? जैसा कि मंत्री जी का जवाब आया है कि आधा ही हो पाया है । महालेखाकार की उस पर टिप्पणी की गई है, क्या अतिरिक्त भुगतान के लिये महालेखाकार की आपत्ति है या इसमें रिकवरी के निर्देश दिये गये हैं ? इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इसमें जो कहा है कि महालेखाकार ने टिप्पणी की है तो महालेखाकार द्वारा आडिट पैरा में जो 15.03.2022 को जो टिप्पणी की गई है, उसके आधार पर नहर प्रणाली का काम जो लगभग 86 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है, नहर परीक्षण के दौरान लगभग 12500 हेक्टेअर सिंचाई का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है । हमारा इसमें जो वर्क है, वह आधा से ज्यादा पूरा हुआ है । इस कारण से उसका भुगतान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, क्या भुगतान को लेकर या रिकवरी को लेकर कोई टिप्पणी की गई है या नहीं की गई है और इस परियोजना का लक्ष्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- इसे कब तक पूरा करने का लक्ष्य है ?

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस योजना की लगातार मानिटरिंग कर रहे हैं, इसमें बहुत ही कम कार्य शेष रह गये हैं । उस कार्य के पूरा होते ही योजना के माध्यम से लगभग 25,000 हेक्टेअर इसमें सिंचित होगा । हमारे जो किसान है, उन किसानों का जो मुआवजा है, वह मुआवजा देते ही इस योजना के हमारे जो शेष कार्य हैं, हेड वर्क का लगभग जो शेष कार्य 1 करोड़ का है, मुख्य नहर का कार्य लगभग 200 मीटर का है, माइनर नहरों का जो शेष कार्य है, वह लगभग 41.91 किलोमीटर का है, वर्तमान में यह जो सारा कार्य है, वह शेष है । हमारी यह कोशिश है कि इस वित्तीय वर्ष में हम इसको पूरा कर लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- धरम जी । उनका क्षेत्र है, वह भी पूछ लें ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, अब इनके भी क्षेत्र में आ गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग प्रश्न क्यों नहीं लगाते ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न लगाया था तो मेरे प्रश्न का 25 नंबर है ।

अध्यक्ष महोदय :- इतना महत्वपूर्ण है...।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 25 नंबर पर था ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कर लीजिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं इसी सत्र में लगाया था ।

अध्यक्ष महोदय :- एक प्रश्न कर लीजिए, कोई बात नहीं है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बता रहे हैं कि 25 हजार हेक्टेअर में आपका 12 हजार हेक्टेअर में सिंचाई शुरू हो गयी है यानी अभी आधा भी नहीं हुआ है । 13 हजार हेक्टेअर में सिंचाई और होगी तो आपका 25 हजार हेक्टेअर में सिंचाई होगा । एक तो विलम्ब और ....।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न छोटे करें, भूमिका नहीं । प्रश्न छोटे-छोटे करें । बाकी मंत्री जी के जानकारी में सब है । पाईन्टेड प्रश्न करिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, पाईन्टेड प्रश्न यह है कि महालेखाकार का जो बताया गया है, अभी जवाब आया था तो कुछ दिन पहले 25 नंबर पर था । नहर के जो काम हुये हैं, यहां जिनके खेत में नहर नहीं निकाले गये हैं, वहां भुगतान हो गया है और जिनका खेत निकाला गया है, उसका नहर नहीं बना है । उसमें 10 अधिकारियों को सस्पेंड करने का, उन पर कार्यवाही करने का और इसमें दूसरी बात जो 10 करोड़ रूपये अधिक भुगतान हुआ है, उसे वापस करने का है, इसे कब तक करायेंग ? इसका एक बार जवाब आ जाये । जो अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने का है और जो राशि वापस करनी है, उसे कब तक करेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो संबंधित अधिकारी हैं, उनके ऊपर हमारे विभाग के माध्यम से कार्रवाई की गई है। उसमें जो वर्तमान में Land acquisition का मामला है, उसके कारण ही पूरी योजना पेंडिंग पड़ी हुई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गयी है। उसमें दो राजस्व अधिकारी, एस.डी.ओ. हैं और दो तहसीलदार हैं और फिर आपके विभाग के अधिकारी है। आप सबके ऊपर तो कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जो अधिकारी दोषी पाये गये हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई हो जायेगी ? आप इसको सुनिश्तिच करें।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कार्य में जो हमारे विभाग के अधिकारी, रेवेन्यू विभाग के अधिकारी और उस कार्य से संबंधित जितने भी अधिकारी लगे थे, जिनके माध्यम से यह चूक हुई है कि जिनके खेतों पर नहर नहीं बनी उनको लगभग 08 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। उसके लिये उनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, वह हम करेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है, छोटा प्रश्न है कि जो अधिकारी दोषी पाये गये, उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई हो जायेगी ? इसका मतलब आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको बचाने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। वहां पर न नहर का काम हो रहा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है न ही केनाल का काम हो रहा है और न ही उसमें सिंचाई हो रही है, उसके बाद भी लागत राशि बढ़ती जा रही है। उसमें जो पैसा दिया गया है, अधिकारी उस पैसे की अफरा-तफरी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी का जवाब आ गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, नहीं, इसमें जवाब कहां आया है ? वह कह रहे हैं कि वे कार्रवाई करेंगे लेकिन कितने साल में करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- वह शीघ्र बोल रहे हैं। मंत्री जी, बोल दीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, शीघ्र नहीं। उसमें पंद्रह दिन, एक महीना, दो महीना, कब तक कार्रवाई करेंगे ? दूसरी बात, जिन गलत लोगों को राशि का भुगतान किया गया है, उसकी वसूली कब तक हो जायेगी ? मेरा केवल दो प्रश्न है।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, इसमें जो गलत भुगतान हुआ है, उसकी तत्काल वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा और क्या होगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ा प्रश्न तो यही है कि उसमें 10 अधिकारी सम्मिलित हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे ? यह मेरा छोटा और प्वाइंटेड प्रश्न है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इसलिये गंभीर है कि इतने वरिष्ठ सदस्य इस प्रश्न को उठा रहे हैं, उसके बाद भी मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको धरम जी और धर्मजीत जी को सहायता करने की जरूरत नहीं है। वह स्वयं में पर्याप्त है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे महत्वपूर्ण विषय में भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये। धर्मजीत जी का प्रश्न आ जाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राघवेन्द्र सिंह जी ने जरूर लगाया है और बहुत अच्छा प्रश्न लगाया है। हम यह प्रश्न इसलिये नहीं पूछ पाये थे क्योंकि हमने इसी प्रकार के और दूसरे प्रश्न पूछ लिये थे। लेकिन जिस दिन अभिभाषण हो रहा था, मैंने उस दिन इस योजना का जिक्र किया था। इसमें 25 हजार हेक्टेयर में सिंचाई का प्रोजेक्ट है। इस योजना को टर्न-की में दिया गया था। मंत्री जी के जवाब में अभी तक यह बताया जा रहा है कि सिर्फ साढ़े 12 हजार हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है, इसका मतलब है कि आपने अपने टार्गेट का 50 प्रतिशत ही achieve किया है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ जवाब दे रहे हैं कि नहर का 80 प्रतिशत निर्माण हो गया, तो नहर के 80 प्रतिशत निर्माण के बाद भी सिर्फ साढ़े 12 हजार हेक्टेयर में सिंचाई कैसे हो रही है ? मैं यह बिल्कुल

नहीं पूछूंगा कि आपने क्यों उसमें 08 बार समय वृद्धि की । क्योंकि इसमें 08 बार समय में वृद्धि होने का मतलब मैं समझ चुका हूं कि वह ठेकेदार साहब कितने शक्तिशाली हैं और विभाग के अधिकारियों के ऊपर उनका कितना प्रभाव है। माननीय मंत्री जी, यह आपके कार्यकाल का नहीं है। आप इसे थोड़ी गंभीरता से लीजिये। इसके सिंचाई का लाभ तखतपुर विधान सभा और बिल्हा विधान सभा में मिलना है। यह वर्षों से लंबित है। वीरेन्द्र कुमार सखलेचा जी के जमाने में और तत्कालीन मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया है। यह जो कार्य स्वीकृत हुआ था, वह इन्हीं के कार्यकाल का कार्य है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट मंत्री जी को बता दूं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी को सारी भूमिकाएं मालूम है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता दूं कि इसमें पुरानी सरकार का भी..।

अध्यक्ष महोदय :- आप छोटा-सा प्रश्न कर लीजिये। यह बहुत लंबा हो गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि इसमें 25 हजार हेक्टेयर में सिंचाई कब होगी ? हमारी और भी कई जिज्ञासाएं हैं, जिसको हम आपके अधिकारियों से सदन में तो बहस नहीं कर सकते हैं। क्या आप Engineer in chief, Chief Engineer, Executive Engineer के साथ भैंसाझार डेम के साईट से बैठकर हमको स्थल का मूल्यांकन, सत्यापन और भौतिक दर्शन कराने का कष्ट करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपका प्रश्न आ गया।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में छोटा-सा प्रश्न है। यह प्रश्न कोटा विधान सभा क्षेत्र का है।

अध्यक्ष महोदय :- आप इधर कहां कूद रहे हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, यह डेम कोटा विधान सभा क्षेत्र में है।

अध्यक्ष महोदय :- यह आपसे संबंधित नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा हूँ कि उस जिले के सब विधायकों के सामने करवा दीजिए। आपके अधिकारी हमें बताते जाएं, हम प्रश्न पूछते जाएंगे। हमारी कोई गलतफहमी होगी, उसे हम दूर कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आपका प्रश्न उचित है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां आप हमें 25 हजार हेक्टेयर में सिंचाई देने का आश्वासन देंगे ? क्या आप वहां मिटिंग करवायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- 25 हजार हेक्टेयर में सिंचाई कब तक हो सकती है क्या इस पर कुछ आश्वासन दिया जा सकता है? केवल एक ही प्रश्न पर सब अटके हुए हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वहां के मुख्य कार्य हैं, वह सारे पूर्ण हो चुके हैं। वहां जो बीच का भाग है उसको कनेक्ट करना शेष बाकी रह गया है। वहां वह भाग कनेक्ट हो जाएगा तो उसके पश्चात् टोटल 25 हजार हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा प्रारंभ हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा। वहां बीच का काम पूरा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहां से होगा। वही तो 20 सालों से रूका हुआ है। आप उसको करिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बार Physical audit करवा दीजिए। वहां अभी 12 हजार हेक्टेयर में सिंचाई नहीं हो रही है। यह बांध कोटा विधान सभा क्षेत्र में है । एक भी नहर का काम पूरा नहीं हुआ है। इसका Physical audit करवा दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह कश्मीर वाला कोई अटल टर्मिनल थोड़ी है। यह बीच में जो मामला है, माननीय मंत्री जी को उसे बनाने के लिए बोलिए। आप युवा है आपको तो इसमें चिंता ही नहीं करनी चाहिए। इसमें कौन नपेगा, आप उसे नाप दीजिए, लेकिन हमें वहां के खेतों में पानी चाहिए । वहां 25 हजार का टर्न की में ठेका मिला है। यहां साढ़े 12 हजार सुनकर 5 साल बीत गया। आप इसे कैसे बनवाएंगे। वह कौन सा हर्डल है जिसे आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, उसे विभाग दूर करेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप वहां जो कठिनाई आ रही है उसे दूर करेंगे क्या ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बार Physical audit करवा दीजिए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले कहा कि इसमें land acquisition का मामला था और उसके कारण से यह थोड़ा विलम्ब हुआ है। अब वह लगभग-लगभग...।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें थोड़ा सा नहीं, इसमें अच्छा विलम्ब हुआ है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उसको जल्द से जल्द पूरा करवायेंगे। हमारी कोशिश है कि ...।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें माननीय मंत्री जी का आश्वासन आ गया।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आप जैसा चाहते हैं। मैं बहुत ही प्वाईंटेड और बहुत छोटा प्रश्न कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि वहां के ठेकेदार साहब कौन हैं, माननीय धर्मजीत सिंह जी जिसका जिक्र कर रहे थे। उस ठेकेदार का नाम बता सकते हैं क्या ? क्या इस परियोजना से संबंधित किसी सी.ई. का ई.ओ.डब्ल्यू., ए.सी.बी. से जांच हुई है। क्या किसी सी.ई. को हाईकोर्ट के द्वारा कोई सजा दी गई है जो इस परियोजना में कार्यरत था ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय,...।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- पहले इनका जवाब आ जाए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो कॉन्ट्रेक्टर की जानकारी मांगी है मैं उस कॉन्ट्रेक्टर के फर्म का नाम है वह मैं अलग से उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटा है। ये नाम तो आपको बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- वह नाम बता रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ। कार्य एजेंसी की जो नाम है वह निविदाकार मेसर्स राधेश्याम अग्रवाल एवं सुनील अग्रवाल हैं।

अध्यक्ष महोदय :- और कुछ शंका ?

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक और जानकारी के संबंध में पूछा था कि इसी में परियोजना में काम करने वाले को किसी अधिकारी को इस मामले में सजा हुई है। यह आप बाद में बता दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय :- किसी को कोई सजा हुई है, आप जानकारी दे दीजिएगा।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं बाद में जानकारी लेकर बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप फिर लौटकर प्रश्न में आ गये। पूरा एक राऊण्ड हो गया। वहां से शुरू होकर, वहां तक चला गया। कुछ छोटा प्रश्न हो तो आप कर लीजिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंटेड प्रश्न है क्या इसका निर्माण डी.पी.आर. सर्वे के हिसाब से हुआ है और क्या इसका Physical audit कराया जाएगा ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि इसका लमसम टेण्डर हुआ। इसमें हमने बताया कि हमको इतना एकड़ सिंचित करना है। वहां की वस्तुस्थिति है उसके सर्वे का काम है यह सारा काम जो वहां पर संबंधित ठेकेदार था, उसके माध्यम से किया जाएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां आप एक मिटिंग तो करवा दीजिए। कम से कम बिलासपुर के सी.ई. ऑफिस में सब विधायकों को बुलाकर मिटिंग करवा दीजिए। वहां मिटिंग करवाने में क्या तकलीफ है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, एक बार बिलासपुर जाकर संबंधित सभी विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर मिटिंग करवा दीजिए। माननीय मंत्री जी वहां पर दो घण्टे बैठकर आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। अब तो हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको इस बात की पीड़ा है । इतनी परिश्रम करने के बाद यह बना । आप उस समय सी.एम.साहब थे, हमारे लालकृष्ण आडवानी जी ने आकर उस

समय उसका शिलान्यास किया था। योजना में उसकी लाईनिंग को बदल दिया गया, उसके डिजाईन को, नक्शा का बदल दिया गया। अधिकारी दोषी पाये जा रहे हैं और उनके बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर हम क्या सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, मोर 10वें नंबर पर प्रश्न आये हे, ओमा सब कुछ हो गये हे तो ओमा अउ का करिहौ।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी पीड़ा स्वाभाविक है। आपकी पीड़ा केदार कश्यप जी दूर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिये, सहमत हो जाईये। माननीय चरणदास महंत जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- वहां जाकर वह बैठक करके क्या कर लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- वह पीड़ा दूर करेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- कोई पीड़ा दूर नहीं करेंगे। जो सामने में है, उसको तो कर नहीं पा रहे हैं। क्या पीड़ा दूर करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- यदि नहीं होगा तो इसी विधान सभा में आप बताईये। हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

श्री धरमलाल कौशिक :- जो दोषी पाये गये हैं, उनके खिलाफ तो कुछ कर नहीं रहे हैं। उससे क्या पायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न बहुत संवेदनशील है। इनका ध्यानार्षण भी आता है और प्रश्न भी आता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी खुद संवेदनशील हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं नेता जी को बधाई दूंगा कि लगातार इनके प्रश्न में जिस प्रकार से यह सुंअर, बाघ की चिंता करते हैं। उनका ध्यानकर्षण भी आ रहा है, प्रश्न भी आ रहा है। मूक पशुओं की चिंता माननीय नेता प्रतिपक्ष जी करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी, खुद बहुत संवेदनशील हैं।

श्री रामकुमार यादव :- एकरे बर मैं कहथव कि बाघ-बाघ कहथे भैया, बाघ कहां से आये हो, बाघ ढिलाये मोर चरणदास महंत जी के, बैरी मन के फोड़ करेजा खाये हो।

अध्यक्ष महोदय :- आपको गोमर्दा से विशेष प्रेम है। मैं वहां के अभ्यारण्य में जाऊंगा। आप गोमर्दा का बहुत जिक्र करते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मसला उठाते हैं ओर कम से कम शेर की रक्षा के लिए आगे आये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वह गंभीर हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो आपसे एक निवेदन कर रहा था कि आप आसंदी से एक आदेश जारी करें। जैसे विद्याचरण शुक्ल जी जब दिल्ली में केन्दीय मंत्री थे तो अपने घर में शेर पाले थे। एक छोटा सा शेर का बच्चा हमारे मंहत जी के यहां भी दे दीजिए। उनके नये बंगले में उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेण्ट से गिफ्ट करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- उनको भेंट कर देंगे।

डॉ.चरणदास मंहत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत भाई जी ने जो चिंता व्यक्त की है वह तो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। क्योंकि आप राजघराने से ताल्लुक रखते हैं इसलिए शेर पालने की जो इच्छा और जवाबदारी है, वह आपकी है। हम जैसे तो गरीब लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय :- इनका भी राजघराने से संबंध है। राजघराने से बहुत नजदीकी संबंध आपका है।

डॉ.चरणदास मंहत :- नजदीकी संबंध है।

अध्यक्ष महोदय :- अब क्यों छिपा रहे हैं ? (हंसी) चलिये, आप प्रश्न कीजिए।

<u>बाघ की अस्वाभाविक मृत्यु का उत्तरदायित्व</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

4. (*क्र. 1880) डॉ. चरण दास महंत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या माह जनवरी, 2024 में गोमर्डा अभ्यारण्य में या उसके आसपास बाघ की अस्वाभाविक मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो मृत्यु की तारीख तथा कारण बताएं ? मृत्यु के कितने दिनों पश्चात्, किससे प्रथम सूचना प्राप्त हुई? **(ख)** बाघ के राज्य में विचरण का तथ्य पहली बार कब विभाग के संज्ञान में आया था और उसके पश्चात् उस पर नजर रखने (ट्रेकिंग) के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई थी ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हां। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 26.01.2024 एवं तत्संबंधित दर्ज वन अपराध की विवेचना में पाये गये तथ्यों के अनुसार गोमर्डा अभ्यारण्य अंतर्गत कक्ष क्र. 927 लोहारिन आरक्षित वन के सीमावर्ती गांव घोराघाटी में जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाये गये विद्युत तार की चपेट में आने से बाघ की आकस्मिक मृत्यु की घटना दिनांक 16-18 जनवरी 2024 के मध्य होना पाया गया है। इस घटनाक्रम की जानकारी मुखबिर के माध्यम से विभागीय अमले को दिनांक 19.01.2024 की रात्रि को प्राप्त हुई।**(ख)** इस बाघ के आने की जानकारी माह नवम्बर 2023 के अंत में विभाग के संज्ञान में आई थी। बाघ पर नजर रखने (ट्रैकिंग) के लिए व्यवस्थाओं की **जानकारी संलग्न[1] 'प्रपत्र' में दर्शित है।**

[1] परिशिष्ट "दो"

डॉ.चरणदास मंहत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाघ की अस्वाभाविक मृत्यु के उत्तरदायित्व के बारे में मेरा प्रश्न था। इनने जो जानकारी दी है, उसको मैं पहले पढ़ देता हूं। नवंबर में यह पता चल गया कि एक बाघ आया है। वह बाघ 16-18 जनवरी 2024 के बीच मर गया, उसका पोस्टमार्टम भी हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- उड़ीसा से आये थे, वही उड़िया वाला है क्या ?

डॉ.चरणदास मंहत :- अध्यक्ष महोदय, वही वाला है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें बहुत चर्चा हो चुकी है। वह भाषा नहीं जानते थे इसलिए इसमें फंस गया है।

डॉ.चरणदास मंहत :- जी, फंस गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बताईये।

डॉ.चरणदास मंहत :- अध्यक्ष महोदय, अभी उनको बताना नहीं है। उनको थोड़ा सोचने दीजिए। मेरे ध्यानाकर्षण के प्रश्न में मैंने यही कहा था कि इसमें बहुत घपला है। इसको आप एक विधायक की कमेटी बैठाकर जांच करा दीजिए। इतना ही कहा था। आपने यह स्वीकार किया है कि न्यायिक जांच चल रही है, इसलिए हम चुपचाप बैठ गये। आप बता दीजिए कि कौन सी न्यायिक जांच चल रही है। आपको विभाग वाले असत्य कथन कहलवा रहे हैं। अगर आप उसी को कहना चाहते हैं तो आप फंस जायेंगे। आपने यह कहा है कि विभाग न्यायिक जांच करा रहा है। आप मुझे यह बताईये कि कौन न्यायिक जांच कर रहा है, किसके आदेश से न्यायिक जांच हो रही है ?

श्री रामकुमार यादव :- उतिक के चिट्टी में ज्यादा भरोसा मत करिहा।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गोमर्डा अभ्यारण्य में जो घटना घटित हुई, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक बाघ की मृत्यु हुई है। वहां पर हम लोगों ने जिन लोगों को आरोपी के रूप में गिरफ्तार भी किया है, मैं उनके नाम भी देख रहा था। जिस तरीके से उन्होंने अपने खेतों की फसलों की सुरक्षा के लिए तार वगैरह लगाये थे। उनकी मंशा यह नहीं थी कि वह बाघ का शिकार करें। उनकी मंशा यह थी कि कोई भी जंगली जीव या फिर कोई जंतु उनकी खेतों की फसल को नुकसान न करे। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां जो घटना घटित हुई और उसमें एक बाघ की मौत हुई। अध्यक्ष महोदय, उसकी जांच भी चल रही है।

डॉ. चरणदास मंहत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा-सीधा माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आपने कहा है कि न्यायिक जांच चल रही है। यह मेरे पास उस दिन की विधान सभा की कार्यवाही है। आपने स्वयं कहा था। मंत्री जी, आप यह बता दीजिए कि किस स्तर की जांच होगी, यह बता दीजिये? तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी इसमें न्यायिक जांच चल रही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इसलिए इसमें अलग से कोई कमेटी गठित करने की आवश्यकता नहीं है। जांच की जैसे ही पूरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मैं फिर इसमें अलग से कार्रवाई करूंगा। उसके बाद आपने मुझे चुपचाप बैठा दिया था। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि वह न्यायिक जांच कौन सी चल रही है? यह बता दीजिए। आपने कितने लोगों को सजा दी, क्यों सजा दी, कैसे सजा दी? महाराज, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह कैमरे से ट्रेकिंग होती है? कैमरे से ट्रेकिंग नहीं होती है। आप ट्रेकिंग से बाघों की गणना कर सकते हैं, सुअरों की गणना कर सकते हैं, हिरण की गणना कर सकते हैं। यह कैमरे से कैसे ट्रेकिंग हुई कि आप आठ-आठ कैमरा बुलाकर उसका ट्रेकिंग कर रहे हैं? मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मंत्री जी, आप बिल्कुल स्वस्थ रहे, टेंशन न पाले, चुपचाप जवाब मंगा लीजिये। मुझे न्यायिक जांच का बता दीजिये कि न्यायिक जांच क्या चल रही है और आपने असत्य कथन क्यों कहा है? अगर कहा है तो उसके लिए माफी मांगिये और माफी मांग करके कहिए कि आप इसमें जो इतने घपलेबाजी दिखा रहे हैं, उसकी जांच विधायकों के द्वारा विधान सभा सदन से होगी।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय जी, मोदी जी हर बघवा के बहुत प्रेमी हे। ओहा साउथ अफ्रीका ले चितवा लाय रिहीस, जानत हा न? ता ओकर चितवा घलौक मरत जाथे ता अब हमन कइसे करबो? ये तो बड़ा मरन हो गे ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी ने जो प्रश्न किया है, उसके तहत् में जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) के मानक प्रचलन प्रक्रिया है एस.ओ.पी. के अनुसार वन्य प्राणी बाघ की मृत्यु की घटना के संबंध में जांच अधिकारी की नियुक्ति वन विभाग को ही करना है और उसकी नियुक्ति की जा चुकी है। जिसमें हमने वन क्षेत्रपाल स्तर के राजपत्रित अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और उसमें हम लोगों ने आगे की कार्रवाई को बढ़ाया है। जहां तक कैमरा की बात कर रहे हैं। ट्रेक कैमरा, ऐसा कैमरा है। आप कहेंगे तो मैं उसकी फोटोकापी दिखा देता हूं।

डॉ. चरण दास महंत :- मैंने उसकी फोटोकापी लाई है। मैंने उसकी सब किताब लेकर आया है।

श्री केदार कश्यप :- ट्रेक के पास इतना सेंसिटिव्ह होता है कि उसके सामने कोई भी जीव-जन्तु या हम और आप भी चले जायेंगे तो उसकी फोटोग्राफी वहां पर तत्काल स्पष्ट दिखती है।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, फोटोग्राफी होती है, फोटो झपती है, उसमें गणना होता है, ट्रेकिंग नहीं होता। मैं यह किताब आपके विभाग वालों को दिखा देता हूं। मैं पढ़ कर आया हूं। मुझे [xx][2] बनाने की कोशिश न किया जाए। मैं तो कह रहा हूं कि मुझे जांच की आदेश दिखाईये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा कि हम लोगों ने वहां पर एक ट्रेक कैमरा लगवाया है। हम लोगों ने वहां पर लगभग 12 से ऊपर ट्रेक कैमरा लगवाया है। उसके

[2] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अलावा ट्रेकिंग भी किया गया है। ट्रेकिंग के माध्यम से एक-एक दिन में ट्रेकिंग किया जाता है। यदि आप चाहे तो मैं उसका भी विवरण दे देता हूं कि किस-किस तारीख को किस तरीके से ट्रेकिंग किया गया है।

डॉ. चरण दास महंत :- मुझे विवरण बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने मुझे बैठा दिया था। मुझे न्यायिक जांच चाहिए। आप न्यायिक जांच कर रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- उस ट्रेकिंग के बाद हमने ही नहीं किया बल्कि उड़ीसा के जो वन विभाग के अधिकारी है, उनके माध्यम से यह निष्पादित हुआ है।

डॉ. चरण दास महंत :- मंत्री जी, मैं कह रहा हूं कि आप परेशान मत होईये। न्यायिक जांच कोई छोटी-मोटी विषय नहीं है। एक तो इसको सरकार करती है। आपका विभाग नहीं करा सकता। इसमें जज नियुक्त होते हैं, वह आप नहीं कर सकते और आपका विभाग नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ न्यायिक जांच की बात कर रहा हूं। आपने क्यों कहा कि इसमें न्यायिक जांच चल रही है? आप इतना सा बोल दीजिये मेरे से गलती हो गई, मैं असत्य बोल रहा हूं, मैं खेद व्यक्त करता हूं। मेरी मांग को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह बता दीजिये? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटा-मोटा सवाल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, न्यायिक जांच का बता दीजिये कि न्यायिक जांच हुआ है या नहीं हुआ है?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-55 के अधीन यदि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है तो शिकायत अभियुक्त की गिरफ्तारी के तिथि से 60 दिन के अंदर फाईल कर दी जानी चाहिए, जो हम लोगों ने किया है। एक से अधिक अभियुक्त होने के मामले में 60 दिन की अवधि पहले अभियुक्त की गिरफ्तारी तिथि प्रारंभ होती है और इसी प्रकार इस मामले में 60 दिन की अवधि 25 मार्च, 2024 को खत्म होने के पश्चात् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में कोर्ट चालान परिवार नियमानुसार दायर किया जाएगा। यदि आप उस जांच से संतुष्ट नहीं है, उस परिस्थिति में ..।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सर, यह तो सिम्पल प्रक्रिया है, इसमें न्यायिक जांच कहां होगी?

डॉ. चरण दास महंत :- आपने तो न्यायिक जांच चल रही है बोला है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- यह न्यायिक जहां कहां है? यह तो सिम्पल प्रक्रिया है। डॉ. चरण दास महंत :- सदन में आपने कहा है । आपके विभाग वालों ने आपसे असत्य कथन कहलाया है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा शेम-शेम की आवाज) मैं उसकी बात कर रहा हूं। सर, आप न्यायिक जांच के बारे में बताईये। न्यायिक जांच चल रही है तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है कि शायद उसका गलत तरीके से वह किया गया । लेकिन मैंने जो जानकारी दी कि 60 दिनों तक हमको इस प्रक्रिया को करना है ।

डॉ. चरणदास महंत :- आप उसके लिये खेद व्यक्त करिये । आपने न्यायिक जांच का कहा है और इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने मुझे बैठा दिया । मैं न्यायिक जांच सुनकर बैठ गया । आप न्यायिक जांच का आदेश दिखा दीजिये कि यह कैसी चल रही है ? मैं और कुछ भी नहीं बोल रहा हूं । आपने परिशिष्ट में जो जवाब दिया है तो ऐसा लग रहा है कि वह बघवा महाराज जेड प्लस श्रेणी में आते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- विशेष छत्तीसगढ़, बता रहे हैं कि ट्रेकिंग हो रही है ।

डॉ. चरणदास महंत :- हां, बता रहे हैं न । इतने पाइंट दिये हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जेड प्लस वाला बाघ कब गायब हुआ इसका पता नहीं, कब मरा इसका पता नहीं, कहां गड़ाये इसका पता नहीं, क्या हुआ इसका पता नहीं और पूछने पर आप कह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो रही है । मैं तो कह रहा हूं कि आप खेद व्यक्त कर दीजिये कि न्यायिक जांच नहीं हो रही थी । हम लोग तो चाहते हैं कि आप विधायकों की समिति से जांच करा लीजिये तो करा लीजिये उसमें इनका क्या जा रहा है ? इनका क्या बिगड़ रहा है ? मेरा क्या बिगड़ रहा है ? सदन का क्या बिगड़ रहा है ? सदन को असली तथ्य पता लग जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि इसमें अभियुक्तों को पकड़ा गया है । इसमें 9 अभियुक्त पकड़े गये हैं उनको जेल के अंदर डाला भी गया है और इसके अलावा यदि इसमें और भी कोई दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कोई कार्यवाही चाहते हैं तो बताईये ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दोषी का तो सवाल ही नहीं है । दोष का सवाल ही नहीं है । मैं यह कह रहा हूं कि इन्होंने अपने मुंह से कहा है, सदन में कहा है कि न्यायिक जांच चल रही है । मुझे न्यायिक जांच का आदेश दिखा दें, बस । मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं । किसको सजा देंगे ? किसको मारेंगे ? कौन अंदर जायेगा ? कौन बाहर रहेगा ? मुझे कोई मतलब नहीं है । आपने न्यायिक जांच कहा है । यह आपने गलत कहा, असत्य कहा ।

अध्यक्ष महोदय :- यदि आपकी जानकारी नहीं है तो आप जानकारी सुधार लें। कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका नहीं है भई । हर बार उठने की जरूरत नहीं होती। जब नेता प्रतिपक्ष प्रश्न कर रहे हैं तो किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती ।

डॉ. चरणदास महंत :- पहले मेरा जवाब आ जाने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- वह सक्षम हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, न्यायिक जांच के बारे में बता दीजिये ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो न्यायिक जांच के संदर्भ में कहा । मेरा उसका जो आशय था कि हमारे इसके लिये जो केस चल रहा है। इसको क्रिमिनल केस के तहत् में हम लोगों ने किया है, इसके लिये मैंने न्यायिक जांच का कहा । ऐसा नहीं कहा कि...।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है न ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रिमिनल केस के बराबर ही केस है । इसमें भी 10 साल की सजा होती है और अगर आप लोगों को, वन विभाग वालों को तकलीफ है कि इसमें तार लगाकर मार दिये जाते हैं तो मैं यह समझता हूं कि जंगल में बहुत सारे सुअर आ गये हैं तो उन सुअरों की गिनती करवा लीजिये । आप यह तो कर सकते हैं न, आपके जंगल में चाहे यहां के जो अभ्यारण्य हैं वहां अगर सुअरों की संख्या बढ़ गयी है तो एक-बार सुअरों की भी गिनती करवा लीजिये उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री रामकुमार यादव :- एमन आदमी के नइ कर पाय ता एमन सुअर के कहां करही ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक, सुअर को गिनवा लो बोल रहे हैं बस ।

श्री केदार कश्यप :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी वन्य प्राणी होंगे हम उनकी गिनती करवा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्री राजेश मूणत ।

प्रश्न संख्या : 5 XX XX

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो शेर के प्रश्न में सुअर घुस गया ।

अध्यक्ष महोदय :- शेर भी है, सुअर भी है । श्रीमती विद्यावती सिदार जी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न बहुत आगे बढ़ गया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विद्यावती सिदार आ गयी हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वह नहीं बोल रहा हूं । उसमें अधिकृत किये थे ।

अध्यक्ष महोदय :- शेर वाले में ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेश मूणत जी वाले में ।

अध्यक्ष महोदय :- राजेश मूणत वाले प्रश्न में आपने मुझे कोई सूचना नहीं दी है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सूचना नहीं मिली है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- हां ठीक है न । मुझे फोन किया था इसलिये कह रहा था ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करना चाहेंगे ? आपने लिखकर दे दिया है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं दिया है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक ।

जिला रायगढ़ में लंबित राजस्व मामले एवं उनका निराकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

6. (*क्र. 1908) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 11 जनवरी, 2024 की स्थिति में जिला रायगढ़ में नामांतरण, डायवर्सन, सीमांकन, बटांकन, फौत, नवीन किसान पुस्तिका निर्माण, खाता बंटवारा आदि राजस्व के मामले लंबित हैं? (ख) इन लंबित मामलों में से कितने मामले पटवारी या राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने के कारण लंबित हैं? (ग) उपरोक्त सभी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु क्या कदम शासन द्वारा उठाये जायेंगे तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) 11 जनवरी 2024 की स्थिति में जिला रायगढ़ में नामांतरण-747 प्रकरण, डायवर्सन-205 प्रकरण, सीमांकन-706 प्रकरण, बटांकन-25 प्रकरण, फौत-0 प्रकरण, नवीन किसान पुस्तिका निर्माण-11 प्रकरण, खाता बंटवारा-291 प्रकरण, राजस्व मामले के कुल 1960 प्रकरण लंबित है। (ख) लंबित मामलों में पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण 92 प्रकरण लंबित है। (ग) लंबित 92 प्रकरणों में पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों को समय-सीमा में जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सख्त निर्देश दिये जा रहे है। लंबित प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् समय-सीमा निर्धारित है।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी, सभी सदस्यगण और सभी को प्रणाम करते हुए चूंकि आज मेरा पहला प्रश्न है । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अच्छा पूछिए ।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 11 जनवरी, 2024 की स्थिति में जिला रायगढ़ में नामांतरण, डायवर्सन, सीमांकन, बटांकन, फौत, नवीन किसान पुस्तिका निर्माण, खाता बंटवारा आदि राजस्व के मामले लंबित हैं? इन लंबित मामलों में से कितने मामले पटवारी या राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

लंबित हैं? उपरोक्त सभी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु क्या कदम शासन द्वारा उठाये जायेंगे तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय :- बैठ जाइए। प्रश्न हो गया।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चाहा है कि रायगढ़ जिले में डायवर्सन, सीमांकन, बटांकन, फौती नामांतरण के कितने प्रकरण लंबित हैं? मैं बताना चाहूंगा कि रायगढ़ जिले में नामांतरण के 747, डायवर्सन के 205, सीमांकन के 706, बटांकन के 25, ऋण पुस्तिका के 11, खाता बंटवारा के 291 प्रकरण, इस तरह से कुल मिलाकर 1960 प्रकरण रायगढ़ जिले में लंबित हैं।

श्रीमती विद्यायती सिदार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा मेरे प्रश्न के उत्तर में रायगढ़ जिले में राजस्व मामलों में लंबित प्रकरणों की संख्या 1960 बतायी गयी है एवं पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण 92 प्रकरण लंबित हैं, जिसके लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिए विकासखंड स्तर पर शिविर लगाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करायेंगे क्या?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पटवारी और आर.आई. के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण 92 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें इनके लंबित होने का कारण हो सकता है कि कभी-कभी पक्षकार उपस्थित नहीं होते या कभी गवाह उपस्थित नहीं होते या कभी तामिल नहीं हो पाते। इनके कारण लंबित हैं और जैसे कहा कि कब तक इसका निराकरण कर लिया जायेगा? तो इसके लिए समय-सीमा निर्धारित है कि जो अविवादित प्रकरण है, जिसमें किसी भी तरह का विवाद नहीं है, उनका समय निर्धारण 3 माह का है और विवादित प्रकरण में 6 माह का है। अभी बंटवारा, नामांकन, सीमांकन के जो लंबित प्रकरण हैं, इनका त्वरित निराकरण हो, भूमि स्वामी और किसानों को सहूलियत हो, इसके लिए हमने अभी पूरे प्रदेश में तीन स्तरीय शिविर का आयोजन किया था। एक राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर, एक तहसील स्तर पर और एक जिला स्तर पर और तीनों स्तर पर शिविर का आयोजन हुआ, निराकरण हुआ और इसकी रिपोर्ट भी अभी शीघ्र आने वाली है कि प्रदेश में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? कितने का निराकरण हुआ और कितने प्रकरण लंबित हैं? प्रयास यह है कि किसानों को भटकना मत पड़े और उनके प्रकरणों का शीघ्र निपटारा हो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, विद्यावती सिदार जी।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण जमीन अधिग्रहण एवं मुआवजा संबंधी प्रकरण के संबंध में आये दिन किसानों एवं भू-स्वामियों की शिकायतें मिलती रहती हैं, जिसका निराकरण नहीं हो पाता है। जिसके

लिए माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे कि ऐसे राजस्व मामलों का निराकरण कब तक करा दिया जायेगा या राजस्व विभाग द्वारा इसके लिए क्या उचित कार्रवाई की जा रही है?

श्री टंक राम वर्मा :- भू-राजस्व में मुआवजा अलग-अलग है कि ये जमीन अधिग्रहण उद्योग के लिए हुआ है या शासकीय कार्य के लिए। जैसे माननीय विधायक बतायेंगे तो उन प्रकरणों को दिखवायेंगे और उसका निराकरण करवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप पूछ लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 92 प्रकरण लंबित हैं, जो राजस्व निरीक्षक और पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुए हैं तो इन 92 प्रकरणों के बारे में आप बतायेंगे कि इनमें से कितने प्रकरण लोक सेवा गारंटी के बाद हुए, 3 महीने का जैसे समय है, 3 महीने के पहले के लंबित हैं और अगर लोक सेवा गारंटी की समय-सीमा समाप्त हो गई है तो क्या इन आर.आई. और पटवारी के ऊपर आपने कोई कार्रवाई की है? उसकी जानकारी दें।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सतत् प्रक्रिया है, आवेदन आते रहते हैं और निराकरण होते रहता है। यदि कोई ऐसा प्रकरण है जो समय सीमा के बाद भी नहीं हुआ है तो स्पेसलिस्ट बताएंगे..।

श्री उमेश पटेल :- यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने प्रकरण हैं जो समय सीमा के बाहर हो चुके हैं ? अगर वह समय सीमा के बाहर हैं तो आपने कोई कार्रवाई की है ?

श्री टंकराम वर्मा :- हमारी जानकारी में जो प्रकरण लंबित हैं, वह समय सीमा के भीतर ही है। यदि समय सीमा के बाहर है तो आप उसको बताईयेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ठीक है। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी।

<u>**राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में आदिवासी वर्ग की जमीन का विक्रय**</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

7. (*क्र. 1633) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक आदिवासियों की जमीन को अन्य जाति प्रवर्ग के व्यक्तियों द्वारा क्रय करने की अनुमति के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुये? प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदनकर्ताओं को विक्रय हेतु अनुमति प्रदान की गई? नामवार, विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** आवेदन प्राप्त होने के कितने दिवस पश्चात् विक्रय हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है? अनुमति प्रदान करने की गाईड लाईन क्या हैं? **(ग)** आवेदन पश्चात् आवेदन की पुष्टि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हेतु किसे जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता हैं? जांचकर्ता अधिकारी कौन-कौन थे व कब-कब जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया? प्रकरणवार, वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवे।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले में वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक आदिवासियों की जमीन को अन्य जाति प्रवर्ग के व्यक्तियों द्वारा क्रय करने की अनुमति के संबंध में 278 आवेदन प्राप्त हुए है। प्राप्त आवेदनों में 92 आवेदनकर्ताओं को विक्रय हेतु अनुमति प्रदान की गई है। नामवार, विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख)** छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत इस विषय में समय-सीमा का उल्लेख नहीं है। संहिता की धारा 165(6) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की जाती है। **(ग)** आवेदन पश्चात् आवदेन की पुष्टि हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांच अधिकारी, जांच प्रतिवेदन प्रकरणवार, वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।**

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा प्रश्न राजस्व मंत्री जी से है। मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिवासी की जमीन को अन्य जाति प्रवर्ग के व्यक्तियों द्वारा क्रय करने की अनुमति के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? आवेदन दिनांक व आवेदनकर्ता का नाम पता सहित जानकारी देवें ? प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदनकर्ताओं का विक्रय हेतु अनुमति कब-कब प्रदान की गयी है ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है कि राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले में आदिवासी वर्ग की जमीन, गैर आदिवासियों को क्रय किये जाने की कितने लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ है और कितने लोगों को अनुमति दी गयी है। मैं बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले में वर्ष 2021 से अभी तक आदिवासियों की जमीन को अन्य जाति प्रवर्ग के व्यक्तियों को क्रय करने की अनुमति के 278 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन 278 में से 92 आवेदनकर्ताओं को विक्रय की अनुमति प्रदान की गयी है। इसकी विस्तृत जानकारी प्रपत्र में संलग्न है, यह किसको दिया गया है, इसकी विकासखंडवार पूरी जानकारी है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा जो मुझे प्रपत्र जारी किया गया है, उसमें आवदेनकर्ता का पता नहीं है। जो आवेदनकर्ता है, उनका नाम दिया गया है, जो जांचकर्ता अधिकारी हैं, उनका भी पता नहीं है।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इसमें भूमि विक्रय करने के लिए जांच अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होता है और माननीय सदस्य बता रहे हैं कि विस्तार से जानकारी नहीं दी गयी है, वह जानकारी हम आपको उपलब्ध करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, भोला जी पूछ लीजिए।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यध महोदय, राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में आदिवासी विधवा महिला और उनके परिवार कृषि करते आ रहे थे। वहां गैर आदिवासी को उस जमीन का पट्टा दे दिया गया है, क्या उस अधिकारी कर्मचारी के उपर कार्रवाई करेंगे, यह बता दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- कहां खैरागढ़ का प्रश्न है और कहां खुज्जी का प्रश्न अलग अलग है।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव जिले का प्रश्न है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव जिले में हम दोनों का विधान सभा क्षेत्र आता है।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो मुझे मालूम है। मंत्री जी जवाब दे दीजिए।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव जिले का मामला है, मेरा प्रश्न 5 वें नंबर का लगा था।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए कोई बात नहीं। आपने अच्छा प्रश्न किया है। अच्छा सा जवाब दे दीजिए।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, विधवा आदिवासी महिला की जमीन है, उस जमीन को गैर आदिवासी को पट्टे पर दिया गया है। इसको मैं दिखवा लेता हूं।

श्री भोलाराम साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरा रिकार्ड है, सन् 1970 के पहले की उनके पूर्वजों के जमाने की जमीन काबिज है।

अध्यक्ष महोदय :- सम्पत जी, प्रश्न करिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। एक और पूछ लीजिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- मेरा प्रश्न अभी बाकी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बचा है तो पूरा कर लीजिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- मंत्री जी, आपने अनुमति प्रदान करने के लिए जो गाईडलाईन बनाई थी, हमको उस गाईडलाईन की भी संबंधित जानकारी नहीं दी गयी है और आवेदन पुष्टि हेतु जांचकर्ता अधिकारी किस आधार पर किए हैं, इसकी भी जानकारी दीजिए।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जमीन क्रय विक्रय के लिए कलेक्टर अधिकृत होता है। कलेक्टर यह देखता है कि इस आदिवासी जमीन को बेचने में इनके साथ कोई छल कपट तो नहीं हो रहा है, नाइंसाफी तो नहीं हो रहा है। कलेक्टर उस आदिवासी की आवश्यकतानुसार बहुत जरूरी होने पर उसको विक्रय करने की अनुमति दे सकता है, यह अधिकार उनके पास सुरक्षित है। यह भू-राजस्व संहिता की धारा 165(अ) में उनको अनुमति देने का अधिकार है और इसके जांचकर्ता अधिकारी एस.डी.एम. होता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त हो गया। सम्पत अग्रवाल जी।

रायपुर संभाग में कार्यरत नोटरी

[विधि एवं विधायी कार्य]

8. (*क्र. 460) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर संभाग में 01 जनवरी, 2023 की स्थिति में कितने नोटरी कार्यरत हैं? दिसम्बर, 2023 की स्थिति में नोटरी व्यवस्था के तहत नवीनीकरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? **(ख)** कितनों का नवीनीकरण किया गया ? कितनों का नहीं ? वर्षवार बतावें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) रायपुर संभाग में 01 जनवरी, 2023 की स्थिति में कुल 169 नोटरी कार्यरत हैं। वर्ष-2023 में दिसम्बर, 2023 की स्थिति में नोटरी नवीनीकरण हेतु कुल-47 आवेदन प्राप्त हुए हैं। **(ख)** नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों मे से कुल-36 का नवीनीकरण किया गया है एवं 11 आवेदन प्रक्रियाधीन है।

श्री सम्पत अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि कुल 169 नोटरी कार्यरत हैं तो क्या सभी नोटरियों के पंजीयन वैलिड हैं ? जिन नोटरियों के पंजीयन वैलिड नहीं हैं तो क्या उन्हें नोटरी करने की पात्रता है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है कि रायपुर संभाग में 1 जनवरी, 2023 की स्थिति में 169 नोटरी कार्यरत हैं। दिसम्बर, 2023 की स्थिति में कुल 47 आवेदन नवीनीकरण के लिए आये थे। उनका नवीनीकरण किया गया है और 11 आवेदन प्रिक्रयाधीन हैं। बिना वैध अनुज्ञप्ति के किसी को भी नोटरी का कार्य करने की अधिकारिता नहीं है।

श्री सम्पत अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 47 आवेदनों में से 36 आवेदनों का नवीनीकरण किया गया है तो 11 आवेदनों का नवीनीकरण क्यों नहीं किया गया है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 36 आवेदनों के नवीनीकरण का निर्णय करके उनका नवीनीकरण कर दिया गया है और 11 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। हम शीघ्र ही उस पर विचार करके निर्णय लेंगे।

श्री सम्पत अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गलत तरीके से यहां तक कि आचार संहिता के बाद back date में नोटरी के लिए आदेश निकाला गया है तो क्या आप उसकी जांच करके उसपर कार्रवाई करेंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य के ध्यान में ऐसा कोई प्रकरण हो तो मुझे जरूर बताएं, हम उस पर निश्चित ही विचार करेंगे।

श्री सम्पत अग्रवाल :- जी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी को बता दीजिएगा। इन्द्र कुमार साहू जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- इन्द्र कुमार जी, एक मिनट। आप बैठ जाइये। इनका प्रश्न है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बघेल सरकार ने ढेर सारे तहसील और उप तहसील ऑफिस खोल दिये हैं और मेरे ख्याल से उनमें नोटरी के सैकड़ों पद रिक्त हैं। आप उन रिक्त पदों के लिए कब आवेदन आमंत्रित करेंगे ? मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप आवेदन आमंत्रित करने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी कर दीजिए।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विभाग से इसकी जानकारी मांगी है और जानकारी आते ही हम नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- इन्द्र कुमार साहू जी।

<u>अभनपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगरीय निकायों में स्वीकृत निर्माण/विकास कार्य</u>

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

9. (*क्र. 864) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अभनपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में जनवरी 2021 से दिसंबर, 2023 के मध्य निर्माण/विकास के कितने कार्यों हेतु कितनी राशि को स्वीकृति प्रदान की गयी ? कृपया निकायवार जानकारी देवें? **(ख)** स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा कौन से अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? **(ग)** अपूर्ण कार्यों में से कौन-कौन से कार्य ऐसे हैं, जिनकी अनुबंध अवधि समाप्त हो चुकी है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में जनवरी 2021 से दिसंबर 2023 के मध्य निर्माण/विकास हेतु निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई है:-

(राशि रू.- लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	स्वीकृत निर्माण/विकास कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्यों की संख्या
1	न-पा-	769	3446.67	623

	गोबरानवापारा			
2	न-पं-अभनपुर	759	3240.25	138
	योग	1528	6686.92	761

(ख) स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	निकाय का नाम	स्वीकृत निर्माण/विकास कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या
1	न-पा-गोबरानवापारा	769	623
2	न-पं-अभनपुर	759	138
	योग	1528	761

तथा अपूर्ण कार्यों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश "ग" की **जानकारी संलग्न प्रपत्र†[3] अनुसार है।**

श्री इन्द्र कुमार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न में माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसमें स्वीकृत कार्यों की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, किंतु मुझे केवल वर्षवार कार्यों की जानकारी दी गई है, जो कि पर्याप्त नहीं है। अत: क्या मंत्री जी मुझे स्वीकृत समस्त कार्यों की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराएंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य को विस्तार से और कोई भी जानकारी चाहिए तो हम उनको उपलब्ध करा देंगे।

श्री इन्द्र कुमार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में संलग्न परिशिष्ट में जानकारी दी गई है कि अभनपुर नगर पंचायत के अंतर्गत 6 तथा नगर पालिका क्षेत्र नयापारा के अंतर्गत ऐसे 12 कार्य हैं, जिनके निर्माण कार्य की अनुबंध अवधि समाप्त हो चुकी है। इसमें मुझे गलत जानकारी दी गई है। इसमें जो आंकड़े दिये गये हैं, उसमें कुल 99 कार्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन आपके द्वारा मुझे केवल 18 कार्यों की ही जानकारी उपलब्ध कराई गई है तो मैं जानना चाहता हूं कि कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध क्या विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है ?

---

[3] † परिशिष्ट "तीन"

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अपूर्ण कार्य हैं और जो कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुए हैं, उसमें कई परिस्थितियां होती हैं। कभी स्थान का विवाद होता है तो कभी बेजा कब्जा होता है। इस पर निर्णय करने का अधिकार P.I.C. को होता है और P.I.C. इसपर विचार करके आगे निर्णय करेगी।

श्री इन्द्र कुमार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जनवरी, 2023 से सितंबर, 2023 के मध्य अभनपुर नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत बहुत से निर्माण कार्यों को अधोसंरचना मद से स्वीकृति प्रदान की गई थी। किन्तु अपरिहार्य कारणों से वह कार्य प्रारंभ नहीं हो पाये थे तो क्या अधोसंरचना मद से स्वीकृत उन निर्माण कार्यों को पुन: स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुन: स्वीकृति के लिए जो प्रस्ताव आये हैं, निश्चित रूप से हम उन कार्यों का परीक्षण करके उसपर विचार करेंगे।

जिला सक्ती स्थित सड़क मार्ग पर क्षमता से अधिक वजनी वाहन चलने से हो रहा नुकसान

[लोक निर्माण]

10. (*क्र. 1967) श्री रामकुमार यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सक्ती के अन्तर्गत ग्राम ओड़ेकेरा-धुरकोट-पेण्डरवा-मिरौनी मोड़ तक सड़क मार्ग निर्माण की स्वीकृत वर्ष, कार्य पूर्णता, लागत राशि का विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' के अनुसार उक्त सड़क मार्ग में कितने वजन वाले वाहन चलाये जा सकते हैं? बतावें। **(ग)** क्या उक्त सड़क मार्ग में क्या ग्रामीणों ने क्षमता से अधिक वजन वाले वाहन ट्रक के चलने से क्षति की शिकायत की गई है?यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** क्षमता से अधिक वजन वालें ट्रकों एवं अन्य वाहनों से हो रहे सड़क मार्ग में नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु शासन/विभाग द्वारा क्या कदम उठायें गये हैं ?बतावें।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क), **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[4] अनुसार है। **(घ)** निरंक।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) से प्रश्न पूछे रेहेंव कि का ओड़ेकेरा-धुरकोट-पेण्डरवा-मिरौनी वाला जो रोड़ हे, ओ रोड़ ह कम क्षमता वाले हे, ओमा ज्यादा से ज्यादा ट्रक चलथे त ओकर लिए आप ओला बंद कर थौ या ओला सुधार करेबर का का योजना हे, यह मैं पूछना चाहथौं ।

[4] परिशिष्ट "चार"

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जांजगीर चांपा के धुरकोट-पेण्डरवा-चंद्रपुर मार्ग की लंबाई 23.80 किलोमीटर है, जो 2022-23 के बजट में शामिल था और इस सड़क को पुन: 2024-25 के बजट में शामिल किया गया है । उक्त मार्ग में डी.बी., एथेना और आर.के.एम. का पावर प्लांट है और यह सही है कि वह बहुत ट्रैफिक वाला मार्ग है । निश्चित रूप से आने वाले समय में उस पर काम करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मोर ये कहना हे कि अभी रोड़ तो बने नहीं हे अउ ओ रोड़ ह टूट-फूट गे हे । वह रोड़ तो गरीब आदमी मन बर हे, किसान मन बर हे । जब तक सड़क नहीं बनही, तब तक के लिए डी.बी. पॉवर प्लांट, एथेना और आर.के.एम. के गाड़ी ला बंद करहौ का ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि ओव्हर लोडिंग की कोई शिकायत आई है क्या ? तो परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और उनके लिए यही जानकारी है ।

अध्यक्ष महोदय :- कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं कहाथौं कि आर.के.एम., डी.बी. पावर प्लांट के गाड़ी चलथे तो मोर कहना कि वह तो किसान मन बर बने हे, आम आदमी बर बने हे, वह सड़क तो पावर प्लांट वाले मन बर नहीं बने हे तो मोर ओतके निवेदन हे कि जब तक सड़क नहीं बनय, तब तक ओला बंद कर देवव या तो फिर टाईम लिमिटेड कर देवव कि अतका से अतका बेरन गाड़ी चलही, तब ओ ह रात के गाड़ी चलावय, दिन के छोड़ देवय । तभो बन जही, अतका अकन मैं आपके माध्यम से कहना चाहथौं कि जब तक वह रोड़ नहीं बनय, तब तक ओ मन के राखड़ के या कोयला के गाड़ी हे, ओ गाड़ी ला रात के चलावय और दिन के ओला बंद कर दे रहाय ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि 2024-25 के बजट में इस काम को शामिल किया गया है और हम चाहते हैं कि वहां पर मजबूती से सड़क बनें ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अउ कहना चाहथौं कि टुड्री से सक्ती जो विपक्ष जी के हमर नेता जी हे, ओकर क्षेत्र तक के रोड़ हे । एक ह गोबरा से जैजैपुर तक रोड़ हे । ओमा कुछ जगह में राजस्व कहाथे कि ए.डी.बी. के गलती हे, ए.डी.बी. कहाथे कि राजस्व के गलती हे अउ ओ रोड ह वईसने के वईसने माड़े हे, बनत नहीं पावथे । आपके माध्यम से मैं पूछना चाहथौं कि एक तो कम्पनी खोल दे हव, पूरा जाके देखेंव, ओ रोड़ ह तहस-नहस हो गे हे । ए.डी.बी. के ओ रोड़ ह कब तक बनही, आपसे निवेदन हे, वह बंद होने वाले हे ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह बात कही है, आपने जिस सड़क का उल्लेख किया है, मैं उसको दिखवा लूंगा ।

विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा में स्टापडेम संधारण/मरम्मत कार्य की अद्यतन स्थिति

[जल संसाधन]

11. (*क्र. 1514) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिसंबर, 2023 की स्थिति में डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में कितने स्टापडेम निर्मित हैं ? जानकारी देवें? **(ख)** स्टापडेमों के संधारण/मरम्मत के लिए वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 10 जनवरी, 2024 तक कितने मांग पत्र एवं शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं? कितने मांग/शिकायत पत्रों पर कार्यवाही की गई है, कितने आवेदनों पर कार्यवाही अपेक्षित है, जानकारी देवें ? **(ग)** वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में स्टापडेम संधारण/मरम्मत के लिए कौन-कौन से कार्य एवं कितनी राशि स्वीकृत की गई है? वर्तमान में कितने कार्य पूर्ण हुए हैं एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं, प्रश्नावधि तक की जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) दिसंबर, 2023 की स्थिति में डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 23 स्टापडेम निर्मित है। **(ख)** प्रश्नावधि में जनप्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर मांग पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिनकी संख्या बताया जाना संभव नहीं है, मांग पत्रों पर प्राथमिकता, बजट उपलब्धता एवं साध्यता अनुसार आवेदनों पर कार्यवाही की जाती है। **(ग)** डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भरदाखुर्द स्टापडेम मरम्मत कार्य हेतु राशि रू. 81527.00 स्वीकृत की गई है। वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुकी है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहूंगी कि जैसे कि स्टापमेड में मरम्मत एवं टूटे हुए गेट के लिए प्राथमिकता के अनुसार अक्सर बजट उपलब्ध नहीं रहता है तो क्या आप बताना चाहेंगे कि डी.एम.एफ.फंड से, स्थानीय फंड से यह छोटे-छोटे मरम्मत करवाएंगे क्या?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.एम.एफ. फंड से राशि का प्रावधान है, मनरेगा से भी काम है या फिर अन्य विभाग के कार्य हैं, उसके माध्यम से हम स्टापडेम बनाते ही हैं, उसके मरम्मत के काम के लिए भी आवश्यकतानुसार जब डिमांड की जाती है, उस समय मरम्मत के कार्य भी कराये जाते हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि इसको करेंगे या नहीं ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में जो भी डिमांड की जा रही है, हम उसके लिए राशि उपलब्ध करा रहे हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के स्टापडेम का सारा गेट टूटा हुआ है तो आपका बजट उपलब्ध नहीं होगा तो कम से कम डी.एम.एफ. से यह गेट का संधारण कर दीजिए ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम प्राथमिकता से सारे स्टापडेम में, माननीय सदस्या के विधान सभा क्षेत्र में लगभग 23 स्टापडेम बने हैं, जिसमें आर.ई.एस. के माध्यम से बना हुआ है, मनरेगा से बना हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
12.00 बजे

पृच्छा

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोरिद (डुण्डेरा) निवासी उमेश्वरी निषाद स्कूल से वापस आ रही थी। 11वीं की छात्रा है, कुछ मनचले युवक उसको रास्ते में रोकर छेड़खानी का प्रयास किया। लड़की के विरोध के बाद उन लड़कों के द्वारा उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया। लड़की लहुलुहान होकर रास्ते में गिरी, उनकी सहेलियों के द्वारा चिल्लाये जाने पर वे लड़के लोग भाग खड़े हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यदि वे पकड़े गये हैं या नहीं पकड़े गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आपने क्या किया है ? आपने ध्यानाकर्षण वगैरह कुछ दिया है ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर..।

अध्यक्ष महोदय :- आपने कुछ सूचना दिया है ?

श्री कुवर सिंह निषाद :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- क्या सूचना दिया है ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं शून्यकाल के माध्यम से कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो आप अभी बोल रहे हैं। लिखित में कुछ सूचना दिया हैं क्या ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी, मैं लिखित में नहीं दिया हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये कोई बात नहीं, बैठिये।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति वर्ग में आने वाले मेहर, महार, महरा समाज के लोगों का जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाये। क्योंकि जो प्रतिबंधित शब्द है, उसके चलते हमारे ये वर्ग परेशान हैं। छात्र-छात्राएं भी परेशान हैं। किसी कार्य के लिए जाति प्रमाण-पत्र बनवाना पड़ता है तो उसके लिए परेशान हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अभी भारत सरकार से जो amendment आया है, क्या वह पर्याप्त नहीं है ?

श्री दिलीप लहरिया :- कहां पर्याप्त है ? सभी लोग दो-तीन साल से परेशान हैं।

अध्यक्ष महोदय :- महरा, महार के लिए अनुसूचित जाति वर्ग में रहने के लिए नीतिगत फैसला हुआ है, वह notified हो गया है। आपको उसकी जानकारी नहीं है।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पी.एस.सी. की परीक्षा समाप्त हुई है, उसका मॉडल उत्तर पी.एस.सी. के द्वारा जारी किया गया है। मेरे द्वारा अलग-अलग लोगों से चर्चा करने के बाद पता चला कि उसमें लगभग 11 उत्तर गलत आया है। इसमें दावा आपत्ति के लिए आवेदन मंगाया गया है। तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह पी.एस.सी. का मामला है, बच्चों

का मामला है, नवयुवकों का मामला है। आप लोग इसको दिखवायें और पी.एस.सी. की सारी गतिविधियों का संचालन सही ढंग से करायें।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय है कि पिछली राज्य सरकार ने धनवन्तरी मेडिकल स्टोर हर जिले में प्रारंभ किया था। क्या उसे हम प्रधानमंत्री जेनेरिक मेडिकल स्टोर में समाहित कर सकते हैं ? यह मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जांजगीर-नैला शहर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम कोलियारी क्षेत्र में रहते हैं। इसका मात्र कारण यह है कि लगातार कोयले की ट्रकें, राखड़ शहर के अंदर प्रवेश कर रही है और शहर में प्रदूषण फैला रही है। इससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और जान-माल की भी क्षति हो रही है। हमारे शहर को जिला मुख्यालय बने हुए 25 साल हो गया है, लेकिन एक भी बायपास नहीं है। मैं चाहूंगा कि अतिशीघ्र हमारे जिला मुख्यालय में यातायात दबाव कम करने के लिए एक बायपास निर्माण करने की कृपा करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे शासन का, विशेषकर ओ.पी. चौधरी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने पी.एस.सी. परीक्षा दिए हुए बच्चों की बड़ी चिंता की है। अभी जो लोग पी.एस.सी. की परीक्षा दिए हैं और उसका जो मॉडल उत्तर आया है, उसमें तरह-तरह की बातें आ रही हैं। उसमें आप लोगों ने एक परीक्षा नियंत्रक को भी स्थानान्तरित कर दिया है। इसका मतलब गंभीर विषय है। यदि यह गंभीर है, माननीय ओ.पी. चौधरी जी गंभीर हैं तो जो सी.बी.आई.जांच चल रही है, उसी के साथ इसकी भी जांच जुड़वा दीजिये और दोनों की सी.बी.आई. जांच करा दीजिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुआ है। लेकिन पूरे प्रदेश में चुनाव में जो टैंट का काम हुआ हुआ है, उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। जितने स्क्वेयर फीट या जितना बड़ा मैदान नहीं था, उस मैंदान से कहीं ज्यादा, कई गुना व्हाऊचर पेश किया गया है और भारी भरकम भुगतान किया जा रहा है। जिससे शासन को करोड़ो रूपये की क्षति होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि इसकी जांच हो । वास्तव में वहां पर कितना टैंट का उपयोग हुआ, पंडाल का उपयोग हुआ, कुर्सी का उपयोग हुआ और उसमें कैसे-कैसे भ्रष्ट्राचार किया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से बोलना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये, साहब ।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के डी.जे.वाले आकर मिले थे साहब । वह बोल रहे थे कि पूरे प्रदेश के डी.जे. में बैन लगा दिया गया है । अचानक बैन लगाने से उनका रोजी-रोटी और व्यवसाय खत्म हो रहा है । सब कर्जा लेकर डी.जे.खरीदे हैं । मेरा आपके

माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि अचानक ब्रेक कर देने से वह तबाह हो जायेंगे और गांव में भी हम और आप जाते हैं तो डी.जे. बजाकर ही स्वागत करना पसंद करते हैं । कुछ नियमों के साथ, प्रतिबंधों के साथ, उनको अनुमति दे दिया जाना चाहिये । इससे यहां डी.जे.व्यवसाय ठप्प हो जायेगा और हजारों लड़के बेरोजगार हो जायेंगे । डी.जे. के लिये गांव में बहुत अट्रैक्शन रहता है, वह उनको नहीं मिलेगा तो गैरकानूनी तरीके से चलेगा, इसलिये सरकार को इस पर विचार करके अनुमति देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है । चलिये, यादव जी ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अपन बात रखना चाहथंव कि मोर एरिया म बहुत सारा फैक्ट्री मन पानी लेगे हे, जैसे मोनेट अऊ जिंदल हे । जौन जमीन वोमा प्रभावित हे, वोला प्रभावित मानके वोमा सुविधा दिये जाथे । मोर इंहा पानी त ले जाथे, अऊ वोखर ले बाढ़ आवथे, हमन ल बहुत नुकसान होवथे, जइसे पॉवर प्लाण्ट वाला मन के जमीन में सुविधा मिलथे, वइसने मोर इंहा सुविधा नई मिलथे । किसान मन के जमीन जो डूबान मे गे हे, जइसने जमीन के सुविधा दे जाथे, वइसने पानी के एरिया ला भी सुविधा देल परही ।

श्री सावित्री मंडावी (भानुप्रतापपुर) :- अध्यक्ष महोदय, यह राजस्व से संबंधित मामला है, भानुप्रतापपुर सुदूर और संवेदनशील क्षेत्र है । कोड़ेखुरसी को आम नागरिकों की सुविधाओं के लिये उप तहसील का दर्जा दिया है, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है । राजस्व से जुड़े कोई भी कार्य हो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, न ही किसी तरह का वहां पर विभागीय कार्य नहीं हो पा रहा है । मैं विभागीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि तत्काल कोड़ेखुरसी, उप तहसील में नायब तहसीलदार की स्थापना की जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- सिन्हा जी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारा छत्तीसगढ़ धान की पैदावार के लिये जाना जाता है । यहां 10 रूपये किलो का चावल है, मोटे चावल को मशीनों द्वारा पतला करके बेचा जा रहा है । 10 रूपये किलो के चावल को गैरकानूनी तरीके से 50-60 रूपये में बेचा जा रहा है और इसके साथ ही पतले चावल में नकली चावल मिलाकर बेचा जा रहा है । मैं इस संबंध में माननीय खाद्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बोलिये ।

श्री इन्द्र साव (भाटापारा) :- अध्यक्ष महोदय, अंबूजा सीमेंट फैक्ट्री बलौदाबाजार जिले में स्थित है, जो आज अडानी समूह के नाम से संचालित है । वहां तीसरे यूनिट का काम चल रहा है । वहां पर मिरगी, मोपर, देवरानी जो ग्राम है, वहां के किसानों के जमीन के साथ-साथ शासकीय भूमि का अधिग्रहण किया गया है, यह जांच का विषय है । मैं चाहता हूँ कि इस पर जांच करके कड़ी कार्यवाही हो ।

श्री रिकेश सेन (वैशालीनगर भिलाई) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्व संबंधी विषय है, पूरे प्रदेश में ऋण पुस्तिका की कमी है । मैं चाहता हूँ कि इस पर सरकार का ध्यान जाये । ऋण पुस्तिका की वजह से सभी लोगों को जिले में भटकना पड़ रहा है, इसके लिये विशेष ध्यान दिया जाये और ऋण पुस्तिका उपलबध हो ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक । चलिये ।

श्री पुरंदर मिश्रा (रायपुर उत्तर) :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । महासमुंद जिले के अंतर्गत बसना से अरेकेल, कुड़ेकेल, कोटापारा, जमड़ी, उसके बीच में एक पुलिया है । अध्यक्ष महोदय, वह क्षतिग्रस्त है, जिससे कि 12 गांवों में 20 किलोमीटर की दूरी से बच्चों को घूमकर आना पड़ता है । मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस पर ध्यान केन्द्रित करेंगे ।

समय :
12.10 बजे

<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>

<u>(1) वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट)</u>

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट) पटल पर रखता हूं।

<u>पुस्तक का वितरण</u>

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा हेतु निर्वाचित माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ संसदीय विषय पर एक उपयोगी पुस्तक "प्रश्न काल से शून्य काल तक" जो छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय पूर्व अध्यक्ष पंडित राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल द्वारा लिखित है, का वितरण खानेदार अलमारी के माध्यम से किया जा रहा है।

समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस पुस्तक की प्रति प्राप्त कर, इसका अध्ययन कर, लाभान्वित हों।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय दयाल दास बघेल, खाद्य मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

अध्यक्ष महोदय :- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण सूचना। श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12.12 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) जिला जांजगीर-चांपा के अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत निजी कम्पनियों द्वारा प्रयोग की जा रही निजी रेलवे लाईन क्रासिंग पर सुरक्षा उपलब्ध नहीं किया जाना।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

जिला जांजगीर-चांपा के अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में न्यूवोको सीमेंट संयंत्र एवं के.एस.के पॉवर कंपनी द्वारा प्रयोग की जा रही निजी रेल्वे लाईन शहर एवं गांव से गुजरने वाली 03 मुख्य मार्गों से होकर गुजरती है। इन मार्गों का प्रयोग जनमानस एवं गांव के मवेशियों द्वारा किया जाता हैं, परंतु उक्त रेल्वे लाईन की क्रासिंग पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दिए जाने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं में मवेशियों की जान भी जाती है। इन दुर्घटनाओं में आम लोगों के जानमाल की हानि की क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा नही दी जा रही है। कंपनी एवं शासन के अधिकारियों की हठधर्मिता एवं लापरवाही के कारण आम लोगों को सुविधाएं/लाभ/क्षतिपूर्ति नहीं मिल पा रहा है। क्रासिंग पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण होने वाली हानि को नहीं रोक पा रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्रवासियों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जिला जांजगीर-चांपा के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में मेसर्स न्यूवोको सीमेंट संयंत्र एवं मेसर्स के.एस.के. पॉवर कंपनी द्वारा प्रयोग की जा रही निजी रेल्वे लाईन जो कि शहर एवं गांव से गुजरने वाली 03 मुख्य मार्गों से होकर गुजरती है। इन गुजरने वाली सड़कों का प्रयोग जनमानस द्वारा एवं ग्रामीणों के मवेशियों द्वारा किया जाता हैं। इसी विषय में जिला प्रशासन के माध्यम से प्राप्त थाना प्रभारी, थाना-अकलतरा, जिला- जांजगीर-चांपा द्वारा दिये गये प्रतिवेदन दिनांक 20.02.2024 में यह लेख किया गया है कि थाना अकलतरा क्षेत्र अंतर्गत मेसर्स न्यूवोको सीमेंट संयंत्र एवं मेसर्स के.एस.के. पॉवर कंपनी द्वारा प्रयोग की जा रही निजी रेलवे लाईन में दुर्घटना निरंक है। इसी प्रकार थाना प्रभारी, थाना-मुलमुला, जिला- जांजगीर-चांपा द्वारा दिये गये प्रतिवेदन दिनांक 20.02.2024 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मेसर्स न्यूवोको प्लांट से रेल लाईन ग्राम- अमोरा-मुरलीडीह से होते हुए गुजरती है। अमोरा अकलतरा जाने वाला रास्ता है, जिसमें ग्रामीण एवं आमजनों एवं पशुओं का आना-जाना है। उक्त जगह पर रेलवे क्रासिंग पर कोई फाटक नहीं लगा है। उक्त क्रासिंग पर आज दिनांक तक किसी प्रकार की रिपोर्ट घटना के संबंध में प्राप्त नहीं हुई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपरोक्त रेल्वे लाईन की क्रासिंग पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दिये जाने संबंधी बिन्दु के संबंध में कंपनी मेसर्स न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपरोक्त रेल लाईन पर रेल की आवाजाही के दौरान संयंत्र द्वारा चार प्रमुख क्रासिंग क्रमशः अमोरा, सी.सी.आई., पकरिया व लटिया में निरीक्षक नियुक्त किये जाते हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि इस व्यवस्था के कारण विगत कई वर्षों से अब तक एक भी घटना घटित नहीं हुई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त रेल लाईन के संबंध में मेसर्स न्यूवोको सीमेंट संयंत्र द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.02.2024 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि उपरोक्त क्रासिंग की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिये आगामी कुछ माह में (8-9 महीने में) उक्त चारों क्रासिंग पर ड्रॉप गेट की व्यवस्था भी संस्थान द्वारा की जायेगी। इसके साथ ही रेल की आवाजाही के समय संबंधित निरीक्षक सदैव तैनात रहेंगे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां तक जानमाल की हानि की क्षतिपूर्ति का प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा यथा समय पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी भी केन्द्र सरकारें आयीं और ब्रॉडगेज लाईन पर जो फाटक थे। मैं सबसे पहले आदरणीय पीयूष गोयल जी को कोड करना चाहता हूँ। उन्होंने लोकसभा में यह जानकारी लिखित जवाब में दी थी कि किसी भी ऑल एण्ड मेन लेवल क्रॉसिंग ऑन ब्रॉडगेज हैव बिन एलिमिनेटेड ऑन 31 जनवरी 2019। चूंकि एक प्राईवेट लाईन है, लेकिन यहां पर 4 रास्ते अकलतरा पकरिया, अकलतरा अमोरा, अकलतरा लटिया और अकलतरा का ही वार्ड नंबर 20, वहां पर आता है जहां पर लगातार लोगों का आवागमन है, वहां पर स्कूली बच्चों का आवागमन लगा रहता है। वहां पर कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, हम लोग जहां से और कहीं पर जा पाएं। अगर हमें अकलतरा से जाना है तो हम लोगों को इन्हीं क्रॉसिंग को क्रॉस करके जाना पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने यह माना भी है कि वहां आम जनों का आना-जाना है। वहां फाटक भी नहीं है और कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है। वहां पर निरीक्षक की बात हो रही है कि वहां पर निरीक्षक रहते हैं। मैं इन दोनों बातों से असहमत हूँ कि वहां निरीक्षक रहते हैं और वहां आज तक जानमाल, किसी इंसान की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन वहां पर आये दिन मवेशियों की मृत्यु हो रही है। इस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। वहां पर बहुत सारे मवेशियों की घटनाएं घटित हुईं हैं। जब वर्ष 2019 में केन्द्र सरकार के द्वारा सारे ब्रॉडगेज लाईन पर अनमैण्ड क्रॉसिंग्स हटा दी गई हैं तो क्या हम किसी घटना का इंतजार करें कि कोई बड़ी घटना हो और उसके बाद वहां पर बैकड्रॉप फाटक लगे। अभी भी यह लोग 8-9 महीने का समय मांग रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वहां जिला प्रशासन से तुरंत कहा जाए कि इन पर कार्यवाही की जाए और वहां तुरंत ही फाटक शुरू होना चाहिए।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कंपनी ने 8-9 महीने का समय मांगा है। बाकी हम उन्हें 8-9 महीने का समय नहीं देंगे। वहां जल्दी से जल्दी फाटक लगायें, नहीं तो निम्नानुसार उन पर कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि यह लोग 5 सालों से यह बात कह रहे हैं तो आपके संज्ञान में दे रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी पहली बार बोल रहे हैं वह पहली बार मंत्री बने हैं और उनके पहले दिन का प्रश्न है । आप इनसे 5 सालों की बात मत करिये। आप इनसे बोलिए कि आप इसे जल्दी कर दीजिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसे संज्ञान में दे रहा हूँ कि यह लोग बहुत टालमटोल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल, इस संबंध में टालमटोल नहीं करना है। वह बहुत जल्दी कर लेंगे। धन्यवाद्।

<u>(2) जिला-बेमेतरा, ग्राम-बिरनपुर में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाना</u>

श्री ईश्वर साहू (साजा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

जिला-बेमेतरा, ग्राम-बिरनपुर, थाना-साजा क्षेत्र में दिनांक 08.04.2023 को भुनेश्वर साहू की एक विशेष समुदाय द्वारा निर्मम हत्या के आरोप में 36 नामजद आरोपी बनाए गये थे। जिनमें से केवल 11 आरोपी गिरफ्तार हुए बाकी आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। घटना की शुरूआत गांव के ही अंजोर यदु के द्वारा आरोपी पक्ष को भड़काने से हुई थी, जिसके कारण गांव का सामाजिक सौहार्द बिगड़ा, किन्तु उसके ऊपर आज तक कार्यवाही नहीं हुई। एक विशेष समुदाय के लोगों के पास सैकड़ों अवैध हथियार थे, घटना के समय अधिकारियों के द्वारा कहा गया था कि इन हथियारों को जब्त करेंगे, किन्तु इन हथियारों की आज तक जब्ती नहीं हो पायी है। उपरोक्त घटना के संबंध में सरकार द्वारा आज तक कार्यवाही नहीं किये जाने से लोगों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद् देवत हौं। (मेजों की थपथपाहट)

जिला बेमेतरा के साजा विधान सभा क्षेत्र ग्राम बिरनपुर में जो 8 अप्रैल के घटना होइस, जेमे भुनेश्वर साहू के हत्या कर दिये जाथे। हत्या के आरोप में 36 आरोपी नामजद हे।

अध्यक्ष महोदय :- ईश्वर, ओला पढ़त बनही तो पढ़ दे। ओ ला धीरे-धीरे पढ़ दे।

श्री ईश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 11 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं एवं अब तक बाकी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ओ ला पूरा पढ़ दे।

श्री ईश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हत्या के आरोप में 36 नामजद आरोपी बनाए गए, उसमें से सिर्फ 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं बाकी आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं?

उप मुख्यमंत्री, गृह (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला बेमेतरा के ग्राम बिरनपुर थाना साजा में दिनांक 08.04.2023 को एक समाज के 04 स्कूली बच्चों के साथ गांव के ही कबाड़ी दुकान में काम करने वाले एक समुदाय विशेष के लड़कों द्वारा मारपीट की घटना को लेकर गांव में समझौता मीटिंग रखी गई थी। इस दौरान समाज विशेष के मोहल्ले की ओर से भुवनेश्वर साहू, भेखलाल ठाकुर तथा राजाराम साहू गये थे। मीटिंग के बाद बस्ती जाते समय नवाब खान, जलील खान, बशीर खान, मुख्तार मोहम्मद, सफीक मोहम्मद, अब्दुल खान, अकबर खान, मोजम्मद नवाब, आयूब खान, निजामुद्दीन, रसीद खान उर्फ कल्लू खान द्वारा एक राय होकर भुवनेश्वर साहू तथा उसके साथी भेखलाल ठाकुर व राजाराम साहू के साथ गुप्तीनुमा चाकू, फावड़ा, ईंट पत्थर से वार किया जिससे भुवनेश्वर साहू की मृत्यु हो गई।

भुवनेश्वर साहू की हत्या उक्त नामजद 12 आरोपियों के द्वारा करने के संबंध में लिखित शिकायत प्रार्थी भागीरथी साहू (मृतक के बड़े पिता) के प्राप्त होने पर थाना साजा में अपराध क्रमांक 78/23 धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302, 120 बी, भादवि पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री तेजराम पटेल, एस.डी.ओ.पी. बेरला के नेतृत्व में दो निरीक्षक सहित कुल 13 अधिकारियों/कर्मचारियों की जिला स्तरीय विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था। विवेचनाक्रम में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी राजाराम साहू, भेखलाल ठाकुर, प्रेमलाल साहू, ईश्वर साहू (मृतक के पिता) तथा रमेश ठाकुर का पुलिस कथन व माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साजा के समक्ष धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन कराया गया। घटना में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 11 आरोपियों को दिनांक 08.04.2023 तथा 01 आरोपी रशीद मोहम्मद उर्फ कल्लू खान को दिनांक 27.04.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

विवेचना के दौरान दिनांक 22.04.2023 को एक समाज विशेष के लोगों द्वारा संदेहियों की सूची जिसमें अंजोर यदु का नाम भी है, थाना साजा को सौंपी गई। सूची के नामों की दिनांक 22 एवं 24.04.2023 को तस्दीक की गई, इस संबंध में विवेचना जारी है। प्रकरण में आरोपियों द्वारा घटना में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किये गये ईंट, पत्थर के टुकड़ों, फावड़ा तथा गुप्तीनुमा चाकू को घटना स्थल से जप्त किया गया है।

प्रकरण में धारा 173 (8) दंड प्रक्रिया संहित के अधीन विवेचना जारी रखते हुए गिरफ्तार 12 आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 121/23 दिनांक 05.07.23 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अन्य आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

गांव में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अस्थायी पुलिस चौकी संचालित है, जिसमें 01 उप निरीक्षक, सहित कुल 13 पुलिस बल तैनात है। जिनके द्वारा लगातार गस्त एवं पेट्रोलिंग कर गतिविधियों पर सूक्ष्म निगाह रखी जा रही है। वर्तमान में ग्राम-बिरनपुर एवं आस-पास के क्षेत्रों में सामाजिक सौहार्द्र एवं शांति है।

श्री ईश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना की शुरूआत गांव के ही अंजोर यदु के द्वारा की गई है जिसके चलते गांव का माहौल बिगड़ गया। उसके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण के जवाब में स्पष्ट किया है। यह बड़ा ही अद्भूत संयोग भी है कि ग्राम बिरनपुर में जो घटना हुई है, भुवनेश्वर साहू जिनकी वहां हत्या हो गई, न्याय की लड़ाई लड़ते-लड़ते उनके पिता आज सदन में स्वयं उपस्थित हो करके स्वयं अपनी बात कह रहे हैं, यह अद्भूत संयोग है, यह गजब की बात है।(मेजों की थपथपाहट) इस प्रकिया में जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रकरण में धारा 173 (8) सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत अभी विवेचना जारी है। इसमें प्रत्यक्ष इस तरह से अभी कोई स्थिति दिखी नहीं है। जिनके सदंर्भ में बात पता चली, स्पष्ट हुआ, उनके संदर्भ में उचित प्रमाण मिले, वह जेल में हैं। परंतु जिनके संदर्भ में ऐसा नहीं है, उनकी विवेचना जारी है। जो 40 लोगों के नाम दिये गये थे उसमें से 07 लोगों के पहले से ही, जो 12 लोगों के विरूद्ध नामजद एफ.आई.आर. थी, उसमें वह नाम थे। उन सारे लोगों के संबंध में विवेचना अभी जारी है, दो बार तस्दीक की गई है। आगे फिर से यह विवेचना की जायेगी।

श्री ईश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विशेष समुदाय के लोगों के पास सैकड़ों अवैध हथियार थे। उस समय अधिकारियों के द्वारा अवैध हथियार को जब्त करेंगे कहा गया था, लेकिन अभी तक अवैध हथियार क्यों जब्त नहीं हुए हैं ?

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इस हत्या में जो कुछ भी उपयोग किया गया था, उन सभी हथियारों को जब्त किया गया है और उसमें सिर्फ कुछ हथियारों के एफ.एस.एल. रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। गांवों में पुलिस चौकी है और गांवों में सभी घरों में लगभग इस बात को निर्धारित किया गया है कि कोई ऐसा बड़ा हथियार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति है।

श्री ईश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं कि अवैध हथियार कब तक जब्त कर लिया जाएगा?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता के आधार पर मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि पुन: एक बार गांवों में सभी घरों के माध्यम से बात-चीत एवं चर्चा करके और जहां पर यह आवश्यकता हुई, वहां पर तलाशी के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई बड़ा हथियार किसी के घर में न हो, गांवों में शांति व्यवस्था कामय रहे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। बहुत अच्छा। अजय चन्द्राकर जी।

श्री ईश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा प्रश्न नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- आप पूरा कर लीजिये।

श्री ईश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं मृतक के पिता हूं। मैं सदन के माध्यम से से जानना चाहता हूं कि मोला न्याय मिल पाही या नहीं मिल पाही? यदि मोला न्याय मिल पाही ता न्याय कब तक मिल पाही?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ईश्वर साहू, सदस्य महोदय जैसा पराक्रमी व्यक्ति आज हम सब के बीच में हैं। उनके प्रश्न को लेकर और उनके पूरे विषयों को लेकर के मैं सचमुच अभिभूत हूं। हर हाल में हम सब मिलकर उनको न्याय दिलायेंगे और उनके मन में जो बातें हैं, वह सारी बातें ठीक हो, उन सारे विषयों पर काम हो, वह सारे जांच और आगे हो जाए, यह मैं भी चाहता हूं। इसके लिए जैसे भी आवश्यकता होगी, वह पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री ईश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना के समय अधिकारियों द्वारा सी.बी.आई. जांच कराने का आश्वासन मिला था? तो क्या आप सी.बी.आई. जांच करायेंगे या सी.बी.आई. जांच नहीं करायेंगे? (मेजों की थपथपाहट)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच जारी है और शायद 13 लोगों की एस.आई.टी. बनाकर वह जांच की भी जा रही है परंतु फिर भी एक पराक्रमी पिता के हृदय का दर्द है और उस दर्द को हम सबको समझना चाहिए और इसलिए मैं आज सदन में घोषणा करता हूं कि इस विषय पर सी.बी.आई. जांच करवाई जाएगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री ईश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री ईश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, सी.बी.आई. जांच के बाद कुछ बचता ही नहीं है।

श्री ईश्वर साहू :- मेरा आखिरी प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। क्या मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की जनता को क्या न्याय दिला

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पाऊंगा? मैं खुद प्रतिनिधि होने पर भी मोला न्याय नई मिल पात हे ता का मैं अपन क्षेत्र के जनता ला न्याय दिला पाहूं?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने सी.बी.आई. जांच कराने को कह दिया है। इससे बड़ी जांच नहीं हो सकती है। यह सर्वोच्च जांच है और निश्चित रूप से आपकी पीड़ा और आपके मन में जो भाव है, वह मंत्री जी ने जवाब में संतुष्ट किया है। मुझे लगता है कि हमको मंत्री जी के बातों पर विश्वास करना चाहिए। अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी मूल प्रश्न था कि क्या मंत्री जी सी.बी.आई. जांच करायेंगे? लेकिन उसमें एक और एंगल है। क्योंकि मैं किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं जो किसी को आपत्ति हो, लेकिन इस घटना के बाद एक समुदाय विशेष के दो लोगों की भी हत्या हो गई थी। हत्या किन परिस्थितियों में हुई? वह हत्या प्रतिक्रिया के स्वरूप है या किसी दल विशेष ने किसी हत्या को नियोजित करने के लिए, चूंकि चुनाव सामने था तो उन दोनों की षड्यंत्रपूर्वक हत्या करवाई गई? इस विषय को भी इस एंगल से भी जांच करने के लिए क्या आप इस विषय को सी.बी.आई. जांच में शामिल करेंगे कि उनकी हत्या करवाई गई या उनकी हत्या प्रतिक्रियास्वरूप हुई थी? उनकी हत्या किसने की? क्या यह विषय भी आप सी.बी.आई. जांच में शामिल करेंगे,?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक 11 अप्रैल को अपराध क्रमांक 92/23 के माध्यम से ऐसे दो मृतक रहीम मोहम्मद एवं इदुल मोहम्मद के संदर्भ में चालान न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है । उसमें 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और अब न्यायालय में यह विषय विचाराधीन है अत: न्यायालय के निर्णय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है । न्यायालय में लंबित है वह अपराध के लिये होगा । मैंने उसकी कांसपरेंसी में कहा कि वह हत्या प्रतिक्रिया के स्वरूप थी या कांसपरेंसी का कोई परिणाम था ? या उसको षड़यंतत्रपूर्वक ऐसा स्वरूप दिया गया ? कांसपरेंसी है कि नहीं है ? क्या इस विषय को सी.बी.आई. जांच में शामिल करेंगे ? क्या यह क्रिया-प्रतिक्रिया की कांसपरेंसी है या सामान्य घटना थी ? मेरा बार-बार जो आग्रह है वह कांसपरेंसी को लेकर है कि प्रतिक्रिया स्वरूप उसको करवाया तो नहीं गया ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक विशेष घटना घटी थी । जो इन सारी बातों का मूल था । जिस पर माननीय सदस्य ईश्वर साहू जी ने बात रखी थी उस पर यह निर्णय है कि सी.बी.आई. जांच कराई जायेगी बाकी अन्य बहुत सारे चूंकि वहां पर 7 एफ.आई.आर. हुए हैं । हर एक विषय पर इसको नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अत: मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि जो मूल विषय है जिस पर सी.बी.आई. की जांच होनी चाहिए । ऐसा माननीय सदस्य का भी आग्रह था और अब सदन का भी निर्णय है तो उस पर सी.बी.आई. की जांच है, बाकी विषयों पर जांच जारी है, चालान पुटअप हो चुका है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आखिरी प्रश्न है, माननीय मंत्री जी जैसा चाहें । छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनायें रेयरेस्ट ऑफ दि रेयर हैं । बिरनपुर की घटना जैसी घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं है । जो कांसपरेंसी है यदि हम इसमें ध्यानकेंद्रित करते हैं, यह तथ्य यदि सामने आ जाते हैं कि कांसपरेंसी थी और इसको किया गया तो छत्तीसगढ़ में दोबारा ऐसी घटना नहीं घटेगी । मैं इस एंगल से बात नहीं कर रहा हूं कि यह एक मर्डर है और न्यायालय में 17 लोग गिरफ्तार हुए । छत्तीसगढ़ में अपनी तरह की पहली घटना थी और यह कांसपरेंसी है कि नहीं है ? इसको किस स्वरूप में या तुरंत वह घटना घटी ? चूंकि 7 एफ.आई.आर. से मतलब नहीं है । मतलब यह है कि 2 लोगों की हत्या हुई । वह कांसपरेंसी थी या सामान्य घटना थी ? हत्या की जैसे घटना होती है क्या केवल इसी मुद्दे को सी.बी.आई. में शामिल करेंगे ? बाकी 7 एफ.आई.आर. पर मुझे कोई आग्रह नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, मंत्री जी ने बता दिया कि सी.बी.आई. जांच स्पेसीफिक विषय पर विशेष घटना पर आधारित है इसलिये बहुत सारे तथ्यों को जोड़ने का ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल एक तथ्य पर आग्रह किया कि जो 2 हत्या हुई थी क्या वह कांसपरेंसी है ? चूंकि छत्तीसगढ़ में यह अपनी तरह की पहली घटना थी ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया न । चलिये, आप कुछ पूछ रहे हैं ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि ऐसी घटना आपके लालपुर कवर्धा में हुई है । साधराम यादव की भी गला काटकर हत्या कर दी गयी । क्या आप उसमें कुछ कार्यवाही कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कवर्धा लालपुर में बड़ी ही दर्दनाक हत्या की गयी । 5 लोगों ने मिलकर साधराम यादव को चूंकि एक बहुत सीधा-सादा व्यक्ति जो केवल गौसेवा के लिये गौशाला में काम करते थे । उनको 4 लोगों ने पीछे से पकड़ा और उनकी पीठ पर चढ़कर किसी ने उनके बाल को हाथ से खींचकर और धीरे-धीरे गला काटा है । यह हत्या हथियार से नहीं, यह विचार से है । यू.ए.पी.ए. इस प्रकरण पर लगा हुआ है । Unlawful activity (Prevention) Act जो आतंकी गतिविधियों पर लगता है, छत्तीसगढ़ में नक्सल के संदर्भित...।

अध्यक्ष महोदय :- आजतक छत्तीसगढ़ में इससे बड़ी कार्यवाही नहीं हुई है । जो कार्यवाही की गयी है उससे बड़ी कार्यवाही छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं हुई है इसीलिये अब आपका प्रश्न खत्म हो गया । ठीक है । याचिकाओं की प्रस्तुति ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें क्या है ? आपको क्या हो गया ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यादव समाज के हे ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने इतना बड़ा जवाब दे दिया ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भी चरवाहा और ये भी चरवाहा ।

अध्यक्ष महोदय :- यादव यह भी हैं लेकिन ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से सुनत रहेंओं कानून के ज्ञाता हमर गृहमंत्री जी बतईन हे कि जो धारा उग्रवादी मन ला होथे । हम पहली बार सुने हन कि प्रदेश में उग्रवादी धारा लगे हे ऐखर लिये धन्यवाद । लेकिन मैं यह कहना चाहत हंओं कि ओ परिवार के लिये आप कुछ जैसे कई ठन मा घोषणा करे हओ, हम सुने हन कि परिवार ला कुछ राशि दे करके तो बहुत गरीब परिवार हे । ओखर घर में उही हा कमाय-कोडए, ओकर घर परिवार ला उही चलावय ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, क्या उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता दिये हैं ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय, आर्थिक सहयोग के लिए घोषणा कर देंगे।

श्री रामकुमार यादव :- कम से कम ओहा बड़े घटना हे तो 20 लाख के घोषणा कर देवव।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, कुछ दे रहे हैं क्या?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल जायज है। मैं स्वयं परिवार से मिलने लालपुर ग्राम में गया था और जो प्रारंभिक स्तर पर मेरे स्तर पर हो सकता था, वह 5 लाख की राशि की सहायता उन्हें दी गई है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, 5 लाख की राशि दे दी गई है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं निवेदन कर रहा हूं..।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सदस्य जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। जो मुझसे बन पड़ा, मैंने किया है, परंतु हमें और सहायता करनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए सहमति दी है। अच्छी आर्थिक सहायता भी उस परिवार को हो जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, हो गया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं 50 लाख रूपये के लिए निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप संख्या नहीं बता सकते हैं। संख्या आपको बोलने का नहीं है। आपने आग्रह किया।

समय :

12.35 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री कुंवर सिंह निषाद
2. श्री धरम लाल कौशिक
3. श्री भोलाराम साहू
4. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
5. श्री जनक ध्रुव
6. श्री द्वारिकाधीश यादव

समय :

12.36 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

(1) छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024)

उप मुख्यमंत्री (विधि एवं विधायी कार्य) (श्री अरूण साव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

(अनुमति प्रदान की गई)

उप मुख्यमंत्री (विधि एवं विधायी कार्य) (श्री अरूण साव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) का पुर:स्थापन करता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

(अनुमति प्रदान की गई)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) का पुर:स्थापन करता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024)

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

(अनुमति प्रदान की गई)

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) का पुर:स्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री जी द्वारा अनुरोध किया गया है कि छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) को पुर:स्थापन के पश्चात् आज ही चर्चा, विचार एवं पारण के लिये लिया जाये।

माननीय मंत्री जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैंने, छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 उप नियम (1) के अधीन आज ही पुर:स्थापन के पश्चात् चर्चा, विचार एवं पारण हेतु लेने की अनुमति प्रदान की है, जिसके संबंध में अनुपूरक दैनिक कार्य सूची जारी की गई है।

मैं समझता हूं कि सदन इसे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

(अनुपूरक कार्य सूची जारी की गई।)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(4) छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024)

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजिम कुंभ कल्प मेले के माध्यम से पूरे देश में पूरी दुनिया में एक पहचान बनी है और इसलिए आपने एक विशेष अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद, पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में जब आप मुख्यमंत्री थे तो सरकार बनी। छत्तीसगढ़ को मध्यप्रदेश से अलग हुए 2, 3 साल हुए थे, जब शुरू किए तो चार साल हुए थे। पहले साल उसको हम लोगों ने वैसे ही कर दिया। फिर एक साल बाद माननीय बृजमोहन जी ने उसका कानून विधिवत उज्जैन सिंहस्थ से मंगवाया, ताकि यह मेला स्थायी बने। छत्तीसगढ़ की पहचान बने, इसके लिए उसको विधिवत लेजिसलेट किया गया और वह मेला एक स्थायी आकार लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सी.पी.बरार में थे, हम मध्यप्रदेश में थे, आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ शब्द 14वीं शताब्दी से उपयोग हो रहा है। आपके ही इलाके से खैरागढ़ से छत्तीसगढ़ शब्द शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी शुरूआत के तीन साल में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं हुईं कि नया राज्य बन गया है। यह सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक धरोहर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि हम किसी भी विषय में भूगोल, एंथ्रोपोलाजी, संस्कृति, माइथोलॉजी में बहस कर लें। इतिहास के किसी भी दौर में छत्तीसगढ़ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। अब उस महत्वपूर्ण भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना था। चूंकि यह नया राज्य था। उसको शुरूआत में राजिम कुंभ नाम दिया गया। फिर बीच में उसको संशोधन करके उसमें कुंभ कल्प मेला जोड़ा गया। संयोग से 2018 में कांग्रेस की सरकार आती है। बजट सत्र ऐसा ही होता है। बजट सत्र का नोटिफिकेशन हो गया था।

अध्यक्ष महोदय :- यह संयोग है क्या ?

श्री अजय चंद्राकर :- संयोग है।

अध्यक्ष महोदय :- संयोग से हुआ।

श्री अजय चंद्राकर :- संयोग था। माननीय ताम्रध्वज साहू मंत्री थे, उन्होंने नोटिफिकेशन होने के बाद एक बयान दे दिया कि राजिम कुंभ मेला का नाम राजिम माघी पुन्नी मेला होगा। मैंने बजट सत्र बोल दिया, शपथ ग्रहण का सत्र था। मैंने और शिवरतन जी ने प्रिविलेज मोशन कर दिया। सत्र का नोटिफिकेशन है और ऐसे नीतिगत वक्तव्य वे बाहर में कैसे दे रहे हैं। मजबूरन शपथ ग्रहण के दौरान

कांग्रेस सरकार का पहला विधेयक आया, जैसे हम इस सरकार के पहले विधेयक में बहस कर रहे हैं। उनका पहला विधेयक आया कि इसको माघी पुन्नी मेला अधिनियम 2006 जाना जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे यह समझ में नहीं आया कि आपने इतना बड़ा आयोजन शुरू किया, किसान मेला होता है, कितना ऐतिहासिक है, जो कल्चुरियों की दूसरी शाखा आपके यहां पहुंची, जाजल्यदेव की नगरी बनी, इतनी ऐतिहासिक जगह है, आप उस मेले के शुरूआतकर्ताओं में से हैं। यदि छत्तीसगढ़ की इतिहास और संस्कृति राष्ट्रीय फलक पर स्थापित होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है। मैंने उस दिन बड़ी अच्छी बात कही थी।

समय :
12:49 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री अटल श्रीवास्तव :- आपको राम वन गमन पथ पर भी तकलीफ होने लग गयी थी। वह भी तो राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया था।

श्री अजय चंद्राकर :- अब यदि आपने ऐसा कहा तो मैं आरोप से शुरू करता हूं। मेरा आरोप है कि श्री भूपेश बघेल तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की हर इतिहास और संस्कृति को सिर्फ तोड़ने मरोड़ने का काम किया, ध्वस्त करने का काम किया। ऐतिहासिकता तथ्यपरकता से उनका कोई संबंध नहीं था। हमने जब भी विधान सभा में बहस की मांग की कि इस विषय में बहस की जाए तब वे बहस से भागते रहें और आप लोग बाहर में ताली बजाते रहें और छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति और परंपरा को टूटते हुए देखते रहें। ऐसा नहीं है कि आप जो कहेंगे, वह संस्कृति है। आप कुछ बोलना चाहते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोलना चाहता हूं कि आप इतने जोर से बोल रहे हैं तो आप मुझे ज़रा यह बता दीजिए कि हमने कौन से इतिहास को बदलने का प्रयास किया, कौन सी परंपरा को तोड़ दिया और कौन से ऐतिहासिक तथ्यों को खराब कर दिया ? क्या यह सही नहीं है कि रामचंद्र जी यहां से गुजरे थे ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप खड़े हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- ठीक है। मैं बैठ जाता हूं। आप बताइये।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या आपने संस्कृति, इतिहास, राम वन गमन पथ और किसी भी विषय के लिए एक कदम भी उठाया है ? आज तो मैं इस विधेयक पर बोल रहा हूं। आप इस पर एक दिन की चर्चा मांग लीजिए क्योंकि मैं विधेयक के एक-एक बिंदु पर बोलूंगा। मैं आपको माइथोलॉजी में एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं और जिसको मैं बार-बार बोलता हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर चर्चा हेतु कितना समय निर्धारित है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- इस पर आधे घण्टे की चर्चा है।

डॉ. चरणदास महंत :- आप इस विधेयक को तुरंत-फुंरत ले आये और इसको चर्चा में डाल दिये। हम लोगों को इस विधेयक को देखने का अवसर नहीं मिला और अभी सुनने को मिल रहा है कि इस विधेयक पर आज ही चर्चा होगी। यह इसलिए आज होगा क्योंकि कल उनको कहीं जाना होगा। आप इसको दो दिन बाद कर दीजिए और पूरे दिन भर इसपर चर्चा कीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, ऐसा नहीं है। आप शुरू से इस बात को नहीं पकड़ पाये तो मैं क्या करूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, 14 तारीख को इसका वितरण हो चुका है।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, हम तो इसको पकड़े हुए थे।

श्री अजय चंद्राकर :- हमने कहा कि हमने शुरू दिन से इसको पकड़ लिया और प्रीविलेजमोशन कर दिया तो आपको शपथ ग्रहण में इसको लाना पड़ा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इसका प्रतिस्थापन भी आज किया है। इसका वितरण पहले हुआ था, वह अलग बात है।

डॉ. चरणदास महंत :- हम इसको अभी भी पकड़े हुए हैं और इसलिए कहना चाहते हैं कि पहले बजट भाषण हो जाए, उसके बाद पूरे दिन भर इसपर चर्चा कीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अब इसपर तो चर्चा शुरू हो गई है।

सभापति महोदय :- आपने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी की बात सुन ली है। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इसपर चर्चा शुरू हो चुकी है।

डॉ. चरणदास महंत :- आप इस पर सामान्य चर्चा कीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- यह सामान्य चर्चा है।

डॉ. चरणदास महंत :- आप पुन्नी मेला के नाम को बदलकर कुम्भ कल्प कर रहे हैं। बात समाप्त हो गई। आप उसके पूरे इतिहास को बता रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप बैठेंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं तो मुझे बैठना पड़ेगा।

डॉ. चरणदास महंत :- हम तो कहेंगे कि आप अभी इसपर एक मिनट में चर्चा कर लीजिए। हम तैयार हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा।

डॉ. चरणदास महंत :- आपके पास संख्या बल है तो आप चर्चा कर ही लेंगे। आप अभी चर्चा कर लीजिए। हम कहां मना कर रहे हैं। आप भूपेश बघेल, इतिहास, चरित्र और साहित्य की बात क्यों कर रहे हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नेता जी, आप जो चाह रहे हैं, वह वही बोल रहे हैं। वह आपकी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं। (हंसी)

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, मेरा संस्कृति मंत्री जी से केवल यह कहना है।

सभापति महोदय :- अटल जी, इसके बाद आपका नाम है और आपको बोलना है। आप इनके बाद बोल लीजिएगा।

डॉ. चरणदास महंत :- देखिये जनाब, यह सब आप लोगों की मित्रता अंदर ही अंदर हम जैसे लोगों को परेशान करती है।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने आपकी प्रशंसा की है।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, आप बोलिये।

डॉ. चरणदास महंत :- मेरे मित्र अमर भाई आपके पीछे बैठे हैं। मेरी दोस्ती उनसे है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपके एक मित्र बेचारे आपका नाम लेकर जांजगीर में रो रहे हैं। इस बार आपने मित्रता नहीं निभाई।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। राज्यपाल जी के अभिभाषण में पहले ही इस नाम को पढ़ा लिया गया है तो उसके बाद यह विधेयक लाया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप उस दिन क्या कर रहे थे ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उस दिन भी कहा था।

सभापति महोदय :- यहां पर विधेयक पेश हुआ है और पेश होने के बाद उसपर चर्चा होती है। उसपर पहले कहां चर्चा हुई है ? नहीं हुई है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, विधेयक लाने के पहले राज्यपाल जी से उसका नाम पढ़वा लिया गया था।

सभापति महोदय :- इस पर केवल दो सदस्य बोलने वाले हैं। इनके बाद अटल जी बोलेंगे। फिर समाप्त हो जाएगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामकुमार यादव :- मोर कका के कहना हे।

सभापति महोदय :- आप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, लइका जनमे नहीं हे तो पेट में ओखर नाम कइसे आ जाही ? ओ जनमे नहीं हे अऊ तुमन ओखर नाम धर देहो।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- आप बैठिये। इसमें न आपका नाम है और न गांव है। इनको बोलने दीजिए। चंद्राकर जी, आप बोलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय बृजमोहन जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को स्थापित करने का जो प्रयास किया था। कांग्रेस पार्टी ने एक भी नया प्रयास नहीं किया। केवल एक प्रयास किया - नाम बदल दो। केवल राजिम कुम्भ कल्प मेला का ही नाम नहीं बदला, बल्कि इन्होंने नाम बदलने की एक श्रृंखला चला दी। इन्होंने विश्वविद्यालय और सबके नाम बदल दिये। लेकिन आज पुन: वह ऐतिहासिक दिन है, जब जनादेश का सम्मान होगा। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता यह चाहती है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति और परंपराएं पुन: देश के नक्शे में स्थापित हों। उस दिन बृजमोहन जी अपने भाषण में बता रहे थे और जब मैंने पहले दिन भाषण दिया तो मैंने 5 हजार माघी पुन्नी मेला कहा था तो बृजमोहन जी ने उस दिन कहा तो 10 हजार माघी पुन्नी मेला हो गया । 10 हजार की भीड़ में छत्तीसगढ़ का एक मेला कहां पर स्थापित होगा । अब इसकी कंडिका में है कि मूल अधिनियम के शब्द "माघी पुन्नी मेला" जहॉं कहीं भी आया हो, के स्थान पर "कुंभ (कल्प) मेला" प्रतिस्थापित किया जाये । सभापति जी, सिर्फ 3 शब्द बस प्रतिस्थापित करना है, लेकिन इन तीन शब्दों में ही छत्तीसगढ़ का गौरव निहित है कि देश में पांचवा कुंभ के स्वरूप में आएगा और मैंने उस दिन भी अपने भाषण में कहा था कि हजार साल की गुलामी के बाद और उसके पहले जो स्थितियां थीं कि कुम्भ कभी लुप्त हो गया था । यह माना जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने उसको फिर से शुरू किया । जब चार कुंभ शुरू किए गए, वह भी यदि ऐतिहासिक तथ्य है तो पांचवा कुंभ भी हम करेंगे तो आज से 200 साल बाद लोग कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम में पॉंचवा कुंभ होता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉ. रमन सिंह जी ने, बृजमोहन अग्रवाल जी ने उसको शुरू किया था । इसमें तब आपत्ति क्या थी और अब आपत्ति क्या है, मुझे आजतक समझ में नहीं आया । इसलिए आपसे आग्रह है कि इस विधेयक के इस छोटे से संशोधन को, छोटा सा संशोधन विधेयक है, यह आखिरी पॉंच नम्बर में लिखा है, लिखा तो कई जगह है, पर मूल अधिनियम के शब्द "माघी पुन्नी मेला" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर "कुंभ (कल्प) मेला" प्रतिस्थापित किया जाये, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात हो रही है । छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक परम्परा या संस्कृति है, उसमें शुरू से माघी पुन्नी मेला के नाम से यह मेला जाना जाता था । जहां तक मुझे जानकारी है कि जो कुंभ है, वह [XX][5] ने तय किया था । एक महाकुंभ होता है, जो 108 सालों में आता है । एक कुंभ का मेला होता है, जो 12 सालों में आता है। एक

---

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

अर्धकुंभ होता है, जो 6 सालों में आता है । यह नया कुंभ का मेला छत्तीसगढ़ में क्या [XX] ने तय किया है या छत्तीसगढ़ की विधान सभा में बैठे हुए [XX] ने तय किया है । अगर संस्कृति की बात कर रहे हैं तो हमारी संस्कृति को तय करने का अधिकार हमारे [XX] को है, न कि विधानसभा को है । नाम बदलने से भी हमें कोई परेशानी नहीं है । बात यह है कि आपकी सरकार आएगी तो राजिम कुंभ (कल्प) मेला हो जाएगा और हमारी सरकार आएगी तो हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ का माघी पुन्नी मेला होना चाहिए । इसके इतिहास को, इसकी परम्पराओं को कौन बदल रहा है । हम तो चाहते हैं कि राजिम कुंभ मेला पूरे देश में अपना नाम कमाए, पर नाम बदलने से नाम नहीं कमाएंगे । आप आर्टिफिसियल पानी का फौव्वारा डालकर वहां पर लोगों को नहलाने के लिए ले जाते हैं । वहां पर महानदी में पानी नहीं होता है और आप पानी की व्यवस्था करके वहां पर तथाकथित साधु-संतों को लाकर स्नान कराते हैं । मेरा यह कहना है कि अगर वह राजिम माघी पुन्नी मेला है तो उसका नाम माघी पुन्नी मेला ही रखना चाहिए । अभी आदरणीय अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि हम बदलेंगे, 200 साल बाद लोग याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ की विधान सभा ने कुंभ किया था । मैं यही पूछना चाहता हूं कि जो हमारी परम्परा और संस्कृति है, उसका निर्धारण हमारे [XX] [6] करेंगे या छत्तीसगढ़ की विधान सभा करेगी, यही प्रश्न है। राम वनगमन पथ पर भी बात हुई । कोई भी चीज इतिहास से उठाकर ली जाती है। अगर इतिहास में यह दर्ज है कि यहां माता कौशल्या का जन्म हुआ था, भगवान राम का ननिहाल है और भगवान राम का ननिहाल है ! भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास में कुछ साल यहां गुजारे थे । तथ्यों के आधार पर इस राम वनगमन पथ को बनाया गया, पर ये लोग उसको भी नकारने की कोशिश करते हैं । अगर ये कहते हैं तो भगवान राम हैं, हम कहें तो भगवान राम नहीं हैं । ये जो आस्था है, उसको आप मिटाने की कोशिश मत करिए, बस मैं यही कहना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि जो हमारी पुरानी परम्पराएं हैं, उसके हिसाब से माघी पुन्नी मेला ही इसका नाम रखा जाना चाहिए । धन्यवाद ।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । राजिम कुंभ पुन्नी मेला माघ पुन्नी से शिवरात्रि तक चलता है । आराध्य भगवान राजीव लोचन जी के सानिध्य में उनके आशीष से लोग स्नान ध्यान करके पुण्य का लाभ लेते हैं । अटल श्रीवास्तव जी आज बहुत बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे कि कौन तय करेगा ? मैं बताना चाहता हूं कि कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है-अर्थ कलश । इसको परोक्ष रूप से अमृत कलश भी कहते हैं और सनातनी व्यवस्था में हम स्नान लाभ लेकर अमर हुए नदियों पर अपने अमृत्व की कामना के साथ स्नान लाभ लेते हैं । अटल जी बहुत बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अर्द्धकलश निकला, जिसको अमृत कलश कहते हैं। देव और दानवों में कई दिनों तक युद्ध हुआ और उस अमृत्व के बाद

---

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

छीटें पड़े, वह छीटें 4 स्थानों पर पड़े थे। सनातनी व्यवस्था में कुम्भ हमारे लिए पर्व के रूप में है। परन्तु पूजा पद्धत्ति बदलकर या उनके सानिध्य में राजनीति करने वाले कभी सनातनी व्यवस्था को नहीं समझेंगे। मुगलियां वंशजों के साथ गुलाटी मारने वाले कुम्भ को मेला ही समझते रहते हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, यह घोर आपत्तिजनक है।

श्री सुशांत शुक्ला :- यही आपत्ति का विषय है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मुगलाई संस्कृति वाले आप लोग हो। हमको आपसे सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए कि मुगलाई संस्कृति का कौन है ?

श्री सुशांत शुक्ला :- मुगलाई संस्कृति के साथ गुलाटी मारने वाले लोग पूजा पद्धत्ति, कुंभ को मेला समझने वाले लोग..।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये। ..(व्यवधान) उनका भाषण चल रहा है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि अगर राजिम कुंभ भगवान राजीव लोचन जी के नाम छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास से सनातनी व्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास होता है, तो आखिर मेरी पूजा पद्धत्ति को बदलकर राजनीति करने वाले नेताओं के समर्थक, जो इस सदन में बैठे हैं, उनको राजिम कुंभ के नाम पर आपत्ति क्या है ? राजिम कुंभ हमारे लिए अराधना की सनातनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की व्यवस्था का पूरक मात्र है। यह व्यवस्था राजिम कुंभ के नाम पर सतत चलती रहे, जिससे सनातनी व्यवस्था आगे चलती रहे और यह आगे बढ़े, यही मंगल कामना है।

माननीय सभापति महोदय, उन्होंने राम वनगमन पथ की बात कही है। आप पहले तथ्यों को तो पढ़ लें, श्री अजय चन्द्राकर जी का पहले का भाषण खोल ले, जिन्होने राम वनगमन पथ पर इतना विस्तृत भाषण दिया था। उसके बाद भी मेरे साथी का ज्ञानचक्षु खुलते नहीं हैं। यह उनको अध्ययन करना चाहिए। लायब्रेरी से निकालकर पढ़ लें। जब वह खुद पर्यटन मण्डल के अध्यक्ष थे और उन्हीं के समय छत्तीसगढ़ में अपभ्रंश के रूप में राम वनगमन पथ का निर्माण हुआ, जो मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम के छत्तीसगढ़ के लगाव के साथ है, भी अपमान की व्यवस्था का द्योतक होता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विषय का भी खण्डन करता हूं कि राम वनगमन पथ पूर्ववर्ती सरकार ने जो घोषणा की है, वह गलत मार्गों का चयन करके बनाया है। मैं माननीय संस्कृति मंत्री जी के माध्यम से मांग करता हूं कि उसका सुधार किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। जो सुशांत जी ने कहा राम वनगमन पर्यटन परिपथ जो हमारे इतिहासों में लिखा है कि भगवान राम का ननिहाल,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भगवान राम ने अपने 14 साल, और सीतामढ़ी से लेकर सुकमा तक का रास्ता है, जहां पर ऐसे प्रमाण पाये गये हैं, माता शबरी का किस्सा तुलसीदास जी के रामायण में है कि माता शबरी के जूठे बेर भगवान राम ने खाये थे। इसका मतलब है कि भगवान राम यहां आये थे न, तो आप इन तथ्यों को, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि भगवान राम आये थे तभी माना जायेगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- मतलब आप उनका अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप किस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं ?

सभापति महोदय :- आप दोनों सुनिये, इस बहस का इस विधेयक से कोई लेना-देना नहीं है। आपको और कुछ कहना है तो बोल लीजिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, राजिम पुन्नी मांघी मेला के स्वरूप को पूर्व में जिस हिसाब से बदला गया था,

सभापति महोदय :- आप भाषण मत दीजिये। आप शार्ट में बोलिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, सैकड़ों साल से मेला हमारी आस्था का केन्द्र रहा है। हम और हमारे पूर्वज इसको केवल राजिम मांघी पुन्नी मेला के नाम से जानते हैं। यदि किसी का स्वरूप बदला जा रहा है तो सीधे-सीधे लाखों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसे यथावत रखा जाये। राजिम मांघी पुन्नी मेला का जो स्वरूप है, उसे वहीं तक रखा जाये ताकि वह आस्था का केन्द्र बना रहे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी हर इहां नाम बदलकर ऐसे समझत होही कि हमन बहुत बड़े मठाधीश मन के सम्मान पाबो, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहत हव कि ये देश मा बड़े बड़े संत अउ ऋषि मन पैदा होय हे। ये भारत के संस्कृति हे, अगर भारत के हजारों साल पहले के इतिहास ला देखे जाय तो इहां गौतम बुद्ध जी, कबीर साहब जी, रविदास जी पैदा होइन। बड़े-बड़े संत में इहां पैदा होके ये देश ला संवारे के काम करे रहिस हे। मैं ऐमा थोड़ा सा विस्तार से जाना चाहत हव। अगर भारत ला विदेश मा याद किये जाथे, ठीक हे हमन भारत के हन, हमन सम्पत्ति मा अमेरिका जर्मनी, इटली रूस से कम हो सकथन, लेकिन परम्परा, संस्कृति अउ इहां के रीति-रिवाज मा हमन विदेश से कई गुना, कई लाख आगे हन। विशेषकर के छत्तीसगढ़ के बात करे जाय, मैं कोई ये नइ कहव कि उत्तरप्रदेश हमन से छोटे हें कि बिहार हा छोटे हे, अतका जरूर कइहंव कि मोर छत्तीसगढ़ आने ले आगे हे, वोखर कारन हे । सभापति जी, मैं मांग करथंव कि एला माघी पुन्नी मेला ही केहे जाय, ऐहा बहुत पुराना नाम ए । इंहा के रीति-रिवाज समय के साथ रहिथे, वइसने इहां के खानपान अऊ तिहार भी हावय । हमर इंहा एक परम्परा अऊ हे कि जेन जिहां ले आथे, वोला उंहे के नाम से जाने जाथे । जइसे हमर सभापति जी हा चन्द्रपुर म जाके बस जाहव, त आप मन ला हम लोरमिहा कबो । ए हमर परम्परा ए । जइसे हमर बहिनी बिहा के आय हे, विद्यावती । वोखर दू

ठन नाम होही, एक विद्यावती अऊ दूसर वोहा जहां से आय हे, वहु नाम हे । ए छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक सुंदरता ए । वइसने मैं माननीय मंत्री जी ला कहना चाहथंव, माघी पुन्नी मेला के नाम जो रखे गे हावय, अभी तुंहर हाथ म पॉवर हे, आमा ला अमली कहु तभो चल जही । हमर गांव म पहली पॉवर वाला मन लबारी ल सच कहा दय । जेन पुरखा ले चलथ आथे, वोला तुमन बदलथव, एक ठन पुराना गीत हावय, चल तोला घुमाहंव माघी पुन्नी के मेला, कुंभ के मेला घुमाबो कइ के गाना थोड़ी बनाय हव ? मैं तुमन ला चेता थंव, संख्या बल के घमंड मत करौ । ए बदलई ए । एहा इतिहास म दर्ज होही कि एखर जब-जब पॉवर आय हे, नाम ला मेटा के आने लिखे के काम करे हे । एमा आपला जरूर विचार करना चाही । मैं उदाहरण बताथंव । इंहा गेड़ी तिहार मनाय जाथे, चिखला के समय गेड़ी तिहार आथे, वोमा गेड़ी चढ़े के परम्परा रथे । ताकि लोग लईका मन चिखला म रेंगय त गोड़ म नई समाय । अगर माने जाये, एक शब्द अऊ बोल देथंव, एखर बाद पूरा कर देहंव ....

सभापति महोदय :- पूरा नहीं भई, आप राजिम माघी पुन्नी मेला संशोधन विधेयक है, इसी में जल्दी बोलो ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एमा कई सदस्य हमर अइसन बइठे हे, जेमन ए कथे कि राम के माता जी के जन्म इंहा नई होय रहिसे । एहा वोखर ममा घर नई ए । मैं एमा बोलना चाहूं कि ये सब अपन-अपन विचार ए । हो सकथे कि कोई राम ला दिखावा के लिये मानत होही, लेकिन मोर मानना हे....।

सभापति महोदय :- सुनिये न, ए राजिम माघी पुन्नी मेला संशोधन विधेयक में बोलिये, राम जन्म भूमि के बारे में चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ये रूढ़िवादी के मन के भ्रम हा दूर हो जाये । छत्तीसगढ़ में ही राम ला भांचा के रूप म माने जाथे, अऊ भांचा ला राम के रूप मानके मारे-पिटे नइ जाय, जइसे कि उत्तरप्रदेश, बिहार में जइहव, भांचा ला चटकन लगाथे, भांचा ल जूठा खवाथे, छत्तीसगढ़ में भांचा ल कभू मारे नइ जाये, भांचा ल पिंडादान के समय, जइसे हमर सुशांत शुक्ला महराज मन पिण्डा पड़थे, वोला पिण्डा दिये जाथे । महराज ला खटिया, गोदड़ी दे जाथे । वइसने हमन भांचा ला खटिया, गोदड़ी देके भगवान के रूप मा मानथन । एखर ले पता चलथे कि इंहा भगवान ला भांचा के रूप माने जाथे । मैं हा बृजमोहन अग्रवाल मंत्री जी से निवेदन करिहंव कि तुंहर हाथ म पॉवर हे, वोखर गलत उपयोग झन करव, अभी भी समय हे, तुमन अपन प्रस्ताव ला वापस ले लव, ताकि तुंहर पुरखा ह चंदा-सुरूज बनके आर्शीवाद दिही । मैं ये विधेयक के खिलाफ हंव, जब तक रामकुमार यादव के सांस रही, तब तक पुन्नी मेला बर लड़ते रइहंव ।

सभापति महोदय :-धन्यवाद । मैं विशेष अनुमति में भावना जी को दूंगा और इधर से लहरिया जी को । बस । एक-एक को दूंगा ।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने यहां मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सिर्फ दो शब्दों में अपनी बातें समाप्त करूंगी। अभी राजिम माघी पुन्नी मेला के संशोधन विधेयक के विषय पर चर्चा हो रही थी। इसमें आदरणीय अटल भैया ने अपनी बात रखी है। आपका बहुत ही सम्मान है, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और हम सब इस सदन में निश्चित रूप से आपकी बातों को सुनते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि इन्होंने चर्चा में अपने वक्तव्य में एक विषय का जिक्र किया है कि [xx] [7] जो बाहर है और [xx] हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि चर्चा के विषय पर जो हमारे धर्म के गुरू है, जो हमारे लिये आराध्य है और जिनको हम शिव जी का अवतार मानते हैं, उनके विषय में यदि बातें हो रही है तो इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया कि [xx] बैठे हैं, मुझे इनके इस शब्द पर आपत्ति है। मुझे लगता कि वह शब्द नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय :- हो गया। आपको इस विषय में कुछ बोलना है तो आप बोलिये।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, यह विषय जरूरी था। हम सब हिन्दू धर्म के लोग हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उनकी आपत्ति बिल्कुल सही है। मैंने कल एक छोटे-से शब्द का उपयोग किया तो उसमें विपक्ष की ओर से आपत्ति आयी थी पर [xx] हैं, [xx] का उदाहरण दिया जाये, यह आपत्ति तो सही है। आप इसे विलोपित करिये या फिर वह क्षमा मांगे।

सभापति महोदय :- मैं इसे विलोपित करता हूं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, मैंने तथाकथित [xx] कहा।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, उनको [xx] न कहकर महामण्डलेश्वर कह दे। वे महामण्डलेश्वर तो हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- आपने कहा कि [xx] बैठे हैं। आपने यह वक्तव्य कहा है।

सभापति महोदय :- मैं [xx] शब्द को विलोपित कर देता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, बृजमोहन जी को महामण्डलेश्वर की उपाधि मिली हुई है। इन्हें [xx] की जगह महामण्डलेश्वर कहा जाये।

सभापति महोदय :- दिलीप लहरिया जी, आप बोलिये।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तुरी) :- माननीय सभापति महोदय, जो राजिम माघी पुन्नी मेला है, यह नाम हमारे पूर्वजों और पुरखों द्वारा कई सौ वर्षों से चला आ रहा है। जब मैं छोटा था और जब हम लोग स्नान करने जाते थे तो एक दिन पहले त्यौहार जैसा माहौल होता था कि कल माघी पूर्णिमा है और नदी में, तालाब में स्नान करेंगे तो पवित्र होंगे, कई कष्टों से दूर हो जायेंगे। यह ऐसा पवित्र और आस्था का त्यौहार है। इसका नाम माघी पुन्नी मेला है, अब इसका नाम बदला जा रहा है। यदि हम इसी सदन से अपने-अपने माता-पिता और पूर्वजों से बात करें तो वह भी उसे माघी पूर्णिमा के नाम से ही जानेंगे।

---

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

अनिर्धारित/प्रकाशन के लिए नहीं

आप राजिम भी जायेंगे तो माघी पूर्णिमा ही बोलेंगे। अब काम बड़ा कि नाम बड़ा ? आप लोग नाम के पीछे पड़ गये हैं। सभापति जी, इसका नाम माघी पूर्णिमा होना चाहिए। इसका नाम न बदला जाये और हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिगाड़ा न जाये।

सभापति महोदय :- जी, आपकी बात आ गई है। उमेश पटेल जी, आप बोलिये फिर मैं मंत्री जी को कहूंगा।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह विधेयक अभी-अभी पुर:स्थापित किया गया है और अभी उस पर चर्चा आरंभ की गयी। हमने यह सोचकर इसमें आपत्ति नहीं ली कि माननीय मंत्री जी को कहीं जाना है और हमारे बीच इतना सौहार्द्र वातावरण होना चाहिए कि इसमें आपत्ति न ले। लेकिन अजय जी, हम इसको जान रहे थे, हमने जानबूझकर आपत्ति नहीं ली है। माननीय अजय जी ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन होगा। आप ही बताईये कि इतिहास में कहां राजिम पुन्नी मेला है ? हमारे पूर्वज इसे किस नाम से जानते थे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- प्यारे भतीजे, कुंभ को भी हमारे पूर्वजों ने ही किसी नाम से शुरू किया था। आप इतिहास पढ़ लीजिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आज हमारे सभी सदस्यों ने चर्चा की है। हम सब लोग इस बात को जानते आये हैं कि इसे राजिम पुन्नी मेला के नाम से जाना जाता था? और कौन इतिहास को तोड़-मरोड़ रहा है ? माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि जब हमारी सरकार थी, तब हमने इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा और हमने अपनी संस्कृति पर कोई काम नहीं किया। मैं आज इस सदन में दावे के साथ कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की किसी भी सरकार ने अगर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया तो वह माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया (मेजों की थपथपाहट)। यदि छत्तीसगढ़ में बोर-बासी को किसी ने ऊपर उठाया और यदि पूरे हिन्दुस्तान में बोरे-बासी के नाम को जाना गया तो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के समय में जाना गया (मेजों की थपथपाहट)।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, एक मिनट। यदि आपने बोरे-बासी खाने को प्रमोट किया तो हमने पूरे छत्तीसगढ़ के भोजन को प्रमोट किया, उसकी पूरी कैलोरी, वह कैसे बनता है, उसकी रेसिपी छपवाकर गढ़ कलेवा शुरू किया था। हमने सिर्फ बोर-बासी गम्मत नहीं किया था।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं बता रहा हूं कि इन्होंने क्या गम्मत किया था।

सभापति महोदय :- आप बोलिए। आप आपस में बात मत करिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, जब मंच में इनके कार्यक्रम होते थे, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी लोग आते थे तो वहां अधिकारी लोग काजू, कश्मीश, बिस्कीट और पनीर चिली लेकर आते थे। हमारी सरकार ने इसे बदला। जब छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो इनके

मंच में ठेठरी, खुरमी आता था। यह हमारे खान-पान और संस्कृति को बढ़ावा देना था। आप यह नहीं समझेंगे, आपको हंसी आ रही है। आप इस बात को नहीं समझ सकते।

सभापति महोदय :- माननीय पटेल जी, आप उनसे बात मत करिये। आप इसी विषय में आ जाईये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसी में बोल रहा हूँ।

सभापति महोदय :- आप बीच में मत टोकिए।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, इसमें मेरी थोड़ी आपत्ति है। यहां पर ठेठरी, खुरमी की बात आयी तो ठेठरी, खुरमी हमारा पारंपरिक पकवान है। वह रोज खाने का आयटम नहीं है जिसे आप बोल रहे हैं कि उसे मंच पर लाकर खिलाया, पिलाया जाए।

श्री उमेश पटेल :- ते नइ समझस। तोर समझ में नहीं आए।

सभापति महोदय :- ठीक है। आप उनको बोलने दीजिए। आप राजिम माघी पुन्नी मेला में बोलिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आप इस बात को समझ नहीं सकते। इस सदन में [8][XX] की बात आयी, माननीय सदस्यों ने आपत्ति ली। इस सदन में माननीय [XX] का नाम इस तरह से क्यों लिया जा रहा है? यह वहीं लोग हैं, जिन्होंने [XX] की आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने कहा, अभी रामजन्मभूमि पर जो आपत्ति ली, उसमें इनके आई.टी. सेल उनके बारे में क्या-क्या लिखा। हमें पीड़ा हुई, जो इनके द्वारा [XX] के बारे में लिखा गया। [XX] के बारे में जो बोला गया, हमें पीड़ा हुई (शेम-शेम की आवाज) [XX] की मान्यता है, हम उनको मानते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माठाधीश हा एमन ला भस्म कर दिही।

सभापति महोदय :- माननीय उमेश पटेल जी, आप पुन्नी मेला में आ जाईये। आप कहां [XX] में चले गए। यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप इसमें बोल लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, जो चर्चा हुई है मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। माननीय बृजमोहन जी, आपने इस विधेयक को लाया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर, यह निवेदन करता हूँ कि नाम में क्या रखा है। आप इसे राजिम पुन्नी मेला ही नाम रखिए। जो हम लोग हमारे पूर्वजों से जानते आएं हैं, जहां हम नहाने जाते हैं हम इस पर बात रखते हैं तो आप वही नाम रखिए। यही मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम पुन्नी मेला के नाम से जानते हैं कि इसे वैसे ही रखें। यही मेरा संशोधन है।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सदस्यों की बातें सुन रहा था। अगर हम इतिहास को समृद्ध करते हैं अगर हम इतिहास को पूरे देश

[8] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

और दुनिया को बताते हैं और इतिहास को समृद्ध करने से हमारे गौरव और गर्व की भावना बढ़ती है। सबसे पहले तो यहां बहुत सारे नये सदस्य हैं शायद आपको मालूम नहीं है। 13 सालों तक राजिम कुम्भ कल्प मेला का नाम चला है। अगर नाम बदलने का अपराध किसी ने किया है तो आपने किया है, दूसरे किसी ने नहीं किया है। अगर हमारी कोई समृद्धशाली परम्परा बनती है अगर पूरे देश और दुनिया में हमारी पहचान बनती है जिस मेले में किसी जमाने में 50 लाख लोग आते थे, उस मेले में 25 हजार लोग आने शुरू हो गए। उसके बाद में हमने उस समृद्ध परम्परा को बनाया तो वहां पर 25 लाख लोग आने लगे। वहां हजारों साधु, संत आने लगे। छत्तीसगढ़ के लोग जिन महामण्डलेश्वर, [9][XX] बड़े-बड़े ऋषि मुनी, जिनका छत्तीसगढ़ के लोग दर्शन नहीं कर सकते थे, वह यहां आने लगे। वहां लोग उनके दर्शन करने लगे। उनका आशीर्वाद लेने लगे, उसका एक आकर्षण बढ़ा। उसके बाद सिर्फ राजनीतिक कारणों से...। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में कितने माघी पुन्नी मेला होते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में 5 हजार से ज्यादा स्थानों पर तालाब, नदी, मंदिरों के किनारे में माघी पुन्नी मेला होता है। अगर आप पूरे देश की बात करेंगे तो एक लाख से ज्यादा स्थानों पर माघी पुन्नी मेला होता है। यहां कुम्भ कितने स्थानों पर होता है, यहां 4 स्थानों पर कुम्भ होता है। मैं आपको इसका इतिहास बताना चाहता हूँ। एक बार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी बैठे थे तो उन्होंने यह कहा कि छत्तीसगढ़ में हमें ऐसा कोई उत्सव करना चाहिए कि देश और दुनिया में हमारी पहचान बने, ऐसा विचार आया कि पूरे छत्तीसगढ़ की पहचान बने। तो उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ की पहचान बन सकती है तो धार्मिक दृष्टि से कोई आयोजन होगा तो साधु संत सबसे बड़े एम्बेसडर होते हैं, उससे हमारी एक पहचान बन सकती है। उसी समय माननीय अजय चन्द्राकर जी से चर्चा हुई। इन्होने कहा कि अभी तक हमारे प्रदेश में किसी मेले के लिए कोई कानून नहीं है। अगर हम कानून बना देंगे तो कभी कोई उस मेले को समाप्त नहीं कर पाएगा और यह छत्तीसगढ़ का इतिहास बनेगा। आप बोलेंगे कि पुरानी परंपरा को खत्म नहीं करना चाहिए, क्या छत्तसीगढ़ राज्य भी नहीं बनना चाहिए था? पुरानी परंपरा तो मध्यप्रदेश था, सी.पी. बरार था। अगर आप जीवित मनुष्य हो, अगर आपमें बुद्धि है तो आपको कुछ नया करना चाहिए जिससे आपका गौरव बढें, आपका इतिहास समृद्ध हो। (मेजों की थपथपाहट) आप मृतप्राय नहीं हो कि जो पुराने करके चले गये, वही हम करते रहेंगे। उसमें कुछ नयापन लाईये। अपनी अच्छी परंपराओं को जीवित रखिये। हमने मेले को समाप्त नहीं किया है। हमने मेले की समृद्धि को बढ़ाया है। राजिम के इतिहास के बारे में आपको जानकारी है? अगर मैं इतिहास की जानकारी दूंगा तो उसको बताने में 01 घंटा लग जायेगा। वेद, पुराणों में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। पुराने हिन्दुस्तान में सेन्ट्रल इंडिया में प्रयागराज के बाद अगर दूसरा कोई स्थान है, जहां पर त्रिवेणी संगम है और अस्थियों का विसर्जन होता है तो वह हमारा राजिम है। इसका महत्व है। इसके नजदीक में माता सीता ने कुलेश्वर

[9] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

महादेव के मंदिर की स्थापना की। माननीय सभापति महोदय, कई बार सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। 13 साल की परंपरा को समाप्त करने का काम आपने किया। उस परंपरा को हम पुन: जीवित कर रहे हैं। यह राजिम पुन्नी का जो नाम बदल रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। विकृति तो आपने लाई। आपने नाम बदलने का काम शुरू किया। आपने बलीराम कश्यप विश्वविद्यालय को महेन्द्र कर्मा जी के नाम से कर दिया। महेन्द्र कर्मा जी भी हमारे आदरणीय हैं, हम उसका नाम नहीं बदलेंगे। आपने स्वामी आत्मानंद जी का नाम रखा, हम स्वामी आत्मानंद जी का नाम नहीं बदलेंगे। आप लोग विकृत परंपरा लाकर पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास को अपनी मर्जी से किये हैं। अभी राम वन गमन की बात हो रही थी। मैंने उस दिन जवाब दिय। फाईल में लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चंपारण्य को भी राम वन गमन मार्ग में शामिल किया गया। तो मुख्यमंत्री जी कौन से इतिहासकार हो गये? देखिये, जो परंपरायें हैं, उसको हमको निभाना पड़ेगा। इसका नाम बदलने का काम आपने शुरू किया। अगर हमारे छत्तीसगढ़ का इतिहास 13 साल बाद पुष्ट होता है, उसकी समृद्धि होती है, छत्तीसगढ़ का नाम देश और दुनिया में होता है। साधु-संत, महात्मा आते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। अगर हम कोई नई परंपरा बनाने जा रहे हैं, उस परंपरा से अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास को क्षति होती है, वह काम हमें नहीं करना चाहिए। आप बताईये न कि आपके खरसिया में कितनी जगह पर माघी पुन्नी मेला भरता है? माघी पुन्नी मेला हमारे महादेव घाट में भरता है, दुर्ग में भरता है। हमने माघी मेला को भव्य स्वरूप में करने का निर्णय लिया है। आपके मालूम नहीं है कि साधु, संत, महात्मा 05 साल तक कहने लगे थे कि छत्तीसगढ़ ने हमको बुलाना बंद कर दिया, छत्तीसगढ़ वाले हमको भूल गये। हमको लोग आमंत्रित करते हैं। हमने पुन: छत्तीसगढ़ की और इस देश की जो सनातन परंपरा है, उसको जीवित करने के लिए खाली एक शब्द बदला जा रहा है। माघी पुन्नी मेले की जगह कुंभ कल्प मेला इसमें परिवर्तित किया जा रहा है। मैं चाहूंगा, मैं आपको दोष नहीं देता, राजनीतिक कारण होते हैं। 71 लोग जीतकर आये, जीत का उन्माद आपके सर पर चढ़कर बोल रहा था। आपने गलती कर दी। हम गलती को सुधार सकते हैं। जो राजनीतिज्ञ के हाथ में किसी राज्य के, किसी देश के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी है, वह अगर अपनी गलतियों को मान ले, अपनी गलतियों को सुधार दें तो वह उसकी गलती नहीं है, वह उसका बडप्पन है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। माननीय विद्वान मंत्री जी कुंभ मेला का केवल हमने विरोध नहीं किया, [XX][10] ने भी कुंभ के नाम पर आपत्ति दर्ज की थी और आप उसमें घूमा कर कोष्टक में कल्प डाल दिये हैं। इस कुंभ से [XX] भी सहमत नहीं हैं।

सभापति महोदय :- हो गया, आप बैठिये न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, [xx] जी जगतगुरू होते हैं।

[10] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- बृजमोहन जी, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला में सेतगंगा है, वहां पर लोग सुख्खा नहाते हैं। वहां लोग सुख्खा धारा लेते हैं। यह भी छत्तीसगढ़ की परंपरा है। गलत है या सही है?

सभापति महोदय :- चलिये, राजिम के विधायक से सुन लीजिये। हो गया। आप लोग बैठिये न। रोहित जी, आप बोल लीजिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हमारे क्षेत्र में होता है न।

श्री अजय चन्द्राकर :- महूं ला बता देना कि सुख्खा कइसे नहाय जाथे? ओमा पानी ढीला जाय ..।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यी भी छत्तीसगढ़ की परंपरा है।

सभापति महोदय :- यादव जी, बैठिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- परंपरा नइ हे ता आदमी सुख्खा कइसे नहाथे कइके तैं पानी ढीलवा दे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह व्यवस्था आप कर दीजिये।

सभापति महोदय :- यादव जी, बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, वह मांग कर दें कि आदमी सुख्खा कइसे नहाथे कइके पानी ढील दें।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, शायद आप नहीं जानते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो मंत्रों के द्वारा स्नान करते हैं।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये न। राजिम के विधायक महोदय, आप बोलिये।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा कि वह पूर्व की जो बात बोल रहे हैं कि [xx][11] जी विरोध किये हैं।

सभापति महोदय:- आपको जो भी कहना है, वह मंत्री जी को कहिये।

श्री रोहित साहू :- मैं उस समय में मौजूद था। राजिम माघी पुन्नी मेला के समय जो कुम्भ मेला की शुरूआत हुई थी, उस समय पूरे देश में उत्साह का माहौल बना हुआ था। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने पूरे देश के विश्वास के साथ धोखाबाजी किया। पुन: राजिम माघी पुन्नी मेला कर दिये। जिस समय [xx] जी की ..।

सभापति महोदय :- जो गया। बैठिये।

श्री रोहित साहू :- जिस समय [xx] जी बोले कि राजिम को कुम्भ न किया जाए, लेकिन उसमें कल्प कुम्भ जोड़ा जाए बोले थे। वह स्वयं बात नहीं बता पाये थे।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई है। प्लीज, आप लोग बैठिये।

[11] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रोहित साहू :- मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि आज माननीय धर्मस्व मंत्री और हमारी सराकर के जो निर्णय लिया है, पूरा राजिम को कल्प कुम्भ का दर्जा दिया, उसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ और जिला गरियाबंद और राजिमवासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। मंत्री जी का जवाब आने दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय [xx] [12] जी जगतगुरू हैं। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। चार [xx] हैं। चारों [xx] राजिम कुम्भ में आये हैं। मैं आपको बता दूं कि वे इस वर्ष भी आयेंगे। तीनों [xx] जी हमेशा इसकी तारीफ किये हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर साधु-संत, जनसमुदाय इकट्ठा होता है, वह कुम्भ हो जाता है। (मेजों की थपथपाहट) और जो साधु-संतों की वाणी है, वह अमृत के समान है। अभी आप बड़ी-बड़ी बात करते हैं कि कर्मचारी कुम्भ हो रहा है। जाईये विरोध करिये न। आदिवासी कुम्भ हो रहा है, चलिये विरोध करिये। उसका नाम क्यों कुम्भ रखा गया ? जहां पर भव्यता हो, जहां पर दिव्यता हो, जहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो, तो [xx] जी निर्देश पर ही हमने इसमें शब्द जोड़ा, प्रतिवर्ष होने वाला राजिम कुंभ कल्प। हम कभी साधु-संतों का ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- बृजमोहन जी, कुम्भ का मतलब इधर हड़िया समझ लेते हैं। इसलिए यह विरोध करते हैं। आप जिस अर्थ में कुम्भ को बता रहे हैं, उस अर्थ में उन्होंने कभी ग्रहण नहीं किया।

श्री उमेश पटेल :- अच्छा। चलिये, आप बताईये कि कुम्भ मेला होता है, वह किस दिन होता है। क्यों होता है? हर 12 साल में कब, किस तारीख कुम्भ मेला होगा? अगर आप इतने ज्ञाता तो यह बताईये?

श्री रामकुमार यादव :- ओहा कल पूछ के आ के बताही।

श्री उमेश पटेल :- जब गुरू कुंभ राशि में प्रवेश करता है तब कुम्भ मेला होता है। इसको आप समझ लीजिये।

सभापति महोदय :- उमेश पटेल जी, यादव जी, बैठिये। मंत्री जी, आप बोलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं पुरानी गलतियों के ऊपर में चर्चा नहीं करना चाहता हूं। हमारा यह जो सदन है, यह सदन छत्तीसगढ़ की गौरव को बढ़ाने वाला, छत्तीसगढ़ की गरिमा को बढ़ाने वाला, छत्तीसगढ़ को पूरे देश और विश्व में पहचान देने वाला यह जो उत्सव है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता फिर से एक उत्सव माहौल में उल्लास के साथ में नया छत्तीसढ़ बना है, इसमें साधु-संत, महात्मा सबका आशीर्वाद मिले और राजिम जो हमारा त्रिवेणी संगम कुलेश्वर महादेव का मंदिर और हमारा यह एक पवित्र स्थान है। राजीव लोचन भगवान का मंदिर सातवीं शताब्दी का मंदिर है। उसकी महिमा बढ़े और एक धार्मिक दृष्टि से पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ की पहचान बने, ऐसा एक आयोजन हो। यह एक कल्पना करके और यह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है, यह कल्पना उस समय के

[12] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

राज्यपाल जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, हम सब लोगों ने बैठकर कि छत्तीसगढ़ को एक पहचान देने के लिए हमें ऐसा कोई आयोजन करना चाहिए। अभी तक छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई आयोजन नहीं है, जिसको लोग कहें कि हां, छत्तीसगढ़ में एक आयोजन है, चलो हमको चलना है। छत्तीसगढ़ की यह पहचान बनी है। हम लोग 13 साल में एक पहचान बनाने की कोशिश की थी क्योंकि पहचान एक दिन में नहीं बनती है। पहचान बनने में सैकड़ों साल, हजारों साल लगते हैं और हमने जो नई शुरूआत की, मैं तो चाहूंगा कि पूरा सदन सर्वसम्मति से इस संकल्प को पारित करे जिससे कि छत्तीसगढ़ का वैभव, गौरव और गरिमा बढ़े । इसी भावना के साथ मैं चाहूंगा कि सर्वसम्मति से इसको पारित किया जाये । मैं बाकी सदस्यों से भी इस बात का आग्रह करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय बृजमोहन जी ने पहले भी इस प्रस्ताव को लाया था और अभी फिर से प्रस्ताव लाये हैं । किसी भी आयोजन को, किसी भी कार्यक्रम को भव्य रूप देना इसमें कोई विरोध नहीं है । बृजमोहन जी ने कहा कि जो परंपराएं थीं उसको आपने बदल दिया । परम्पराएं तो माघी पुन्नी मेला की थी । इसको बदलने का काम आपने किया है और उसको भव्य रूप देने में आप जितना करें, हमारा पूरा समर्थन लेकिन नाम बदलने की बात है । कल्प का मतलब आभासी कुम्भ की बात करते हैं, जब हमारे पास कुम्भ है, अर्धकुम्भ है तो आभासी कुम्भ की क्या आवश्यकता है ? इसीलिये हम लोगों ने इसे जो पुराने नाम हैं चूंकि हम लोगों ने भी काम किया है, मेले की जगह नहीं । नदी में ही मुरूम पाट रहे हैं, नदी पाटने का काम हो रहा था और इसलिये उसकी जगह भी चिन्हित की, विकसित करने का काम किया, आप ही आगे बढ़ायें । हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आप प्राचीन नाम को बदलें इसका विरोध है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यह जो नाम बदलने का काम है उसे आप वापस लें, जितना भव्य रूप देना चाहें, हम पूरा समर्थन करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो नाम बदलने का काम कर रहे हैं उसे वापस लें ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) पर विचार किया जाये ।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें ।

श्री भूपेश बघेल :- डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन ।

सभापति महोदय :- जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) पर विचार किया जाये ।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें ।

श्री भूपेश बघेल :- डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन ।

डॉ. चरणदास महंत :- डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन ।

सभापति महोदय :- जो माननीय सदस्य इस विधेयक को पारित किये जाने के पक्ष में हों, वे कृपया हां कहें ।

डॉ. चरणदास महंत :- डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- डिवीजन चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- मत विभाजन के लिये घंटी बजायी जाये और लॉबी को खाली कराया जाये ।

(मत विभाजन हेतु घंटी बजाई गई)

श्री भूपेश बघेल :- बृजमोहन जी, आपके प्रस्ताव से मुख्यमंत्री जी सहमत नहीं हैं इसलिये वे आये ही नहीं हैं । (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है कि आपको भी मालूम है कि आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है ।

श्री भूपेश बघेल :- वे आते तो हम सब बधाई दे देते ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी बधाई दे दीजिये ।

समय :
1.30 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय :- अब मत विभाजन होगा । कृपया अपने आसन पर बैठ जायें । मत देने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य इस विधेयक को पारित किये जाने के पक्ष में मत देना चाहें वह मेरे दायीं ओर की लॉबी में और जो माननीय सदस्य इस विधेयक को पारित किये जाने के विपक्ष में मत देना चाहें वह मेरी बांयी ओर की लॉबी में जायें । जहां रखी हुई मत विभाजन की सूची पर अपना हस्ताक्षर कर सभा कक्ष में कृपया लौट आयें ।

	हां पक्ष		**ना पक्ष**
01	श्री श्याम बिहारी जायसवाल	01	श्रीमती विद्यावती सिदार
02	श्री भईया लाल राजवाड़े	02	श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
03	श्री भूलन सिंह मराबी	03	श्री उमेश पटेल
04	श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े	04	श्री फूलसिंह राठिया
05	श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते	05	श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
06	श्री राम विचार नेताम	06	श्री अटल श्रीवास्तव
07	श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा	07	श्री दिलीप लहरिया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

08 श्री प्रबोध मिंज
09 श्री राजेश अग्रवाल
10 श्री रामकुमार टोप्पो
11 श्रीमती रायमुनी भगत
12 श्रीमती गोमती साय
13 श्री लखनलाल देवांगन
14 श्री प्रेमचन्द पटेल
15 श्री प्रणव कुमार मरपची
16 श्री अरूण साव
17 श्री पुन्नूलाल मोहले
18 श्री धर्मजीत सिंह
19 श्री धरम लाल कौशिक
20 श्री अमर अग्रवाल
21 श्री सुशांत शुक्ला
22 श्री संपत अग्रवाल
23 श्री टंक राम वर्मा
24 श्री अनुज शर्मा
25 श्री मोतीलाल साहू
26 श्री बृजमोहन अग्रवाल
27 श्री गुरू खुशवंत साहेब
28 श्री इन्द्र कुमार साहू
29 श्री रोहित साहू
30 श्री अजय चन्द्राकर
31 श्री गजेन्द्र यादव
32 श्री रिकेश सेन
33 श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा
34 श्री ईश्वर साहू
35 श्री दीपेश साहू
36 श्री दयालदास बघेल
37 श्रीमती भावना बोहरा

08 श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
09 श्री ब्यास कश्यप
10 डॉ. चरण दास महंत
11 श्री रामकुमार यादव
12 श्रीमती शेषराज हरवंश
13 श्रीमती चातुरी नंद
14 श्री द्वारिकाधीश यादव
15 श्री संदीप साहू
16 श्री इंद्र साव
17 श्री जनक ध्रुव
18 श्रीमती अंबिका मरकाम
19 श्री ओंकार साहू
20 श्रीमती संगीता सिन्हा
21 श्रीमती अनिला भेंडिया
22 श्री कुंवर सिंह निषाद
23 श्री भूपेश बघेल
24 श्री देवेन्द्र यादव
25 श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
26 श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
27 श्री भोलाराम साहू
28 श्री इन्द्रशाह मंडावी
29 श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
30 श्री बघेल लखेश्वर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

38 श्री विजय शर्मा
39 श्री विक्रम उसेण्डी
40 श्री आशाराम नेताम
41 श्री नीलकंठ टेकाम
42 श्री केदार कश्यप
43 श्री चैतराम अटामी

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यगण, अपने-अपने स्थान में जायें। मतदान के बाद स्थिति यह है कि विधेयक के पक्ष में 43 मत प्राप्त हुए और विधेयक के विपक्ष में 30 मत प्राप्त हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ऐतिहासिक संशोधन विधेयक जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने के लिए राजिम कुंभ कल्प मेला के विधेयक को पारित किया है, मैं सभी सदस्यों को जिन्होंने विरोध में मतदान किया है, मैं उनको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भी धन्यवाद देता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ में संदेश जाएगा कि छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने वाले, छत्तीसगढ़ को गौरव और गरिमा प्रदान करने वाले विधेयक का किस प्रकार से विरोध किया है। यह सदन में आज पारित हुआ है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। आप वहां पर आकर देखें। छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान देने के लिए धन्यवाद देता हूं। कुंभ कल्प मेला होने से कैसे लोगों का आकर्षण बढ़ा है, साधु संतो का आकर्षण बढ़ा है, जनता का आकर्षण बढ़ा है। छत्तीसगढ़ की गौरव और गरिमा की सुगंध देश और दुनिया में कैसे फैलेगी, आप वहां पर आकर देखें। आप पहले भी पांच साल गये होंगे। अभी भी आप आकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने माघी पुन्नी मेला किया था, उसका क्या था और अब कुंभ मेला होने से उसका क्या प्रभाव पड़ा है, यह आपको दिखाई देगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने विशेष अनुमति देकर इस प्रस्ताव को प्रस्तुत भी करवाया और पास भी करवाया। इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- जब प्रस्ताव पारित हो गया, चर्चा खत्म हो गयी। अब तो डूबकी लगाना बाकी है। वहां जाकर डूबकी लगाएं।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं बृजमोहन जी से एक आग्रह और कर रहा हूं। अभी केवल बुलाए हैं कि आप देखने के लिए आना। मैं तो यह बोल रहा हूं कि क्या-क्या बांधकर किसको-किसको खींचते हैं, उसी दिन इनको दिखाने के लिए बुलाना कि कैसे कुंभ मेला होता है।

श्री रामकुमार यादव :- सब झन ला एक एक ठन लंगोट दे दिया जाए।

श्रीमती भावना बोहरा :- भई, यहां महिला मन भी बैठे हे, शब्दों का चयन थोड़ा बराबर से करिए। आप पूरे सदन को संबोधित कर रहे हैं तो शब्दों का चयन संभाल कर करिए। मुझे विश्वास है कि आप इसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे, उमेश जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे।

समय :
1:47 बजे

<u>वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा</u>

(1) मांग संख्या 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 18 श्रम

वाणिज्य एवं उदयोग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए - पांच सौ तीस करोड़, उनतीस लाख, उनहत्तर हजार रूपये तथा

मांग संख्या 18 श्रम के लिये - दो सौ बयालीस करोड़, अठानवे लाख, तिहत्तर हजार रूपये की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 11

<u>वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय</u>

1.	डॉ. चरण दास महंत	5
2.	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा	1
3.	श्री कुंवर सिंह निषाद	3
4.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	1
5.	श्रीमती शेषराज हरवंश	2
6.	श्रीमती चातुरी नंद	1
7.	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	2

मांग संख्या - 18

<u>श्रम</u>

1.	डॉ. चरण दास महंत	1
2.	श्रीमती अनिला भेंडिया	1
3.	श्री लखेश्वर बघेल	3
4.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1
5.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1
6.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह चर्चा प्रारंभ करें।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग उद्योग की बात करते हैं तो उसकी परिकल्पना में हम लोग एक बड़े उद्योग की ओर जाते हैं। लेकिन समय के साथ हम लोगों को यह समझना होगा कि हमें लघु उद्योगी की जरूरत भी उतनी ही है, जितनी बड़े उद्योगों की है। मैं जांजगीर-चांपा जिले से आता हूं। वहां पर कोयले का आदान-प्रदान, राईस मिलें, सीमेंट फैस्ट्री से लेकर बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। वह उद्योग अभी नहीं लगे हैं, बल्कि बहुत पहले से लगे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमको यह भी मानना होगा कि हसदेव बांगो परियोजना भी हमारे जिले और आसपास के जिलों में आया था। जहां शुरू में तीन फसल को पानी देने की बात की गई थी, लेकिन अब वह दो फसल तक आकर सीमित हो गई है। इसमें से बहुत ज्यादा पानी हम उद्योगों को भी दे रहे हैं। इसके पहले जब चर्चा हुई तो हम लोगों ने चर्चा में हर स्थान में आ रही पानी की समस्या और lift irrigation के बारे में चर्चा की। कहीं न कहीं हमें सतत् विकास की बात उद्योग और कृषि को देखकर करनी होगी। हम लोग उद्योग लगाते हैं, जिससे वहां पर रोजगार और बाकी के अवसर भी प्रदान होते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यदि उद्योग लगे तो वहां पर कृषि से लेकर बाकी उपक्रमों को उसका नुकसान नहीं उठाना चाहिए। जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारे नहर से N.T.P.C. को पानी जाता है। लेकिन कहीं न कहीं वहां पर जो पैसा आना चाहिए और मदद मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रश्न में भी यह बात सामने आई थी कि लंबे समय 7-8 साल पहले से जल कर बकाया है। जब हम लोग परिकल्पना करते हैं तो बड़े-बड़े उद्योग तो सामने आते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें अपनी उद्योग नीति में छोटे उद्योगों पर भी ध्यान देना होगा। हमारी पिछली सरकार में हम लोगों ने फूड पार्क की बात कही थी। लेकिन कहीं न कहीं कोविड-19 की वजह से कुछ स्थानों में उसका काम शुरू हो पाया और कुछ स्थानों में नहीं हो पाया। हमें इन लघु उद्योगों की मदद से हर ब्लॉक तक लघु उद्योगों को ले जाना होगा। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। कुछ समय पहले जब हम लोग पंजाब गये थे तो मैंने वहां पर पैरा देखा। उस पैरा को हम लोग यहां पर कभी गौठान और कभी बाकी स्थानों में देते हैं। लेकिन वहां पर लगभग हर ब्लॉक में बहुत छोटे-छोटे उद्योग लगाये गये हैं। जहां पर वह लोग पैरा से गद्दें और फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब हमारा प्रदेश इतने धान का उत्पादन करता है तो इस ओर भी हमें कहीं न कहीं ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उससे हमारी महिला समूहों से लेकर ग्रामीणों द्वारा कार्ड बोर्ड, गद्दा, पैकेजिंग और कई अलग आइटम बनाये जा सकते हैं। हमें इसमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। जो हमारे लघु उद्योगों को ब्लॉक स्तर और ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।

समय :
1.52 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं कि हमें C.S.R. की राशि पर और भी कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। कोविड-19 के समय सभी ने C.S.R. दिया, जिससे मदद हुई। हम लोगों ने चिकित्सा सुविधा और अन्य सुविधाओं की भी मदद की। लेकिन पिछले 2 सालों से मैंने इसी विधान सभा क्षेत्र से एक प्रश्न लगाया था और उसके जवाब में आया कि पिछले 2 सालों से मेरे जिले में केवल 2 या 3 उपक्रमों ने ही अपनी C.S.R. राशि दी है। बाकी कोई भी C.S.R. राशि वहां पर नहीं पहुंच पाई है। कहीं न कहीं इससे गांव प्रभावित होते हैं। रोजगार के अलावा वहां की कृषि, आर्थिक प्रणाली और अन्य बहुत सारी चीजें इन प्लांटों पर आधारित होती हैं। क्योंकि वहां के लोग पहले जहां पर खेती कर रहे थे, अब वहां पर खेती नहीं कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर ले जाना चाहूंगा कि जहां पर हमारे प्लांट या उद्योग लगे हुए हैं। यह हर स्थान में फैली हुई बड़ी आसान सी समस्या है। वहां का E.P.C. दिन में तो चलता है, लेकिन रात में प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे प्रकरणों में कहीं न कहीं वहां पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं, उसके मानक की लगातार जांच हो। हम लोग दिल्ली जाते हैं तो देखते हैं कि आज प्रदूषण का मानक कितना है। सांस अंदर लेने लायक है या नहीं है। तो क्यों न हमारी ग्राम पंचायतों में जहां पर ये प्लांट हैं, वहां पर इस तरह की रीडिंग लगाई जाए। ताकि हमें पता रहे कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। क्या रात में E.P.C. बंद हो रहे हैं ? पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ? यह हर दिन की मॉनिटरिंग होगी। कहीं न कहीं जब हम लोग उसकी एकाध शिकायत करते हैं तो दूसरे-तीसरे दिन वहां की समस्या का निदान होता, लेकिन एक लंबे समय पर अपने आप उसी तरीके से हम लोग पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं रोजगार के बारे में कहूंगा । कल पॉलीटेक्निक कॉलेज की बात हो रही थी, तब भी मैंने एक निवेदन किया था । हमारे जितने आई.टी.आई. हैं या बाकी हम जो ट्रेनिंग चला रहे हैं, हम लोगों को वहां के ब्लॉक, वहॉ के जिले में वहां पर रोजगार में उन उद्योगों में रिजर्वेशन सिस्टम रखना चाहिए कि वहां हमारे राज्य के ही हमारे लोगों को वहां पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर यह हो जाये तो वहां पर रोजगार, डोमिसाईल और वहां पर जो स्कील डेव्हपलमेंट है, उसको हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं ।

सभापति महोदय, जब हम औद्योगिक नीति बनाते हैं तो कहीं न कहीं हम लोगों का एक बड़ा हिस्सा नि:शक्तजनों का छूट जाता है । हम लोगों को ऐसे नियम बनाने की जरूरत है कि हमारे

नि:शक्तजन भी उन उद्योगों से जुड़ सकें । कई ऐसे कार्य हैं, जो हमारे नि:शक्तजन वहां कर सकते हैं, लेकिन कोई पॉलिसी, कोई नीति वहां नहीं होने की वजह से वे हमसे छूट रहे हैं । जब हम उद्योग की बात करते हैं तो एक ज्वेलरी पार्क की बात रायपुर में सुनाई देती है, लेकिन हमारा जिला कोसा, कांसा और कंचन की नगरी कही जाती थी, जहां हमारे सोनार समाज के लोग और ऐसे बहुत से लोग निवास करते हैं, जो कोसा, कांसा और सोने के कार्य में बहुत ज्यादा लिप्त हैं । आदरणीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको भी उद्योग का दर्जा देकर वहां के क्षेत्र में जो सोने का काम होता है, जो कारीगर हैं, उनके बारे में सोचा जाये, उनके बारे में भी हमारी नीति बननी चाहिए । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पर हमारे पास सीमेंट प्लांट भी हैं, हमारे पास वहां राईस मिलें भी हैं, वहां पर कोयले का भी भण्डारण हो रहा है और वहां एक बहुत बड़ी ऊर्जा, जो वहां पर कोयले से बन रही है, पॉवर प्लांट भी उपस्थित है, लेकिन इन सबके बीच में हमारी खेती जो वहां पर बहुत ज्यादा होती थी, वह कहीं न कहीं फंसकर रह गई है । हमें जरूरत है कि हम उद्योग तो लगाएं, लेकिन उद्योग लगाने के पहले चाहे वह बाईपास हो या उसके और उपक्रम हों, उनकी भी हमें पहले से प्रक्रिया कर लेनी चाहिए । जैसे आज अकलतरा और बलौदा की बात नहीं है, मैंने यह बात पहले भी उठाई थी । लगभग यह सभी बात है कि अभी उद्योग तो लग गए हैं, लेकिन हमारे बाईपास अभी भी नहीं बन पाए हैं तो हमें इस चीजों पर भी ध्यान देना होगा कि पहले हम लोग बाईपास और बाकी समस्याओं का निराकरण करें, उसके बाद ही उद्योग लगाने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय, अगर मैं श्रम विभाग के बारे में बात करूं तो मेरा जिला उन जिलों में से है, जहां हम लोग सबसे ज्यादा पलायन की समस्या झेलते हैं । जैसे ही जनवरी-फरवरी आता है, लोग पंजाब, काश्मीर, उत्तरप्रदेश पलायन कर जाते हैं । मुझे याद है कि जब कोविड आया था तो पलायन किए हुए लोगों का वापस जाने की मुहिम चल रही थी । हम लोग भी एक नागरिक संगठन होने के नाते उनको कहीं न कहीं सहायता दे रहे थे । जब 50 हजार के ऊपर संख्या जाने लगी, तब वह इतना चिंतित विषय हो गया था कि लोगों को बुलाना दिक्कत वाली बात हो गई । अभी भी लोग फंसे रहते हैं । मेरे जिले के जितने विधायक हैं, चाहे मुंगेली के तरफ के भी जो लोग हैं, वे इस बात को मानेंगे कि उनके फोन लगातार आते हैं कि हम लोग इस भट्ठे पर फँसे हुए हैं । प्रशासन इस पर सहयोग करता है, लेकिन कहीं न कहीं हमें जरूरत है कि हम लोग अपने ही जिलों में, अपने ही राज्य में उन लोगों को कार्य दे सकें, ताकि पलायन की समस्या से हम लोग बचें । जैसे ही हम लोग श्रमिक के पलायन की समस्या के बारे में सोचते हैं तो हम ज्यादातर पुरूष के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की भी है । जो मेहनती भी हैं, लेकिन उद्योगों में सही रोजगार न मिलने की वजह से ये पलायन कर रहे हैं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि सभी

उद्योगों में ऐसी नीति बने कि हमारी इन महिलाओं को भी रोजगार मिले और आने वाले समय में इस पलायन से हम लोग बच सकें ।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां बड़े उद्योग है, वहां पर ज्यादातर ठेका प्रणाली से कार्य चल रहा है। पैकेजिंग कोई और करेगा, लेबर सप्लाई कोई और करेगा, गार्ड कोई और मुहैय्या करायेगा। इससे कहीं न कहीं हमारे जो श्रमिक भाई हैं, उनको जो लाभ मिलना चाहिए, उससे कहीं न कहीं वंचित रह जा रहे हैं। सरकार ने स्थाई कर्मचारियों को जो सुविधाएं मुहैय्या कराया है, ठेके में होने की वजह से बता देते हैं कि वह इतना समय ही काम करता है और कोई न कोई नियम-कानून बता कर घुमा दिया जाता है कि वह उसमें फिट नहीं बैठता है। तो जरूरत है कि जितने श्रमिक भाई हैं, उन सभी को वह सुविधाएं मिलें जो बाकी नियमित कर्मचारी को मुहैय्या करा सकते हैं।

सभापति महोदय, अगर मैं अपने अकलतरा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां कई राईस मिल, क्रेशर में हजारों श्रमिक काम करते हैं, लेकिन वे कहीं न कहीं पी.एच.सी. पर निर्भर हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जांजगीर जिला एक बड़ा जिला है, जहां लगातार उद्योग लग भी रहे हैं। हम लोगों को वहां पर अस्पताल और श्रमिक विश्राम गृहों की आवश्यकता हर समय महसूस होती है। क्योंकि वहां उतने ही राईस मिल्स हैं और क्रेशरर्स भी उतने ही हैं, तो हमको इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। जब हम क्रेशर और ये सारे उद्योग लगा रहे हैं तो इस क्षेत्र में प्रदूषण ज्यादा हो गया है। माननीय मंत्री जी, मैंने अपने वक्तव्य के शुरूआत में ही कहा कि हमें इस बारे में ध्यान होगा और कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, तभी जाकर हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। मैं मांग संख्या 11 और 18 का पुरजोर विरोध करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति जी, मांग संख्या वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सबंधित तथा मांग संख्या- 18 श्रम के समर्थन में मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति जी, 24 साल पहले एक साथ तीन राज्य झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड अस्तित्व में आये थे। इन तीनों राज्यों का निर्माण करने में हमारे परम सम्माननीय भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्व. अटल बिहारी बाजपेयी जी ने एक विशेष बात देखी थी कि ये जो राज्य हैं, नैसर्गिक प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों के साथ औद्योगिक समरसता में सहभागी होकर विकास करेंगे, उन्हें ऐसी संभावनाएं दिखाई दी थीं।

माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़, पूरे देश के हृदय स्थल में है, बीचोबीच है। हमारा छत्तीसगढ़, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करता है। दोनों भारत को जोड़ने का काम छत्तीसगढ़ करता है। अगर हम भाषाई तौर पर देखें तो उत्तर भारत में जहां उत्तरप्रदेश में हिन्दी का असर दिखाई देता है वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं तो हमें द्रविण परिवार से हमारी गोंडी मिलती है तो हमें

दिखता है कि भारत को जोड़ने का काम छत्तीसगढ़ करती है। हमारा यह छत्तीसगढ़ तिरंगा है। जब हम देखते हैं कि उत्तर पूरा काला है, जहां कोयले की अपार खदानें हैं और जब हम बीच में आते हैं तो लाईम स्टोन मिलता है, बिलकुल सफेद और जब हम दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण पूरा लाल दिखाई देता है। इसमे कोयले की उर्जा है, सीमेन्ट की मजबूती है और लोहे का आधार है। ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ हमें मिला। जब हमें यह राज्य मिला तो हमारे यहां बिजली की इतनी कटौती होती थी कि इतने संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र इतने अभाव में जी रहा था। लेकिन सही नेतृत्व मिला, डॉ. रमन सिंह जी का नेतृत्व मिला और हम बिजली में सरप्लस राज्य बनें। आज हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम देश के चुनिंदा अग्रणी राज्यों में शुमार होते हैं, जहां पर बड़े एवं छोटे उद्योगों के लिए सरल औद्योगिक वातावरण उपलब्ध है।

माननीय सभापति जी, आज औद्योगिक क्रान्ति का युग है। ए.आई.,चैट जी. पी.टी. के जमाने में जब हमारे वित्त मंत्री जी एक टैब से इस बजट का अभिभाषण कर रहे थे तो उस पर हमारे विपक्ष के सम्माननीय वरिष्ठ जनों ने उस पर आपत्ति उठाई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ को कहां लेकर जाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ को समय के साथ चलना पड़ेगा। हमारा यह जो बजट आया है, वह समय के साथ चलने वाला बजट आया है। आज जब हम लोग देखते हैं कि बंगलौर और पूणे में, मुंबई और दिल्ली में, डी.एल.एफ. साईबर सिटी हो चाहे वाईल्ड फील्ड की बात हो, जब ऐसे आई.टी. पार्क में काम करने के लिये हमारे यहां के युवा जाते हैं, माता-पिता जब उन्हें एअरपोर्ट और रेल्वे स्टेशन में सी.आफ. करने के लिये जाते हैं तो आंखे डबडबाई होती है और कहीं न कहीं उनके मन में, हद्य में यह बात होती है कि हमारे यहां, हमारे बच्चों के लायक आई.टी. इंडस्ट्री क्यों नहीं है ? यह बजट उस क्षेत्र में नई शुरूआत करने वाला बजट है । वर्तमान बजट में कोरबा, बिलासपुर, इंडस्ट्रियल कॉरीडोर एवं कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क का प्रावधान है, जो संकेत है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विकसित राज्य में अग्रणी होगा । सभापति महोदय, पर्यटन और उद्योग में ए.आई. जैसी तकनीक को बढ़ावा देने के लिये भी इसमें प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वप्न और हमारे वित्त मंत्री जी का यह विजन है कि हम लोग टी.वी. पर सार्क टैंक करके शोज देखते हैं, क्या हमारे यहां के युवाओं में वह बात नहीं है कि ऐसा सजेसन्स दे सके और उन्हें नये स्टार्ट अप के लिये अवसर मिल सके ? सभापति महोदय, आप देखेंगे कि हमारे यहां के युवाओं में क्षमता की कमी नहीं है, हमारे यहां के युवा क्षमतावान है, उर्जावान है, उन्हें ऐसा माहौल देने की जरूरत है, उनहें सुविधायें उपलबध कराने की जरूरत है । जब लइका नॉन-नॉन रइथे ना, कोनो पेड़ मा रूख राई म चढ़ना रइथे, पंदोली देके दूसर ला अपना खांदा म बैठाथे । अऊ अपन दोस्त ला धीरे से पेड़ म पहुंचाथे । वोहा पेड़ के टॉप में पहुंच जाथे । अभी सरकार के पंदोली के जरूरत हे, ताकि हमर जो युवा हे, वो सफलता के ऊँचाई तक पहुंच सकय, लेकिन एखर बर अच्छा नीति के साथ-साथ अच्छा नीयत के जरूरत होथे । अऊ ए जो बजट हे, नीयत

के साथ-साथ अच्छा नीति के लिये भी बनाय गे हे । माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के धरती म अपार अऊ अनमोल खनिज, वन संपदा भरपूर हे । राज्य के लाभप्रद सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, यह राज्य राष्ट्र की आधी आबादी को संपर्क उपलबध कराती है और यही कारण है कि पूरे प्रदेश के अन्य राज्यों से सरल संपर्क होने के कारण तथा प्राकृतिक रूप से संसाधन संपन्न होने के कारण हम देश, विदेश में, उद्यमियों के लिये निवेश की प्रथम पंक्ति में शामिल हैं । माननीय सभापति जी, सरप्लस विद्युत राज्य का होना और शासकीय प्रक्रियाओं में सिंगल विंडो की सुविधा, उद्यमियों के लिये आसान एवं सुगम निवेश का एक रास्ता प्रदान करती है । सभापति महोदय, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जहां प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है । माननीय सभापति जी, लगभग प्रतिमाह 7 लाख टन लोहे का फिनिश प्रोडक्ट हमारे यहां से प्रोड्यूज होता है, जो देश का लगभग 20 प्रतिशत है । यह छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान है । मेरे क्षेत्र का उद्योगों द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था एवं रोजगार प्रदान करने में बहुत सीधा योगदान है । लोहे के दर के निर्धारण में औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा की मुख्य भूमिका रहती है, जो हमारे राज्य के रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों का सीधा लाभ इस क्षेत्र के कारण मिलता है । लेकिन पिछली सरकार की खराब औद्योगिक नीति ने इन्हें बहुत दुविधा की स्थिति में डाल दिया है । सभापति महोदय, पिछली सरकार ने कहा था कि हम लाजिस्टिक पार्क बनायेंगे और प्रत्येक विकासखंड में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जायेगी, यह सब कागजों में सिमट गया और इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका है । वर्तमान में उद्योग नीति की समीक्षा कर सही नीयत के साथ राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पाद, वनोपज तथा खनिज संपदा आधारित उद्योगों के साथ-साथ कोर सेक्टर में भी पूर्व से कार्यरत उद्योगों को क्षमता विकास के लिये अनुकूल अवसर प्रदान करेंगे । सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के उद्योग नीति का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्रदेश की जनता और उद्यमियों को नहीं मिल पाया है । कुछ लोगों को लाभ मिला है, लेकिन वह बहुत करीबी रहे हैं । सी.एस.आई.डी.सी. में जैसे बंदरबांट हुआ है, मैं आपसे उसमें अलग से चर्चा करूंगा कि वहां किस तरह से बंदरबांट हुआ है । लोगों की जमीन कैसे बदल दी गई, कैसे पानी के सोर्स पर पटाव कर दिया गया और जमीन पर कब्जा किया गया।

माननीय सभापति महोदय, आज मेरे सवाल का जवाब आया है। उसमें प्रदूषण के विषय में 46 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लेकिन एक में भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गयी है। यह पूरे अधिकारियों और कर्मचारियों का झोल-झाल दिखाई दे रहा है। मेरे पास यह लिस्ट रखी है। मुझे अभी जवाब आया है। यह 46 शिकायतों में से एक शिकायत में भी ठीक से कार्रवाई नहीं कर पाये हैं। इसमें पूरा मैच फिक्स है। मेरे पास सी.एस.आर. मद में लापरवाही की सूची भी आ चुकी है। हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लोग धुंआ पीते हैं और दूषित पानी का प्रयोग करते हैं। उनको वह लाभ नहीं मिल रहा है जो इन कंपनियों की ओर

से सी.एस.आर. मद में मिलना चाहिए। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सिर्फ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से यह सब बंदरबांट चल रहा था।

सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा यह तय किया है कि इस औद्योगिक नीति में राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पाद, वनोपज एवं खनिज संपदा तथा रोजगार मूलक उद्योगों को ध्यान में रखा जायेगा। उद्योगों की क्षमता के विकास हेतु अनुकूल अवसर प्रदान किये जायेंगे। कोरबा, बिलासपुर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु 05 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिससे उक्त क्षेत्र में औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढेंगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नये औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु 60 करोड़ रूपये समेत, फुट पार्क हेतु 50 करोड़ रूपये एवं लागत पूंजी अनुदान हेतु 200 करोड़ रूपये का समुचित मात्रा में प्रावधान किया गया है। मेरे पास यह प्रमुख बिन्दु हैं, जिसमें युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जायेगी, साथ ही प्रदेश के आर्थिक और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोरबा, बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट के क्षेत्रों में उपलब्ध उपयुक्त शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जायेगा। इसकी योजना निर्माण हेतु 05 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, ताकि एक बड़ी योजना लायी जा सके। इनवेस्ट इंडिया की तर्ज पर इनवेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। जिसके लिये भी 05 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिये कहीं न कहीं इस सोच के साथ काम करने वाली नई जनरेशन को तैयार करना पड़ेगा। उसके लिये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन एवं रिसर्च को बढ़ावा देने हेतु सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फेसिलिटी का उन्नयन किया जायेगा। इस हेतु 02 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना प्रारंभ की गयी थी, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्रांश तथा 40 प्रतिशत राशि राज्यांश की है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दो इनक्यूबेशन सेंटर रायपुर एवं जगदलपुर में स्वीकृत किये गये हैं, जो कि निर्माणाधीन है। ऐसे बहुत सारे प्लग एंड प्ले मॉडल का विकास किया जायेगा। जिसमें 35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जायेगा। बस्तर सरगुजा संभाग में उद्योग स्थापना की संभावनाओं पर ध्यान रखते हुए लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु उद्योगों की स्थापना एवं छत्तीसगढ़ खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13 करोड़ रूपये का प्रावधान है। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। जिला कोरबा में एल्युमिनियम पार्क की स्थापना किये जाने हेतु 05 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस बजट में ऐसे ढेर सारे प्रावधान किये गये हैं।

माननीय सभापति जी, अभी मेरी बात कम्प्लीट नहीं हुई है। अभी मैं श्रम पर आता हूं, अभी तो बातें शुरू हुई है। श्रम विभाग ने भी इस बजट में बहुत अच्छी योजनाएं लायी हैं। ऑनलाईन पलायन पंजी वाली बात हो, जिसमें प्रवासी श्रमिकों के डाटा संरक्षण हेतु मोबाईल ऐप "श्रमेव जयते" का निर्माण किया

गया है। श्रम सहायता केंद्र, जहां पर योजनाओं की जानकारी के संबंध में 7 लाख 51 हजार 315 फोन कॉल प्राप्त हुए हैं। यह एक अच्छा इनिसिएटिव है। श्रम संसाधन केंद्र, प्रवासी सुविधा केंद्र, इस तरह से ढेर सारी योजनाएं हैं! लेकिन कुछ विषय है, जिस पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सब का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, लेकिन उद्योगपतियों के द्वारा इसे नजरअंदाज किया जाता है और हमारे सभी श्रमिक भाईयों, कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। एक बहुत ज्यादा शिकायत आती है क्योंकि मैं उस विधान सभा क्षेत्र से हूँ। यहां सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी के विषय में शिकायतें आती हैं क्योंकि उद्योगों में श्रमिकों को नौकरी से निकाल देने दबाव होता है, वह लोग अपनी बात मुखरता से नहीं कह पाते हैं। यह सिर्फ कागजी कार्यवाही में मिलता है। उन्हें ओव्हर टाईम का भुगतान नहीं किया जाता है। इन उद्योगों में कर्मचारियों से अधिक समय तक काम करवाया जाता है, लेकिन उन्हें ओव्हर टाईम का पैसा नहीं दिया जाता है। यहां श्रम प्रावधान के अनुसार वार्षिक अवकाश घोषित है, किन्तु उन्हें यह भी लाभ नहीं मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी का इन विषयों में भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन स्थापना में नियोजित प्रत्येक श्रमिक को हाजिर कार्ड, वेतन पर्ची, सेफ्टी जूता, चश्मा, हेलमेट जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराया जाता। मैं इसका एक बढ़िया उदाहरण बताता हूँ। अभी फिर मेरे पास डाटा आया है। सिर्फ रायपुर जिले में प्रति महीने 2 मजदूरों की मृत्यु होती है। जब उद्योगों के निरीक्षण की बारी आती है तो फिर संबंधित विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत चलती है। उन्हें पहले से फोन करके बता दिया जाता है कि साहब, इस दिन हम आपके यहां जांच में आएंगे। आप श्रमिकों को ठीक से जूते-चप्पल पहना दीजिएगा। आप ठीक से सुरक्षा उपकरणों की जांच कर लीजिएगा। ऐसी मिलीभगत होती है अगर यहां पर हर महीने दो श्रमिक मारे जा रहे हैं तो यह बहुत गंभीर विषय है। मैं सिर्फ रायपुर जिले के डाटा के संबंध में बात कर रहा हूँ। यहां हर महीने दो श्रमिक मारे जाते हैं, मैं घायलों की संख्या का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। पहले से इनको निरीक्षण दिनांक की सूचना हो जाती है। वहां उद्योगों में श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य जांच का नियम है। मैंने यह प्रश्न पूछा था तो यह जवाब आया कि उसमें 109 खतरनाक उद्योग हैं, लेकिन उन उद्योगों में श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य जांच की जो रिपोर्ट आयी है वह 89 उद्योगों की आयी है। यह 89 उद्योगों ने जो श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच की, उसकी रिपोर्ट अपलोड हुई है, वह भी देखने लायक है। यह माशा अल्लाह है । यहां जो बाकी के उद्योग हैं उन पर भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच नहीं करवाई। इसमें कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस मामले में आकृष्ट करना चाहिए कि अगर खतरनाक उद्योग भी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच नहीं कराएंगे तो उनका जीवन स्तर किस लेवल पर जाएगा। एक और गजब चीज है। अपने चहेते लोगों को कॉम्पीटेंट पर्सन बनाकर, अवैध वसूली का भी काम किया जाता है। मैं, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहले

यह बड़ा खेल चला है। उद्योगों की जांच में ऐसे अयोग्य लोगों को भेजा जाता है जो उसके लायक नहीं होते हैं। पर्यावरण विभाग के बारे में क्या बताएं? हम तो रोज उस क्षेत्र में दौरा करते हैं। यदि आप उस क्षेत्र में रात में जाएंगे तो आपको थोड़ी दूर का आदमी दिखायी नहीं पड़ेगा। वहां की सड़कों में जो धूल है, वहां पानी का ठीक से छिड़काव नहीं होता है। जब वहां पर्यावरण की जांच होनी होती है तब कुछ पानी डाला जाता हैं, उस लेवल को नीचे लाने का प्रयास किया जाता है। उद्योगों में कोई ई.एस.पी. नहीं चलाता है। उसके परीक्षण, ऑडिट की जो व्यवस्था है, वह सब कुछ ऑलसेट है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। यहां पर माननीय सदस्य ने जो पर्यावरण की बात की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सैकड़ों लोग, पूरे गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेड का घेराव किया है क्योंकि जो किसान राईस मिल का गंदा, जहरीला पानी है, वह पूरे गांव को दूषित कर रहा है और आज ही उन लोगों ने कलेक्ट्रेड का घेराव किया है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि उसमें कुछ प्रतिक्रिया दे दें तो वह लोग अपने घर वापस जाएं।

सभापति महोदय :- ठीक है। आप भी समाप्त करें।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर इंडस्ट्रीयल हाईजिन लैब का निर्माण किया जा रहा था। जब उसका निर्माण किया जा रहा है तो वह देश में दूसरे स्थान का होता। इस राज्य में एक मात्र लैब है। जहां इस बात की जांच होती है कि वहां किस स्तर का डस्ट है, वहां किस स्तर का प्रदूषण है वहां के चीजों की जांच की जाती है। उस लैब का हाल यह है कि पिछले 5 सालों में वहां किसी भी Instrument की खरीदी नहीं की गई है। उन पुराने Instrument में जांच की जाती है और तो और अभी भी यह संस्थान यह किराये की बिल्डिंग पर चल रही है तो यह कहीं न कहीं पिछली सरकार की अदूरदर्शिता दिखाती है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इसमें भी वह जरूर कोई सकारात्मक कार्रवाई करें। चूंकि मै इस क्षेत्र से आता हूं तो एक चीज की सबसे बड़ी बात होती है। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उस मजदूर के अस्पताल पहुंचने का जो ट्रेवल टाइम होता है, उस ट्रेवल टाइम में काफी सारी casualties होती हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी केन्द्र सरकार की भी योजना है, श्रम मंत्रालय के बड़े अस्पताल बनाये जाते हैं, हमारे क्षेत्र में एक बड़ा ट्रामा सेंटर हो, एक बड़ा अस्पताल हो। सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के युवाओं की उद्योगों द्वारा रोजगार देने में अनदेखी की जाती है। आप ऐसी प्राथमिकता तय करें, ऐसे training instiues, आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक कालेजेस आयें कि हमारी जो स्थानीय प्रतिभा है, वहां से शिक्षा ग्रहण करें और वहां के उद्योगों में उनको अवसर मिल सकें। यह बात भी सुनिश्चित करें।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी, अपने इन निवेदनों के साथ कि इस विषयों पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे और इसमें सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह भविष्य का बजट है। उद्योग छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान बना रहा है। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुन अनुदान मांग संख्या 11, 18 का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार यादव जी। देखिये, अभी और दो-तीन विभाग की चर्चा होनी है तो थोड़ा सहयोग करियेगा, कम-कम बोलियेगा।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, ठीक है। सभापति जी, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी प्रस्तुत अनुदान मांग के विरोध में बोले बर खड़े हवं। उद्योगपति मन ये देश में सर्चलाईट के द्वारा देखथे कि कहां जादा पानी हे, कहां जादा भोले-भाले व्यक्ति हे, जे मन ला आसानी से बेवकूफ बना करके उद्योग खोल लिया जाये। मोला अत्यंत दु:ख के साथ कहना पड़त हे ओमन छत्तीसगढ़ के जनता ला सबसे ज्यादा भोला-भाला, सीधा-साधा समझ करके इहां नाना प्रकार के फैक्टरी खोलथे। आपौ के क्षेत्र हे, आप बहुत ज्ञानी हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ला बताना चाहत हवं, चूंकि मोरो क्षेत्र में कंपनी खुले हे। कंपनी खुलथे तो जनसुनवाई किये जाथे। जनसुनवाई किये बर ओमन अच्छा से कोई अधिकारी ला ढूंढथे, जे अधिकारी हा बढ़िया-बढ़िया, मीठा-मीठा बात जा करके गांव के भोली-भाली जनता मन ला बेवकूफ बनाय सकय, ओमन ला धोखा दे सकय, ऐसे अधिकारी ला भेजथे। जनसुनवाई में जब महू गये रहवं, ओ समय मैं विधायक नहीं था। ओ समय जा करके मैं भी देखवं, विरोध करय के कोशिश करवं। तो ओ समय ओमन कहे कि आप लोग कंपनी खोलने दीजिए, आपके गांव में पक्की रोड हो जायेगी, लाईट लग जायेगी, बड़े-बडे हॉस्पिटल खुलेगा। अइसे-अइसे सपना दिखाथे। गांव के व्यक्ति मन कहथे कि ये कंपनी हा खुलिस तो हमर गांव हा बंबई, कलकत्ता कस हो जाही। ये सोच करके ओमन के पुरखा के जमीन ला उद्योगपति मन ला देथे। अब उद्योगपति मन जमीन पाथे, हमही मन के पानी, छत्तीसगढ़ के कोयला, जमीन और उद्योगपति औने-पौने भाव मा उद्योग खोल लेथे। माननीय मंत्री जी उद्योग खोलने के बाद में वो गरीब आदमी जब हक, अधिकार के बात करथे तो बनत ला, अहाता के घेरत ला ओमन कहथे कि ये कंपनी आपके लिए है, चिंता मत करना। सिर्फ नाम हमारा रहेगा, ये कंपनी तो आपकी है। ये ओमन के शब्द रहिथे। जैसे ही अहाता घेराईस, वोहा बड़का पंपू लगाथे, ओमा धुंआ निकलिस, तहन वो कौनो बड़का मेछा वाला ला मोहटा में बैठा देथे और वोहा गरीब आदमी मन ला देख के कहिथे कि इधर कहां आ रहे हो, यहां से भगो। यह तो हमारा है। आज वो छत्तीसगढ़ के जनता, ये हर आपकी ही सरकार नई, मैं सब सरकार के बात करत हवं। काबर मैं गरीब हवं, मैं दिल के बात ला करथव। काबर आप देखव हव कि कंपनी के खिलाफ पहले भी मैं सदन में

विधान सभा के प्रश्नकाल में प्रश्न लगाये रहवं। ओ गरीब कहथे कि बाबू मारे जमीन गये हे, मोर नौकरी लगा ले। वह कहथे कि नई, आप स्किल्ड नई हो, प्रशिक्षित नई हो।

समय :
2:25 बजे **(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

आपका बच्चा आई.टी.आई., इंजीनियरिंग किया है क्या? अब वह बेचारा अर्त ता नांगर जोतने वाला काय जानय। साहब, जमीन तो चले गिस । अब ओकर लिए लड़य ता लड़य कोन? उद्योग मंत्री जी, आज मैं आपसे कहना चाहत हौं । हमन आप आपके बारे में जानथन कि आप बहुत ही भोला-भाला एक किसान के बेटा हा। आप कोरबा से जीत के इहां आय हा। कोरबा के मन आपके बहुत नाम लेथे। बड़े-बड़े कारखाना उंहे हावय। आप अइसे कानून ला देवौ जेन ला सात पीढ़ी याद रखे अउ कहय कि फलाना मंत्री रिहीस हावय ता गरीब मन के हक, अधिकर ला लिख कर गे हे। अइसना मंत्री बार-बार नइ आय, अइसे पूरा आपके बारे में बोले जाय। मैं आपसे कहना चाहत हौं कि हमी मन के पानी, हमी मन के कोयला, हमी मन के जमीन अउ छत्तीसगढ़ी में कहावत हे घर घुसिया ला पहुना डरवाय। ओहा कहां न कहां ले आए हे, ओहा हमी मन घर पहुना आए हे अउ हमी मन ला उरवा देथे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहत हौं कि ओमन ला सही मा हक, अधिकार मिलय। ओमन के साथ कइसे-कइसे भेदभाव किये जाथे, ऐला आप देखिहौ। जैसे कोनो नौकरी मा लग भी गइस। कोनो पढ़े-लिखे, कोनो अच्छा किसान हा अपन बेटा ला पढ़ा-लिखा दारिस अउ कंपनी मा इंजीनियर के नौकरी लगा दारिस, अब कोई आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कलकत्ता अउ चीन के छोटे-छोटे आंखी वाला मन आगीस ता ओइच बुता ला ओमन करही ता ओमन के डेढ़-दू लाख रूपया महीना के अउ तुंहर किसान के बेटा छत्तीसगढ़ के बेटा अगर कहू मेर अपन खेत-डोली ला गहना धरके पढ़ के नौकरी लग गिस ता ओकर मात्र पेट जीये बर 25-30 हजार रूपये मिलही। अगर उही चीन से छोटे-छोटे आंखी वाल आ जाही ता ओमन के दू लाख रूपये वेतन रिही। ये काबर? भाई, ओइ काम ओ मन भी करत हे, ओइ काम ला मोर छत्तीसगढ़ के मोर बेटा, मोर भाई मन करत हे ता ये विसंगति काबर हे? ऐला आप ला तुलनात्मक तरीके से, आप ला एक अधिकारी मन ला निर्देश देवौ। तुंहर कलम मा परमात्मा हर पावर दे हे। आप अपन पुरा अमला के साथ में उहां जाकर एको ठन छानबीन करके देखा। मंत्री रूतबा तब हे जब आप चलौ अउ आपके विभाग के चीफ सेक्रेटरी आपके साथ में चलय अउ कोई कंपनी मा बैठ करके मोला हिसाब चाहिए कहा तब जाकर मंत्री के मजा हे। आपसे मैं कहना चाहत हौं कि ऐमा आप जरूर ध्यान दिहा। सभापति जी, मैं अउ कहना चाहत हौं मैं जो मांग करता हौं । मैं हर आंकड़ा ला नई जानव। मैं मोर दिल के बात ला मैं कइथव। कबीर साहब द्वारा एक ठन बात कहे गे हे कि जल में रखे मन प्यासी ओइ मोहे मोहे सुन हांसी। ऐला मैं अउ कह चुके हौ। जे गांव में बिजली के उद्योग लगे हे अउ ओकर खेत, डोली, सब चल दिस, लेकिन ओकर घर

अंधियार हे। पावर पलांट मा अंजोर अउ ओकर झोपड़ी हर अंधियार हे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री से कहना चाहत हौं कि आप अइसे कोई कानून लानौ कि पहले आप बोलौ कि जहां-जहां तुंहर प्रभावित गांव हे, ओ गांव के बिजली कोई सरकार के बिजली से नहीं, आप के हिस्से से बिजली जाय ताकि ओमन कहय कि कम से कम हमर गांव में जो बिजली कारखाना लगे हावय ता बिजली के बिल ला हमन ला देहे बर नइ लागय। हमन के बिजली बिल तो होथे ता इहां ले मिलथे अइसे संदेश जाना चाहिए। ये हर पूरे प्रदेश में होना चाहिए। सभापति जी, कतका विडंबना के बात हे कि जइसे कंपनी ला चलाय बर तीन ठन चीज के जरूरत पड़थे। पहला जमीन, दूसरा कोयला अउ तीसरा पानी। ये तीन ठन चीज हर प्रमुख रूप से चाहिए बाकी बाद में हो थे। जे मेर जमीन जाथे ओला आप मन प्रभावित मानथा । जोन भी थोड़ा-बहुत देथौ, ऊंट के मुंह जीरा आप ओला देथौ, लेकिन जहां आप मन पानी लेथौ। भाई, अगर मान लेवा कोयला कर देया, जमीन ले दया अउ पानी नई जाही ता तुंहर फैक्ट्री चलही का? तुंहर फैक्ट्री हर तो मुरचा चर दिही, लेकिन आप जहां से पानी लानथौ, ओला आप मन प्रभावित नहीं मानौ। मैं प्रश्न करे हौ, पूछे हौं कि एन.टी.पी.सी. लाय रहा, साराडीह से पानी लेके गे हावय। मैं पूछे कि आप जहां से पानी लेके गे हावा ओ हा आपके प्रभावित क्षेत्र में आथे यास नई आय? ता काय कहिथे ओहा नई आवय । उद्योग मंत्री जी, एक पानी मा जब ओ क्षेत्र हा डूबे हावय ता ओ हा काबर प्रभावित क्षेत्र में नइ आही ? ऐला आप अपन कानून में संशोधन करओ, चाहे वह पानी से प्रभावित रहए, चाहे जमीन से प्रभावित रहए, चाहे कोयला से प्रभावित रहए, प्रभावित होए हे ओला आप मन जो हे, सरकार के जो भी नीति रहिथे, ओला प्रभावित क्षेत्र मानकर के ओमा जो सुविधा एन.टी.पी.सी. लारा हर अपन जमीन के प्रभावित ला देत हे ओसनहे पानी ला भी देना चाहिए । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहत हंओं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं मजदूर के बात कर दंओं । मैं जानत हंओं कि आप भी एक गरीब घर के बेटा हओ । आप मेहनत करके आज उहां तक 3-4 बार मजबूती के साथ में गरीब के लड़े बर विधानसभा में आत हओ । हमन जरूर सब जाकर अपन-अपन क्षेत्र में चुनाव लड़ेन ता बात करेन । पहिली शुरूआत अगर कोई नेता करथे ता अंतिम छोर के व्यक्ति से करथे कि मुझे विधायक बनाईये, मेरी सरकार बनाईये, मैं गरीब के आंसू पोछूंगा । मैं गरीब के लिये काम करूंगा । मैं आपके माध्यम से कहना चाहत हंओं कि ओ मजदूर जब पहिली गरीब आदमी के जमीन लेथे अउ जब ओकर प्रोडक्ट शुरू होथे बिजली के ता मान लो चूंकि मैं हा एक ठन उदाहरण बतात हंओं प्रति यूनिट मान लो यदि 2 रूपया हावय ता एक साल के बाद में ढ़ाई रूपया, दू साल के बाद में ओ हा 3 रूपया लगातार बढ़त जाथे लेकिन ओ गरीब आदमी जेन हा अपन मजदूरी करथे, अपन शरीर के पानी बहाकर के उंहां काम करत हे अउ फैक्टरी हा मजदूर के नाम से चलत हे लेकिन ओकर मजदूरी जइसे के तइसे पड़े रहिथे । मैं आपके माध्यम से कहना चाहत हंओं, ओ मजदूर के लिये हमेशा याद रखना चाहिए चूंकि वो गरीब के पसीना के

इज्जत अगर ए सदन में हमन नइ करबोन ता और कहां होही ? हम देखथन मोरो क्षेत्र में बहुत सारा कंपनी है, अभी मैं हा धरना-आंदोलन करे रहेंओं । इंहां विधानसभा सत्र के पहिली 5 दिन दू ठन फैक्ट्री ला नइ चलन दिन । मैं कहेओं ए फैक्टरी ला बंद किया जाये, गरीब के नइ सुना जाये ता मोला कहिस अंदर करबो ता मैं कहेओं रामकुमार यादव ला अंदर करबे ता कर दे, का होही ? जेल में सड़ जहां लेकिन एमा पहली गरीब के सुना जाये अउ मोला खुशी होत हे जब मैं हा 5 दिन के आंदोलन करेओं ता प्रति व्यक्ति 1000-1000 रूपया बढ़िस अउ रामकुमार यादव ला ओमा बहुत शांति मिलिस ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आज अतका बड़े सदन में आये हंओं । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहत हंओं । गरीब के बात हे, मैं आंकड़ा के जाल में नइ फंसओं कि ये आंकड़ा, ओ आंकड़ा । मैं व्यावहारिक बात करथओं । आज गरीब के लिये हमन सब इंहां चुनकर आये हन । बड़े आदमी बर तो हजारों लड़ईया हावय, अभी धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी ला कछु हो जाये ता पूरा देश हिल जही अऊ गरीब बर कौन लड़ही ? मैं भी गरीब घर के आदमी हंओं ता मैं गरीब के बात ला अउ कहां करहूं ? एखर खातिर मैं कहना चाहत हंओं कि आप ओ मजदूर के मजदूरी ला जरूर बढ़ावओ । जैसे ही ओखर बिजली के यूनिट बढ़त जाथे ओखर पहिली गरीब के मजदूरी बढ़ जाना चाहिए ता तुंहर जुग-जुग ले नाम लिही । मैं आप करा ज्यादा नइ कहओं, बस एक ठन कइहूं कि ये उद्योग वाला मन असत्य-असत्य केस मा फंसा दे हें । मंत्री जी हमन नेता मन कइसे हन, चाहे तुंहर पार्टी रहए, चाहे मोर पार्टी रहए । जइसे चुनाव आथे ता सूची मांगथन कि कौन-कौन व्यक्ति केस मा फंसे हओ उसको बताओ, जनहित में वापस कर देंगे । ये कंपनी वाला मन भी उही हे । अंग्रेज मन कइसे मा राज करिन, हमर छत्तीसगढ़ के आदमी मन सबले ज्यादा कौन ला डराथे पता हे पुलिस ला, हमन कतको बड़े नेता हन ता का होथे ? पुलिस कइहा ता चेथी के रूआं हा खड़ा हो जथे । पुलिस कइहा तहां गोड़-हांथ हा कांपे लागथे । छत्तीसगढ़ में जहां-जहां पावरप्लांट लगे हे, कोई आदमी अपन अधिकार के बात करिस ता ओकर पास मा पुलिस भेज देथे अउ सोझेच मा ओला जेल मा फंसा दिस ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिए ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, ता आप ऐमा चिन्हांकित करओ अइसे-अइसे केस ला, गरीब भोला-भाला, ओ आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, जोन भी वर्ग के रहय ओला आप वापस करओ । मैं हा मोर एरिया के एक ठन मांग करिहां तेकर बाद समाप्त करिहां, ये तो पूरा प्रदेश के बात रहिसे, अब मोरो क्षेत्र के बात हे । मोर क्षेत्र में 3 ठन उद्योग हे अउ जतका उद्योग मन मोर इंहां ले पानी लेगे हे, खेत हा सूखा मरत हे अउ तरी मा पानी भागत हे घल-घल-घल-घल । ढोल लगा देहे। वाह के मेरे भाई हो। सभापति जी, मोला कतका दुख लागत होही कि मोर एरिया के पानी हा जिंदल 100 किलोमीटर जाथे अउ किसान हा पानी के लिए तरसथ रहथे। आप अइसे योजना बनावव उद्योग मंत्री जी ताकि

उद्योग ला घलो पानी मिले अउ किसान ला घलो पानी मिले और मोर एरिया में जतका जो काम चलथे, बाहर के मजदूर आवथे। बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अउ मोर एरिया के मजदूर मन ला काम मिले। बहुत सारा बात कहना रहिस, लेकिन एक ठोक अंत में हॉस्पिटल जरूर खुलवा देवव। कंपनी के आदमी मन के एक्सीडेंट होथे हमरे सरकारी अस्पताल में आकर ईलाज करवाथे। अउ यहां भाषण देत हावय कि हम लोग वहां पर खोल दिये हैं। शिक्षा में का करथे कि हमरे स्कूल ला फोड़-तोड़ दे हावय। तो शिक्षा व्यवस्था ला देख लेवय कि सही में ओ स्कूल खुलिस या नहीं खुलिस।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करें। श्री रिकेश सेन जी।

श्री रामकुमार यादव :- वहां हॉस्पिटल खुलिस या नहीं खुलिस। ये सब ला आप देख लेवव। अउ मोर एरिया में एक बढिया से हॉस्पिटल मजदूरों के लिए बना देवव, तीनों-चारों फैक्ट्री के लिए मैं आपसे मांग करथव। जरूर आप अपन भाषण दिहौ तो मोर यहां उद्योग मन जेन हॉस्पिटल खोलथे तेला आप जरूर उल्लेखित कर दिहौ तो गरीब आदमी मन तोला बहुत दुआ दिही। अइसे कहके मेहा अपन वाणी ला विराम देथव। आप मोला बोले के मौका देहव तेखर लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री रिकेश सेन जी।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 11 और 18 के समर्थन के लिए खड़ा हूं। वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम विभाग प्रदेश में असंगठित श्रमिकों के समग्र विकास हेतु छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन वर्ष 2011 में किया गया है। उक्त मंडल अंतर्गत प्रदेश के 56 प्रकार के असंगठित कर्मकारों को चिन्हांकित कर अब तक 17 लाख 55 हजार 917 संगठित कर्मकारों का पंजीयन कार्य किया जा चुका है। पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के लिए मंडल के अंतर्गत वर्तमान में 29 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मंडल में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शत-प्रतिशत बजट अनुदान राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2023 में कुल 3 लाख 39 हजार 294 असंगठित कर्मकार एवं उनके परिवार को मंडल की योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। जिस प्रकार लगभग 56 करोड़, 78 करोड़ रूपये का व्यय हुआ है असंगठित कर्मकारों के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में कुल 123 करोड़ 98 लाख 83 हजार का बजट प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष से लगभग 24 करोड़ अधिक है। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के समग्र कल्याण हेतु छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन वर्ष 2008 में किया गया है। उक्त मंडल अंतर्गत प्रदेश के 60 प्रकार के निर्माण श्रमिकों को चिन्हांकित कर अब तक 24 लाख 42 हजार 26 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मंडल के अंतर्गत वर्तमान में 30 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2023 में कुल 82 लाख 11 हजार 449 निर्माण श्रमिक एवं उनके परिवार को मंडल की योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। जिस प्रकार लगभग राशि 272.95 करोड़ रूपये का व्यय हुआ है,

निर्माण संगठित श्रमिकों को 5 रूपये में पेट भर भोजन कराये जाने संबंधी वर्ष 2023 में कुल 6 लाख 94 हजार 80 थाली भोजन श्रमिकों को कराया गया है और इस पर भी 3 करोड़ 58 लाख का व्यय हुआ है। श्रमिकों के लिए लगातार अलग प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं और बजट में जिस प्रकार से श्रमिकों के हित में काम करने के लिए जो बजट प्रावधान रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ में उद्योग में हम सबकी नजर रहती है, क्योंकि एक बड़ा विषय रोजगार को लेकर होता है और सबका ध्यान जाता है कि उद्योग विभाग की जब चर्चा होती है तो ये भी यहां के छत्तीसगढ़ के निवासी ये जानना चाहते हैं कि उद्योगों में हमारे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। उसके लिए कौन-कौन से उद्योग हैं, जो यहां पर छत्तीसगढ़ में संचालित किया जा रहा है। उसी तरीके से इस वर्ष के बजट में जो महत्वपूर्ण चीज रखी गई है, प्रदेश में हैण्डलूम, हस्तशिल्प एवं अन्य स्थानीय उत्पादों में बिक्री एवं प्रचार-प्रसार के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने हेतु राजधानी में यूनिटी मॉल की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 80 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक बड़े उद्योगों के साथ-साथ लघु उद्योग और हस्तशिल्प के विषय पर भी आपने सोचा है। प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना विकास हेतु सड़क, पानी, बिजली इत्यादि का संधारण एवं नवीन परियोजनाओं के साथ ही नवा रायपुर में आई.टी. आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल का विकास किया जाएगा। अधोसंरचना विकास उन्नयन कार्य हेतु 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्योंकि यह उद्योग विभाग का बजट है, इस बजट पर जो आम बेरोजगार युवा हैं, उनकी नजर है। मैं जिस प्रकार से बजट में देख पाया हूं, मैं उस बजट की पुस्तिका को पढ़ पाया हूं, वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। साथ ही प्रदेश में आर्थिक और अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रील कारिडोर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट क्षेत्रों में उपलब्ध उपयुक्त शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इसकी योजना निर्माण हेतु 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बेरोजगार युवाओं के स्वयं के उद्योग स्थापना हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू है जिसमें युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 25 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 87 युवाओं को राशि रू. 154 करोड़ ऋण उपलब्ध कराया गया है। पिछले पांच वित्तीय वर्ष में 2135 युवाओं को राशि 40.44 करोड़ ऋण उपलब्ध कराया गया है। राज्य के युवाओं हेतु अधिक ऋण राशि एवं अनुदान में हमारी सरकार द्वारा उद्यम क्रांति योजना लागू की गयी है। सभापति महोदय, उद्यम क्रांति योजना निश्चित रूप से युवाओं में एक नई ऊर्जा लाएगा। हमारी सरकार के प्रति छत्तीसगढ़ राज्य की जनता की सकारात्मक सोच है तो निश्चित रूप से उद्योग विभाग इसको पूरा भी करेगा। इसमें कुछ विषय भी है, जिसमें चिंता करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रदेश में कई लोग उद्योगों की जमीनों को अपने नाम पर आवंटित करके रखे हुए

हैं कि हम उद्योग चलायेंगे। लेकिन वे सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं और जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। उद्योग की जमीन खाली पड़ी हुई है। उसमें लगातार ट्रेडिंग करने का काम किया जा रहा है। उद्योग नहीं लगाने की वजह से आज युवा रोजगार से भटक रहे हैं, उसका एक मूल कारण है। अगर सही रूप से उद्योग लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही साथ मैं वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र दुर्ग जिले से आता हूं। एक विषय रखना आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में फौजी नगर हाऊसिंग बोर्ड इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, जहां उद्योग लगाने के नाम पर 6 लोगों को जमीन आवंटित की गयी है जबकि उनका कोई भी बैग्राउंड उद्योग लगाने को लेकर नहीं है, उस जमीन को फर्जी तरीके से आवंटित किया गया है। वहां पर 50 हजार से अधिक लोगों की आबादी है। जहां पर हाऊसिंग बोर्ड ने भी अपना मकान बनाया है। राज्य शासन ने पट्टा दिया है। ऐसी जगहों पर जहां जहरीली गैस है, कोई बड़ा उद्योग लगाने से वहां के लोगों को जनमानस की हानि हो सकती है, वहां पर आग लगने से तबाही मच सकती है, ऐसे जगह को चिन्हांकित करके 6 लोगों को पिछले शासनकाल में अपने चहेते लोगों को अधिकारियों ने अलग-अलग नाम से जमीन आवंटित की है। उस जमीन को निरस्त करना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि विगत् दो महीने से लगातार उस जगह पर आंदोलन चल रहा है और 20 हजार से ज्यादा लोग उस आंदोलन में बैठे हुए हैं जिसका संज्ञान कलेक्टर महोदय ने भी लिया है, उद्योग विभाग ने भी लिया है। उस जमीन को उद्योग के नाम पर गलत दिशा में आवंटित किया गया है, अगर उसको सही मायने में निरस्तीकरण नहीं किया गया तो एक बड़ा नुकसान मेरे जिले को होगा ही साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र को भी होगा। एक फर्जी तरीके से उद्योग के नाम पर जमीन लेते हैं। उन लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि उद्योग विभाग में अधिकतर देखा जाता है, पिछले पांच वर्षों में ज्यादा देखा गया है, जो उद्योग नहीं चलाना चाहते हैं, उनको भी पांच लाख, दस लाख रूपए में जमीन आवंटित होती है। वे लोग उसे जमीन दलाली करके उसे करोड़ों रूपए में बेच देते हैं। मेरा एक और विषय है। मैं चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र इंडस्ट्रील एरिया है, एक बड़ा उद्योग इंडस्ट्रील बेल्ट में लगाते हैं, आप लघु उद्योग के माध्यम से या हस्तशिल्प के माध्यम से कोई बड़ा उद्योग मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगाएं, क्योंकि आपकी पास बहुत जगह है, उद्योग विभाग को पता नहीं चलता है कि जमीन कहां पर है, लेकिन जमीन दलालों को पता चल जाता है कि उद्योग विभाग की जमीन कहां है। उसको निकालकर एक बड़ा उद्योग वहां पर लगे तो मेरे क्षेत्र के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। मैं इस प्रस्ताव का का समर्थन करता हूं। मैं बजट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उद्योग मंत्री जी से उम्मीद है कि इस बजट को धरातल पर उतारा जाएगा। मैं मांग संख्या 11 और 18 का समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, आज मैं उद्योग विभाग के माननीय मंत्री जी की अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। उद्योग विभाग के समुचित क्रियान्वयन का मूल आधार श्रमिक वर्ग है। श्रम करने वाले के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित जितनी अधिक से अधिक योजनाएं संचालित होंगी, श्रम करने वाले उतने ही मजबूत होंगे। इसके लिए समय-समय पर उनके लिए शिविर लगाए जाएं। प्रदेश के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाएं जितनी सहजता एवं सरलता से संचालित होंगी, श्रमिक एवं उनपर आश्रित लोग उतने ही लाभान्वित होंगे और यह एक महत्वपूर्ण जवाबदारी है।

माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक विकास हेतु हमारी नीतियां बहुत सहज एवं सरल हैं। हमें सिर्फ इच्छा शक्ति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले निवेशकों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। कांग्रेस शासनकाल में 01 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 तक मात्र जांजगीर-चांपा जिले में 130 उद्योग स्थापित हुए हैं। जिसमें 123 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश हुआ है और एक हजार से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। जो कि एक मिशाल है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से परिपूर्ण है। यहां औद्योगिक विकास की बहुत संभावनाएं हैं। राजनांदगांव जिले के अधिकतर श्रमिक अब पलायन करने लगे हैं ताकि उनकी रोजी-रोटी बनी रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि B.N.C. मिल, जो पूर्व में बंद हो चुकी थी। जिसके कारण बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं और उनको रोजगार नहीं मिलने के कारण वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में पलायन करने में लगे हुए हैं। मैं आपसे एक मांग करना चाहूंगी और मेरा निवेदन है कि वहां पर बंद पड़ी B.N.C. मिल को पुन: चालू किया जाए और यदि वहां पर एक बारदाने का उद्योग लगाया जाए तो उससे बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इससे वह लोग पलायन नहीं करेंगे और उनको सुविधा मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक विकास से आसपास का सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी जुड़ा रहता है। इसलिए औद्योगिक विकास पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए हमको लघु उद्योगों को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा। आज गांव-गांव में महिला समूहों के द्वारा कार्यरत् लघु उद्योगों को सब्सीडी तो दी जा रही थी, लेकिन उनको और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देकर उनके द्वारा बनाई गई सामग्री की बिक्री कराने के लिए यदि हम समय-समय में शिविर लगाते हैं और उन तक जाते हैं और उनको सब्सीडी के अलावा और भी प्रोत्साहन राशि मिलती है तो अभी कुछ महिलाएं लाईट बना रही हैं, कुछ महिलाएं रेशम के धागे बना रही हैं, कुछ महिलाएं पापड़-बड़ी बना रही हैं और कुछ महिलाएं कपड़ा बुनाई का काम कर रही हैं। श्रमिकों के द्वारा जिन छोटे-छोटे लघु उद्योगों का

संचालन किया जा रहा है, इससे उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी और उनके सहायक बनकर हम लोग यहां पर जनप्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप छोटे श्रमिकों पर भी ध्यान देकर अपनी योजनाओं को संचालित कीजिए और सबको ध्यान देते हुए कार्य कीजिए।

सभापति महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं कुछ बातें ही कहना चाहूंगा । जैसे उदाहरण के लिए मुंगेली जिला या किसी भी जिले में उद्योग के लिए जमीन सुरक्षित की जाती है तो मैं मुंगेली जिले की बात करूं, वहां ग्राम खौरिया में लगभग 60 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित की गयी है । उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, सड़क भी बन गई, भवन भी बन गया, स्टॉफ भी हो गया, पर अभी तक एक भी उद्योग नहीं लगा है चाहे वह छोटे उद्योग हो, चाहे बड़े उद्योग हों । बहुत से लोगों से टेण्डर भी बुलाया गया है कि हम उद्योग के लिए जमीन देंगे, पर अभी तक जमीन का आवंटन नहीं हुआ है । ऐसे बहुत से जिले हैं, जहां उद्योग क्षेत्र घोषित है और उद्योग क्षेत्र घोषित होने के बाद वहां नोटिफिकेशन हो गया है, पर वहां जमीन नहीं दी गयी है । अनुसूचित जाति को कम दर पर जमीन दी जाती है और अन्य लोगों को ज्यादा रेट पर दी जाती है तो जमीन का एलाटमेंट कब होगा ? मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि वहां जमीन दें और उद्योग लगाने के लिए राशि ऋण के रूप में दी जाती है तो कम से कम लोगों को राशि दी जाए, लोगों को जमीन का एलाटमेंट किया जाये । दोनों विभाग आवश्यक है । बैंक भी आवश्यक है और आपका विभाग भी आवश्यक है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के उद्योग विभाग में चर्चा हो रही है और पूरी ट्रेजरी बेंच खाली है, एक भी मंत्री नहीं हैं । सिर्फ एक मंत्री हैं, जो सुन रहे हैं । हमारे सदस्यगण भी गायब हैं । मैं ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं कि सभी सदस्य इस चर्चा में भाग लें ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, उद्योग लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता है । प्राईवेट लोग भी अपनी निजी भूमि में या शासकीय भूमि का अधिग्रहण कर उद्योग लगाते हैं तो ऐसे लोगों को जमीन एलाटमेंट किया जाये । निजी भूमि में उद्योग लगाते हैं तो पहले जमीन का डायवर्सन करना पड़ता है । राजस्व विभाग के द्वारा डायसर्वन किया जाता है तो दोनों विभाग में कम्बाईन बैठक नहीं होगी, तब तक दोनों प्रक्रिया अलग-अलग होने के कारण उद्योग लगाने में समय भी लगता है और समय पर बैंक से राशि भी नहीं मिलती है । अगर राशि पास हो जाती है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि उसे जमीन एलामेंट कर दिया जाता है और दूसरे को बेच दिया जाता है । एक वर्ष तक उसकी समय-सीमा है । समय-सीमा को या तो कम किया जाये और कम करने का मतलब है कि वह आदमी उत्साहपूर्वक उस कार्य को लेगा, नहीं तो साल-डेढ़ साल - दो साल तक रहता है, इस कारण वह आदमी आत्मनिर्भर नहीं बन पाता, अलाल जैसे रहता है कि मैं कब उद्योग लगा लूंगा । तो इसमें छोटे-छोटे

उद्योग के लिए तीन महीने का समय दिया जाये । बैंक एवं विभाग का आपसी बैठक हो, जिससे बैंक यह सुनिश्चित करे कि इन्हें राशि मिलेगी। डायवर्टेड जमीन में ज्यादा राशि मिलती है, बिना डायवर्टेड जमीन में कम राशि मिलती है । इसको सुनिश्चित किया जाए । बड़े उद्योग लगाने के लिए समय-सीमा का निर्धारण करते समय आपके विभाग के द्वारा परीक्षण किया जाये । गांव वाले बताते हैं या जनप्रतिनिधि बताते हैं, तब विभाग देखता है । विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि राजस्व विभाग से सम्पर्क करके कहां-कहां जमीन है और उस जमीन में उद्योग लगाना है तो कौन-कौन से उद्योग लगाना है । बहुत से नये-नये जिले खुले हैं । इन जिलों में भी उद्योग नहीं लगे हैं । कई जिलों को बने 12 वर्ष हो गए हैं । मुंगेली जिले की बात करूं, उसके पहले वैसे ही 16 पुराने जिले हैं । ऐसे जिलों में भी उद्योग लगाया जाये । जहां खनिज है तो वहां खनिज का उद्योग लगे, जहां गिट्टी है तो गिट्टी का उद्योग लगे, कोई खप्पर लगाने का उद्योग खोलता है, कोई ग्रामोद्योग का काम करता है । ग्रामोद्योग में 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक छूट है । छूट की मांग कौन सा विभाग करेगा । छूट की मांग में विलंब होता है, उसमें समय नहीं मिलता । उसमें समय-सीमा है कि जब तक वह पूरा उद्योग लग जाएगा, दो साल बीत जाएगा, तब उसे अनुदान मिलेगा । अगर अनुदान लगा दिया गया, उसे ऋण दे दिया गया, अगर वह प्रचलित ऋण पटा रहा है तो ऐसे ऋण पटाने वालों को जो राशि का अनुदान दिया जाता है, वह राशि उनको दी जाये, जिससे वह आत्मनिर्भर बनेगा क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, जो अनुदान मिलने का सोचकर उद्योग लगाते हैं और जब लोन मिल जाता है तो उनका उत्साह बढ़ता है और अपने उद्योग में वे ज्यादा उत्साही रहते हैं और काम के प्रति सजग रहते हैं । समय पर नहीं मिलने के कारण उनके लोन पर ज्यादा ब्याज बढ़ जाता है जिससे अनुदान मिलने या नहीं मिलने का कोई औचित्य नहीं होता । इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि उद्योग के लिए समय-सीमा सुनिश्चित किया जाये ।

सभापति महोदय, अगर मैं श्रम की बात करूं तो श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वे श्रमिक हैं, उनके पास जॉब कार्ड है, पर उसे समय में काम नहीं मिलता । अगर काम भी मिल गया तो उसे समय में मजदूरी नहीं मिलती । उनके परिवार के सदस्य बीमार हो गए, उनको राशि देनी है, उनके परिवार में शादी हो रही है तो राशि देना है । अगर मृत्यु हो गई तो वह राशि बहुत कम है, मृत्यु के लिए 50 हजार रूपए कम है । शादी के लिए 50 हजार रूपए कम है । जब श्रमिकों को बढ़ावा देना है तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस राशि को बढ़ाई जाये, जिससे लोगों में आत्मनिर्भरता आये। बहुत से श्रमिक हैं, उनके पेंशन की बात है, उनकी ग्रेच्युटी की बात है, उनकी जितनी प्राथमिकता है, श्रमिकों को समय पर सभी प्रकार की सुविधा देने की बात है। जब नहीं मिलती है तो उनकी लगती है दुविधा, नहीं मिलती है समय पर सुविधा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी, आप इस तरह से उनको सुविधा दें, मैं ऐसी मांग करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, आज हमारे उद्योग एवं श्रम विभाग की मांगों पर माननीय सदस्यों ने अपना अपने सुझाव दिये हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मंत्री जी का उद्बोधन हो रहा है। यदि मंत्रीगण नहीं हैं तो कम से कम सदस्य लोग तो आ जायें। सभी को बुलाया जाये, कम से कम सभी लोग मंत्री जी का उद्बोधन सुनें।

श्री लखन लाल देवांगन :- सभापति महोदय, सम्माननीय राघवेन्द्र कुमार सिंह जी, सम्माननीय अनुज शर्मा जी, सम्माननीय रामकुमार यादव जी, सम्माननीय रिकेश सेन जी।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, हमारे तरफ के तो आ गये, उधर का तो बैंच खाली है, आप भी उनको बुलवा लो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमन एक अकेला काफी हन।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- मंत्री जी भी अकेला काफी हे।

श्री लखन लाल देवांगन :- सम्माननीय बहन श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी, सम्माननीय पुन्नू लाल मोहले जी सभी माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं। निश्चित तौर पर जो-जो बातें सामने आई हैं, हम लोग उसे अपने विभाग के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं पहले उद्योग विभाग की मांग संख्या 11 के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने सन् 2000 में तीन राज्य बनाये थे, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी था। उन तीनों राज्य में सर्वाधिक प्रगतिशील हमारा छत्तीसगढ़ राज्य सिद्ध हुआ है। इस राज्य के विकास में 3 प्रमुख आयाम रहे हैं। यहां के श्रम साधक जनता, समृद्ध उद्योग और विजनरी सरकार। हमारी 15 साल की माननीय डॉ. रमन सिह जी की सरकार ने यहां की उद्योग नीति को ऐसा संवारा, जिससे उद्योग स्थापित करने के प्रति इको सिस्टम बन पाया। हमारे राज्य का कोयला, लोहा, बाक्साइट, अयस्क, बिजली, पानी, भूमि जैसे संसाधन इन उद्योगों को आकर्षित करती है। हमारी सरकार के द्वारा वर्तमान में औद्योगिक नीति 2019-2024, जो 31 अक्टूबर, 2024 तक प्रचलन में है। इसकी समीक्षा करके राज्य की आवश्यकता के अनुरूप नई औद्योगिक नीति 2024-2029 जारी की जायेगी। इसमें राज्य के उपलब्ध कृषि उत्पादक, वनोपज एवं खनिज सम्पदा तथा रोजगार मूलक उद्योग की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए नये उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान किया जायेगा। हम सभी हितधारक के साथ बातचीत करके, उनसे सुझाव प्राप्त करके तथा अन्य राज्यों की नतियों का अध्ययन करके एक श्रेष्ठ नीति लागू करेंगे। ताकि राज्य में औद्योगिक विकास में तेजी आये और प्रदेश में रोजगार के नये अवसर सृजित हो सके।

माननीय सभापति महोदय, माननीय डॉ. रमन सिंह जी आज हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति को बेहतर बनाया और इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उद्योग धन्धे स्थापित हुये हैं । आज विष्णु देव साय जी का और हमारे सदन के मुखिया का जन्म दिन भी है, मैं उसके जन्म दिन पर उनको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनायें देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घायू रहें और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का तेजी के साथ विकास करके जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर आम जनता को लाभ दिलाने का काम कर सकें । यह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, हमारे वाणिज्य और उद्योग विभाग में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 60 करोड़, फुड पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़, लागत पूंजी अनुदान हेतु 200 करोड़ एवं ब्याज अनुदान हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है, उक्त प्रावधान के कारण नवीन निवेश राज्य को प्राप्त होगा तथा रोजगार में वृद्धि होगी । सभापति महोदय, युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जायेगी, इसके साथ ही प्रदेश में आर्थिक और अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोरबा, बिलासपुर, इंडस्ट्रियल कारीडोर के लिये, राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जायेगा, इसके योजना निर्माण हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति महोदय, इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन आयोजित किया जायेगा । इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति महोदय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में स्टार्ट अप एवं इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिये सेंट्रल इन्स्ट्रूमेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जायेगा । इस हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है । सभापति महोदय, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रस्संकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-2021 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यय उन्नयन योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में है । योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 2 करोड़ इन्स्टूमेशन सेंटर, रायपुर, जगदलपुर में स्वीकृत किये गये हैं, जो निर्माणाधीन है । माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना विकास हेतु सड़क, पानी, बिजली का संधारण एवं नवीनीकरण परियोजनाओं के साथ ही नया रायपुर में आई.टी.आधारित प्लग एण्ड प्ले मॉडल का विकास किया जायेगा, अत: अधोसंरचना विकास कार्य हेतु 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति महोदय, बसतर, सरगुजा संभाग में उद्योग स्थापना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु उद्योग की स्थापना एवं छत्तीसगढ़ खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान के लिये वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु 113 करोड़ प्रावधानित है । सभापति महोदय, प्रदेश के अत्याधुनिक छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप हब और नॉलेज प्रोसेस आऊटसोर्सिंग इकाई को स्थापित करने हेतु राज्य में एक समृद्ध नवाचार परिस्थिति के तंत्र तैयार किये जाने हेतु स्टार्ट अप

समिट का आयोजन किया जायेगा । इस हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है । जिला कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क की स्थापना किये जाने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में औद्योगिक नीति वर्ष 2019 से 31 अक्टूबर, 2024 तक लागू है। विगत चार वर्षों में कुल 3055 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनका कुल पूंजी निवेश 23221.29 करोड़ रूपये है तथा उसमें 51,433 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में हैण्डलूम हस्तशिल्प एवं अन्य स्थानीय उत्पादों की बिक्री एवं प्रचार-प्रसार के लिये मार्केटप्लेस उपलब्ध कराने हेतु राजधानी में यूनिट मॉल की स्थापना की जायेगी। इसके लिये बजट में 80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, विगत् 05 वर्षों में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित कुल 974 इकाइयां स्थापित हुई हैं। जिसमें राशि रूपये 1913.67 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 9036 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। राईस मिलों को छोड़कर विगत् 05 वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण आधारित 310 इकाइयां स्थापित हुयी हैं। जिसमें राशि 656.59 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 3,222 लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में बेरोजगार युवाओं को स्वयं के उद्यम, उद्योग स्थापना हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू है। जिसमें युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 25 लाख रूपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 87 युवाओं को 1.54 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया है। पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 2135 युवाओं को राशि 40.44 करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है । राज्य के युवाओं हेतु अधिक ऋण राशि एवं अनुदान के साथ ही हमारी सरकार द्वारा उद्यम क्रांति योजना लागू की गयी है। हमारी पार्टी की पिछली सरकार ने 15 वर्षों में प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास के लिये जो बुनियाद रखी थी, हम उस पर आगे बढ़कर राज्य को विकसित राज्य बनायेंगे और मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को 5वें ट्रि-मिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की अहम भूमिका होगी। देश के हाथ आर्थिक रूप से मजबूत करने में छत्तीसगढ़ सर्वोपरि योगदान दिये जाने के लक्ष्य को मजबूत आयाम दिया जायेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत देश को विकासशील देश से विकसित देशों की श्रेणी में लाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य बहुत ही मजबूती के साथ अपनी अहम भूमिकाक का निर्वहन करेगा। वर्ष 2024-25 का विभागीय बजट विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के विकास एवं स्थिरता के लिये अमृतकाल की दृष्टि से अनुकूल भी है।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग एवं श्रम एक दूसरे के पूरक है। श्रम के बिना उद्योग का विकास नहीं हो सकता और उद्योग के बिना श्रम का सृजन नहीं हो सकता। मैं सौभाग्यशाली हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उद्योग के साथ-साथ श्रम विभाग भी दिया है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि इन दोनों विभागों के माध्यम से समन्वय कर सकूं ताकि उद्योगपति और श्रमिकों, दोनों के सहयोग से छत्तीसगढ़ का विकास हो सके। मेरा यह भी सौभाग्य है कि कोरबा, जो कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित हो चुका है और वहां पर केवल श्रम ही नहीं, बल्कि उद्योग भी बड़ी मात्रा में स्थापित हैं। मैं ऐसी नगरी से आता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, श्रम विभाग द्वारा संगठित, असंगठित निर्माण क्षेत्र कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्य संपादित किये जाते हैं। विभाग द्वारा प्रदेश के श्रमिकों को कार्यदशा, सेवा शर्तों, कार्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा, औद्योगिक शांति स्थापित करने की कार्यवाही विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन द्वारा सुनिश्चित की जाती है। इन कार्यों के संपादन हेतु वर्ष 2024-25 हेतु बजट 242 करोड़ 98 लाख 73 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। मदवार विवरण निम्नानुसार है :-

श्रमिक संगठन 32 करोड़, 8 लाख 74 हजार, छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा मण्डल 123 करोड़ 98 लाख 83 हजार रूपये, श्रम कल्याण मण्डल 6 करोड़ रूपये, संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा 6 करोड़ 6 लाख 65 हजार रूपये, औद्योगिक हाईजोन प्रयोगशाला स्थापना हेतु 1 करोड़ 13 लाख 39 हजार रूपये, संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं 61 करोड़ 8 लाख 10 हजार, औद्योगिक न्यायालय के लिए 13 करोड़ 3 लाख 95 हजार रूपये का प्रावधान है। उसी तरह छत्तीसगढ़ असंगठित सामाजिक सुरक्षा मण्डल हेतु 24 करोड़ रूपये का अधिक बजट भी है। श्रम विभाग छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मगार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल अंतर्गत अधिसूचित 56 प्रयोगों के लिए 17 लाख 54 हजार पंजीकृत संगठित श्रमिकों की कुल 29 योजनाएं हेतु सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में कुल 123 करोड़ 98 लाख 83 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 24 करोड़ रूपये अधिक है। अटल श्रम शक्तिकरण योजना में बताना चाहूंगा कि पूर्व में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मगार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल में प्रावधानित बजट को असंगठित कर्मगारों के लिए 3 मदों मे आवंटित किया जाकर व्यय किया जाता था। जैसे असंगठित सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल 52 तथा खेतीहार मजदूर, वनोपज संग्राहक, रेजा, कुली, रिक्शा चालक, बुनकर...।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, आप उद्योग मंत्री हो अउ मोर भाषा में लोहा मंत्री हव। मोर लोहा मंत्री जी से निवेदन हे कि कुछु-कुछु घोषणा कर दव।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, धोबी, नाई इत्यादि। असंगठित कर्मकार सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल एक प्रवर्ग। ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मण्डल तीन प्रवर्ग। सफाई कामगार ठेका मजदूर, कामकाजी महिला..।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी आप सीमित करें।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, आपने कुछ कहा ?

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी आप सीमित करें।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, ठीक है। थोड़ा सा दो, तीन पन्ने का बचा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, उन्हें बोलने दीजिए। हम लोगों को योजनाओं के बारे में पता तो चलेगा।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, सफाई कामगार, ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल मजदूरों के लिए पृथक-पृथक मद का बजट पर्याप्त आवेदन के अभाव पर समर्पित किया जाता है। जबकि असंगठित श्रमिकों के लिए आवेदनों का निराकरण बजट के अभाव में नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमारी सरकार ने समस्त 56 प्रवर्गों को असंगठित श्रमिकों को एक समान योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु 3 मदों को मिलाकर, असंगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के समग्र विकास हेतु अम्ब्रेला योजना, अटल श्रम सशक्तिकरण योजना क्रियान्वित की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, श्रमेव जयते वेव पोर्टल वर्ष 2024-25 के लिए अटल श्रम सशक्तिकरण योजना अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारी सरकार असंगठित श्रमिकों को पंजीयन एवं योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन हेतु समुचित सुविधा प्रदान करने हेतु श्रमेव जयते वेव पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसके सर्वेयर हेतु 2024-25 में 2 करोड रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल हेतु 505 करोड़ 7 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है। मैं बताना चाहूंगा कि श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों हेतु सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक कल्याण के लिये छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल संचालित है। मंडल द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण करने वाले नियोक्ताओं से उपकर संग्रहित किया जाता है तथा इस राशि से श्रमिक के उत्थान हेतु प्रयास किये जाते हैं। इस निधि से 6 प्रवर्ग पंजीयन, 24 लाख 31 हजार निर्माण श्रमिकों के लिये वर्ष 2023-24 में 272 करोड़ रुपये राशि कल्याणकारी योजनाओं में व्यय की गई है, जिसकी तुलना में 2024-24 में 505 करोड़ 7 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। यह प्रावधानित राशि राज्य शासन के बजट के अनुदान से प्राप्त बजट राशि से पृथक है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल हेतु 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि श्रम विभाग के अंतर्गत संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण हेतु छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल संचालित है। जिसके द्वारा संगठित क्षेत्र में संस्थान एवं श्रमिकों को अभिदाय संग्रहित किया जाता है तथा मंडल को शासन द्वारा भी संस्थानों के प्राप्त अभिदाय के बराबर राशि अनुदान दी जाती है। वर्ष 2024-25 में पंजीकृत 2 लाख 12 हजार संगठित श्रमिकों के लिए बजट में राज्य शासन ने अनुदान हेतु 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, वर्तमान में पंजीकृत संगठित श्रमिक एवं उनके परिवार के सामाजिक सुरक्षा, अन्य कल्याण हेतु मंडल के द्वारा संचालित 13 योजनायें, जैसे दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना, शिक्षण छात्रवृत्ति योजना, कौशल उन्नयन योजना, नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना, नि:शुल्क सिलाई मशीन योजना, शहीद वीर नारायण श्रम अन्न योजना इत्यादि के लिये 2024-25 में मंडल की संचित निधि से लगभग राशि 18 करोड़ 30 लाख रुपये की व्यय की जाना प्रस्तावित है। माननीय सभापति महोदय, शहीद वीर नारायण श्रम अन्न योजना के अंतर्गत 5 रुपये में भोजन दिया जाता है। हमारी सरकार चाहती है कि हर हाथ को काम मिले, उसको उचित दाम मिले और हर पेट को अन्न मिले। यह हमारी सरकार की आदर्श नीति है और इस नीति को क्रियान्वित करने हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस कडी में श्रम विभाग द्वारा असंगठित निर्माण, संगठित श्रमिक के लिए शहीद वीर नारायण श्रम अन्न योजना संचालित की जा रही है। जिसके तहत संगठित एवं असंगठित श्रमिकों को 5 रुपये में गरम भोजन दाल, चावल, सब्जी, अचार प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 7 जिलो में क्रमश: रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद एवं सूरजपुर में कुल 21 केन्द्र संचालित हो रहे हैं जिसमें प्रतिदिन 3200 श्रमिक गरम भोजन प्राप्त कर रहे हैं। 2024-25 में इस योजना अंतर्गत 24 नवीन केन्द्र 9 जिलो में प्रारंभ किये जायेंगे।

सभापति महोदय :- चलिये, मंत्री जी, समाप्त करें।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा बचा है। माननीय सभापति महोदय, श्रम कानून के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त संगठन के लिए 32 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। श्रम विभाग के मुख्य दायित्व श्रम कानून के प्रावधानों के अंतर्गत हित में संरक्षण किया जाता है, जिसके पालन हेतु श्रमायुक्त संगठन 32 करोड़ 8 लाख 74 हजार का बजट का प्रावधान किया गया है। सभापति जी, मैं इसलिए बोलना चाहता रहा हूं क्योंकि इस विभाग में श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। हमारे बहुत सारे सदस्यों को भी मालूम नहीं है। सबको जानकारी होना चाहिए ताकि हमारे श्रमिक ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सकें। हम पूरा कापी दे देंगे। सबको कापी वितरण करा देंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, बहुत सारी योजनाएं रहती हैं, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं होता है। वह श्रमिक लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है जो उसका अधिकारी है। उनके तक योजना नहीं पहुंच पाता है। मैं यह मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मैं बस एक मिनट में अपनी बात कह देता हूं। आप श्रमिकों के लिए सब अच्छा कर रके हैं, लेकिन आपके भाषण में एक भी बात नहीं आ रहा है कि फैक्ट्रियों में जितने श्रमिक, मजदूर काम करते हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रही है, उस दिशा में सरकार क्या करने जा रही है? उसको कैसे रोकेंगे, यह चिंता का विषय है।

श्री रामकुमार यादव :- ओमन के बिजली फ्री करत हौ या नहीं करत हौ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, अपनी बात रखिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करते वक्त उनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उनको राशि के लिए कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। जब तुरंत दुर्घटना होती है, वहां पर राशि पहुंचाया जाय तो बहुत अच्छा होगा।

श्री लखनलाल देवांगन :- सभापति महोदय, जो पंजीकृत श्रमिक है और कार्यस्थल पर ही दुर्घटना पर उसकी मृत्यु होगी तो उनको हमारे विभाग के माध्यम से 5 लाख रूपये देने का प्रावधान है। आप सब लोग उसका जानकारी रखें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, उसके लिए कई बार चक्कर लगाना पड़ता है।

श्री लखनलाल देवांगन :- नहीं, उनको कोई चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। अभी पांच साल में जरूर चक्कर लगाना पड़ा होगा, लेकिन अब हमारी सरकार में कोई चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके राज्य में जैसा त्वरित करते थे न, जैसा त्वरित आपके भाषण में होता था, वैसी त्वरित कर दिया जाएगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मंत्री जी, संगठित या असंगठित, किसी प्राईवेट संस्थान या कहीं भी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसको मुआवजा देंगे क्या?

श्री लखनलाल देवांगन :- श्रम विभाग से जो पंजीकृत रहेगा, उसी को मिलेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हाँ, ठीक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उद्योग के बारे में चिंता कर रहे थे न। आप जितनी चिंता कर रहे थे, वैसे ही किया जाएगा। आप चिंता मत करिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वैसे हो जायेगा तो मैं माननीय मंत्री जी को उस दिन मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार (व्यवधान) बिजनेस नीति के तहत श्रम विभाग के द्वारा इंस्पेक्टर राज समाप्त करते हुए श्रम कानूनों को पारदर्शिता, सरलीकृत किया गया है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के संस्थानों में निरीक्षण हेतु ऑनलाईन केन्द्रीयकृत रेंडम निरीक्षण प्रणाली प्रभावशील है। इसी प्रकार विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत स्थापना कारखानों, निवेशकों, पंजीयन, अनुज्ञपित, नवकरण एवं संशोधन ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे राज्य के श्रमिकों के हित में संरक्षण के औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2023 में न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम एवं वेतन भुगतान अधिनियम अंतर्गत राशि 7.5 करोड़, 34 दावा प्रकरण न्यायालय में दायर किया गया है तथा 519 प्रकरण राशि 2.72 करोड़ रूपये का भुगतान कराया गया है। इसी प्रकार उपादान अधिनियम के अंतर्गत राशि 19.32 करोड़ रूपये, 814 प्रकरण निर्मित किए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु 6 करोड़ रूपये का प्रावधन किया गया है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरखा सुरक्षा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6 करोड़ 6 लाख 65 हजार का बजट का प्रावधान किया गया है। श्रम विभाग के संचालन औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रदेश में स्थापित कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी श्रम कानून के प्रावधानों का क्रियान्वयन कराया जाता है। संचालन द्वारा कारखाना अधिनियम अंतर्गत कारखानों का लाईसेंस, नीवनीकरण, अनसाईड आपात योजना एवं कारखाना भवनों के नक्शा आदि का निराकरण भी ऑनलाईन किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, स्टैडियल हाईजीन लैब हेतु 1 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। स्टैडियल हाइजीन लैब हेतु 2024-25 में एक करोड़ 13 लाख 39 हजार रूपये के बजट का प्रावधान है। हाईजीन लैब द्वारा पूरे राज्य में खतरनाक कारखानों, मजदूरों के रासायनिक चिकित्सा रिपोर्ट मंगवाये जाते हैं एवं उनका परीक्षण किया जाता है । उद्योगजनित बीमारियों से उद्योग को सजग किया जाता है । बंधक, श्रमिक हेतु 10 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2024-25 में बंधक-श्रमिक पुनर्वास हेतु 10 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । अन्य राज्य में बेहतर रोजगार हेतु जाने वाले राज्य के श्रमिकों को बंधक बनाये जाने की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की जाती है एवं अन्य राज्य के अवमुक्त बंधक श्रमिक जिन्हें संबंधित राज्य के जिला कलेक्टर को अवमुक्त प्रमाण-पत्र मिलता है उन्हें तत्काल सहायता राशि 20,000 रूपये प्रदान किये जाने का भी प्रावधान है, जिसे जिला कलेक्टर बंधक श्रमिक की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पात्रतानुसार पूर्ण पुनर्वास राज्य का प्रदान कर सकता है ।

माननीय सभापति महोदय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं 61 करोड़ रूपये का प्रावधान । वर्ष 2024-25 में कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के लिये 61 करोड़ 8 लाख, 10,000 रूपये का प्रावधान किया गया है । श्रम विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं का मुख्य दायित्व श्रमिकों, उनके परिवार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सदस्यों को भी चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराया जाता है । कर्मचारी बीमा सेवाओं के अंतर्गत 10 जिलों 42 औषधालय कार्यरत हैं जिसमें लगभग 5.6 लाख बीमित व्यक्ति तथा उनके परिवार हित लाभ कर रहे हैं । श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र तिल्दा, रायपुर, उरला, रायगढ़, खरसिया में नये औषधालय आरंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । बीमित हितग्राहियों को नर्सरी चिकित्सा सुविधायें कैशलेस आधार पर उपलब्ध कराने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के राज्य 106 निजी चिकित्सालयों का अनुबंध किया गया है । सभापति महोदय, इन चिकित्सालयों के सुपर स्पेसलिस्ट चिकित्सकों द्वारा विभिन्न प्रकार के हृदय रोग, किडनी रोग, मस्तिष्क रोग, जटिल सर्जरी आदि संबंधित उपचार श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों का उपलब्ध कराये गये हैं । हितग्राहियों को अंतरोगी तथा विशेष चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये रायपुर तथा कोरबा में 100 बिस्तरयुक्त चिकित्सालय का निर्माण, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया गया है । इन चिकित्सालयों को बीमित हितग्राहियों को उपचार हेतु ओ.पी.डी. सुविधा आरंभ की जा चुकी है । भिलाई तथा रायगढ़ में 100 बिस्तरयुक्त चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है इसके अतिरिक्त बिलासपुर में 100 बिस्तर चिकित्सालय की निर्माण स्वीकृति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी गयी है । राज्य शासन द्वारा नि:शुल्क में भूखण्ड उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक सहमति दी गयी है । भूखण्ड उपलब्ध होने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शीघ्र ही निर्माण किया जायेगा ।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के गठन के बाद अब तक 442 मोबाईल कैम्प लगाये जाकर पंजीयन योजना नवीनीकरण एवं शिकायत संबंधी कुल 11,944 प्राप्त आवेदन में से 5539 आवेदनों का निराकरण किया गया है एवं 6405 आवेदन निराकरण की कार्यवाही पर निरंतित हैं । मोबाईल कैम्प के द्वारा 3688 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है तथा पंजीकृत 128 निर्माण श्रमिक असंगठित कर्मकार को विभिन्न योजनाओं से लाभांवित किया गया है । मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की जनघोषणा के अनुरूप प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को कल्याण हेतु संचालित बेहतर क्रियान्वित एवं सतत् निगरानी हेतु राज्य के प्रत्येक संभाग में राज्यस्तरीय श्रम कल्याण की स्थापना कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है । प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मजदूर बेहतर रोजगार हेतु अन्य प्रवास करते हैं साथ ही कार्यस्थल पर स्थानीय सहयोग की आवश्यकता होती है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रवासी श्रमिकों का सहयोग एवं मार्गदर्शन करने हेतु प्रथम चरण में 5 राज्य क्रमश: उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में जहां अधिक संख्या में श्रमिक प्रवास करते हैं । मोर चिन्हारी भवन स्थापना की जायेगी जिसके माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को समय-समय पर सहयोग, मार्गदर्शन किया जायेगा । माननीय सभापति महोदय, हमारा सौभाग्य है कि देश में एक सशक्त मजबूत नेतृत्व माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व के रूप में प्राप्त हुआ है, जिन्होंने भारत को पूरे विश्व में एक अलग स्थान दिलाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामान्य परिवार में जन्म लिया और सिर्फ अपनी सोच और संघर्ष

के कारण आज उन्होंने इतिहास बनाया है। यही नहीं हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का जन्मदिन भी है और मैं जन्मदिन की बधाई देता हूं और जानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सामान्य परिवार से आते हैं। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण प्रदेश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस पर प्रदेश के श्रमिक भाइयों को आत्मनिर्भर बनाने में परिवर्तन की सोच लाने तथा श्रमिक के निर्माताओं की ओर अग्रसर करने हम अपने प्रदेश में दो नयी योजनाएं प्रारंभ करने का विचार कर रहे हैं। हमने निर्णय लिया है पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवार के बच्चों उत्कृष्ट निजी शालाओं में नि:शुल्क पढ़ाई योजना शीघ्र प्रारंभ करेंगे तथा निर्धारित संख्या में बच्चों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार योजनाओं में शामिल करने का विचार करेंगे ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। हमने निर्णय लिया है कि पंजीकृत श्रमिक निर्माण के आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक से लिये जाने वाले ऋण पर लगने वाले ब्याज में अनुदान देने के लिए शीघ्र योजना लायेंगे ताकि श्रमिक आत्मनिर्भर बन सकें तथा वे श्रमिक से स्वयं मालिक बनने की दिशा में अग्रसर हो सकें। माननीय सभापति महोदय, और हमारे माननीय सदस्य सेन जी ने फौजी नगर भिलाई के द्वारा विभाग के मंडी 6 भू-खण्ड को वृहद लोक हित में निरस्त करने हेतु निवेदन किया है बाकी वहां पर बहुत दिन से धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। लोग नहीं चाहते तो उस जमीन को हम लोग दूसरे उपयोग में लेंगे और उस उद्योग को मैं विधान सभा में निरस्त करने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, जनता की ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई।

श्री लखनलाल देवांगन :- और माननीय रामकुमार जी ने जो कहा है तो निश्चित तौर पर हम विभाग में चर्चा करके उसे भी आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा ताकि श्रमिकों के हित में काम हो सके।

श्री रामकुमार यादव :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, केवल फौजी नगर की ही बात नहीं है। मेरे साथी भाई रिकेश भाई ने एक बढिया मुद्दा उठाया है। ऐसे बहुत सी जमीनें हैं जो केवल उद्योग के नाम से लिये गये हैं और उसमें अवैध प्लाटिंग का कारोबार भी चल रहा है। माननीय मंत्री जी, इसमें भी अंकुश लगाइए।

श्री लखनलाल देवांगन :- जहां-जहां पर उद्योग के लिए जमीन आबंटित हुई हैं और वे उद्योग नहीं लगाते हैं। उनकी एक समय-सीमा रहती है, समय-सीमा दी जाती है और समय-सीमा के अंतर्गत वे उद्योग नहीं लगाते हैं तो उनका भू-खण्ड स्वत: निरस्त माना जाता है। ऐसे भू-खण्डों के बारे में अगर आप बतायेंगे, जिनकी समय-सीमा पार हो गई है तो हम स्वत: उसे निरस्त कर देंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय मंत्री महोदय, उसमें प्लाटिंग का काम शुरू हो गया है। अवैध प्लाटिंग का काम चालू है।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं श्रम विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित व हमारी मांग संख्या 11 और मांग संख्या 18 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जावे। मैं सम्माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या-11 एवं 18 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 11 **वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिये** - पांच सौ तीस करोड़, उनतीस लाख, उनहत्तर हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 18 **श्रम के लिये -** दो सौ बयालीस करोड़, अठानवे लाख, तिहत्तर हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2) **मांग संख्या 8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन**
मांग संख्या 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
मांग संख्या 43 खेल और युवक कल्याण

राजस्व मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 8 **भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए -** दो हजार बहत्तर करोड़, सोलह लाख, उनहत्तर हजार रूपये,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या	**-**	**9**	**राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिये -** तीस करोड़, तेईस लाख, बाईस हजार रूपये,
मांग संख्या	**-**	**58**	**प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिये -** एक हजार चार सौ तैंतीस करोड़, अड़तीस लाख, तिहत्तर हजार रूपये तथा
मांग संख्या	**-**	**43**	**खेल और युवक कल्याण के लिये -** बहत्तर करोड़, उनहत्तर लाख, सत्रह हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 9

<u>राजस्व विभाग से संबंधित व्यय</u>

1.	श्री लखेश्वर बघेल	2
2.	श्रीमती अंबिका मरकाम	1
3.	श्री इन्द्रशाह मण्डावी	2
4.	श्री कुंवर सिंह निषाद	2
5.	श्रीमती शेषराज हरवंश	2
6.	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	1

मांग संख्या - 43

<u>खेल और युवक कल्याण</u>

1.	श्रीमती अनिला भेंडिया	1
2.	श्री लखेश्वर बघेल	3
3.	श्री दिलीप लहरिया	2
4.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1
5.	श्री ब्यास कश्यप	2
6.	श्री संदीप साहू	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हुए।

सभापति महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री द्वारिकाधीश यादव।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विरोध इस बात का है कि राजस्व विभाग में जो अव्यवस्था चल रही है, उस अव्यवस्था में कुछ स्थायी सुधार नहीं हो रहा है तो इतनी बजट की आवश्यकता नहीं है।

समय :
3:39 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, अमीर धरती के गरीब लोगों का राज्य है। माननीय राजस्व मंत्री जी, आप जिस विभाग के मंत्री हैं, उस धरती में ऐसी-ऐसी संपदा है, एक विद्वान अर्थशास्त्री ने इस बात को कहा है कि अगर सही नीयत से काम किया जाए तो छत्तीसगढ़ कर मुक्त राज्य हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, नागरिकों की जीवन शैली में दैनिक जरूरतों में राजस्व विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। मैं अपनी बात की शुरूआत पटवारी से करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य में आज जैसा शासन चल रहा है, उसमें पटवारी से बड़ा न कोई अधिकारी है और न कोई व्यक्ति है। हर व्यक्ति को पटवारी के पास जाना पड़ता है। लेकिन एक तो पटवारी अपने हल्के में रहते नहीं हैं जबकि पटवारियों के लिए हल्के में निवास स्थान भी बनाये गये हैं। स्वयं की जमीन के बंटवारे के लिए एक ऐसा पटवारी नहीं है जो नियत तिथि में काम कर दे और बगैर गांधी जी के काम कर दे। यदि गांधी जी सबसे ज्यादा किसी विभाग में हावी है तो राजस्व विभाग में हावी है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धर्मजीत भैया, प्रभावी रूप से हावी है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यदि मैंने गलत कहा है तो बोल दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं द्वारिकाधीश जी और आपके भाषण को बैठकर बहुत ध्यान से सुनता हूं। मुझे उससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। आपने कितना बढ़िया बोला कि गांधी जी हावी हैं, अब समझने वाले के लिए ईशारा काफी है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धरम भैया, हम लोग बहुत सारी चीजें आपसे सीखते हैं।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप आगे बढ़िये।

श्री नीलकंठ टेकाम :- महोदय, क्या पिछली बार हावी नहीं थे?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं। जनता ने उसका जवाब दे दिया। अब नये सिरे से है। हम तो इधर आ गये हैं। आप पुरानी-पुरानी बातें कब तक बोलेंगे? यदि नहीं तो आप सदन में बोलिये कि हम उस व्यवस्था में सहमत हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- चलिये, आपने उसको स्वीकार तो किया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम तो बोल रहे हैं कि हम इधर आये हैं। इधर आने का मतलब यही है। माननीय विधायक जी, आप राजस्व विभाग में कलेक्टर रहे हैं या तो आप इस सदन में स्वीकार कर लीजिए कि मैं असत्य बोल रहा हूं और यह गलत आरोप है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे दूसरी बात का निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने नक्शे और नये नक्शे में त्रुटि की गलती पटवारी की होती है, लेकिन एक गरीब आदमी को अपनी भूमि स्वामी हक की जमीन की त्रुटि को सुधरवाने के लिए एक साल लग जाता है। मैं एक साल कम बोल रहा हूं, बल्कि कई साल लग जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में त्रुटि सुधार के ऐसे जितने मामले हैं, उनके लिए आप कोई अनिवार्य नीति बनाइये। जिससे कि आवेदक को केवल आवेदन देना पड़े और उसकी समस्या का हल हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको पटवारियों की और भी बातें बताता हूं। एक पटवारी सरकार की अरबों-खरबों रूपये की जमीन को बेच देता है। आज तक राजस्व विभाग में पटवारियों का हेर-फेर चल रहा है। वह सरकार से बड़े हो गये हैं। यदि कहीं पटवारी पकड़ा गया तो यदि एक भी पटवारी के ऊपर कार्रवाई हुई तो यदि कोई सबसे ताकतवर यूनियन है तो पटवारी यूनियन है। आप कुछ ऐसे कानून बनाइये, जिससे समय पर बंटवारा और नामांतरण हों। पटवारियों को एक दूसरा अधिकार ब्रम्हास्त्र के रूप में मिल गया है। न्यायालयीन प्रकरण या राजस्व के मामले में आप अपील कर सकते हैं। भविष्य में आप इस कानून में संशोधन कीजिए, क्योंकि यदि इस कानून का व्यापक रूप से लाभ कोई ले रहा है तो राजस्व विभाग ले रहा है। आप नामांतरण और बंटवारे के मामले देखिये। भाई-भाई में बंटवारे के लिए एक साल लगता है। मुझे विश्वास है और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मंत्री बनने से पहले आप भी पटवारी के पास जरूर गये होंगे और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा।

श्री रामकुमार यादव :- पटवारी तो अइसन हे कि खोजीहो तो भगवान ला पा जाहूं, लेकिन पटवारी ला नहीं पाओ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, शासन ने नीति बनायी। बहुत सारी चीजों में लोकपाल आया। इसलिए 3 माह के अंदर इसका निराकरण होना चाहिए। लेकिन आप ऐसी नीति भी तैयार कीजिए, जो उस दायरे में आये। बगैर आवेदन के उसपर अनिवार्य कार्रवाई होनी चाहिए। तभी यह विभाग सुधर सकता है। हिंदुस्तान में यदि कहीं सबसे बड़ी समस्या है तो राजस्व विभाग में है। आपको अवसर मिला है तो यदि आप इस क्षेत्र में अच्छे काम कर लेंगे तो आपके विभाग को छत्तीसगढ़ का यह सदन, पूरी देश-दुनिया देखेगी और दूसरे प्रदेश के लोग भी आपके विभाग को देखने के लिए आएंगे। दूसरी

एक और बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। आज मैं केवल समस्या बता रहा हूं। आप नये मंत्री बने हैं, इसमें तो आपकी भागीदारी नहीं है। आपने कहा था कि कानून का राज रहेगा, लेकिन दो महीने में पटवारियों के ऊपर और राजस्व विभाग के ऊपर कहीं कानून का राज नहीं दिख रहा है । आपने कहा था कि मोदी जी की गारंटी है । मोदी जी की गारंटी है, डबल इंजन है, फिर क्यों इतना विलम्ब हो रहा है ? पटवारी, पटवारी है, गांधी जी हावी है तो मोदी जी की गारंटी कहां है । मोदी जी की गारंटी दिखे ।

श्री संपत अग्रवाल :- ये सब पांच साल में आप लोगों ने ही किया है न, अब उसको धीरे-धीरे ठीक करेंगे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- डबल इंजिन की सरकार है तो मोदी जी की गारंटी में समय क्यों लग रहा है ? जैसे ही आपने शपथ लिया था, वैसे ही ठीक हो जाना था ।

श्री अनुज शर्मा :- पांच साल बेजा कब्जा के राज रिहीसे न । सब सिस्टम ठीक हो जही, चिन्ता झन करौ ।

सभापति महोदय :- सदस्यों से अनुरोध है कि बीच में टोका-टाकी न करें ।

श्रीमती उत्तर गनपत जांगड़े :- सिस्टम अभी का नहीं है, सिस्टम तो पिछले 15 साल से है ।

श्री अनुज शर्मा :- यह अग्रवाल जी और द्वारिकाधीश जी के बीच की बात है, तीसरा कोई नहीं आना ।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप बोलिए, आपका समय ज्यादा जाएगा। आप जल्दी करें ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं सीमांकन के संबंध में बोलना चाहता हूं । भूमि मेरी, सरकार सीमांकन के माध्यम से टैक्स ले रही है, लेकिन जब सीमांकन के लिए किसान और गरीब घूमते हैं तो सीमांकन नहीं हो पाता और सीमांकन में एक और बात आती है । कलेक्टर साहब से बात करेंगे तो तहसीलदार बोलता है कि स्टाफ की कमी है, लेकिन तीन महीना बाद में दिया हुआ गांधी जी वाले का सीमांकन तीसरा दिन हो जाता है और गरीब आदमी तीन साल से घूम रहा है, उसमें स्टाफ की कमी है, ऐसा बोलकर सीमांकन नहीं करते हैं । इसमें भी कुछ व्यवस्था बनाईए । आपका विभाग इतना सेंसेटिव है कि पटवारी कब मंत्री का बंगला बेच देंगे, ऐसी भी परिस्थिति है। आप कानून बनाईए कि घास जमीन न बिके । मंत्री का बंगला भी सुरक्षित नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, पटवारी ह जांजगीर के कलेक्टर के बंगला ला बेच दे रिहीसे ।

श्री अनुज शर्मा :- आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो, तब दिखाया करो ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम तो आपके पिछले 15 साल के कार्यकलाप को बता रहे हैं ।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, इसी से संबंधित है । अभी अभी चार दिन पहले गरियाबंद में 10 एकड़ जमीन जो बड़े पेड़ का झाड़ है, उसको पटवारी गुप्ता जी ने 10 एकड़ सरकारी जमीन को 2 लोगों के नाम पर बेच दिया ।

श्री रामकुमार यादव :- ऊहूं ला हमी मन करे हन ।

श्री अनुज शर्मा :- तुहरे करस्तानी ए सब ।

श्री सुशांत शुक्ला :- यादव जी, मुआवजा प्रकरण याद है न ?

श्री रामकुमार यादव :- ओ ह तुहरे जमाना में होए रिहीसे, मैं आज भी कहात हवव कि ओकर जांच करवा देवव ।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- पिछली सरकार ह जमीन बेचत रिहीसे न, उसी चीज को भैया बता रहे हैं ।

सभापति महोदय :- सदस्यों से अनुरोध है कि वे सीधे बात न करें । आप लोग बैठिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं जो बात बोल रहा हूं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, माननीय यादव जी विषय उठा रहे हैं । पूर्ववर्ती सरकार में सरकारी नीलामी में पहले आओ, पहले पाओ, ले जाओ । यह स्थिति थी, जिसके खिलाफ मेरा पी.आई.एल. भी माननीय उच्च न्यायालय में आज दिनांक तक लंबित है । आज वे उसी व्यवस्था को बता रहे हैं, वे बेचारे पिछले पांच साल मौन बने रहे ।

सभापति महोदय :- यादव जी, आप विषय पर अपनी बात कहिए । आप कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, मांगों के बारे में बोल रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- ये हमर पहला वक्ता हे ।

सभापति महोदय :- पहला वक्ता है, लेकिन इसके आगे और 10 वक्ता बचे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं नीयत समय में अपनी बात समाप्त कर दूंगा क्योंकि इसमें बोलोगे तो दो साल लग जाएगा और परिणाम की उम्मीद कम है इसलिए कम बोलूंगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, उनको बोलने दीजिए । द्वारिकाधीश जी विशाल, विराट ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं । हम लोग ज्ञान ले रहे हैं। आप बोलिए और हमारे मंत्री जी बहुत शांति से एक टक आपको ही देख रहे हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैंने कुछ अंश आपसे ही लिया है । सभापति महोदय, मैं समझ रहा हूं ।

सभापति महोदय :- यादव जी, आप अपनी बात रखें ।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं आपकी ही तरफ देखकर बोल रहा हूं । इधर के सदस्य इस बात से चिंतित हैं कि मेरी बातों से माननीय मंत्री जी कोई ऐसा कानून न बना दें कि हमको अवसर न मिले, इसलिए चिन्ता कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें कानून बने ।

श्री अनुज शर्मा :- आप लोगों ने काफी फायदा उठाया है इसलिए आप लोग वहां पर हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सरकार आपकी है । अगर हमने फायदा उठाया है तो जांच करवा लीजिए, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वन टाईम सेटलमेंट पहले आओ, पहले पाओ । किसका अभिमत है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, आपको उसके लिए अधिकार मिला है। आप जांच करवाईये। आप बातों में क्यों रूक रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि आप जांच करवाईये। उसमें भी सी.बी.आई. और क्या-क्या बोलते हैं, उसकी जांच कराईये।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। माननीय मंत्री जी, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। एक व्यवस्था का प्रश्न है। राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा गरीब लोग आते हैं, अमीर लोग आते हैं। अमीर लोगों को तो परेशानी नहीं है, गरीब को परेशानी है। आप निश्चित रूप से विभाग में चर्चा करिये, क्योंकि आप स्वयं विद्वान मंत्री हैं। आप इस सदन में ऐसे-ऐसे कानून लाईये, जिससे स्थाई तौर पर नामान्तरण, बंटवारा हो। आप अतिक्रमण पर भी कानून लाईये। आज तक जितनी मेरी उम्र है, मैंने देखा है कि अतिक्रमण रोकने में जितना वन विभाग गंभीर है, आपका विभाग बिलकुल गंभीर नहीं है। आप प्रदेश में इसकी जांच करवा लीजिये, अवलोकन करा लीजिये। आज प्रतिवर्ष जितने राजस्व भूमि पर कब्जा हो रहा है, उतना वन भूमि का नहीं हो रहा है। वन विभाग में बीट गार्ड बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपका पटवारी कब्जा करवाता है। यह दोनों विभाग में अंतर है। प्रदेश के हित में अतिक्रमण रोकना आवश्यक है। इसमें भी आप कठोर कानून बनाईये, जैसे वन विभाग में है। वह सरकारी सम्पत्ति को भी तोड़ दे रहे हैं, आपके पटवारी, तहसीलदार बोलते हैं, सरकारी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त कर दे रहे हैं। उसके बाद उसमें अतिक्रमण का मामला चलेगा। सरकारी सम्पत्ति को तोड़ने के लिए, सरकारी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने का एक एफ.आई.आर. नहीं होता है। तालाब पाट दिए जा रहे हैं, साल दो साल राजस्व विभाग के तहसीलदार के पास मामला चलता है। जबकि उसको जेल के सलाखे में होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं और ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। मैं केवल और केवल इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि इसमें मोदी जी की गारन्टी नहीं दिख रहा है। मंत्री जी तथा जनता के हित में मोदीजी की गारन्टी दिखना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्व विभाग का केवल और केवल 5 चीज को सुधार दीजिये। सरकारी जमीन बिकना बंद हो जाये, सरकारी कब्जा बंद हो जाये,

नामान्तरण नियत तिथि में हो, बंटवारा नियत तिथि में हो। आपके पटवारी गलती की, जमीन मेरा, मैं सुधरवाने के लिए तहसील का चक्कर कांटू, ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य में मत हो। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति महोदय, आज युवा कल्याण, खेलकूद, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, जिला सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी में खेल विभाग हेतु जिला कार्यालय की स्थापना स्वागत योग्य कदम है। कुनकुरी में आलरेडी स्ट्रोटर्फ बन चुका है, उसके बावजूद भी खेल स्टेडियम का निर्माण किये जाने की घोषणा करना भी स्वागत योग्य कदम है। जिला रायगढ़ में इंडोर स्टेडियम, हाकी स्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण किया जाना स्वागत योग्य कदम है। बलौदा बाजार में इंडोर स्टेडियम खोला जाना भी स्वागत योग्य कदम है। सबसे महतवपूर्ण कदम है कि 3 सालों से राज्य में खेल अलंकरण समारोह बंद था। उसको पुन: प्रारंभ करने के लिए 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, वह स्वागत योगय कदम है। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया के नाम पर छदम छत्तीसगढ़िया वाद का आवरण ओढ़कर पिछले 5 सालों तक छत्तीसगढ़ के युवाओं को दिग्भ्रमित करने की जो व्यवस्था है, संसाधनों के अभाव में खेल आयोजन करने की जो परम्परा चली आ रही थी, उसको रोकते हुए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ रूपये नवीन मद में प्रावधान किया जाना स्वागत योग्य कदम है। परन्तु पूर्व में संसाधनों और समस्याओं से पूर्ण रहने वाले छत्तीसगढ़ आलोंपिक की पुनरावृत्ति ना हो, हमको यह भी छत्तीगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना में ध्यान रखना होगा। मंत्री श्री टंकराम जी के प्रयास से बजट के अतिरिक्त बहतराई स्टेडियम, बिलासपुर में आने वाले समय में सिंथेटिक ट्रेक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हो रहा है। नारायणपुर, तिल्दा, रायपुर विश्वविद्यालय, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय बेलतरा में इंडोर स्टेडियम खोला जाना प्रस्तावित है। खेल मैदान के लिए सरंक्षण अधिनियम बनें, छत्तीसगढ़ की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखने में यह आता है कि सर्वाधिक खेल मैदान आज अराजक तत्वों के केन्द्र बन गये हैं। ऐसे में उन खेल मैदानों को सरंक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए खेल मैदान सरंक्षण अधिनियम के प्रावधान की आवश्यकता है, जिसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो, खेल मैदान में तोड़फोड़ न हो, नशे का कोई कारोबार न हो, नशे के तहत युवा दिग्भ्रमित न हो, ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिये खेल मैदान संरक्षण अधिनियम बनाये जाने के लिये खेल मंत्री जी से अनुरोध है । सभापति महोदय, संरक्षण और रखरखाव के लिये देखने में यह आता है कि हम खेल मैदान में राजनीतिक रैलियां करते हैं, उसके बाद वह खेल का मैदान जस का तस गंदा हो जाता है । ऐसी स्थिति में खेल मैदान के संरक्षण और रखरखाव के लिये आपके बजट में स्थायी मद का प्रावधान होना ही चाहिये, जिससे वह खेल मैदान संरक्षित हो सके, ऐसी मेरी आपके माध्यम से माननीय

मंत्री जी से मांग है । सभापति महोदय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के माध्यम से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जिले में राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना किया जाना स्वागतयोग्य कदम है । भू-नक्शों के जीरो रिफरेंशिंग एवं भू-खण्ड में यू एन पिन नंबर देते हुये भू आधार कार्ड जारी किया जायेगा । यह स्वागतयोग्य कदम है, परंतु भूइंया एप जो लगातार हैंग होता है, जिसके माध्यम से राजस्व प्रपत्रों का ई डिजीटलकरण से प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है । प्रदेश के समस्त तहसीलों में कम्प्यूटरीकरण कार्यों के लिये कम्प्यूटर सह उपकरण के लिये 1 करोड़ 15 लाख का प्रावधान है, जो कि बहुत ही कम है । सभापति महोदय, 122 एस.डी.एम. कार्यालय है और 250 तहसील है, ऐसे में उसके कम्पयूटरीकृत करने के लिये कम राशि लायेंगे, ऐसे में कैसे काम चलेगा ? भू राजस्व के संकलन हेतु भूइंया साफ्टवेयर का मैंने पहले ही कहा है कि बैंक एवं कोषालय में लिंक किये जाने हेतु 1 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, परंतु देखने में यही आता है कि साफ्टवेयर वर्किंग में लगातार हैंग होता है और दस्तावेज प्रमाणीकरण के साथ प्राप्त नहीं हो पाते हैं । प्रदेश के समस्त ग्रामों को कैपिसिटर नक्शों के यू रिफरेंसिंग कार्यों में किया जायेगा, इसके लिये 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि स्वागत योग्य कदम है । तहसील कार्यालय भवन की बात है तो फिंगेश्वर, बेमेतरा, सरगांव, मुंगेली, भोथिया जिला सक्ती, सरसींसा जिला सारंगढ़, उदयपुर जिला सरगुजा, लुण्ड्रा जिला सरगुजा, शंकरगढ़ जिला बलरामपुर में नये तहसील कार्यालय खुलने है, परन्तु मैं आपको बताता हूँ कि बिलासपुर भी एक ऐसा तहसील है जो अपने हिस्टोरिकल बिल्डिंग के लिये आज भी वर्तमान में चल रहा है और वर्तमान समय में कार्यालयीन कार्यों के लिये अपर्याप्त है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से बिलासपुर में भी नवीन तहसील कार्यालय खोले जाने की मांग करता हूँ । सभापति महोदय, भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया, भू डायवर्सन की प्रक्रिया को ऑनलाईन और सरल किया जायेगा । यह सबसे कठिन प्रक्रिया है और खासकर उद्योगो के लिये है, इसका सरलीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है । एक सबसे महत्वपूर्ण मांग राजस्व के विषय पर आती है, तहसीलदार अपने न्यायालय से गायब रहते हैं, इसका सरलीकरण किया जाना आवश्यक है । सबसे महत्वपूर्ण मांग राजस्व के विषय पर आती है कि तहसीलदार अपने न्यायालय से गायब रहते हैं, वह गायब इसलिये नहीं रहते हैं कि उनको काम का दबाव लगातार होता है, इसलिये कम से कम 5 संभागीय मुख्यालयों में तहसीलदार प्रोटोकाल की स्थापना की जानी चाहिये, जिसके तहत सीमांकन, नामांकन, बटांकन, चक्का जाम और अन्य प्रशासनिक विषयों पर कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिये कम से कम 5 तहसीलदार संभागीय मुख्यालयों में, जहां पर प्रशासनिक दबाव बहुत होते हैं, उनके लिये तहसीलदार मुख्यालय प्रोटोकाल की पदस्थापना की जानी चाहिये । सभापति महोदय, पूर्ववती सरकार में शासकीय भूमि को बंदरबांट करते हुये पहले आओ, पहले पाओ, ले जाओ, यह जो एक दल विशेष नेताओं के लिये जो टोकन पद्धति थी, इस पर पीआईएल भी

माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हे, जिसको लंबित रहते हुये भी कई भूखण्ड नीलामी किये गये हैं, ऐसे भूखण्डों की नीलामी शासन तत्काल रोके, इसके लिये भी प्रावधान आना चाहिये । खासकर शहरों से चांदामुनारा भी गायब है, जिसके लिये शहरी भूमि में सीमांकन, नामान्तरण और बटांकन की व्यवस्था बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है, इस बजट में शहरों में चांदामुनारा की स्थापना के लिये प्रावधान नहीं है, जिसे प्रावधानित किया जाना चाहिये । सभापति महोदय, पटवारियों का प्रान्तव्यापी स्थानांतरण हो, वह जिले में स्थानांतरित होते हैं, इसलिये उनमें भर्राशाही भरपूर होती है । मैं यह मांग आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूँ कि पटवारियों का प्रदेश में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सके, जिससे राजस्व में कसावट आये । आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं आपके यह बोलकर बजट के संबंध में धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री इन्द्रशाह मंडावी ।

श्री इन्द्रशाह मंडावी (मोहला मानपुर) :- सभापति महोदय, मैं अनुदान मांग संख्या 8, 9, 58, 43 के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । राजस्व विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । इस विभाग में किसानों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रहती है, जो कि जिला प्रशासन के पास होता है, जिसका मुखिया कलेक्टर होता है और कलेक्टर के अधीनस्थ पूरे कर्मचारी होते हैं । आप जानते हैं कि अभी पटवारी की बात चल रही थी। एक किसान का बेटा कलेक्टर बन जाता है तो वह किसान कहता है कि बेटा तुम कलेक्टर बन गये, पटवारी कब बनोगे ? गांव वालों की ऐसी सोच रहती है। पटवारी किसानों के हितों में तो काम नहीं करते, बल्कि वह अपने हितों में काम करते हैं। जैसे अभी हमारे साथी द्वारिकाधीश यादव जी ने बताया। मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर विशेष निगरानी रखी जाये। आप अपने प्रशासन को बढ़िया से चेताये। किसानों को सबसे ज्यादा काम नामांतरण बंटवारा और फौती का होता है, जिसके लिये उन्हें बहुत घूमना पड़ता है। आप लोगों ने इस साल देखा है कि धान बेचने के लिये जो कुल रकबा 29 लाख हेक्टेयर का था, उसको 26 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है, उसमें 03 लाख हेक्टेयर कम कर दिया गया। जिससे किसान बहुत वंचित हो गये और उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा कलेक्टरों के द्वारा सभी तहसीलदारों और पटवारियों को कहा गया था कि आप लोग धान के रकबे को कम करें। जिससे रकबा कम हुआ और उससे सारे किसान परेशान हैं, जिसका जवाब अभी नहीं तो 4-5 साल बाद मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इस चीज को सुधारने का प्रयास करें।

सभापति महोदय, वर्तमान सरकार को किसानों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए था। किसान जीवन के उपयोग में आने वाली सब चीजों को उगा लेता है, जैसे चावल, गेहूं और दलहल-तिलहन है। उनको सिर्फ नमक लेना पड़ता है और इसलिये किसान का बेटा ही जवान भी बनता है। उसके लिये एक नारा भी दिया गया है कि "जव जवान जय किसान"। मैं सोचता हूं कि हम सब को और सरकार को

किसानों के हित में ध्यान देना चाहिए और उनके हित में जो भी काम बचे हैं, उन सब कामों को करना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे यहां मोहला में एक महिला तहसीलदार हैं, जो दिन-रात भर घूमते रहती है और वसूली का काम करती है। उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसमें किसानों के हित में मेरी एक मांग है । मैं यहां पर राजस्व मंत्री जी से तीन तहसीलों की मांग कर रहा हूं। मैं गोटाटोला एवं सोमाटोला में उप तहसील और विचारपुर में तहसील की मांग कर रहा हूं। उसके लिये 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वैसे ही प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र के संबंध में बहुत सारे प्रकरण कायम किये जाते हैं, परंतु उनको समय में राशि नहीं मिल पाती। उनको भी समय में राशि मिले, ऐसी मेरी सोच है।

सभापति महोदय, खेल एवं युवक कल्याण के संबंध में कहूंगा। युवाओं के लिये खेल एक बहुत बड़ी चीज है, जो उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं बौद्धिक विकास के लिये काम आता है। अभी हमारे सुशांत शुक्ला जी ने खेल के विषय में बोला कि मोहला में खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है, मैं इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे क्षेत्र से बहुत सारे युवा कबड्डी में, वॉलीबॉल में और फुटबॉल में नेशनल और स्टेट दोनों खेले हैं और कई लोगों की नौकरी भी लग गई है। माननीय मंत्री जी, इस संबंध में थोड़ा-सा ध्यान देंगे। वहां पर एक कबड्डी का खेल अकादमी, एक बढ़िया स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम भी बन जायेगा । मैं सोचता हूं आपकी मेहरबानी से वहां पर तीनों जगह, मोहला-मानपुर, खड़गांव एवं औंधी में स्टेडियम का निर्माण हो जाता तो अच्छा रहता।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा और आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री रोहित साहू।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट चर्चा में बोलने का समय प्रदान किया, उसके लिये मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग के बारे में जो कुछ बातें हैं, मैं उसमें बोलना चाहूंगा। राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार हमारे प्रदेश में कुल क्षेत्र 01 करोड़ 37 लाख 89 हजार 836 हेक्टेयर है। वर्तमान में प्रदेश के 05 राजस्व संभाग, 33 जिले, 96 अनुभाग, 246 तहसीलें एवं 730 राजस्व निरीक्षण मण्डल हैं एवं प्रदेश में गांवों की कुल संख्या 20,230 हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने बजट में जो प्रावधान किया है। बड़ी व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन तथा कार्यों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिये राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी व्यापक प्रयोग की ओर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। माननीय महोदय, जो कृषकों की सुविधा तथा समय की बचत के उद्देश्य से राज्य के समस्त राजस्व अभिलेख,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आज राजस्व विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। आज भी भू नक्शा, खसरा, बी-वन, परिवर्तित भूमि, संधारण, नजूल भूमि, संधारण खसरा भूमि स्वामियों के लिए राजस्व विभाग की वेबसाईट भुंईया में उपलब्ध है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे गरियाबंद जिले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहूंगा कि हमारे फिंगेश्वर जिला गरियाबंद में भी भवन निर्माण के लिए, अन्य जिले बेमेतरा, सारागांव, मुंगेली, जिला सक्ती, सरसींवा, सारंगढ, बिलाईगढ़, के भवन निर्माण के लिए राजस्व विभाग द्वारा 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद् ज्ञापित करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार किसानों के हित में जो काम कर रही है। प्रदेश के समस्त तहसील कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु कम्प्यूटर सह उपकरण एवं प्रिंटर क्रय हेतु 1 करोड़ 15 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद् दूंगा। मेरे क्षेत्र में एक समस्या है उससे भी अवगत कराऊंगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस बजट में प्रदेश के गरीब, भूमिहीन कृषि कार्य संबंधी मजदूरों की सहायता एवं आर्थिक विकास हेतु दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, इससे हमारे गरीब भूमिहीन मजदूरों को सुविधाएं और योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं धन्यवाद् देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं बजट के संबंध में माननीय मंत्री जी को अवगत भी कराना चाहूंगा कि यहां पर सभी अतिरिक्त भूमि, सीमांकन, बंटवारा की बात आयी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण अंचलों में होती है। हमारे ग्रामीण अंचलों के किसान एक नाम की त्रुटि सुधार के लिए भी कई महीनों तक कार्यालयों के चक्कर काटना पड़ता है। इसमें कई वर्ष भी बीत जाते हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो किसान त्रुटि सुधार के लिए एस.डी.एम., तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं इसमें वर्तमान स्थिति में राजस्व विभाग के त्रुटि सुधार के प्रकरण के आई.डी., एस.डी.एम. माडुलर के एस.डी.एम. के पास है। यहां के सभी किसान एस.डी.एम. के दफ्तर नहीं जा सकते हैं। यह संभव भी नहीं है। अत: मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि इस आई.डी. को एस.डी.एम. माडुलर से जो तहसील माडुलर तथा आर.आई. तक इस तरह की शुरूआत की जाए ताकि बंदोबस्त की त्रुटि या नामांतरण त्रुटि सुधार के लिए जो कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं उनकी परेशानियां कम हों ताकि हमारे किसानों को यह सुविधा मिल सके। वह तहसील कार्यालय में आसानी से आ जा सकें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे एक और निवेदन है कि इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती सरकार के समय छुरा तहसील और पाण्डुका को उपतहसील का दर्जा देने की बात हुई थी, लेकिन वह सिर्फ

घोषणा बनकर ही रह गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वहां के लोगों को लाभ मिले। वहां उप तहसील पाण्डुका में स्थायी कार्यालय के साथ-साथ, नायब तहसीलदार की पदस्थापना हो जाए, माननीय मंत्री जी से यह मेरी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, मेरी एक और मांग है कि जो पटवारियों के काम करने का तरीका है। अभी पूर्व में हमारे सदस्य महोदय जी ने अवगत कराया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे जितने पटवारी हैं जो सप्ताह में एक दिन पंचायतों में बैठते हैं, वह सप्ताह में एक दिन बैठने के बजाए, उसकी समय सीमा और बढ़ाएं ताकि किसानों के जो नामांतरण, त्रुटि सुधार, बंटवारा है या कोई भी तहसील स्तर का जो काम हैं जैसे पूर्व में पंचायत को नामांतरण का अधिकार दिया है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि किसी सरपंच को यह भी मालूम नहीं है, आज तक पटवारी, तहसीलदार के माध्यम से ही बंटवारा, नामांतरण होते आ रहा है। इसमें मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी कहना चाहूंगा कि पंचायत में पंचायत के सरपंचों को नामांतरण, बंटवारा के जो अधिकार दिये गये हैं, वह नामांतरण, बंटवारा के कार्य पंचायत में प्रमुखता के साथ हो ताकि हमारे पंचायत के प्रतिनिधियो के माध्यम से वहां के किसानों को उसका लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे क्षेत्र की कुछ-कुछ जो कमी है, माननीय महोदय, उसको मैं आपको पत्र के माध्यम से अवगत भी कराऊंगा।

खेल का विभाग भी आपके पास है। इसमें भी बजट में छत्तीसगढ़िया क्रीडा प्रोत्साहन योजना हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, नवीन मद के रूप में किया गया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। राज्य खेल अलंकरण समारोह हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें भी मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरी गरियाबंद जिले में भी दो-तीन ऐसे बड़े गांव हैं, जहां स्टेडियम बनाने की जरूरत है। हमारे क्षेत्र में भी युवा राज्य और केन्द्र स्तर तक के खेल में भाग लेते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे गरियाबंद जिले में कम से कम कोई एक-दो बड़े गांव में एक खेल का स्टेडियम बन जाये। ताकि हमारे गरियाबंद जिलावासियों और राजिम विधान सभा के युवा-युवतियों को उसका लाभ मिले। माननीय महोदय, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा। छत्तीसगढ़ में जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार सभी वर्गों का सभी विभागों में अच्छे से ध्यान रखते हुए बजट में जो प्रावधान किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्व, युवा कल्याण मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए सभी सदस्यगण को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। माननीय राजस्व विभाग के मंत्री महोदय जी आज आपके द्वारा प्रस्तुत किये बजट में मेरी तरफ से कटौती प्रस्तावों का समर्थन करते हुए अपनी मांग प्रस्तुत कर रही हूं। राजस्व विभाग अंतर्गत जहां राज्य गठन

के समय 03 संभाग थे, उसे बढ़ाकर 5 संभाग किया गया। राज्य में कांग्रेस सरकार के द्वारा जिले की संख्या बढ़ाकर 33 की गई। छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी तथा दक्षिणी भाग प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। वन संपदा के साथ-साथ लोहा, कोयला सहित अन्य बहुमूल्य खनिज संसाधनों से भरपूर समृद्ध क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी, जन्म, मृत्यु, जाति, आय, संपत्ति, परिवार का आधार राजस्व विभाग है, यहां तक की वंशावली जांचना राजस्व विभाग का ही काम है। लेकिन आज बहुत से काम रूकते जा रहे हैं। उसका कहीं न कहीं कारण पटवारियों के हल्के में उपस्थित नहीं होने के कारण राजस्व के प्रकरण पीछे होते जा रहे हैं ।

सभापति महोदय :- हर्षिता जी, मांग में आईये, भूमिका ज्यादा मत बांधिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय मंत्री जी, राजस्व के प्रकरणों में बहुत से अभिलेख, त्रुटि सुधार के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के पास पहुंच रहे हैं। परंतु समस्त अभिलेख में सुधार, त्रुटि सुधार की प्रक्रिया भी अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से की जानी होती है जिसके कारण प्रकरणों के निपटारे में लेट लतीफी होती है। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए तहसीलदार या पटवारी को त्रुटि सुधार के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो। प्रतिदिन कम से कम 10 या उससे अधिक आवेदन एक-एक अनुविभागीय अधिकारी के पास आते हैं। परंतु वह खुद अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहते हैं जिसमें दौरा, कोर्ट प्रकरण आदि कार्य सम्मिलित होते हैं जिसके कारण समय पर त्रुटि सुधार नहीं हो पा रहा है। माननीय मंत्री जी, मेरे विधान सभा अंतर्गत ग्राम घूमका को तहसील का दर्जा दिया गया, परंतु वहां पर अभी तक उसके लिए भवन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण कार्यालय का गठन नहीं हो पाया है। जिसके कारण क्षेत्रवासियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। अत: नवीन भवन की स्वीकृति प्रदान करते हुए तहसील कार्यालय का नया सेट अप उपलब्ध कराने की इस सदन के माध्यम से आपसे मांग करती हूं। माननीय मंत्री जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बेलगांव एवं घूमका के क्षेत्रवासियों को खसरा क्रमांक में भूमि मालिक का नाम दर्शित न होकर अन्य का नाम दर्शित होता है। जिसके कारण खाद, बीज खरीदी, धान का विक्रय एवं भूमि से संबंधित बहुत सारी कार्य अत्यधिक कठिनाई से हो रही है, उसमें कठिनाई जा रही है, जिससे वहां की जनता बहुत परेशान है। माननीय मंत्री महोदय जी, उक्त ग्रामों में हो रही कठिनाई के निराकरण और हो रही त्रुटि सुधार के निराकरण के लिए उचित कार्रवाई की जाए। माननीय मंत्री जी, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन में राजनांदगांव, खैरागढ़ में नामांतरण, डायवर्सन, सीमांकन, बटांकन, फौत, नवीन किसान पुस्तिका निर्माण, खाता बटवारा में राजस्व बहुत ही पीछे है जो कि लंबित रहने के कारण है। आप शिविर के माध्यम से तथा पटवारियों की नई भर्ती करे ताकि इस तरह से हो रही कठिनाईयों का निराकरण किया जा सके। कई पटवारी ऐसे हैं, जिनके पास दो-दो, तीन-तीन हल्के हैं, जिसके कारण वह समय पर ग्रामीणों को पटवारी नहीं मिल पाते, जिससे उनको असुविधा होती है। पटवारियों को लंबे समय से एक ही जगह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पर टिके रहने से वह बहुत सारे काम नहीं संभाल पाते हैं और वह गायब हो जाते हैं। इसलिए समय-समय पर स्थानांतरण भी जरूरी है। माननीय मंत्री जी, जनसंख्या के आधार पर नवीन पंचायत की भी मांगें आई हुई हैं, जिसके लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत उपरवा, करेला, डुड़िया, जोकि जनसंख्या के आधर पर अभी दो ग्राम पंचायत बन जाना चाहिए था और वहां पर 5 किलोमीटर की दूरी तय करके डुड़िया और करेलापारा के लोग उपरवा जाते हैं, उसके कारण ग्रामवासियों को बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि ग्राम पंचायत उपरवा को जो तीन गांवों के साथ में रहना पड़ता है, उसको अलग करके दो पंचायत कर दिया जाय। जिसमें ग्राम डुड़िया और करेला एक पंचायत हो जायेगा।

सभापति महोदय :- हर्षिता जी, विभाग से संबंधित बात रखिये। यह पंचायत विभाग की बात है।

श्रीमती हर्षिता स्वमी बघेल :- जी। माननीय सभापति जी, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की भी बातें हैं, जिसको मैं बताना चाहूंगी। माननीय मंत्री जी, मैं खेल-खिलाड़ी जिंदाबाद के नारा के साथ अपनी बात रखना चाहूंगी। जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरूआत हुई थी, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के अभी बहुत सारे खेल प्रेमी उसमें लगातार भाग ले रहे थे। छत्तीसगढ़, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कई तरह के खेल एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता रहता है। यह सारे खेल ऐसे हैं, जिन्हें देश, प्रदेश एवं विदेश में खेला जाता है परंतु हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे ओलंपिक तक नहीं जा पाते, लेकिन जब गांव में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का शुरूआत हुआ तो वह उत्साह से इसमें भागीदारी लेते रहे। बच्चों के साथ-साथ सभी वर्गों के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे और वह उसमें भाग लेकर अपने आप में गौरवशील होकर अपने खेल का प्रतिधित्व करते थे। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक का खेल है, जिसको हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने शुरूआत कराई, जिसमें छत्तीसगढ़ के बहुत सारे खेल गेड़ी, बांटी, भंवरा जैसे अभी नये-नये खेलों को भी शामिल किया गया, जिसमें गेड़ी को प्रोत्साहन दिया गया और आज हम गेड़ी के महत्व को समझे और आज आप छत्तीसगढ़ में गेड़ी को देखेंगे, यह हमें सिर्फ गांवों में मिलता था, लेकिन अब यह हमारे मॉल में भी बिकने लगा था, क्योंकि लोग इससे जुड़कर हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाये थे। इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल निरंतर सबके मन को भाने लगे थे और सब गांव के लोग उत्साह से इसमें खेल रहे थे तो मैं आपसे आग्रह करती हूं कि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल ऐसे ही बनी रहे। पूर्ववर्ती सरकार की तरह आप भी इसकी घोषणा करें कि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल ऐसे ही बनी रहे। मैं माननीय मंत्री जी से डोंगरगढ़ में भी एक सर्वसुविधायुक्त इंडोर स्टेडियम के लिए पुन: मांग करती हूं जोकि आत्मानंद स्कूल के साईड में खेल प्रेमियों के खेल के लिए उनकी बहुत दिनों से मांग है। मैं आपसे यह आग्रह करती हूं कि आपके माध्यम से वहां इंडोर स्टेडियम बन जाय और प्रतिभावान खिलाड़ियों को सर्वसुविधायुक्त भवन मिला जाय। डोंगरगढ़ में कबड्डी खेल में नेशनल लेवल तक के पहुंचने वाली बहुत सारे बच्चे हैं, जो नेहरू कॉलेज के

एक बिल्डिंग में उनको निवारत किया गया है, उनको पूर्ववर्ती सरकार में सुविधा दी गई थी, लेकिन अभी वहां के जो प्रिंसिपल है, उसको वह हटाने के लिए लगे हुए हैं, जबकि वह हर साल नेशनल लेवल तक पहुंच रहे हैं, उन बच्चों को सुविधा देने के लिए उस कॉलेज में जो बिल्डिंग है, उसमें रहने की सुविधा दी जाये और साथ ही खेल की जितनी भी सामग्रियां हैं । मैं आपसे यह आग्रह करती हूं कि उन खिलाड़ियों को वह सुविधा दी जाये । माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए आपने मुझे बोलने हेतु जो समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री इन्द्र कुमार साहू (अभनपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं हा खेल-कूद एवं युवक कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के बजट में बोलना चाहत हंऔं । राजस्व विभाग के आंकड़ा के अनुसार हमर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल 1 करोड़ 37 लाख 89,836 हैक्टेयर है । वर्तमान में प्रदेश में 5 राजस्व संभाग, 33 जिला, 96 अनुभाग, 246 तहसील, 730 राजस्व निरीक्षक मण्डल हे । प्रदेश में गांव के कुल जनसंख्या 20,230 है अतका बड़े व्यवस्था के सुचारू संचालन तथा कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करे के लिये राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापम प्रयोग की ओर ध्यान केंद्रित करे जात हे । कृषक मन ला सुविधा तथा समय के बचत के उद्देश्य से राज्य के समस्त राजस्व अभिलेख तथा राजस्व विभाग की वेबसाईट पर ये उपलब्ध कराये जात हे । भू-नक्शा, खसरा बी-वन, परिवर्तित भूमि, संसाधरण खसरा नजूल भूमि, संसाधरण खसरा आज भूमिस्वामी मन के लिये राजस्व विभाग के वेबसाईट भूइंया में उपलब्ध हे । ये सब कार्य के अतिरिक्त भूमि के सीमांकन, बटांकन आदि के आवेदन आज भूइंया वेबसाईट के माध्यम से करे जात हे अऊ राजस्व न्यायालय में जो प्रकरण चलत हे ओकर अद्यतन जानकारी रेवेन्यू कोर्ट के वेबसाईट में सभी के लिये उपलब्ध कराये जात हे ।

माननीय सभापति महोदय, हमर सरकार हा राजधानी क्षेत्र में राजस्व प्रकरण के बढ़त संख्या के निराकरण के लिये तहसीलदार के 30 तथा नायब तहसीलदार के 15 नया पद के सृजन, राजधानी के तहसील हेतु करे गे हे । जो हमर सरकार के द्वारा जन-जन तक सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता ला दर्शात हे । एखर बाद खेल विभाग के द्वारा जो हमर सरकार के द्वारा 5 जिला में 2 करोड़ 50 लाख के जो बजट के प्रावधान करे गे हे ओखर लिये मैं खेल मंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहूं साथ ही यह जशपुर जिला के कुनकुरी में आधुनिक खेल स्टेडियम, जिला रायगढ़ में इंडोर स्टेडियम, कॉम्पलेक्स हॉकी स्टोटर्फ मैदान के निर्माण सिंथेटिक्स के लिये 2 करोड़ के प्रावधान करे गे हे, जिला बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम काम्पलेक्स के निर्माण के लिये 2 करोड़ रूपया के प्रावधान रखे गे हे अउ साथ ही राज्य में खेल अलंकरण के लिये 5 करोड़ के जो प्रावधान करे गे हे ओ हमर खेल प्रेमी मन के लिये यह बहुत अच्छा प्रावधान हे । एखर से निश्चित रूप से हमर छत्तीसगढ़िया मन ला फायदा मिलही साथ ही छत्तीसगढ़िया खेल ला प्रोत्साहन के खातिर 20 करोड़ रूपये के नया प्रावधान रखे गे हे, ऐमे भी हमर जो छत्तीसगढ़ी खेल-कूद हे ओला प्रोत्साहन करे के अच्छा अवसर मिलही अऊ निश्चित रूप से पंचायत के

द्वारा जो पैसा खर्च करात रिहिस हे चूंकि मैं भी सरपंच रहेओं । छत्तीसगढ़िया खेल-कूद के नाम से पिछला सरकार के द्वारा खेल-कूद तो जरूर रखे लेकिन पंचायत के द्वारा जो सारा खर्च करात रिहिस हे वो अब न होकर क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत् 20 करोड़ रूपया के प्रावधान रखे गे हे ओखर द्वारा अलग से छत्तीसगढ़िया खेल-कूद ला प्रोत्साहित करे बर हमर सरकार जो प्रावधान रखे हे निश्चित रूप से हमर छत्तीसगढ़िया मन ला ऐखर लाभ मिलही । साथ ही मैं मोर क्षेत्र के भी कुछ मांग माननीय मंत्री महोदय जी से रखना चाहत हंओं । जे हा हमर बंदोबस्त त्रुटि, छत्तीसगढ़िया जो हमन गांव में निवस करथन । हमन प्राय: कृषक हन अउ बंदोबस्त त्रुटि के लिये 20-20 वर्ष से आज भी हमर किसान भाई मन भटकत हे । मैं माननीय मंत्री महोदय जी से चाहूं कि बंदोबस्त के त्रुटि के लिये विशेष शिविर लगाकर ऐला समाप्त करे जाये काबर आज हमर छत्तीसगढ़िया मन ला गांव में हमन अपन जमीन के ये त्रुटि ला सुधार करे के लिये भटकत-भटकत आज हमन जमीन बेचे बर मजबूर होगे हन अउ जो जमीन के भूमाफिया हे ओखर मन के द्वारा इतना ज्यादा कहना चाहिए 15 दिन में जमीन के अपन बंदोबस्त त्रुटि सुधार कर लेथे । लेकिन हमन किसान के लिये 20-20 वर्ष से बंदोबस्त त्रुटि के लिए भटके ला लगथे। तो एला शिविर के माध्यम से हल करे जाय। नामांतरण बंटवारा के प्रक्रिया ला सरलीकरण करे जाय। आज भी पंचायती राज में जरूर नामांतरण बंटवारा ला देहे करके बोले जाथे। मगर हमन दो-दो बार के सरपंच रहेन। कहीं भी नामांतरण बंटवारा के अधिकार पंचायत में नहीं हे। आज भी पटवारी अउ तहसीलदार के द्वारा ही नामांतरण बंटवारा के नाम पर हमर कृषक भाई मन ला भटके ला लगथे। साथ ही मोर अभनपुर में कोई भी वहां स्टेडियम नहीं हे। चूंकि अभनपुर राजधानी से लगे हुए एक विकासखंड हे और अभनपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वहां हे तो मोर अभनुपर में एक इंडोर स्टेडियम सर्वसुविधायुक्त बनाया जाये और खोरपा में जो उप तहसील कार्यालय के दर्जा हे वहां एक उप तहसील कार्यालय भवन बनाया जाये। अभनपुर क्षेत्र में जो शासकीय भूमि में पटवारी मन के द्वारा नंबर डालके शासकीय भूमि ला बिक्री करे के जो पटवारी मन के द्वारा जो जालसाजी करे जाथे ओमे भी रोक लगाये जाये और काबिल काश्त की जमीन ला बिक्री करे से एला रोक लगाये जाये। मैं मंत्री जी से यही निवेदन करत हुए मेहा आज के बजट में भाग लेहौं ओखर लिये मंत्री जी अउ सभापति महोदय जी, आपके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करत हुए अपन वाणी ला विराम देथव।

सभापति महोदय :- श्री ब्यास कश्यप।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जांजगीर-चांपा मुख्यालय बने लगभग 25 वर्ष से अधिक हो गये हैं। पर वहां आज भी ऑफिस की कमी महसूस हो रही है साथ ही कर्मचारियों के आवास की भी कमी है। इस हेतु बिलासपुर या फिर रायगढ़ से आना-जाना करते हैं और समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण जो कि हितग्राही अपना काम कराने के लिए आते हैं, उनका काम नहीं हो पाता। वे दुखी रहते हैं, इसलिए मैं

जिला मुख्यालय में पुरूष एवं महिला कर्मचारी हेतु कम से कम अभी ट्रांजिट हॉस्टल खोला जावे। विशेषकर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर। अभी कलेक्टर, एस.डी.एम. एवं तहसील ऑफिसों में लंबित मामले ज्यादा हैं, इस हेतु समय-सीमा में भी फैसले हों ताकि वादी-प्रतिवादी को समय पर न्याय मिल सके। एक मामला ग्राम मरकाडीह ग्राम पंचायत धुरकोट का है। जो कि अपने आपको राजस्व ग्राम की मांग करने के लिए विगत लंबे समय से वे मांग कर रहे हैं। 1 हजार तो मतदाता हो गये हैं। स्वयं का उनका पोलिंग बूथ है, परंतु एक राजस्व ग्राम की मांग के लिए कलेक्ट्रेट में मांग लंबित है, कृपा करके ग्राम मरकाडीह को राजस्व ग्राम घोषित करने की कृपा करें।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहथव कि एको झन मंत्री नहीं हे। ओ विभाग हे तो उहू हा मजबूरी में बइठे हे नहीं तो उहू भाग जातिस।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- भैया, नहीं दिखत हे का?

श्री रामकुमार यादव :- ओ देखत हव दीदी, तोरो विभाग हे तो बइठे हस और ए जतका झन आगू में बइठे हे। सभापति जी, ए सदन में पहली बार देखे हन। हमो मन रहे हन। हमर मंत्री मन, उप मुख्यमंत्री सब विभाग में बइठे रहे। इस प्रकार के हावय। जेन मन मंत्री नहीं बने हे तेन बेचारा मन बइठे हे।

श्रीमती भावना बोहरा :- सुन ला भाई, एको दिन चलथे। रोज बइठथे। चलन दे भाई। (व्यवधान)

श्री योगेश्वर राजू सिन्हा :- रामकुमार जी, इस तरफ के सदस्य ही काफी हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में धारा 15 व 16 की त्रुटि सुधार हेतु समीक्षा की जा चुकी है। इस पर हितग्राही, पटवारी, तहसीलदार, एस.डी.एम. कार्यालय तक लगातार चक्कर लगाना पड़ रहा है तो इसकी समीक्षा करके व्यवस्था अच्छी दी जानी चाहिए। अभी वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार में भी भा.ज.पा. की ही सरकार है। जमीन की जैसी ही खरीदी-बिक्री होती है, रजिस्ट्री हो जाती है। तत्काल नामांतरण की व्यवस्था वहां है। छत्तीसगढ़ में भी वह व्यवस्था दी जाये ताकि पटवारियों का या तहसील ऑफिस का लगाना चक्कर न लगाना पड़े। माननीय मंत्री महोदय, हमारी बातों को भी आप ध्यान देने की कृपा करें। शासन का रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से एक जमीन जितने हमारे हैं, अक्षांश, देशांतर से पता चल जावेगा। पूरी दुनिया आज ऑनलाइन की ओर जा रही है। मितान योजना के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा दीजिए। माननीय भूपेश सरकार के समय यह व्यवस्था थी कि घर-घर जाकर सेवा दे रहे थे । डॉ. रमन सिंह जी सरकार में जांजगीर चांपा जिला में 50 से अधिक औद्योगिक एवं पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. हुए थे पर वह शुरू नहीं हो पाया है, जमीन का अधिग्रहण भी किया जा चुका है, किसान खेती भी कर रहे हैं, कृपया किसानों को वह जमीन वापस की जाए। मैं विशेषकर भू- माफियाओं के विषय में आना चाहता हूं। जांजगीर, चांपा दोनों नगर पालिका शहरी क्षेत्र है, दोनों नगरपालिका में ड़ेढ लाख की आबादी निवास कर रही है। चांपा नगरपालिका क्षेत्र में रामबंधान

तालाब का डूबा हुआ एरिया है, खसरा नं. 159 रकबा 57 डिसमिल जमीन है, वहां पर नगर पालिका एवं भू-माफियाओं ने बिना प्लानिंग के कब्जा कर लिया है, कोई मकान नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई आद्योगिक क्षेत्र नहीं है, करोड़ों रूपए की राशि लगाकार 50/500 फीट की सी.सी. रोड का निर्माण कर दिया गया है। वह इसलिए किया गया है कि भू-माफियाओं को लाभ देना है। अत: वहां पर तत्काल कार्रवाई की जाए और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। ग्राम बनारी में सुंदर सूर्यवंशी पिता अंतराम सूर्यवंशी द्वारा 1976 में सरकार के द्वारा जमीन नीलामी कर ली गयी थी, उस जमीन की रिकार्ड को सूर्यवंशी भाई सुधार नहीं पाए और एक बाहुबली नेता उसके जमीन को कब्जा कर लिया है और मारपीट की धमकी दे रहा है, वह इस सरकार से न्याय की आस लगाए गुहार लगा रहा है। कृपा करके सुंदर सूर्यवंशी को न्याय मिले। सभापति महोदय, शासन के द्वारा कोटवारों को जमीन दी गयी है। कोटवार बेचारे गरीब रहते हैं, बड़े-बड़े प्रभावशाली लोग उनकी जमीन पर नजर गड़ाए रहते हैं, ऐसे कोटवारों की जमीन को जबर्दस्ती क्रय विक्रय की जा रही है, कृपा करके कोटवारों की जमीन को बेचने की अनुमति न दी जाए। मैंने आपको जांजगीर चांपा के बारे में अवगत कराया। अभी भवनों और कॉलोनियों का निर्माण बगैर रेरा की स्वीकृति के अवैध रूप से हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाए ताकि अगर स्वीकृति लेवें तो वह नियमानुसार शुल्क पटाएं जिससे सरकार को भी राजस्व का लाभ होगा हानि नहीं होगी। मैं एक विशेष बात नवागढ़ जनपद पंचायत मुख्यालय के विषय में बोल रहा हूं। 19 जनवरी, 2008 से वहां पर लिंक कोर्ट की स्थापना हुई है। वहां पर एक दिन न्यायालय लगता है, नवागढ़ में स्थायी रूप से एस.डी.एम. कार्यालय खोला जाए, इस हेतु 11 नंवबर, 2023 को डॉ. रमन सिंह जी ने भी वहां जाकर घोषणा की है, मैं मांग करता हूं कि नवागढ़ में अतिशीघ्र एस.डी.एम. कार्यालय प्रारंभ किया जाए।

सभापति महोदय, मैं खेल और युवा कल्याण के विषय में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खेल अकादमी खोलने का प्रावधान पूर्व में 15 वर्षों से नहीं था। पिछले पांच वर्षों में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने प्रयास किया और छत्तीसगढ़ की मांग पर ही केन्द्र ने स्वीकृति दी है। खेलो इंडिया के तहत् जांजगीर में भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर की स्वीकृति 7 फरवरी, 2023 को मिल चुकी है, इस बजट में भी इसको शामिल किया जाए। माननीय कलेक्टर महोदय के प्रयास से स्थल का चयन हो चुका है, अगर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स नहीं बनेगा तो भू माफियाओं की नजर उस स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के स्थान पर है, अत: तत्काल उस जगह को संरक्षित करके वहां पर अतिशीघ्र स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाई जाए। एशियार्ड एवं ओलंपिक की तैयारी हेतु बजट में उल्लेख नहीं है, इसमें सरकार का विजन नहीं दिखता। यह छत्तीसगढ़ खेल के क्षेत्र में अन्य राज्यों के मुकाबले पिछड़ा हुआ है, उसके लिए भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को माननीय भूपेश बघेल जी चालू किया था, ऐसे नौजवान जो राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से आते हैं, उनके लिए

यह व्यवस्था थी, उन्हें चालू किया जाए। नीयत चाहे कुछ भी हो, परंतु खेल के मामले में हमारे छत्तीसगढ़ के होनहार खिलाड़ी जो यहां के खेल हैं...।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, एक मिनट।

सभापति महोदय :- उनका भाषण पूरा होने दीजिए। आप बैठिए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, उसी विषय में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- नहीं, वे अपनी बात बोल रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- मोर बडे भैया हो गे ना।

सभापति महोदय :- वे अपनी बात बोल रहे हैं, आप बैठिए ना। उनको बोलने दीजिए ना।

श्री रामकुमार यादव :- चलिए।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैंने विशेष रूप से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ में ओलंपिक खेल के माध्यम से जो प्रतियोगिता होती थी, उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी आगे आते थे, इसे पुन: चालू किया जाए। भाई सुशांत शुक्ला जी ने बहतराई स्टेडियम की बात की है। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की सरकार के समय उस स्टेडियम के निर्माण की तैयारी हुई थी और उसे सभी जिला मुख्यालयों में प्रारंभ करना था। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सभी जिलों में वैसी खेल अकादमी और खेल परिसर का निर्माण हो। ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान प्रदेश, देश और एशियार्ड ओलंपिक जैसे खेलों में जाकर अपना नाम कमा सके। जांजगीर में खेल हेतु स्टेडियम का निर्माण किया जाए। मैं जिस समय नगर पालिका में उपाध्यक्ष था, उस समय खेल अकादमी के लिए राशि आई थी। उस राशि से स्टेडियम तो बन गया, परंतु दुर्भाग्य से स्टेडियम दूर होने के कारण वहां पर खेल का आयोजन न होकर वह धान संग्रहण केन्द्र के काम आ रहा है। अब वहां पर धान का संग्रहण नहीं होता है तो कम से कम उसे पुनर्जीवित करके खिलाड़ियों के लिए शुरू कर दिया जाए। जिससे हमारे नौजवान अपनी खेल प्रतिभा को आगे बढ़ायें। जांजगीर-चांपा जिला शुरू से ही एशियार्ड एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेकर अपनी पहचान बना चुका है। शासकीय सेवा देकर अपने जीवन को भी धन्य कर चुके हैं। अत: जांजगीर-चांपा जिला शुरू से ही इस क्षेत्र में आगे रहा है। कृपा करके जांजगीर-चांपा जिले को विशेष ध्यान में रखकर उसकी खेल-कूद में अलग पहचान हो, इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक और विषय आया है कि प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय की बात है, परंतु बजट में सरकार की मंशा उस स्तर पर नहीं दिखती है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। जैसे हमारे छोटे लोग होते हैं कि किसी का मकान जल गया या कहीं पर टूट-फूट गया या प्राकृतिक आपदा आ गया तो वह हितग्राही बनकर लगातार सालों तक तहसील ऑफिस, एस.डी.एस. ऑफिस का चक्कर लगाते हैं। कई सालों बाद उनको क्या मिलता है? 500, 1000 या 2000 रूपये मिलते हैं। उतना तो वह पटवारी या लगातार चक्कर लगाने में डीजल और पेट्रोल में खर्च कर देते हैं। कृपा

करके ऐसे प्रकरणों पर तत्काल ध्यान देकर ऐसे हितग्राहियों को समय-सीमा में उनको मुआवजा दिया जाये। मैं स्वयं किसान हूं। कई किसान प्राकृतिक आपदा, डूबान क्षेत्र और कीड़े-मकोड़े लग जाने से नुकसान होने से परेशान हो जाते हैं तो ऐसे प्रकरणों में भी समय-सीमा में किसानों पर ध्यान दिया जाए। मैं सरकार से यही बात कहता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- रामकुमार टोप्पो जी। राजेश अग्रवाल जी।

श्री राजेश अग्रवाल (अंबिकापुर) :- माननीय सभापति महोदय, खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बजट प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपनी बात रख रहा हूं। बजट के बारे में सुशांत शुक्ला जी, रोहित साहू जी और इन्द्र कुमार साहू जी ने विस्तार से बता दिया है इसलिए मैं बजट के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मैं सीधे अपनी मांगों को रख रहा हूं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को यहां की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए खेल एवं प्रशिक्षक मैदान उपलब्ध हों। जैसे नारायणपुर में मलखम्भ के बहुत सारे खिलाड़ी हैं। जशपुर में हॉकी के बहुत सारे खिलाड़ी हैं। जगदलपुर और अंबिकापुर में फुटबाल के खिलाड़ी हैं। बिलासपुर में सूटिंग रेंज है। अंबिकापुर में बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। इस प्रकार के बहुत से क्षेत्रीय खेल हैं, जहां पर यदि प्रशिक्षक और मैदान की व्यवस्था हो जाए तो वहां से अच्छे खिलाड़ी निकल सकते हैं। वहां पर I.N.S. के कोच लाये जाएं। खेल मैदानों के संरक्षण हेतु C.S.R. के तहत् सहयोग सुनिश्चित हो। सभी ग्राम पंचायतों में एक अच्छा खेल मैदान हो। महिला सदन की तरह युवा सदन का भी निर्माण हो। हम बड़े-बड़े स्टेडियम और ऑडिटोरियम की तो मांग करते हैं लेकिन यह देखा जा रहा है कि निगम क्षेत्र की वार्डों में छोटे-छोटे मैदानों की कमी से छोटे-छोटे बच्चे व महिलाएं अपने खेल-कूद से वंचित रह जाते हैं। यदि हम छोटे-छोटे मैदान तैयार करें तो हमारे छोटे बच्चों में भी खेल के प्रति बहुत ज्यादा रूचि रहेगी और मोबाइल से भी थोड़ा दूर हो पाएंगे। राज्य अलंकरण समारोह, जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय पद्म श्री पुरस्कारों के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को निकालकर उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। वैसे ही हमारे सुदूर अंचल के अति प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अलंकृत करने से मैं समझता हूं कि खिलाड़ियों में खेल के प्रति भावना जागृत होगी और ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। राजस्व आपदा प्रबंधन समिति की बैठक अनिवार्य हो, जिससे आपदा प्रबंधन की राशि जल्दी से दी जा सके। वह राशि खर्च भी नहीं हो पा रही है, उक्त राशि का समुचित उपयोग हो सके, इसके लिए उसकी बैठक की तिथि निर्धारित रहे ।

सभापति महोदय, मैं अंबिकापुर विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ मांगें रख रहा हूं । अंबिकापुर में जमीन बिक्री नकल हेतु तहसीलदार से अनुमति लेना पड़ती है, जिसके लिए कम से कम 2 से 4 माह लगता है, जिससे क्रेता एवं विक्रेता को बहुत ज्यादा परेशानी होती है । इस बारे में ध्यान देना जरूरी है । डायवर्सन प्रकरण का निपटारा नहीं किया जाता है । डायवर्सन प्रकरण सालों से लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन वहां डायवर्सन नहीं हो रहे हैं । उसके ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । साथ ही जो डायवर्टेड प्लाट

है, उसमें क्रेता और विक्रेता दोनों सामान्य वर्ग से हैं, उसके लिए भी कलेक्टर की मंजूरी लगती है, जिसमें सालों लग जाते हैं । उसमें भी समय-सीमा निर्धारित करना आवश्यक है ।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र का उदयपुर बहुत बड़ा विकासखण्ड है । वहां पर खम्हरिया गांव में तहसील कार्यालय स्थापित करना आवश्यक है । लखनपुर में एस.डी.एम. कार्यालय की स्थापना करना आवश्यक है । मुझे लगता है कि इसमें सभापति जी भी सहमति देंगे क्योंकि उनके विधान सभा का भी बहुत बड़ा क्षेत्र लखनपुर में आता है। मैं इन्हीं मांगों को आपके समक्ष रख रहा हूं । मुझे उम्मीद है कि इन सभी मांगों पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे । मैं मंत्री जी के बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है । मैं सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं । धन्यवाद ।

श्री रामकुमार यादव :- डब्ल्यू.डब्ल्यू. एफ. खेले हव ?

श्री राजेश अग्रवाल :- हां, खेला हूं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- सभापति महोदय, पूरे देश की जनता के साथ-साथ प्रदेश की जनता को कहीं न कहीं एक से अधिक बार राजस्व के मामले में तहसील, राजस्व निरीक्षक मण्डल या कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं । अनुभाग एवं कलेक्टर तक तो ठीक है, लेकिन पटवारी भगवान है । कलेक्टर मिल जाएंगे, तहसीलदार मिल जाएंगे, अनुभाग के अधिकारी मिल जाएंगे, लेकिन पटवारी को खोजना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक पटवारी को कई हल्का दिया जाता है । एक पटवारी दो, तीन, चार हल्का सम्हाल रहे हैं । वहां जाने पर पता चलता है कि पटवारी नहीं हैं, उनके तीन असिस्टेंट बैठे हैं । पटवारी साहब बोले हैं कि आप तीन बजे आना । जब तीन बजे जाते हैं तो पता चलता है कि पटवारी दूसरे हल्का में बैठे हैं । उनके पास तीन असिस्टेंट हैं, उतना असिस्टेंट तो एस.डी.एम. के पास भी नहीं रहता, न ही कलेक्टर साहब के पास रहता । कलेक्टर साहब के पास एक स्टेनो और एक बाबू रहते हैं, लेकिन पटवारी लोग तीन-चार सहायक लेकर बैठे रहते हैं । धर्मजीत भैया, रेट लिस्ट फिक्स है । माननीय मंत्री जी, मैं बता रहा हूं कि नामांतरण का इतना, बंटवारा का इतना, फौती का इतना लगता है । ऐसा एक बढ़िया रेट का चार्ट वहां लगा रहता है और पांच बजे के बाद उनका आफिस खुलता है । जब सारे कार्यालय का आफिस बंद हो जाता है, तब वह आफिस खुलता है और ऐसे संचालित होता है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा और मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि शाम को लुका छिपी का खेल चल रहा है, जो पटवारी कार्यालय पांच बजे के बाद खुलते हैं, उस पर भी अंकुश लगाया जाये । इसमें एक बार प्रापर मानीटरिंग होनी चाहिए, ताकि व्यवस्था में परिवर्तन हो सके । यह आपको जरूर असमंजस लगेगा, लेकिन मैं उस क्षेत्र में लगातार दौरा करता हूं । मैं चार-पांच बजे के बाद मैं किसी गांव के दौरे में रहता हूं तो वे बढ़िया आफिस खोलकर बैठे रहते हैं । जब मैं पूछता हूं कि कईसे बइठे हस तो पटवारी साहब केहे हे कि पांच बजे के बाद आफिस खोलहू, अउ जेन आही,

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

तेकर मन के हिसाब किताब ला करहूं । तो ऐसी परिस्थितियां आज निर्मित हैं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको जरूर संज्ञान में लेते हुए इस पर विचार करें और कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

माननीय सभापति महोदय, प्रारंभिक तौर पर नामान्तरण, फौती और बंटवारे के जो मामले होते हैं, उसमें इस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। सीमांकन के लिए तो कुछ ज्यादा ही परेशान होना पड़ता है। गांव के लोगों को ज्यादा काम पटवारी से ही होता है। राजस्व निरीक्षक मण्डल से सही समय पर काम नहीं हो पाता है, जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत: हर हल्के में सदस्य पटवारी की तिथि सुनिश्चित होने के बाद भी वह समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि पटवारी के पद रिक्त हो चुके हैं तो और पद सृजित करें और उसे भरें और व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग प्रदान करें।

सभापति महोदय, पंचायत से नामान्तरण, फौती और बंटवारा का प्रस्ताव भेज दिया जाता है। पंचायत को बढ़िया अधिकार मिला है, पंचायत उसका बढ़िया भेज देता है। लेकिन वह ऊपर में एक महीने, दो महीने, तीन महीने लटका रहता है। एक तहसील में अलग अलग नायब तहसीलदार को अलग अलग हल्के का कार्य विभाजन रहता है। ये नायब तहसीलदार इस क्षेत्र को देखेगा और वो नायब तहसीलदार उस क्षेत्र को देखेगा। कई गांव के लोग शहर में रहते हैं। रोजी रोटी के लिए या नौकरी के लिए शहर में इधर-उधर रहते हैं। यदि जब कोई परिस्थिति आती है तो वे गांव आते हैं, लेकिन उनका उस समय काम नहीं हो पाता है। वह छुट्टी लेकर आया रहता है, फिर तुरन्त लौट जाता है, चार दिन बाद फिर आता है, फिर काम नहीं हो पाता, लगातार ऐसी अवस्था निर्मित होती है। माननीय सभापति महोदय, वहां पर सेटिंग चलता है। सेटिंग ऐसा रहता है कि तीन महीना हो गय हे, तोर काम बर तीन महीना फेर लटकबे, वहां कहीं न कहीं एकाध दलाल सक्रिय रहता है। आप देख लीजियेगा, तहसील में कोई न कोई दलाल सक्रिय रहता है और वह रेट तय करता है कि नामान्तरण में इतना रूपया लगेगा, बंटवारा में इतना रूपया लगेगा, उस हिसाब से वह काम आगे बढ़ता है। जितनी जल्दी हो सके, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, तहसील में जो काम है, उसको किस हिसाब से पूरा करें, उसे आप देखिये। आप उसके लिए चाहे शिविर लगायें या अन्य माध्यम से हो, लेकिन पूरा करें। अभी काम में कुछ जरूर प्रगति आई, मैं आपको उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी लगातार मांग थी कि गांव में जाकर, चाहे वह कलेक्टर के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, वहां शिविर संचालित हो और लोगों का जो छोटे-छोटे काम है, उस पर त्वरित कार्यवाही हो और उसका निराकरण हो। हालांकि इसमें प्रगति आई है,

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

फिर भी बहुत से ऐसे मामलें हैं, जिसके कारण आज भी लोगों परेशानी उठाना पड़ता है और लोग आज भी घूम रहे हैं।

मानानीय सभापति महोदय, अवैध प्लाटिंग का कार्य भी जोरो पर चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी लगातार समाचार-पत्रों या अन्य के माध्यमों से बालोद जिले के बारे में पता चला है। कलेक्टर, स्थानीय अधिकारियों को पत्र के माध्यम से जानकारी दिया जा रहा है, लेकिन उसमें ठोस या प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रहा है। उन्हें बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है। बालोद जिले में तो अवैध प्लाटिंग के लिए तो पूरा एक सिंडीकेट काम कर रहा है। सरकार की खाली जमीन को बेच दिया जा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के नगर अर्जुन्दा के मामले में प्रश्न के माध्यम से, पत्र के माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराया था। पानी की जमीन, बहुत महत्वपूर्ण जमीन होता है, जिसके माध्यम से हम लोगों को पानी की सुविधा देते हैं, सिंचाई की सुविधा देते हैं, उस पानी की जमीन को, जो मुख्य सड़क में है, भू-माफिया अपनी जमीन का प्लाटिंग करने के लिए पूरा पाट दिए और लेवल बराबर कर दिया गया है। उसी के बगल में एक व्यवसायी पेट्रोल पंप बनाने के लिए जमीन पाट दिया है। लगभग 25 से 30 डिसमिल जमीन वहां पट चुका है, आज की तारीख में वहां की जमीन 5 से 7 लाख रूपये डिसमिल बिक रहा है। यदि हम आंकलन करें तो अगर सरकार का 25 डिसमिल जमीन दबा हुआ है, तो हमारा डेढ़ से दो करोड़ रूपये का नुकसान हो चुका है। वह ताजमहल बनाये, उसमें हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार की जो जमीन है, कम से कम खाली कर दे। वह अपना रास्ता पुल के माध्यम से बना ले। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, इस पर तुरन्त संज्ञान लें। मैंने कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी लाया है, अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को भी जानकारी दिया है। लेकिन अभी तक इसमें कोई ठोस पहल या कार्यवाही नहीं हुआ है। प्रापर गुण्डरदेही में लगभग साढ़े सत्रह एकड़ जमीन अवैध रूप से लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। गुंडरदेही की करोड़ों की जमीन है, साढ़े 17 एकड़ जमीन है, अगर खसरा नंबर भी पूछना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि उस जमीन का खसरा नंबर 769, 791, 551 है, जिसे लोग कब्जा करके बैठे हैं ।सभापति महोदय, यहां अवैध प्लाटिंग का कारोबार लगातार चल रहा है, आदिवासी की जमीन को कृषि के लिये खरीदा जाता है, आज उसका प्रयोजन व्यावसायिक कार्यों के लिये हो रहा है । पेट्रोल पम्प बन गये हैं, काम्पलेक्स बन गये हैं, ऐसे काम वहां पर हुये हैं, इस पर भी अंकुश लगाना जरूरी है । माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग के अधिकारी आजकल विभागीय काम को छोड़ दिये हैं, सुबह 6 बजे से चौक में खड़े हैं, ट्रक को रोक रहे हैं, बिल्टी दिखाओ, पर्ची दिखाओ, कहां से ला रहे हो, बढिया देख रहे हैं । सब चीज मिल रहा है, उसके बाद गाड़ी का ओवहर लोडिंग है । गाड़ी को थाने में खड़ी कर रहे हैं । अब नापे त नइ ए कतका किलो रेत उपराहा हे, रेती ला कोन नाप डारही गा, ओव्हरलोडिंग के नाम से फाईन, अगर फाईन नहीं दे रहे हैं तो बढ़िया है, सुबह से जो पर्ची कटा है उसके हिसाब से 25, 30, 40,

50 ट्रक रोज पार हो रहे हैं । अपने कर्त्तव्यों का जो अधिकारी जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, उसके लिये मैं धन्यवाद दूंगा कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उसी में से कुछ अधिकारी को, उसी रेत माफियाओं के द्वारा धमकी दिया जाता है कि मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से शिकायत करके देख लूंगा ।

सभापति महोदय :- निषाद जी, 10 मिनट हो गये हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी रिकार्डिंग है और पूरा प्रूफ है कि अधिकारी को भी धमकी दिया जा रहा है, डराया जा रहा है । अवैध कामों में जो लिप्त रेत माफिया हैं, उनके लिये भी ऐसा कुछ सख्ती से प्रयास हो, ताकि वह अधिकारी और कर्मचारी को डराये, धमकाये मत, उसे अपना काम करने दें । सभापति महोदय, बाढ़ और आपदा पर राजस्व विभाग की महती जिम्मेदारी होती है, वोला वृष्टि, अति वृष्टि, ऐसे कई प्रकरण हैं, प्रकरण तो बन जाते हैं, माननीय व्यास भईया ने कहा है कि उसको मुआवजा राशि मिलने में लगभग 4 महीना, 6 महीना, साल भर भी लग जाता है । किसी का घर जला है, आप प्रमाणित कर रहे हैं कि इसका घर जल गया है, इसको क्षतिपूर्ति मिलना चाहिये, लेकिन साल-साल भर से घूम रहे हैं, लेकिन कितना मिलता है 1 हजार, 2 हजार, 3 हजार रूपये । वैसे ही फसल बरबाद हुआ है, फसल के मुआवजे के लिये लोग साल-साल, दो-दो साल भटक रहे हैं । 6 (4) का प्रकरण है, किसी को सांप ने काट दिया हो, पानी में डूबकर खत्म हुआ है, उसके लिये भी लगभग 4 महीना, 6 महीना, साल भर रूकना पड़ता है, अत: इसके लिये भी एक समयसीमा निर्धारित हो और बहुत जल्दी उसको लाभ मिले, ऐसा मैं चाहता हूँ । सभापति महोदय, ऐसे बहुत सारी योजनायें हैं, जैसे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि, राज्य आपदा मोचन निधि, इसके बारे में हमारे बहुत से साथियों को पता नहीं है, इसमें बड़ा खेल होता है । सेटिंग में अपना काम लोगों को दे दिया जाता है, हमारे विधायक लोग वंचित रह जाते हैं । माननीय मंत्री जी मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सभी विधायकों से प्रस्ताव लेकर जरूर उनके क्षेत्र में विकास कार्यो के लिये इस योजना के माध्यम से राशि दी जाये । माननीय सभापति महोदय, मेरी विधान सभा की कुछ मांग है, मैं इसे पटल पर रखना चाहूंगा। मैंने आपसे पूर्व में भी बात की थी कि मारीबंगला देवरी तहसील में लगभग 96 गांव आते हैं, माननीय भूपेश बघेल जी के आर्शीवाद से दो नये तहसील अर्जुन्दा और मारीबंगला देवरी बने हैं । सभापति 96 गांव देवरी में आते हैं, लेकिन आज भी उनके विभाग के लिये लोहारा जाना पड़ता है । उस समय डौंडी लोहारा और डौंडी, एक ही अनुभाग में दो तहसीलें होती थी लेकिन अब डौंडी अलग अनुभाग बन चुका है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोहारा और देवरी एक होने के कारण वहां एक अनुविभागीय अधिकारी का लिंक कोर्ट लगे ताकि 96 गांव के लोगों को उसकी सुविधा और उसका लाभ मिल सके। आपने उस समय भी मुझे आश्वस्त किया था लेकिन मैं एक बार फिर इस सदन के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अर्जुंदा नई तहसील बन चुका है, वहां बढ़िया भवन भी बन गया है लेकिन वहां कर्मचारी क्वार्टर और आवास नहीं होने के कारण अधिकारी एवं कर्मचारी या तो गुण्डरदेही से आते हैं या फिर बाहर से आते हैं। यदि वहां पर स्टॉफ क्वार्टर बन जाये और बाऊण्ड्रीवॉल बन जाये तो एक सुरक्षा हो जायेगी और एक घेरा भी हो जायेगा। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अर्जुंदा तहसील में 96 गांव और मारीबंगला देवरी तहसील में 62 गांव आते हैं। गुण्डरदेही बहुत बड़ा तहसील हो जाता है। इधर लोहारा भी बहुत बड़ा तहसील हो जाता है। यदि अर्जुंदा तहसील और मारीबंगला देवरी तहसील को मिलाकर एक अनुभाग बना दिया जाये तो 96 गांव और 62 गांव, लगभग 158 गांव के लोगों को एक अनुभाग बनने से यह सुविधा मिल सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसमें गंभीरतापूर्वक विचार करके लोगों को सुविधा दिलाने की कृपा करें।

सभापति महोदय, कुछ ग्रामों के नक्शा एवं खसरा में ही त्रुटि हो गयी है, उनका पूरा सिस्टम ही गायब हो गया है। एक मोहंदीपाट नामक गांव है और एक नहांदा नामक गांव है, जिसका डिजिलाईटेशन नहीं होने के कारण और पूरा नक्शा, खसरा गड़बड़ होने के कारण उस गांव में आज भी ठीक से एक जगह का न तो नाप हो पाता है, न परिमाप हो पाता है, वहां पर एक ही खसरा में सब भटक रहे हैं और घूम रहे हैं। उस पर भी विचार होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आज के इस प्रमुख बजट चर्चा में माननीय मंत्री जी से एक चीज की और मांग करना चाहूंगा कि मेरा निवास अर्जुंदा में है और वहां पर कॉलेज संचालित हो रहे हैं। वहां कॉलेज के पास एक बड़ा-सा मैदान है, यदि उसे मिनी स्टेडियम बना दिया जाये तो अभी अर्जुंदा में मेरी बेटियां, जो राष्ट्रीय स्तर के खेल तक अपनी प्रसिद्धि दिला चुकी है और उनकी अंतर्राष्ट्रीय खेल में जाने की तैयारी है। मैं अपने स्तर पर उनको सहयोग करता हूं। मैं चाहता हूं कि उनके लिये एक बड़े से ग्राउण्ड की व्यवस्था हो जाये ताकि वे उसमें प्रैक्टिस कर सके। वह आज किसी न किसी सामुदायिक भवन में या स्कूल के किसी ग्राउण्ड में जाकर प्रैक्टिस करती हैं। यदि हम उनको पर्याप्त व्यवस्था दे दें तो निश्चित ही वह बेटियां आज उस गांव से निकलकर देश के मानचित्रों में कुछ दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर पायेंगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्जुंदा में मिनी स्टेडियम की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलने वाला हूं। माननीय मंत्री जी बहुत ही बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तो यह शुरूआत है। मंत्री जी धीरे-धीरे राजस्व विभाग को ठीक करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि तखतपुर विधान सभा में

एक सकर्रा गांव है, आप यहां पर वहां उप तहसील खोलने के लिये घोषणा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं उन लोगों से बोलकर आया था।

सभापति महोदय, यह बाढ़ आपदा राहत मद का पैसा कैसे खर्चा होता है, यह समझ में नहीं आया। मैंने पिछली सरकार में भी मंत्री जी से यह जानने की कोशिश की थी लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। आप इसे समझ कर हमको भी समझा दीजिये कि बाढ़ आपदा राहत मद में कुछ पैसा रहता है, ऐसा बताया जाता था।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, उसमें 205 करोड़ रूपये का प्रावधान है। लेकिन आज तक वह राशि किसी को नहीं मिली।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, है या नहीं है वह अलग बात है। यदि उसमें प्रावधान होगा तो माननीय मंत्री जी से ले लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप उसको समझ कर हमको समझा दीजियेगा। लेकिन आप अभी हमको एक उप तहसील दे दीजिये, यह हमारे क्षेत्र के लोगों की मांग है और आप यह मांग जनहित में जरूर पूरी करेंगे। आपका विभाग अच्छा है, आप टाईट करियेगा, आप अच्छा कर ही रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विपक्ष की जो शिकायतें हैं, उसको भी मंत्री जी ठीक कर देंगे। आप ही लोगों ने 05 साल तक सब बिगाड़ दिया था।

सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार यादव जी।

श्रीमती सविता

सविता\21-02-2024\g14\05.00-05.5

समय
5.00 बजे

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, बस दो मिनट में मोर क्षेत्र के ही बात ला करिहौं।

सभापति महोदय :- जो आपकी बात है, उसमें अपने क्षेत्र की मांगों को रखें।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, जी। मैं माननीय मंत्री जी ला आपके माध्यम से यही कहना चाहत हौं। अब एक झन तो मंत्री बाचें हे तहु हा व्यस्त रहूं ता हमन कइसे करबो भई।

सभापति महोदय :- चलिए, आप बोलिए। माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, आप सक्षम सभापति हैं आप थोड़ा ए मन ला डांटे करव। ए मेर कोई नइ हे। हमर गोठ सुनईया नइ हे।

माननीय सभापति महोदय, पहिली एक छोटे से कहावत रिहिस हे।

सभापति महोदय :- आप कहावत की बात छोड़िये। अपनी मांगों को बताईये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, कहावत में ही सबकुछ है। "पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब।" एक समय में हाना रिहिस हे, लेकिन आज उल्टा हो गे हे। अगर आज ग्रामीण स्तर में भी लइका मन खेलए तो ओ मन ला भी आगे बढ़े के मौका मिलथे। एक जमाना रिहिस हे कि अभिनेता के बेटा अभिनेता बनए अउ क्रिकेटर के बेटा हा क्रिकेटर बनए। नेता के बेटा नेता बनए, लेकिन आज जस्ट उल्टा हो गे हे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहत हौं कि मोर क्षेत्र में अकोलजमोरा जे अंतिम छोर के गांव हे, मोर एरिया में एक ठन सारसडोल हावए, जो ग्रामीण स्तर के छोड़ ओ मे ज्यादा पइसा न लागए, खेल मैदान हा 10-20 लाख रूपया में बन जथे। ओ ला बना देतेव ता गांव के लइका मन खेल डारतिन। दूसरा एक ठन उप तहसील सिंघरा में पहिली सबकुछ नापजोंक के पूरा हो गे हे। आप आदेश करिहौ तो उहां आठ दिन में एक दिन तहसीलदार हा जाकर बइठ जही तो एक ठन ओ कृपा कर देतेव। बाढ़ आपदा में कहना चाहत हौं कि मोर एरिया में सबसे ज्यादा बाढ़ आथे क्योंकि उहां महानदी हे। हमर एति बाढ़ आथे ता आदमी मन देखे बर जाथे कि बाढ़ कईसे आए हे। कइसे एमन बूड़ के मरत हे, कइसे एकर मन के घर हा बूढ़त हे, तेला देखे बर जाथे, लेकिन जब बाढ़ आपदा में पईसा जारी होथे ता हमर एरिया में एको ठन नहीं राहए। ओ सूखा ठण्डा पड़े रहिथे तिहां पइसा जारी होथे। तो आपके माध्यम से निवेदन हे कि ओकर नामे बाढ़ आपदा हे ता जिहां बाढ़ आही उहां तो पइसा ला देहौ या ओकर नाम ला बदल दौ। एकर सेती मोर निवेदन हे कि जब भी बाढ़ आपदा में राशि जारी करिहौ तो ए प्रदेश में कहां-कहां बाढ़ आथे ओ ला ध्यान में रखते हुए, अगर ए में 200 करोड़ के राशि के प्रावधान हो ही तो मैं विश्वास के साथ कहात हौं कि मैं हा सबसे ज्यादा 50 करोड़ के राशि पाहौं। काबर कि मोरे इहां ज्यादा बाढ़ आथे। एमा जरूर आशा रही कि आप ध्यान दे कर करिहौ। मोर क्षेत्र के मांग ला करते हुए, अतकी में मोर बात आ गिस हे। मैं अपन वाणी ला विराम देवत हौं।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- आप दो मिनट में अपनी बात रखें।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद्। मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है। मुझे थोड़ा समय चाहिए।

सभापति महोदय :- आपका नाम आया था। आप उस समय बाहर चली गई थीं। इसलिए मैंने आपको मौका दिया है।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं राजस्व विभाग पर अपनी बातें और मांगें रखना चाहती हूँ। यह कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है और हम इस प्रदेश को धान का कटोरा भी कहते हैं। राजस्व विभाग किसानों से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है। प्रतिदिन किसान का राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से काम होता है, लेकिन आज मैं इस सदन के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि आज पूरे प्रदेश में पटवारियों का हाल, बेहाल है। यहां किसी कलेक्टर को फोन लगाना आसान होता है, लेकिन जब हम एक पटवारी को फोन लगाते हैं तो वह फोन भी नहीं उठाते और अलग से हमें फोन भी नहीं करते हैं। हम लोगों को पटवारी को ढूंढना पड़ता है। मेरे परिवार में सीमांकन के लिए एक आर.आई. को बुलाया गया था, लेकिन उस आर.आई. का कहना है कि हम सीमांकन के लिए आएंगे तो हमारे आने जाने का खर्च भी दीजिए। वह खर्च भी मांगते हैं और सीमांकन के लिए 15-20 हजार रूपये की डिमाण्ड भी करते हैं। मेरे परिवार वालों ने मुझे फोन किया कि इस तरह की बात है, हमसे आर.आई. पैसे की मांग कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप उनसे पूछिए कि वह किसके लिए राशि की मांग कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर देना पड़ता है। मैं इस सदन के माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि उन लोग देवलोक के भगवान को देते हैं या धरती के भगवान को देने के लिए वसूली करते हैं। यह पूरे प्रदेश का मामला है। किसान छोटे-छोटे कामों के लिए आते हैं उनसे पटवारी भी हजार, दो हजार, तीन हजार रूपये की मांग करते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पूरे प्रदेश के पटवारी जो वसूली कर रहे हैं उसमें रोक लगायी जाये और उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। पूरे प्रदेश के पटवारियों को अपने मुख्यालय में रहने का आदेश...।

श्री नीलकण्ठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, हमारी बहन जी जो बोल रही हैं, मैं उस पर एक मिनट बोलना चाहता हूँ। इसमें हमारा भी सहयोग रहता है।

सभापति महोदय :- आप उनको बोलने दीजिए। बीच में न टोंके।

श्री नीलकण्ठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट का समय चाहिए।

सभापति महोदय :- देखिए। आपका बोलने वालों में नाम नहीं है।

श्री नीलकण्ठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन मैं एक मिनट बताना चाहता हूँ ..।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- एक मिनट। भईया, मैं बताना चाहती हूँ कि ..।

श्री नीलकण्ठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। "न खाऊंगा न खाने दूंगा"।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- भईया, अभी तो 15 दिन पहले की बात है। आपके शासनकाल की ही बात है।

श्री नीलकण्ठ टेकाम :- आप वाईस रिकॉर्ड करवाईये कि वहां कौन सा पटवारी पैसा लेने की बात कर रहा है। आप लोक सेवा गारण्टी के तहत ...।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- मैं मंत्री महोदय को उस पटवारी के बारे में लिखकर दूंगी।

श्री नीलकंठ टेकाम :- आप देखिये, लोक सेवा गारंटी में 3 महीने, 6 महीने की व्यवस्था बनी हुई है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सदस्य महोदय जी अभी-अभी मैंने बताया कि 04 दिन पहले घने पेड़ के जंगल की 10 एकड़ जमीन को पटवारी ने बेच दिया। .. (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग व्यवस्था को चलने दें, बीच में टोकाटाकी न करें। सबको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है।

श्री नीलकंठ टेकाम :- सम्माननीय सदस्य, पटवारी बगैर राजस्व का सिस्टम चल नहीं सकता है। भले हम सदन में खड़े हो करके पटवारी को जितना भला-बुरा कह दें, लेकिन आखिरकार पटवारी के सहयोग के बगैर, जिसके पास जमीन की व्यवस्था के बारे में जानकारी है, उसको साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। 4-6 पटवारियों के कारण पूरे महकमा को बदनाम करना ठीक नहीं रहेगा।

श्री रामकुमार यादव :- कलेक्टर साहब, साथ में लेकर चले हैं, लेकिन ये विधान सभा हे, आप कलेक्टर नई हो।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य महोदय जी, अपनी बात रखिये।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, भैया जी बोल रहे हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है जबकि मेरे पति खुद एक वकील हैं। वकील होते हुए भी वह पटवारी को आज तक खोज रहे हैं। वह मुख्यालय में आते ही नहीं हैं। एक विधायक के पति वकील हैं, उसके साथ ऐसा हो व्यवहार हो रहा है तो छोटे किसानों के साथ कैसे व्यवहार करते होंगे, आप इसके बारे में सदन के माध्यम से जरा सोचिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, यह गंभीर विषय है।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश के पटवारियों को अपने मुख्यालय में रहने के लिए आदेश तो है, लेकिन पटवारी अपने मुख्यालय में रहने के बजाय शहर में निवास करते हैं जिसके कारण किसानों को भटकना पड़ता है। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि पटवारी को अपने मुख्यालय में रहने के लिए विभाग से कड़ा आदेश जारी हो ताकि पटवारी मुख्यालय में रहे और यदि पटवारी मुख्यालय में नहीं रहे तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग के रिकार्ड में त्रुटि सुधार का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को है, जिसके कारण से त्रुटि सुधार के बहुत से प्रकरण लंबित हैं। अगर त्रुटि सुधार का अधिकार पटवारी को

दिया जाता है तो इससे किसानों को बहुत मदद होगी, इसलिए त्रुटि सुधार का अधिकार पटवारी को दिया जाये।

मानीय सभापति महोदय, अविभाजित राजनांदगांव जिला में सन् 1958, 1968 में बंदोबस्त हुआ था जिसके बाद से आज तक बंदोबस्त नहीं हुआ है। अविभाजित राजनांदगांव जिला में बंदोबस्त कराना आवश्यक है इसलिए बंदोबस्त कराया जाये। नवीन जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के छुईखदान में अनुविभागीय कार्यालय खोला जाना चाहिए। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला में एक अनुविभागीय अधिकारी तीनों शहर के कार्यालय को संभाल रही हैं जिसके कारण राजस्व प्रकरण लंबित हैं। खैरागढ़ में तत्काल अनुविभागीय अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से एक मांग भी करना चाहती हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा साल्हेवारा को तहसील का और जालबांधा को उप-तहसील का दर्जा दिया गया था और दोनों जगह में अभी पुराने भवन में संचालित है और वह भवन बहुत ही जर्जर हो चुके हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस सदन के माध्यम से दोनों जगहों के लिये नये भवन की मांग करती हूं। मैं एक और मांग करना चाहती हूं कि हमारे राजस्व विभाग में प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए राहत विभाग भी है। हमारे खैरागढ़ विधान सभा में ओलावृष्टि से बहुत से किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिनका अभी तक मुआवजा का प्रकरण लंबित है, अभी तक मुआवजा के लिए किसान भटक रहे हैं, कलेक्टर के पास दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। मैं सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे किसान भाईयों को जल्दी से जल्दी मुआवजा की राशि प्राप्त हो।

सभापति महोदय, खेल-कूद विभाग में भी एक मांग करना चाहती हूं। मेरे खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में शहर से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है। हमारे ग्रामीण खेत्र में खेल-कूद में बहुत से बच्चे लोग अंतर्राष्ट्रीय खेल तक में भाग ले चुके हैं। सब लोग तो शहर के लिए मांग करते हैं, मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए खैरागढ़ ब्लाक में एक छोटा सा चिंगली गांव है, जहां पर बहुत सारी जमीन भी है। वहां के लोगों की मांग है कि वहां एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो जाये। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करना चाहती हूं कि वहां एक मिनी स्टेडियम की भी घोषणा इस सदन के माध्यम से कर दी जाये। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय :- नहीं, बहुत हो गया । आपका पैनल में नाम नहीं है। आप फिर बोल लीजियेगा।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, मैं आधा सेकंड के लिए बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि गरियाबंद जिला का मेरा विधान सभा क्षेत्र बिन्द्रानवागढ़ में मैनपुर ब्लॉक बहुत ही वनांचल क्षेत्र है और यहां पर लगभग 75 पंचायत है। 75 पंचायत में महज 7 पटवारी काम करते हैं। मैं चाह रहा हूं कि जितने भी पटवारी की पोस्टिंग करते हैं और यह लगभग सभी क्षेत्र संसेटिव्ह क्षेत्र हैं। वह 100 किलोमीटर के दायरे में है। वहां कोई पटवारी नहीं रहता है। वह मैदानी क्षेत्र में वापस हो जाते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पटवारी की नियुक्ति किया जाए, साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि पीपरछेड़ी और इंदागांव में उप तहसील संचालित था, वह अभी संचालित नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगा कि पुन: इंदागांव और पीपरछेड़ी में उप तहसील संचालित किया जाए। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से खेलकूद से संबंधित एक और जानकारी बताना चाहूंगा और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे यहां कमार जनजाति के लोग निवास करते हैं, जोकि राष्ट्रीय स्तर पर तिरंदाजी प्रतियोगिता में तीन-तीन बार हासिल किए हैं। सिकासेर के जो बहती हुई नदी है, उस नदी में वह बड़े-बड़े मछली को तीर से शिकार करते हैं और इसी कारण से वह तिरंदाजी में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच बना रहे हैं। चूंकि गरियाबंद मुख्यालय में खेलकूद के काफिले चलते हैं तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे प्रतिभागी के लिए वहां पर भी तिरंदाजी के एक खेल निर्माण किया जाए। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन पर स्वीकृति करने की कृपा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- नहीं। बहुत हो जाएगा। क्योंकि पैनल में किसी का नाम नहीं है।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मेरा दो मिनट का विषय है। मोर विधान सभा क्षेत्र के बहुत संसेटिव्ह मामला हे।

सभापति महोदय :- देखिये, मैं सबकी ओर से बोल देता हूं, मंत्री जी है।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मोर क्षेत्र के बहुत संसेटिव्ह मामला हे।

सभापति महोदय :- सुनिये न। देखिये, यह अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। कोई मामले पर बहस नहीं हो रही है।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मोला भी 2 मिनट समय दिया जाये।

सभापति महोदय :- जिन्होंने अनुदान मांगों पर अपने नाम दिये हैं, उनको कहने के लिए हमने अवसर दिया है। आप लोगों के जो भी विषय है, वह आप मंत्री जी को लिखकर दे दें। बाकी जो व्यवस्थाएं है, जो आप लोगों की दिक्कतें हैं, उसको आप मंत्री जी को लिखित में दे दीजिये, उसको मंत्री जी विचार करेंगे। मैंने सदन में आप सबकी ओर आपकी चर्चाओं में जो सुना है, सभी राजस्व के प्रकरणों

के निबटान के बारे में चिंता कही है और निचले स्तर पर पटवारियों के भी जो बातें हैं, उसके बारे में कहा है, उस बारे में चिंता करेंगे। माननीय मंत्री जी, आगे आप बोलिये। (मेजों की थपथपाहट)

श्री चैतराम अटामी :- सभापति जी, मैं भी विषय रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- नहीं। अब मंत्री जी बोल रहे हैं। आपकी कोई बात होगी तो आप उसको लिखित में दे दीजिये।

श्री चैतराम अटामी :- सर, मेरा कल से नंबर नई लग रहा है।

सभापति महोदय :- आपने अपना नाम दिया होता तो आपको निश्चित रूप से अवसर मिलता।

श्री चैतराम अटामी :- सभापति महोदय, उमसें मेरा नाम है।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- सभापति महोदय, एक-एक मिनट बोलना था।

सभापति महोदय :- नहीं, मेरे पास पटल में आपका नाम नहीं आया है।

श्री चैतराम अटामी :- इसमें मेरा नाम दिया है।

सभापति महोदय :- मेरे पास जो पटल में पत्र आया है, उसमें आपका नाम नहीं है। आप अपनी बातों को लिखित में दे दीजियेगा।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा में हमारे बहुत से सम्मानीय सदस्यों ने भाग लिया और बहुत से सुझाव भी दिया है और उन्होंने बहुत सी समस्याओं का भी उल्लेख किया है, जिनके बारे में विचार करेंगे और निराकण का कोई नया रास्ता निकालेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं सम्माननीय द्वारिकाधीश यादव जी, सम्माननीय सुशांत शुक्ला जी, सम्माननीय इन्द्रशाह मण्डावी जी, सम्मानीय रोहित साहू जी, सम्माननीय श्रीमती हर्षिता स्वमी बंघेल जी, सम्माननीय इंद्रकुमार साहू जी, सम्माननीय ब्यास कश्यप जी, सम्माननीय राजेश अग्रवाल जी, सम्माननीय कुंवर सिंह निषाद जी, सम्माननीय धर्मजीत सिंह जी, सम्माननीय रामकुमार यादव जी, सम्माननीय श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा जी, आप सबने इस अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए बहुत से विषयों से मुझे अवगत कराया। हमारे प्रदेश के और हमारे सरकार के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी की स्पष्ट मंशा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को शत्-प्रतिशत धरातल पर लाकर जनता का विश्वास अर्जित करें और देशवासियों ने इस भावना को स्वीकार किया है कि मोदी है तो मुमकिन है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, भूमि प्रबंधन एवं भू-राजस्व प्राचीनकाल से संचालित होता रहा है । राजस्व विभाग जहां एक ओर भूमि संबंधी अभिलेखों का संधारण करता है वहीं शासन की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उसे आम जनता तक पहुंचाने का काम राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाता है । राज्य के प्रत्येक नागरिक को चाहे उसके पास भूमि हो या न हो, राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एवं अभिलेखों की आवश्यकता पड़ती है इसलिये आम जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें अधिक से अधिक सुविधायें पहुंचाने के उद्देश्य से विभागीय प्रक्रियाओं, नियमों एवं विभाग द्वारा प्रकाशित अधिनियमों में लगातार सुधार एवं उन्नयन के साथ नवीन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है जिससे एक सुव्यवस्थित राजस्व प्रशासन प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराया जा सके । इसके लिये हमने वर्ष 2024-25 के बजट में कई महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लिये हैं । ऑनलाईन नागरिक सुविधायें इसमें अभिलेख की अद्यतन पंजी खसरा बी-वन, ऑनलाईन रेवेन्यू रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट साफ्टवेयर, ई-कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों से संबंधित भूमियों की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग के बढ़ते हुए कदम राजस्व विभाग को आधुनिकीकरण करने की दिशा में मानव संसाधन के उन्नयन से लेकर भू-अभिलेखों के संधारण हेतु आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग विभिन्न क्रियाकलापों में किया जा रहा है । ई-कोर्ट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, पावती देना, e-SCR का प्रकाशन, हितवाद पक्षकारों को नोटिस, इसी ई-कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है । हितवाद पक्षकारों को एस.एम.एस. के माध्यम से परिवर्तन की सूचना, संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया, ऑनलाईन अवलोकन व ई-कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों से संबंधित भूमि की जानकारियां भी ऑनलाईन उपलब्ध है ।

माननीय सभापति महोदय, स्वामित्व योजना । भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि पर निवासरत व्यक्तियों को भूमि-स्वामी का हक प्रदाय किये जाने हेतु स्वामित्व योजना प्रारंभ की गयी है । प्रदेश के 24 जिलों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है और शेष 9 जिलों में सर्वे का काम प्रगति पर है । ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण ग्रामों की संख्या- 13146 है और शेष ग्रामों की संख्या 3539 है । इसे भी समय-सीमा में पूर्ण कर लिया जायेगा । अधिकार अभिलेख संपत्ति कॉर्ड के वितरण की तैयारी प्रक्रियाधीन है । दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना यह भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण योजना है । दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक भूमिहीन मजदूर को हर साल 10,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी जिसके लिये इस बजट में 500 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गयी है । (मेजों की थपथपाहट) नामांतरण प्रक्रिया को जिसके लिये बार-बार चर्चा होती है, यह विषय आता भी है । नामांतरण प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए ऑनलाईन नामांतरण पंजी का नया वर्जन तैयार किया गया है । आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा दी गयी है । ग्राम पंचायत के द्वारा की जा रही नामांतरण प्रक्रिया को भी ऑनलाईन किया गया है । डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख का आधुनिकीकरण कार्यक्रम। भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में यह योजना प्रारंभ की गयी है । इस योजना के तहत् भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, असर्वेच्छित ग्रामों का सर्वेक्षण, नगरीय क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण, तहसील कार्यालयों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का निर्माण व पंजीयन कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण तथा तहसील

कार्यालय को इंटरनेटकरण करना है । पटवारी नक्शों का जियो-रिफ्रेंसिंग, कैडेस्ट्रल नक्शों को जियो रिफ्रेंसिंग कराने से भू-नक्शे को 1:4000 स्केल के स्थान पर बड़े पैमाने पर 1:2000, 1:1000 या 1:500 के स्केल पर तैयार करने का विकल्प प्राप्त होगा, जिससे छोटे से छोटे भू-खण्ड का बटांकन किया जाना संभव होगा। प्रदेश के समस्त राजस्व ग्रामों में कैडेस्ट्रल नक्शों के जियो-रिफ्रेंसिंग कार्य हेतु 25 करोड़ रूपये का व्यय संभावित है। नगरीय क्षेत्रों में राजस्व संरक्षण, वर्तमान नक्शा 1:4000 के पैमाने पर तैयार किया गया है, परंतु 1:4000 के पैमाने पर तैयार नक्शे में छोटे भू-खण्ड होने के कारण आंकन नहीं किया गया है फलस्वरूप विभाग के पास उपलब्ध नक्शों में से भूमि की सीमा विवाद का निराकरण संभव नहीं है। अत: नगरीय क्षेत्रों में समुचित भू-अभिलेख तैयार करने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्रों का नक्शा 1:4000 के स्थान पर 1:500 के पैमाने पर तैयार कराने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन राजस्व वसूली। भूमि स्वामी को घर से ही भू राजस्व जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए भू राजस्व जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इस व्यवस्था में भुइयां साफ्टवेयर को कोषालय एवं बैंक से लिंक किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु इस वर्ष 2024-25 के बजट में 1 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। भूमि की व्यपवर्तन की प्रक्रिया का सरलीकरण। यदि नगर के मास्टर प्लान को पटवारी के कैडेस्ट्रल प्लान नक्शे के साथ सुपर इम्पोस करते हुए प्रत्येक भू-खण्ड के भू उपयोग ऑनलाइन जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है तो नागरिकों को अपनी कृषि भूमि का अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन कराने व सक्षम अधिकारियों को पुन:निर्धारण में आसानी होगी। व्यपवर्तन ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने हेतु वर्ष 2024-25 के बजट में 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों के गांवों में चांदा मुनारा की पुन:स्थापना बिना चांदा मुनारा के सीमांकन कार्य निष्पादन में अत्यधिक कठिनाई आ रही है एवं विधिक रूप से विवादों का सार्थक निराकरण नहीं हो पा रहा है। अत: नगरीय क्षेत्रों में सीमा के विनिश्चयन का चांदा मुनारा का तकनीकी रूप से पुन:स्थापन आवश्यक हो गया है। इस हेतु प्रदेश के 33 जिलों के नगरीय निकायों में चांदा मुनारा का चिन्हांकन पुन:स्थापित करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 16 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वार्षिक भू-भाटक की राशि एकमुश्त 12 वर्ष का भुगतान करने पर आगामी 15 वर्ष के लिए भुगतान से छूट दी जा रही है। नवीन मद में दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना हेतु 500 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान नवीन अनुविभागीय अधिकारी एवं नवीन तहसील कार्यालय हेतु 10 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) अभी हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि पूर्व में जो तहसील कार्यालय स्वीकृत हुए हैं, भवन नहीं हैं तो इनके लिए इस साल के बजट में 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है। शहरी क्षेत्र में विलुप्त चांदा पत्थर स्थापित करने हेतु 16 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट) प्रदेश के समस्त तहसील कार्यालयों हेतु कम्प्यूटर सह उपकरण प्रिंटर प्रदाय करने हेतु 1 करोड़ 15 लाख रूपये का बजट में स्वीकृति दी गई है। प्रदेश के समस्त कलेक्टर भू-

अभिलेख कार्यालय क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला को फोटो कॉपी मशीन प्रदाय करने हेतु 40 लाख रूपये की बजट में स्वीकृति दी गई है। राजस्व विभाग एवं कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केन, आलमारी एवं चेयर हेतु 55 लाख रूपये बजट में स्वीकृत की गई है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित योजनाएं आदि तैयार करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं एवं राहत कार्यों के संचालन हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार से मिलने वाले राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि तथा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की राशि के संचालन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यपालिक समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने तथा प्रभावित राहत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से केन्द्रांश एवं राज्यांश में कुल राशि 508 करोड़ रूपया प्राप्त होना है। हमारी सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के नष्ट हुए मकानों अथवा क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत, फसल क्षति, पशु हानि, जन धन की हानि तथा अन्य कारणों से होने वाली क्षति के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के प्रावधानों के तहत् प्रभावित व्यक्तियों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु 274 करोड़, 44 लाख रूपये की राशि कलेक्टरों को आवंटित की गयी है। कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के आश्रित परिजनों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला कलेक्टरों को 0.885 करोड़ आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में हो रहे अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से 8 जिलों को फायर वाहन उपकरण तथा अन्य सामग्री क्रय करने हेतु कुल 33.37 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, भूकंप, अग्नि दुर्घटना, कीट प्रकोप, शीतलहर एवं विशेष जीव जंतु के कांटने से होने वाली हानि से निपटने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि में रू. 533.60 करोड़ रू. तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के रूप में 50 करोड़ रू. तथा राज्य आपदा नवीनीकरण निधि के रूप में 133 करोड़, 40 लाख रू., प्रशासन हेतु 3.26 करोड़ आपदाओं का विश्लेषण एवं योजना तैयार करने हेतु 0.58 करोड़ तथा ऋण हेतु रू. 0.20 करोड़ रू. का वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, इस राशि से प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के प्रावधानों के तहत विभिन्न मद जैसे नगद दान, पेयजल पूर्ति, पोषण आहार, पशुओं के लिए चारा एवं टीकाकरण की व्यवस्था करने, जनस्वास्थ्य उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि में प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, अभी राजस्व विभाग में सम्माननीय धर्मजीत सिंह के द्वारा जिला बिलासपुर तहसील तखतपुर के ग्राम सकर्रा में उप तहसील खोलने और सम्माननीय पुन्नूलाल मोहले जी द्वारा

मुंगेली जिला के चकरभांठा में उप तहसील खोले जाने की मांग की गयी है, व्यवस्था के तहत इन दोनों स्थानों पर उप तहसील खोलने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

मानननीय सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में युवा शक्ति प्रतिभा योग्यता की अपार संभावनाएं हैं। युवा साथी न केवल खेलों में प्रतिभावान हैं, वरन् साहित्य, सांस्कृतिक कला और समाज सेवा में भी समर्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में राज्य में हमारी सरकार गठन के साथ ही राज्य की युवा शक्ति की प्रतिभाओं को निखारने के लिए कार्ययोजना एवं प्रयास प्रारंभ किया है।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट रूकिए। आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 6 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं, सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

<u>वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

राजस्व मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- सभापति महोदय, हमारा प्रयास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के युवाओं हेतु एक अभिनव प्रयोग खेलो इंडिया प्रारंभ कर राष्ट्रव्यापी युवा शक्ति को संगठित किया है, उसका सफल क्रियान्वयन हमारे छत्तीसगढ़ में करते हुए हम अपने राज्य में खेलो छत्तीसगढ़ का वातावरण तैयार कर रहे हैं। हमें अपने राज्य की युवा शक्ति को संबल प्रदान करते हुए सुदृढ़ राज्य, सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करना है। विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हमारे युवा साथी पूरा करेंगे, हमारे मूल आधार होंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में खेलों के विकास और युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार कार्य कर रही है। हम खेल अकादमियों के माध्यम से आधुनिक प्रशिक्षण देकर खिलाड़ी तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। खेलो इंडिया सेंटर्स के माध्यम से प्रदेश के 33 में से 31 जिलों में स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। राज्य के पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू किया है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हम ओलंपिक में शामिल खेल विधाओं के साथ ही राज्य की पारंपरिक एवं स्थानीय स्तर पर खेले जाने वाले लोकप्रिय खेलों में खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हमने छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

योजना प्रारंभ किया है। प्रतिवर्ष राज्य के युवाओं को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान दिये जाने हेतु बजट में पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य को हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे की समर्पण भावना के साथ राज्य के खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने ही राज्य में विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, एथलेटिक स्टेडियम, बहुद्देशीय इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराया है। हम इन खेल अधोसंरचनाओं में वैज्ञानिक पद्धति से खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के गठन से लेकर अब तक इस पर विशेष कार्य नहीं हुए हैं। हम प्राधिकरण को सशक्त बनाने का कार्य करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ एवं अन्य अधिमान्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जाकर देश और राज्य के लिए अधिक से अधिक पदक जीते। सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और वेटनर प्रत्येक कैटेगिरी में खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा का पर्याप्त अवसर प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हम राज्य को समृद्धि की ओर ले जाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत् राज्य में वृहत खेल अधोसंरचनाओं के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही राज्य में मॉडर्न खेल स्टेडियम तथा खिलाड़ियों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। खिलाड़ियों के लिए नये आवासीय एवं गैर आवासीय खेल अकादमियों की स्थापना तथा इनके सुचारू रूप से संचालन पर हमारा फोकस है। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, प्रदेश में ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। अंबरेला योजना के तहत् महत्वपूर्ण घटक जैसे - आधारभूत संरचना, खेल उपकरण, खेल समितियों को अनुदान, खेल महोत्सव का आयोजन, मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन शामिल हैं। इस छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए इस बजट में 20 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। युवा खेल में युवा रत्न सम्मान योजना कला, साहित्य, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष युवा रत्न सम्मान दिये जाने के नवीन प्रावधान रखे गये हैं। इसके तहत् मांग संख्या - 43 में 1 करोड़, 50 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, 5 आवासीय और 5 गैर आवासीय खेल अकादमियां संचालित हैं। रायपुर अकादमी के लिए 5 करोड़, 29 लाख, 54 हजार रूपये, बिलासपुर अकादमी के लिए 5 करोड़, 37 लाख, 3 हजार रूपये मांग संख्या - 43 के अंतर्गत प्रस्तावित है। बहतराई, बिलासपुर स्थित आवासीय हॉकी, तीरंदाजी व एथलेटिक अकादमी को एक्सीलेंस

सेंटर के रूप में भारत सरकार से मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेनिस अकादमी हेतु खेल अधोसंरचना तैयार किया गया है।

युवा महोत्सव, प्रदेश के युवाओं को मंच प्रदान करने के लिए वृहत स्तर पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन करने का प्रावधान है। इसके लिए विकासखण्ड, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन होगा। 15 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक महिला और पुरूष इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। राज्य के लोक नृत्य, लोक गीत, पारंपरिक खेल, वादन सभी प्रकार की विधाएं इस कार्यक्रम में शामिल हैं। मांग संख्या - 43 के अंतर्गत इसके लिए 4 करोड़ रूपये बजट में स्वीकृत किया गया है। ग्रामीण खेल में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता योजना में प्रावधान प्रस्तावित है । ग्रामीण अंचल में खेलों के बेहतर माहौल तैयार करने के लिए प्रति विकासखण्ड 3 अभ्यास केन्द्र के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु 60 हजार रूपए प्रति अभ्यास केन्द्र के मान से राशि प्रदान की जाएगी । अभ्यास केन्द्रों में लोकप्रिय खेल उपकरण भी उपलब्ध होंगे । मांग संख्या 43 में 1 करोड़, 40 लाख रूपए ग्रामीण खेलकूद के लिए बजट में स्वीकृति प्रदान की गई है । महिला खेलकूद प्रतियोगिता खेल स्पर्धाओं में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य के प्रत्येक जिलों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा । खेल के क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी का अवसर मिले, इसके लिए मांग संख्या 43 के अंतर्गत 1 करोड़ रूपए प्रस्तावित किया गया है । राज्य के खिलाड़ियों को नियमित रूप से खेल प्रशिक्षण मिले, प्रतियोगिताओं में उनकी अच्छी भागीदारी हो, ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो, ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय लोकप्रिय खेलों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिए मांग संख्या-43 के अंतर्गत 1 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है । राज्य के खेल के विकास एवं खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है । खेल अधोसंरचनाओं का समुचित उपयोग एवं विकास सुनिश्चित कराया जाएगा । खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा । प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य के सभी खेल अकादमियों का संचालन और इसके लिए सी.एस.आर. और अन्य क्षेत्रों से आर्थिक सहायता एवं वित्तीय सहायता ली जाएगी । मांग संख्या 43 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के लिए 1 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है ।

सभापति महोदय, राज्य के युवाओं को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में मंच प्रदान करने के लिए युवाओं में साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव, जिला स्तरीय युवा उत्सव, दौड़, सायकल रैली, रन फार यूनिटी, युवा सप्ताह आदि कार्यक्रम के लिए युवा कल्याण गतिविधि का आयोजन होगा । समय-समय पर युवा जागरूकता का भी कार्यक्रम होगा । इस कार्यक्रम के लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है ।

सभापति महोदय, प्रदेश में खेलों का व्यापक माहौल तैयार करने तथा खेलों के प्रति युवाओं में रूचि लाने के लिए एक नई योजना प्रारंभ की गई है-राज्य खेल महोत्सव । राज्य खेल महोत्सव के आयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग संख्या 43 के अंतर्गत 1 लाख टोकन मनी का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है । खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, नेशनल गेम्स में राज्य के प्रतिभागियों के लिए आर्थिक अनुदान, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राज्य के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को ट्रेक सूट प्रतिवर्ष, राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद राशि का पुरस्कार से सम्मानीत किया जाएगा, इसके लिए 2 करोड़, 85 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह से जो राज्य स्तरीय खेल अलंकरण होता है, इस खेल अलंकरण के लिए भी 5 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है । खेल संघ और उनके संस्थाएं, जो विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, उनको अनुदान देने के लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है । मूलभूत सुविधाएं जैसे स्टेडियम के लिए 90 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है । छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि खेल को आगे बढ़ाएं, इसके लिए बजट में बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं । मांग संख्या-8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए 2072 करोड़, 16 लाख, 69 हजार रूपए, मांग संख्या-9, मांग संख्या-58 और मांग संख्या-43 में अनुदान पर जो चर्चा हुई, उसमें आप सभी से आग्रह है कि आप सर्वसम्मति से इस अनुदान मांग को पारित करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है । धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

समय :
5.40 बजे

अशासकीय संकल्पों के लिए समय का निर्धारण

सभापति महोदय :- आगामी शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024 के अशासकीय दिवस हेतु निर्धारित तीन अशासकीय संकल्पों सम्बन्धी सूचना पत्रक भाग-दो के द्वारा जारी की जा चुकी है। ग्राह्य अशासकीय संकल्पों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया जाता है :-

अशासकीय संकल्प क्रमांक	**सदस्य का नाम**	**आवंटित समय**
(क्रमांक-02)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
(क्रमांक-04)	श्री पुन्नू लाल मोहले	30 मिनट
(क्रमांक-05)	श्री पुन्नू लाल मोहले	30 मिनट

वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सभापति महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या-9 एवं 43 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

सभापति महोदय :- मैं अब मांगों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 8 **भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए -** दो हजार बहत्तर करोड़, सोलह लाख, उनहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 9 **राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिये -** तीस करोड़, तेईस लाख, बाईस हजार रूपये,

मांग संख्या - 58 **प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिये -** एक हजार चार सौ तैंतीस करोड़, अड़तीस लाख, तिहत्तर हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 43 **खेल और युवक कल्याण के लिये -** बहत्तर करोड़, उनहत्तर लाख, सत्रह हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(3) मांग संख्या - 34 समाज कल्याण
मांग संख्या - 55 महिला एवं बाल विकास

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 34 **समाज कल्याण के लिए-** एक सौ इक्कीस करोड़, छिहत्तर लाख, सत्ताईस हजार रूपये तथा,

मांग संख्या - 55 **महिला एवं बाल विकास के लिए-** दो हजार आठ सौ सतासी करोड़, इक्यावन लाख, सतासी हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या- 34

<u>समाज कल्याण</u>

1.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1
2.	श्रीमती शेषराज हरवंश	3

मांग संख्या- 55

<u>महिला एवं बाल विकास</u>

1.	श्रीमती संगीता सिन्हा	5
2.	श्रीमती अंबिका मरकाम	5
3.	श्री इन्द्रशाह मण्डावी	2
4.	श्री कुंवर सिंह निषाद	10
5.	श्रीमती शेषराज हरवंश	2
6.	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	5
7.	श्री संदीप साहू	1

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े महिला बाल विकास मंत्री की मांग संख्या- 34 समाज कल्याण, मांग संख्या- 55 महिला एवं बाल विकास, की चर्चा में खड़ी हुई हूँ । मेरे मन में एक विचार आया कि उसे सब के साथ शेयर करूं । महिला बाल विकास विभाग की बात करें तो इसमें महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक उत्थान की बात आती है ...।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पहले तो नवा मंत्री ला बधाई दे दे, पहली बार बजट प्रस्तुत कर थे । महिला मन, महिला मन ला बधाई नइ दै । वोला बधाई दे, वोखर स्वागत करौ, अभिनंदन करौ, वोखर बाद में फेर भाषण देबे कि ए हमर महिला बाल विकास के मंत्री ए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मोर महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ला बहुत-बहुत बधाई कि यहां पर आपके पहली मांग हे । आप जो बजट पारित करहू वोखर चर्चा के मांग रखथन, वो मांग मे थोड़ा बढ़ोतरी करके एला पास करहू, ऐसे विश्वास हे ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, टेस्ट मैच नहीं है और एक दिवसीय भी नहीं है, 20-20 का मैच है, समयसीमा में होता है । मैं सदस्यों से आग्रह करूंगा कि उसी अनुरूप में अपनी बातों को रखेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, यह बोलिये कि चौके-छक्के मारना है, टुक-टुक नहीं करना है ।

सभापति महोदय :- आप ओपनिंग कर रही हैं, समय ज्यादा न लेते हुये चौके, छक्के मारिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मेरे मन में विचार आया है, इसे मैंने शेयर करने की बात कही है कि हम महिलायें बहुत खुशनसीब हैं कि हमारा एक महिला बाल विकास मंत्री है, मैं सोच रही थी कि भाई साहब लोग अगर मांग रखते तो पुरूष विकास के लिये मंत्री का पद होता तो आपका एक विभाग हो जाता और आप भी उसमें चर्चा करते । मेरे ख्याल से सहमत होंगे ? आदरणीय सभापति महोदय जी, जो इस बजट में पेश हुआ है, उसमें जो समाज कल्याण विभाग के लिये मांग संख्या 34 है ...।

श्री रामविचार नेताम :- यह बात मोहले जी से बोलना ठीक नहीं है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह भावना चर्चा उपरान्त ही सदन में आया है ।

समय :
5:47 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, जो समाज कल्याण विभाग के लिये जो कुल राशि है, राजस्व के लिये 117 करोड़, 17 लाख 56 हजार रूपये की राशि है और पूंजीगत व्यय के लिये 4 करोड़ 59 लाख 11 हजार रूपये की राशि रखी गई है, जो कि बहुत ही कम है । मांग संख्या 55 में महिला बाल विकास के लिये जो राशि रखी गई है, वह 2840 करोड़ 80 लाख 54 हजार रूपया और पूंजीगत व्यय के लिये 46 करोड़ 71 लाख 43 हजार रखी गई है, जबकि देखा जाये तो यहां महिलाओं की संख्या, बच्चों की संख्या, पुरूषों से ज्यादा है । अगर आप सर्वे करा लेंगे तो उसमें पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं और बालकों की संख्या ज्यादा है । सभापति महोदय जी, मैं निवेदन करना चाह रही थी कि बजट में जितनी भी राशि है, उसमें सबसे ज्यादा बजट महिला बाल विकास और समाज कल्याण

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विभाग को आना चाहिये । सभापति महोदय जी, मैं आंगनबाड़ी की बात कर रही थी, मुख्य रूप से बच्चों के लिये, उनके विकास के लिये, बच्चे कूपोषित न हो, इसके लिये रखा गया है। सभापति महोदय, अगर हम गांव में जाते हैं, वहां के जो भवन हैं, इतना जर्जर है, टूटा-फूटा है, आपको ले जाऊंगी तो आप देखेंगे । पिछली बार भवनविहीन आंगनबाड़ी की मांग किये थे, उसमें 5395 आंगनबाड़ी की मांग थी । सभापति जी, भवन तो रह जाता है, लेकिन भवन रहता है, उसके बाद जो वहां की महिलायें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वह गांव से पानी लेकर आती है । वहां नल-जल की योजना बहुत कम है, व्यवस्थित नहीं है । सभापति महोदय, अगर नल की बात करूं तो 4000 केन्द्रों में नल की समस्या है, वहां नलकूप की व्यवस्था होनी चाहिये, जो कि आपके इतने बजट में कुछ नहीं होने वाला है । मैं महिला बाल विकास मंत्री महोदया से निवेदन कर रही हूँ कि इसमे बजट बढ़ाया जाये तो बहुत अच्छा होगा । सभापति महोदय जी, हम बच्चों का देखरेख करते हैं, आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ता हैं, वह बच्चों की देखरेख करती जरूर है लेकिन उनको प्रशासनिक तौर पर बहुत सारा कार्य दे दिया जाता है। उनके ऊपर इतना बोझ रहता है, उसमें वे बच्चों की देखरेख करें या दूसरे काम करें। उनको दूसरे काम भी दे दिये जाते हैं। मैं कहना चाह रही हूं कि उनके ऊपर उतना ज्यादा बोझ न डाला जाये ताकि वह हमारे बच्चों की अच्छी तरह से देखरेख कर सके।

सभापति महोदय, जो महिलाएं आंगनबाड़ी का कार्य करती है, उसमें गरीब महिलाएं काम करती हैं, उसमें बहुत बड़े घर की महिलाएं काम नहीं करती है। उनको जो राशि मिलनी चाहिए, उनको वह राशि समय पर नहीं मिलती है, उनकी राशि 6-6 महीने तक रोक दी जाती है। यह छोटी-छोटी बातें जरूर हैं लेकिन यह ग्रामीण स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। उनकी राशि समय पर दे दी जाये ताकि उनको पैसों की कोई परेशानी न हो, आप इस बात पर ध्यान दें। साथ ही मैं पिछले कुछ सालों की बात करना चाहूंगी। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी जी आयी थीं। उन्होंने कहा था कि जो मिनी आंगनबाड़ी है, उसको मेन आंगनबाड़ी में कनवर्ट कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ लिस्ट दे दीजिये, मैं उनका उन्नयन कर दूंगी। यह उनका बयान था और आप सब भी उस समय थे। लेकिन जब वह यहां से दिल्ली के लिये उड़ी और दिल्ली पहुंचते ही उनका बयान बदल गया। उनके बयान में यह आया कि यदि राज्य सरकार के पास बजट है तो वह उन्नयन कर ले। हमारे पास इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यह निवेदन कर रही हूं कि जो मिनी आंगनबाड़ी है, आप अब उसका उन्नयन कर सकते हैं। आपकी डबल इंजन की सरकार है। माननीय मंत्री जी, जब आप इस बजट भाषण पर जवाब देंगी तो उसी भाषण में आप यह घोषणा कीजिये कि आप मिनी आंगनबाड़ी का मेन आंगनबाड़ी में उन्नयन करेंगी। यह आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी और मोदी की गारंटी भी साबित होगी। हम चाहते हैं कि आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो उसको साबित भी करें और धरातल पर दिखाये।

सभापति महोदय, मैं रेडी टू ईट की बात करना चाहूंगी। मैं सुपोषण आहार के विषय पर कहना चाहती हूं कि हमारे बच्चों को सुपोषण आहार मिलना चाहिए और पूर्ववर्ती सरकार ने सुपोषण अभियान भी चलाया। उसके तहत बहुत से कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिलाएं सुपोषित हुई हैं। यदि आज वर्ष 2000 से लेकर अब तक की बात की जाये तो कुपोषण की दर घटते क्रम में है। हमारे बच्चे सुपोषित हुए हैं। मैं इस विषय में यह कहना चाहती हूं कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने रेडी टू ईट का उत्पादन स्वयंचलित मशीन के जरिये शुरू किया था। उसमें यह होता है कि वहां पर कोई चिटिंग नहीं होती है। यदि आप उसे किसी एक ठेकेदार को दे देंगे तो वहां पर चिटिंग होती है। वे उसकी मात्रा में चिटिंग करते हैं और उसकी क्वालिटी की गारंटी नहीं होती। मैं रेडी टू ईट के संबंध में यह निवेदन करना चाह रही थी कि पूर्ववर्ती सरकार जिस तरीके से इसे चला रही थी, आप उसी तरीके से उसे आगे बढ़ाये। आप उसे किसी के हाथ में न दे क्योंकि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रेडी टू ईट को बांटने का काम करती है। वह गुणवत्तापूर्ण रहती है, गुणवत्ताविहीन नहीं रहती है। मैं इसके लिये भी निवेदन करना चाह रही थी कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से इस कार्य को किया, आप उसे ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर दीजिये। आप उस कार्य को किसी एक ठेकेदार के हाथ में देकर उसे उसकी कमाई का जरिया मत बनाईये। क्योंकि उसमें न ही रेडी टू ईट की मात्रा सही रहती है, न ही उस आहार में गुणवत्ता रहती है। साथ ही आंगनबाड़ी के बच्चों के लिये वजन त्यौहार भी मनाते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। अभी जो संगीता जो कह रही है कि उसे एक ठेकेदार के हाथों में मत दीजिये, फिर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो बांट रही है, वह ठीक है। अभी वह एक आदमी के हाथ में ही है और ठेकेदार के हाथ में है। आपको यह मालूम है या नहीं है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं आपकी सरकार के समय की बात कर रही हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, इसके पहले वहां स्वयं सहायता समूह की बहनें काम कर रही थी। जिनको हम लोगों ने काम दिया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं आपकी सरकार की बात कर रही हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं सरकार के लिये नहीं बोल रहा हूं। मैं आपके भाषण की बात पर कह रहा हूं। आप मेरी बात नहीं समझ पायीं।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप पहले सुन लीजिये फिर बोल लीजियेगा। आप अपनी बात कह लेना, अभी उनको बोलने दीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने जो भाषण दिया, उसमें आपने यह कहा कि एक आदमी के हाथ में न जाए, ठेकेदार के हाथ में न जाए। तो अभी यह ठेकेदार के हाथ में है। उसे एक आदमी, ठेकेदार चला रहा है। हम उसमें चाहते हैं कि यहां हमारी जो स्वसहायता समूह की बहनें हैं, वह जिस गुणवत्ता

के साथ चला रही थीं उनको हटाकर, ठेकेदार को कार्य दिया है। मैं यही पूछ रहा था कि आप किसमें सहमत हैं? उसे स्वसहायता समूह की बहनें चलाएं या नहीं चलाये? एक आदमी, ठेकेदार जो चला रहा है, आप उसमें सहमत हैं? मैं यही जानना चाह रहा था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

सभापति महोदय :- आप कहां महिला एवं बाल विकास विभाग में चर्चा चल रही है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमारे बहुत वरिष्ठ आदरणीय सदस्य बोल रहे थे। उनके बोलने का आशय यह था कि यह महिला स्वसहायता समूह की बहनों को दिया गया था तो उसमें क्वालिटी नहीं थी। आप औसत में देख लीजिए। शासन का खर्च भी हुआ और बच्चे कुपोषित भी हुए। उस नीति को बदला गया। यह बात सही है कि हमारी सरकार के समय यह एक ठेकेदार को दिया गया, लेकिन उसका परिणाम यह रहा कि आप कुपोषण का औसत ले लीजिए, जितने सालों तक ठेकेदार के द्वारा जो सप्लाई हुई, उसमें कितने बच्चे कुपोषण से ऊपर आएं। हमारा महिला स्वसहायता समूह की बहनों से विरोध नहीं है, जो क्वालिटी है, उसका विरोध है। मैं आज यह बोल रहा हूँ कि महिला स्वसहायता समूह केवल कागजों में रहेगा और उसे युवा मोर्चा चलाएगा। यह ठेकेदार से बचने के लिए बोल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आप इसमें ध्यान देंगे।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, उसे कौन सी पार्टी का युवा मोर्चा चलाएगा ? माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं।(व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जहां तक गुणवत्ता की बात है..।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें युवा मोर्चा कहां से आ गया, मुझे यह बताईये ? यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने 15 सालों तक चलाया है। आप उसकी जांच करवा लीजिए। उस समय केवल और केवल कागजों में महिला स्वसहायता समूह था।

सभापति महोदय :- माननीय यादव जी, आप बैठिए। (व्यवधान) यह ठीक नहीं है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, इनका कहना है कि युवा मोर्चा चलाएगा तो कौन सी पार्टी का युवा मोर्चा चलाएगा ?

सभापति महोदय :- भावना जी, इसके बाद आपका ही नंबर है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, मैं लिख रही हूँ।

सभापति महोदय :- आप अपने भाषण में जवाब दे दीजिएगा। आप बोलिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जो स्वसहायता समूह की महिलाएं कहीं बेरोजगार नहीं हुई है। उसे स्वसहायता समूह की महिलाएं ही बांटने का काम करती हैं। यहां महिलाओं की बात हो रही है तो पूर्व वर्ती सरकार ने गौठान में स्वसहायता समूह की महिलाओं को काम दिया था।

आज आप उसे बेरोजगार बनाने का काम कर रहे हैं। आप गौठान को बंद करवाने की आड़ में स्वसहायता समूह की महिलाएं सभी बेरोजगार हो जाएंगीं। उनके बारे में भी सोचें। यहां महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो उन महिलाओं के बारे में सोंचे कि यहां कितनी महिलाएं बेरोजगार होने जा रही है जबकि आपने इन 5 सालों में देखा होगा कि इस प्रदेश की महिलाएं कितनी आगे बढ़ी हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं। चाहे वह स्वसहायता समूह की बात करूं, चाहे गौठान की बात करूं, आप किसी भी मामले में देखें। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में 50 हजार की राशि देते हैं। यह आधुनिक जीवन की बात कर रहे हैं। मैं सुबह से लगातार सुन रही थी कि हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। यहां महंगाई कितनी बढ़ गई है। आप लोगों ने देखा है कि यहां 70 रूपये किलो में चावल मिल रहा है। यहां पर 150 रूपये किलो में तेल मिल रहा है, पेट्रोल, डीजल का रेट 110-150 रूपये हो गया है

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मोदी जी तो चावल फ्री में दे रहे हैं। माननीय सदस्या भूल जाती हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अगर आप पेट्रोल डीजल का रेट कम करवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती।

सभापति महोदय :- माननीय संगीता जी, जरा सुनिये। आप अपना भाषण दीजिए। आप जवाब मत दीजिए। आप अपनी बात कहें।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय संगीता जी जो बोल रही हैं उन्होंने जो गौठान का मामला बता रही हैं तो आपके लिए दो लाईन समर्पित कर रहा हूँ, यह आपके ऊपर फिट हो रहा है:-

"किसी का कुछ नहीं लिया मैंने, अपना सब कुछ गंवा दिया मैंने।
उसने थोड़ी सी रोशनी क्या मांगी, तो अपना घर जला लिया मैंने।"

आपने अपना घर ही जला लिया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वाह, वाह। माननीय सभापति महोदय, यह महंगाई का जमाना है। अभी मेरे बालोद विधान सभा की कल ही घटना है। वहां 18 तारीख को सामूहिक विवाह होने वाला था। वहां शासन का आदेश था कि विवाह के लिए 30 जोड़े की व्यवस्था करना है। तो उन लोगों ने आनन-फानन में 20 जोड़े की व्यवस्था की। जब 20 जोड़ों की व्यवस्था हो गई तो 18 तारीख को सभी गरीब परिवारों में कार्ड बंट चुका था, सभी गरीब परिवार अपने-अपने स्तर पर तैयारी कर चुके थे। उसके बाद प्रशासन से यह आदेश आया कि आपको सिर्फ 6 जोड़े की व्यवस्था करनी है क्योंकि 6 जोड़े का पैसा आया है, बाकी को निरस्त करो।

समय
6.00 बजे

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

महिला बाल विकास विभाग की जो महिला अधिकारी लोग हैं जिन लोगों ने भीड़ में पूरी व्यवस्था करके 20 जोड़े को लाये थे, उसको कैंसिल करना नामुमकिन था। क्योंकि सबके यहां तैयारी हो चुकी थी। मेरे यहां सुबह से गरीब परिवार के लोग घर पहुंच गये थे, हम तैयारी कर चुके हैं, कार्ड बांट चुके हैं और शादी को कैंसिल कर रहे हैं। प्रशासन से 6 जोड़े के लिए पैसा आया था। अगर उन 6 जोडों को पैसा देते तो बाकी लोग रूठ जाते इसलिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पूरे कार्यक्रम को कैंसिल किये। सभापति महोदय, अब आप बताईये कि जिन गरीब परिवारों के पास शादी करने के लिए पैसा नहीं है, वह अपने पैसे से कार्ड बांट रहा है, मेहमान बुला रहा है, बजट नहीं करके आप उस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कार्यक्रम को कैंसिल कर दिये। सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कोई भी गरीब परिवार चाहे उसके एक ही बच्चा है, वह अपने बेटा-बेटी की शादी शान से करना चाहते हैं। वह गरीब परिवार रहते हैं, लेकिन वह अपने पडोसी, बुआ, फूफा सबको बुलाना चाहते हैं। वह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सामूहिक विवाह तो जरूर करते हैं लेकिन वह घर में जाकर फिर से शादी करते हैं। यह वाला आप लोगों के क्षेत्र में भी होगा। वह घर में जाकर फिर से पार्टी करेंगे, खाना खिलायेंगे, सब करते हैं। मेरा महिला बाल विकास मंत्री से यह निवेदन है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जैसे सबको राशि चेक में दी जाती है। वह आपको शादी का प्रमाण पत्र देंगे, आप उनके खाते में पैसा डाल देंगे ताकि वह अपने घर में धूमधाम से शादी उसी पैसे से कर सकें। सभापति महोदय, आज की मंहगाई के जमाने में 50 हजार रुपये कुछ नहीं होता है। उसमें 6 हजार रुपये दूल्हा-दूल्हन की ड्रेस के लिए आता है, 6 हजार रुपये मे अगर खरीदने जाते हैं तो दूल्हन की एक चुनरी भर आती है। इस मंहगाई को देखते हुए मैं महिला बाल विकास मंत्री महोदया जी से निवेदन कर रही हूं कि 50 हजार रुपये की राशि को 1 लाख रुपये कर दिया जाये।

श्री राजेश अग्रवाल :- क्या यह मंहगाई 3 महीने में ही बढ़ गई ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महिला एवं बाल विकास मंत्री जी आपकी टीम के ही लोग सहमत हैं, आप जरूर इसमें घर में शादी करने के लिए 01 लाख रुपये की आज घोषणा कर देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं अगर वृद्धाश्रम की बात करती हूं। वृद्धाश्रम समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ही आता है। मेरा हमेशा का यह रहा है कि जब मेरा जन्मदिन होता है तो मैं अक्सर वृद्धाश्रम और हमारे विकलांग बच्चों से मिलने जाती हूं। वहां पर जाती हूं तो वहां पर जो नौकर काम करती हैं, उनका मानदेय 3000-3500 रुपये ही है। 3000-3500 रुपये आज की तारीख में बहुत कम है। वह दिन भर काम करती हैं, रात भर सेवा करती हैं और वह भी दूसरे के मां-बाप की सेवा करती हैं।

श्री राजेश अग्रवाल :- आप खाली मोहले जी की चिंता मत कीजिए। हम सब की चिंता कीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी मोहले जी बुजुर्ग नहीं हुए हैं। वह स्वयं के बल पर यहीं रहेंगे। वह वृद्धाश्रम में नहीं जायेंगे। मैं वृद्धाश्रम की बात रही थी जहां पर नौकर दूसरे के मां-बाप की सेवा करते

हैं। वह महिलायें, वह भईया लोग जो दिन-रात जागकर सेवा करते हैं, उनका मानदेय 3000 से 3500 रुपये है। जबकि मनरेगा में जो काम करते हैं, मनरेगा में 2 घंटे काम करते हैं, वह 221 रुपये कमाते हैं। सभापति जी, कम से कम जो महिलायें, भईया लोग दिन-रात वृद्धाश्रम में सेवा कर रहे हैं, अगर उनकी मानदेय राशि बढ़ा देते तो उसके लिए मैं महिला बाल विकास मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती। जो बुजुर्ग लोगों की दिन-रात सेवा कर रहे हैं, उनका भला हो जाता।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं, थोड़ा सहयोग करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं पहली वक्ता हूं।

सभापति महोदय :- बहुत से लोग हैं न। आप थोड़ा समझिये न। आप खत्म करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा और समय लूंगी। मैं सबसे विशेष मुद्दा महतारी वंदन योजना पर आई हूं। महतारी वंदन योजना पर बहुत सारी चर्चा पहले भी हुई है, उतनी ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करूंगी। बस इतना कहना चाहती हूं कि वह महिलायें जो आपके फार्म को संदूक में रखी हैं, उस फार्म को आप उन महिलाओं के संदूक से निकलवाईये और उनको 1 हजार रुपये देने की घोषणा कीजिए। क्योकि एक घर में तीन-चार महिलायें हैं और सभी को इस सरकार के ऊपर विश्वास है। विष्णुदेव साय जी की सरकार के ऊपर विश्वास है। विष्णुदेव सरकार मतलब लक्ष्मी माता उनके साथ में रहती हैं। आप अगहन में सुने होंगे, अगर हम हिन्दु पंचांग में जाते हैं, अगहन का महीना रहता है, उसमें लक्ष्मी माता हमेशा विष्णु भगवान के साथ रहती हैं। जब एक बार लक्ष्मी माता जी रूष्ट हो जाती हैं।

श्री आशा राम नेताम :- संगीता जी, हमारे पास भी साक्षात लक्ष्मी हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हाँ, मैं यही कहानी बता रही थी कि लक्ष्मी माता बैठी हैं, विष्णु भगवान भी हैं। एक बार लक्ष्मी माता रूष्ट होकर पृथ्वी में आ जाती हैं। वह जाती हैं तो नाराज रहती हैं क्योंकि जो लेट्रिंग, बाथरूम साफ करते हैं, उसके यहां लक्ष्मी माता खाना खाती हैं तो विष्णु भगवान रूष्ट हो जाते हैं।

सभापति महोदय :- आप भी संगीता देवी हैं। आप सरस्वती की अवतार हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, उनको बोलते हैं कि तुम्हारा बैकुंठधाम में कोई जगह नहीं है। सभापति महोदय जी, उसको बैकुंठधाम में जगह नहीं देते हैं, उनको विष्णु भगवान घर में एंट्री देने से मना कर देते हैं। तब लक्ष्मी माता उस समय बोलती हैं कि तुम मेरे पास आओगे और आज हम लोग लक्ष्मी माता के रूप हैं और मैं लक्ष्मी माता से ही निवेदन कर रही हूं कि इसमें लक्ष्मी देने से कमी मत करना। मैं यह जो दो-तीन प्वाइंट बता रही हूं। जो मानदेय है। सभापति महोदय, एक और बात है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाय। जो खाना बनाती है, उन महिलाओं का भी मानदेय बढ़ाया जाए क्योंकि उनका मानदेय बहुत कम है। सभापति महोदय, मैं महतारी वंदन योजना की बात कर

रही थी। अभी तक 70 लाख महिलाएं फार्म भर चुकी हैं। आपको जानकारी भी होगी कि 70 लाख महिलाएं फार्म भर चुकी हैं और कुछ महिलाएं पेटी में संदूक में रखी हैं और उसको देख रही है कि कब पैसा आयेगा। अभी तो कुछ दिन बाद घोषणा होने वाली है, लेकिन आज आप जो घोषणा करेंगे, उसमें सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत लोगों को लाभ मिलेगा। बाकी की महिलाओं का क्या होगा? मैं निवेदन कर रही हूं कि आज जो राशि प्रदान करेंगे, उसमें लक्ष्मी माता की कृपा होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं ई-रिक्शा के बारे में कहना चाह रही थी। हम लोग अपने क्षेत्र में ई-रिक्शा बांटते हैं। आधुनिक जीवनशैली में हर किसी को इलेक्ट्रानिक चलाने वाला मशीन चाहिए रहता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे बुजुर्ग हैं, कई ऐसे कमजोर व्यक्ति हैं, जो हाथ से रिक्शा नहीं चला सकते हैं तो वह चाहते हैं कि हमको ई-रिक्शा मिले, लेकिन सिर्फ परसेंटेज के कारण उनका नाम छूट जाता है। 80% को दिव्यांग मानते हैं। अब वह लाख चाहेंगे तो अपने आप को 80% में नहीं ला सकते हैं। मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से यह निवेदन कर रही हूं कि उस परसेंट को अगर एक age के अनुपातिक डायवर्ट कर दिया जाए मतलब 60 साल के बाद वाले दिव्यांगों को ई-रिक्शा दे दिया जाय, चाहे उसका परसेंटेज कुछ भी हो। अगर यह घोषणा हो जाए तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- दीदी, आप बहुत आराम से बात कर रही हैं और आप बहुत समय से सुना रही हैं। यह बात आपने पिछली सरकार को क्यों नहीं बताया? यह ज्ञान आपको उस समय देना था।

सभापति महोदय :- इनको बोलने दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, मैं यही बात बोलती हूं कि हम हर बात को सुझाव देते हैं तो आप लोग पीछे चले जाते हैं कि पांच साल पहले क्या हुआ? सभापति महोदय जी, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि जनता ने आपको चुना है, आप उस पर खरा उतरिये। मैं निवेदन कर रही हूं।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- आपको कौन चुना था? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जब आपको जनता ने चुना है तो आप खरा उतरिये।

सभापति महोदय :- आप बैठिये न।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- आपकी सरकार को बने सिर्फ तीन महीने हुए हैं। सालभर नहीं हुआ है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप हर बात को पांच साल में डालकर आप अपने कर्त्तव्य से मत मुकरिये।

सभापति महोदय :- मरपची जी, आप बैठिये ।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हर बात को पांच साल पीछे डालकर कर्तव्य से मत मुकरिये। आप काम करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मरपची जी, हमारी सरकार ने बढ़ाया था। उससे निवेदन करें ताकि उसमें थोड़ा और बढ़ोत्तरी हो जाए।

सभापति महोदय :- आप बैठ जाईये।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति जी, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि अभी जो चर्चा हो रही है, चाहे शुरू से लेकर आज तक चर्चा हो रही है, वह पुराने सरकार की ही चर्चा होगी। यह सबको पता है। उसमें कोई बुरा माने वाली बात नहीं है।

सभापति महोदय :- ठीक है। अब आप समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं नारी निकेतन की बात कर ही थी। मैंने महिला सशक्तिकरण में एक रेसियो निकाली थी। बहुत सारी महिलाएं प्रताड़ित हैं। इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। वह बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, जो मैं सो नहीं कर सकती । वर्ष 2022-23 में 584 महिला हैं। मैं कहना चाह रही हूं कि जो नारी निकेतन है, वह तीन जगह ही है। रायपुर सरगुजा और दंतेवाड़ा निकेतन। मैं यह निवेदन करना चाह रही थी कि अगर आप ग्रामीण अंचल में जायेंगे, शहर क्षेत्र में तो रायपुर में महिलाएं आ जाती हैं, ग्रामीण अंचल में बहुत सारी महिलाएं दु:खित हैं, प्रताड़ित हैं, उनको अगर कहीं संरक्षण चाहिए तो वहां पर नारी निकेतन नहीं है। वह परेशान होकर अपने मायके में जाती हैं, मायके वाले आजकल एक्सेप्ट नहीं करते हैं । उनको फिर अपने ससुराल में आकर मजबूरन रहना पड़ता है और आखिरी में वह आत्महत्या कर लेती है । परेशान होकर उसको आत्महत्या की ओर जाना पड़ता है तो मैं निवेदन करती हूं कि आपने 3 जगह जो नारी निकेतन खोला है उसको संभाग स्तर पर कर दिया जाये तो एक संभाग में यदि 2 नारी निकेतन हो जाये तो यह नारियों पर उद्धार होगा ।

माननीय सभापति महोदय, मैं घरौंदा के बारे में भी कहना चाहूंगी । जो घरौंदा वृद्धाश्रम रहता है । हम घरौंदा में जाते हैं तो वहां बच्चों को देखते हैं, चूंकि जब हम उनके लिये किसी फेसिलिटी की बात करते हैं, वहां केक लेकर जाते हैं, वहां कुछ भी लेकर जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है तो उनको वह फेसिलिटी नहीं मिलती है । घरौंदा में जो बच्चे रहते हैं, वह आम बच्चे हैं । हम चाहते हैं कि आम बच्चों की तरह ही उनका लालन-पालन हो, उनको झूला दिया जाये, उनके सर्वांगीण विकास के लिये सब होना चाहिए । मैं घरौंदा के लिये भी मांग करती हूं कि उनकी राशि बढ़ा दी जाये।

सभापति महोदय :- संगीता जी, अब समाप्त करें । आपकी पूरी बात आ गयी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट के लिये बधाई देती हूं और इसके साथ ही यह कहना चाहती हूं कि महिला बाल विकास और साथ में हमारे बच्चों का जो विभाग है

तो इसमें यह राशि बिल्कुल पूर्ण नहीं होती है तो इसमें और राशि मिलाकर बढ़ाया जाये । माननीय सभापति महोदय, मैं इसके समर्थन में नहीं हूं यह घोषणा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं । आपने मुझे बोलने हेतु जो समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार है कि आपने आज मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है । महिला एवं बाल विकास विभाग के विषय में बजट पर जो चर्चा है उसके लिये सबसे पहले तो मैं हमारी आदरणीय मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा बजट महिला बाल विकास के लिये और सामाजिक कल्याण के लिये आया है। निश्चित ही कहीं न कहीं हमारे वित्तमंत्री जी का और हमारे जो मार्गदर्शक हैं माननीय विष्णुदेव साय जी जिनके मार्गदर्शन में सारे विभागों का पूरा बजट तय हुआ है तो निश्चित ही उन सभी को अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहती हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात की शुरूआत करने के पहले चूंकि आज हमारे मार्गदर्शक आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जन्मदिन भी है तो पूरे सदन के सदस्यों की तरफ से अर्थात् पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से मैं उनको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूं और उनकी दीर्घायु की कामना करती हूं । हम लगातार इस सदन में अलग-अलग विभागों पर चर्चा करते आ रहे हैं, बहुत सारे विभागों की चर्चा पहले भी हो चुकी है और आने वाले समय में भी विभागों पर चर्चा होगी लेकिन आज जिस विभाग पर हम चर्चा करने के लिये खड़े हुए हैं महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण । मुझे लगता है कि सारे विभागों में जो सबसे संवेदनशील विभाग है वह महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण विभाग है क्योंकि कहीं न कहीं जो हम आधार मानते हैं, घर की जो महिलायें हैं और जो बच्चे हैं । ये कहीं न कहीं आने वाले भविष्य की रूपरेखा तय करते हैं तो ऐसा विभाग, ऐसा मंत्रालय जो आने वाले समय में उनकी जिम्मेदारियां तय करेगा तो निश्चित ही यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण है । मैं इसके साथ ही पहले यह निवेदन करना चाहूंगी कि जब महिला बाल विकास विभाग का विषय आता है तो हमेशा इस बात की उम्मीद की जाती है कि इस विषय पर महिलायें ही अपना वक्तव्य रखेंगी, महिलायें ही चर्चा करें तो मुझे लगता है कि सभी महिलायें शायद मेरा सपोर्ट करेंगी कि इस विषय पर केवल महिलाओं का नहीं बल्कि पुरूष सदस्यों की भी जवाबदारी बनती है क्योंकि घर अकेले महिला नहीं चलाती हैं, पुरूष का भी दायित्व होता है तो बिल्कुल मुझे विश्वास है कि जब भी अगला बजट आयेगा तो महिलाओं के सम्मान के लिये उसमें कहीं न कहीं चर्चा पर एकाध हमारे सदस्य भाईयों का भी नाम रहे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, चूंकि काफी बड़ा बजट महिला बाल विकास विभाग को दिया गया है । लगभग 5683 करोड़ का जो बजट है वह महिला बाल विकास विभाग को दिया गया है और कहीं न कहीं हम जो एक चीज मानते हैं कि परिवार के जो बुजुर्ग रहते हैं, परिवार के जो बड़े वरिष्ठ रहते हैं

उनके मार्गदर्शन में ही पूरा परिवार चलता है । हम हमेशा इस चीज को मानते हैं कि जिस पार्टी से हम आते हैं, चूंकि पार्टी एक परिवार है और हमारे परिवार के बुजुर्ग आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी हैं जिन्होंने पहले शपथ के समय जब लालकिले से भाषण दिया तो महिलाओं के लिये शौचालय की व्यवस्था की बात की थी तो वहां से लेकर चाहे मैं आज की बात करूं लगभग अभी काफी समय पूरा हो गया, वर्ष 2024 लग गया तो कहीं न कहीं उनके मार्गदर्शन में आज इस छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है तो उनके मार्गदर्शन में ही यह चीजें या जो व्यवस्था तय हुई है वह बहुत ही सराहनीय है और सबसे पहला विषय जब भी महिलाओं की बात होती है उसमें लगातार जिसकी बात आती है । पक्ष और विपक्ष दोनों से एक विषय पर जरूर चर्चा आती है वह है महतारी वंदन योजना । मैं अपनी बात महतारी वंदन योजना से ही शुरू करना चाहूंगी । मुझे लगता है कि हम चाहे अभी की बात करें या चुनाव के समय की बात करें तो जब हम क्षेत्र में जाते हैं । आज भी लगभग 80 लाख से ज्यादा फॉर्म भर चुके हैं और 80 लाख फॉर्म भरने के बाद वो ऑनलाइन हो, चाहे फिजिकली कॉपी हो, सारी चीजें जहां संबंधित विभाग तक पहुंच भी रही हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि मार्च के पहले हफ्ते में ही उनके खाते में राशि ट्रांसफर भी हो जाये, लेकिन महोदय जी, मुझे लगता है कि यहां इस सदन में बैठकर हम लोग जो चीजें चर्चा कर रहे हैं और संगीता बहन को मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि अपने क्षेत्र में उस चीज को स्वीकार करेंगे कि जब आप इस विषय पर किसी ग्रामीण महिला से चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं उसके चेहरे की खुशी देखते बनती है, क्योंकि हम जब फार्म भराने जाते हैं, हमें फार्म कम पड़ जाता है। कई महिलाएं बोलती हैं कि हमने ऑनलाइन आवेदन पहले ही दे दिया है तो आप जब पेटी में रखने की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि विधवा पेंशन योजना। संगीता जी आपको विषय दिया जायेगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरे बाद आप और बोल लीजिएगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मतलब आप 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना देंगी।

श्रीमती भावना बोहरा :- आप उसकी चिंता मत करिए। जो 3 हजार करोड़ का जो प्रावधान है, महिलाएं उससे बहुत खुश हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह उतना कम्प्लीट नहीं होता। 10 से 15 परसेंट या 20 परसेंट को जाता है।

श्रीमती भावना बोहरा :- आप महोदय जी को देखकर बात करें। फिर वहां से विषय आयेगा। मुझे लगता है कि पेटी में जिस फार्म की बात हो रही है कहीं न कहीं विधवा पेंशन योजना जो पिछले 5 साल में कहा गया था तो कहीं वो फार्म तो नहीं, आप एक बार चेक करवा लीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, विधवाओं के साथ चिटिंग की जा रही है कि उन्हें 500 रूपये देंगे। 500 रूपये काटकर देंगे। ये चिटिंग है। ये धोखा दे रहे हैं। सभापति महोदय, महिलाओं को धोखा दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रही हैं। 2500 रूपये 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का पूर्ववर्ती आश्वासन तो पूर्ण कर नहीं पाये और विपक्ष में बैठ गये हैं और बात कर रहे हैं 500 रूपये की।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आपने जब बोला..।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, युवाओं के खाते में बराबर पैसा जा रहा था। 4 महीने से बंद है। आपकी सरकार ने 4 महीने से युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ता नहीं डाला है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- वैसे ही जा रहा है न जैसे बेरोजगारी दर 0.0 प्रतिशत था। बेरोजगारी दर 0.0 प्रतिशत था न। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 500 रूपये में गैस सिलेण्डर देने की बात किये थे। आप 500 रूपये में सिलेण्डर लाइए। (व्यवधान) 500 रूपये में सिलेण्डर दीजिए। पहले घोषणा कीजिए। (व्यवधान)

श्री ललित चन्द्राकर :- 4 ठोक दूहू कहे रहव, देहो का एक भी बार। 4 ठोक देबो कहे रहव, कहां देहौं एको ठोक। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- 1 मिनट एम.एल.ए. साहब। आप जब बोली तो कोई बोल नहीं रहा था। आपका भाषण बहुत निर्विवाद रूप से चला है। अब वे अपनी बात कह रही हैं तो सुन लीजिए न। अब बीच-बीच में अगर टोका-टाकी करेंगी तो मामला तो आगे नहीं बढ़ेगा। अभी 6-6 लोग हैं। कितने बजे रात तक बैठना पड़ेगा? आप खुद समझिए। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आसंदी को थोड़ा सहयोग करिए। अपने भाषण को आप बोलिए और बीच में टोका-टाकी मत करिए एक-दूसरे को। बोलिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- आदरणीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने याद दिला दिया जो विषय मुझसे छूट रहा था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी तो वो विषय भी मुझे याद आ गया तो मैं आपके माध्यम से जरूर वह एक बार याद दिलाना चाहूंगी।

सभापति महोदय :- नहीं, आप बोलिए न।

श्रीमती भावना बोहरा :- महोदय जी, दूसरा आंगनबाड़ी को लेकर जो विषय लगातार आ रहा था, सब लोगों ने अपनी बात रखी कि आंगनबाड़ी को लेकर, कुपोषण को लेकर बहुत सारे वक्तव्य अभी लगातार विपक्ष के माध्यम से आ रहे थे। मैं याद दिलाना चाहूंगी और जो बजट में लिखा भी गया है अगर कोई बजट को पढ़ेगा तो उससे स्थिति बहुत क्लियर हो जायेगी। 700 करोड़ का बजट जो है वह आंगनबाड़ी और पोषण आहार के लिए अलग से इसमें व्यवस्था की गई है। जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसमें जो इसकी व्यवस्था थी, जो ये बात कर रहे हैं कि हमने कुपोषण से छत्तीसगढ़ को आजाद किया है। उस

समय सिर्फ 172 करोड़ रूपये ही कुपोषण के लिए व्यवस्थित की गयी थी, जबकि अभी 700 करोड़ रूपये जो मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार के बजट से करीब 3 से 4 गुना बहुत ज्यादा है। तो कहीं न कहीं इनको स्वागत करना चाहिए, चूंकि विपक्ष में हैं तो हम समझ सकते हैं कि विपक्ष का काम है विरोध करना तो विरोध करेंगे, उसका बहुत स्वागत है। महोदय जी, उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जिनके विषय में हम बात करना चाहते हैं। चाहे अम्ब्रेला योजना की मैं बात करूं, जिसके लिए 628 करोड़ का बजट लिया गया है। नोनी सुरक्षा योजना की बात करूं, जिसके लिए 25 करोड़ का बजट लिया गया है। मातृ वंदन योजना की बात करूं, जिसके लिए 117 करोड़ का बजट लिया गया है। युवा रत्न सम्मान के लिए 1.50 लाख का बजट लिया गया है। इसको बजट को बताने का उद्देश्य यह है, जानते तो सभी रहे हैं और पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन इससे यह स्थिति साफ होती है कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में भा.ज.पा. की सरकार की जो नीयत हे, वह बिल्कुल साफ है। चाहे महिलाओं के लिए पूर्ववर्ती योजनाएं थीं, बच्चों के लिए योजनाओं के विषय में मैं बात करूं, लगातार योजनाएं पहले के पूर्ववर्ती सरकार में थीं, वह महिलाओं के पक्ष में ही थीं चाहे मुख्यमंत्री विवाह योजना जो अभी बात चल रही थी, उसके विषय में बात करूं। महतारी जतन योजना की मैं बात करूं। चाहे मैं महिलाओं के नाम में राशन कार्ड के बारे में बात करूं। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य था, जिसने महिलाओं के नाम में राशन कार्ड बनाया था। सरस्वती साइकिल योजना के बारे में बात करूं, चाहे मैं स्व-सहायता समूह, जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, उसकी बात करूं। महोदय, मैं इसमें ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी स्व-सहायता समूह का लगातार जिक्र आता है। आंगनबाड़ी का लगातार जिक्र आता है। मैं पूछना चाहूंगी कि 5 साल तक हमने उन्हें सिर्फ यही कहा कि आपका कर्ज माफ होगा। घोषणा पत्र में था। विषय फिर आपत्ति की होगी, लेकिन हमारे पास रास्ता यही है। हमें सरकार बनाये दो से तीन महीने हुए हैं। हम अभी जो चर्चा करेंगे, कहीं न कहीं पूर्ववर्ती सरकार के विषय में चर्चा करेंगे। विपक्ष चाहे या न चाहे, हमें बार-बार उन्हें इस पक्ष में लाना ही पड़ेगा कि हम चर्चा उसी की करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि आपने जो कर्ज माफी की बात की थी , आज वह कहां हैं, मेरी विपक्ष की बहनें उस विषय पर क्यों नहीं बोलती है। आपने शराबबंदी की बात की थी, उस विषय पर महिलाएं क्यों नहीं बोलती हैं। गौठान के विषय में बात चल रही थी। जब हमने गौठान चलो अभियान किया तो एक महिला होने के नाते मैं भी खुश थी कि महिलाओं को गौठान के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। कान सीधे पकड़ें, घूमा के पकड़ें एक ही है। अगर आपकी योजनाएं अच्छी थी तो हम बोलते कि बिल्कुल अच्छी योजना थी। लेकिन जब हम धरातल पर गये, मैंने समूह की बहनों के साथ जाकर कई गौठानों का निरीक्षण किया है, उनकी शिकायत यह थी कि गौठान में जो गड्ढे बने हुए हैं, उन गड्ढों में जब हम सुबह हाथ डालते हैं तो वहां से शराब की टूटी हुई बॉटल निकलती है। यह कैसा दोहरा चरित्र है जहां पर आप एक तरफ गौठान की बात कर रहे हैं और रात में उसी गौठानों में जाकर लोग शराब पी रहे हैं, दूसरे दिन महिलाएं वहां से

शराब की टूटी हुई बॉटल निकाल रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि उस समय सरकार की कौन सी योजना थी जो गौठान में बैठ करके शराब पीना था। क्या आप सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते थे ?

सभापति महोदय, दूसरा विषय रेडी टू ईट का मामला आ रहा है। यह बहुत सेंसिटीव मुद्दा है और मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते हम इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। विपक्ष में जो मेरी बहनें हैं, उनसे यही उम्मीद थी कि वे इस विषय को समझेंगे लेकिन जिस तरीके से बयान आया है, हम बहुत आश्चर्य में थे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से बयान आएगा। बीज निगम को रेडी टू ईट का काम दिया गया है। मैंने पिछले वर्ष के प्रतिवेदन को पढ़ा है, उसमें स्पष्ट लाईन लिखा है कि समूह की बहनों से यह काम ले करके बीज निगम को दिया जा रहा है, इस प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आश्चर्य की बात है कि एस.ए.जी. ग्रुप, जो हमारे छत्तीसगढ़ में तीन लाख से ज्यादा हैं, भाजपा की सरकार ने उनको रोजगार दिया। चाहे रेडी टू ईट के माध्यम से बात करूं, लघु उद्योग के माध्यम से बात करूं, कम ब्याज में लोन देने की बात करूं तो उससे सरकार को तकलीफ क्यों थी ? आज फिर से वही बात आ रही है कि वापस ठेकेदार को दे देना चाहिए, युवा मोर्चा का ठेकेदार बनेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि कहां यह चीज लिखी है कि भाजपा की सरकार में युवा मोर्चा ने रेडी टू ईट में ठेकेदारी की है, आपके पास कोई सबूत है तो बता दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया है, यह मेरे पास सबूत है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, आप इसको लागू कर दीजिए। धरातल में देख लीजिएगा, एक साल के अंदर में सदन में प्रस्तुत कर दूंगा। मैं 6 महीने के अंदर प्रस्तुत कर दूंगा।

सभापति महोदय :- सुशांत जी बैठिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, हम राजीव मितान क्लब की चर्चा कर सकते हैं लेकिन हमने नहीं की है। यह विषय से अलग हो जाएगा इसलिए मैं उस विषय को नहीं ले रही हूं। राजीव मितान क्लब में क्या हुआ था, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हम घसीटना नहीं चाहते क्योंकि आज का विषय महिला बाल विकास से संबंधित है, बहुत सेंसिटीव, बहुत संवेदनशील विषय है, बहुत संवेदनशील मंत्रालय है, मुझे लगता है कि इस मंत्रालय के आस पास ही चर्चा हो, आने वाले भविष्य के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा होगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- भावना जी दो मिनट। सभापति महोदय, मेरे विपक्ष के साथियों को अनुभव है, इसलिए वे गलती से युवा मोर्चा बोल गये। वे यूथ कांग्रेस और एन.एस.यू.आई. के पदाधिकारियों को रेडी टू ईट में महतारियों का रोजगार छीनकर दिए थे, यह अनुभव था, इसलिए वे बोल गये। (शेम-शेम की आवाज)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, आप 15 साल के कार्यकाल का अभी जांच करवा दीजिए, मैं प्रमाणित कर दूंगा, जांच में बात आ जाएगी कि कागज में महिला स्व सहायता समूह चलाने वाले युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। आप अभी भी 15 साल के कार्यकाल का जांच करवा दीजिए। जब से रेडी टू ईट चालू हुआ है।

श्री सुशांत शुक्ला :- चलिए दीजिए।

सभापति महोदय :- चलिए इसको बिना वजह बात को आगे मत बढ़ाईए।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, एक विषय आ रहा था, बजट में सारी चीजों का प्रावधान बहुत अच्छे से किया गया है, अगर कोई इस बजट को पढ़ेगा। आप पक्ष विपक्ष से मत पढ़िए, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में बजट को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा बजट है। निश्चित ही हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें खामियां निकालेंगे लेकिन आम व्यक्ति की नजर में अगर बजट देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बजट है।

सभापति महोदय, थोड़ी देर पहले नारी निकेतन की चर्चा हो रही थी। मैं बताना चाहूंगी, शायद आपको याद भी होगा। मैंने इसी सदन का पुराना वीडियो देखा है, जिसमें हमारे आदरणीय दो सदस्यों ने बात रखी थी। जहां तक मुझे ध्यान है, यह 2022 या 2023 का केस है, जहां पर नारी निकेतन में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, वहां की जो सुरक्षाकर्मियां थी, वहां पर जो सहायिका थीं, वह महिलाओं से जो मध्यम वर्ग परिवार की महिलाएं आती हैं, उनसे पैर दबाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, मेरी बहनें चाहें तो उन चीजों को देख सकती हैं। (शेम-शेम की आवाज) यह नारी निकेतन रायपुर की बात है। दूसरी बात, मैंने पिछले कार्यकाल में देखा कि बहुत सारे बजट प्रस्तावित थे। विभाग के लिए इतना बजट, नारी सुरक्षा के लिए इतना बजट इत्यादि। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर पुरानी सरकार ने इतना बजट का प्रावधान रखा था तो आखिर वह बजट कहां गया ? क्योंकि आज आप महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, बलात्कार का केस देखेंगे, सुरक्षा का मामला है, लगातार पिंक थाने की बात की थी। मैं पूछना चाहती हूं कि वह पिंक थाने कहां हैं ? या तो उनका कलर निकल गया है या फिर लगता है कि पटवारी के नक्शे खसरे में गुम हो गया है। मेरी बहनें इस विषय में प्रकाश डालें तो मुझे बहुत खुशी होगी। सभापति जी, बहुत सारे विषय आ रहे हैं, समय की अपनी मर्यादा है। मैं बहुत ज्यादा विषय नहीं खीचूंगी लेकिन मुझे लगा कि यहां कुछ विषय पर शायद चिंता करनी चाहिए उस विषय पर मैं जरूर बोलना चाहूंगी। सभापति महोदय, चूंकि मेरा क्षेत्र वनांचल क्षेत्र है और काफी सारे गांव वनांचल क्षेत्र में आते हैं। कल ही मैंने वहां पर एक आदिवासी भाई से चर्चा की। हम महिला बाल विवाह कानून बनाने की बात करते हैं। चूंकि यह उससे संबंधित था तो मैंने उनसे जानकारी लेनी चाही कि धरातल पर उसकी क्या स्थिति है ? मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि आदिवासी बेल्ट में जहां पर हमारे आदिवासी भाई-बहन निवास करते हैं, वहां स्थिति यह है कि अभी भी

वहां पर बच्चियों की शादी 13-14 वर्ष की उम्र में कर दी जाती है। यदि किसी माध्यम से उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो किसी न किसी कारण से उस परिवार के सदस्य उस व्यक्ति के विरोध में आ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि आप इसके लिए सख्त कानून बनाएं। यदि इसके लिए कानून बने हैं तो फिर उसमें awareness की जरूरत है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियों के विवाह की उम्र 13-14 वर्ष है। छोटी बच्चियों की उम्र बहुत कम होती है। मुझे लगता है कि यह एक गंभीर मुद्दा है, इसलिए इस पर विचार करके जरूर कड़े कानून बनने चाहिए। जहां पर भी ऐसे मामले आ रहे हैं, उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा विषय बाल संरक्षण से संबंधित है। बाल संरक्षण के विषय में पिछली बार की जो जानकारी है। फिर बोला जाएगा कि आप यहां पर पिछली सरकार की बुराइयां करने के लिए खड़ी हुई हैं। आप हमको कब तक कोसेंगी ? लेकिन हमारी सरकार को बने हुए 3 महीने ही हुए हैं और हमारे पास यही विषय रहता है कि हमको पुरानी सरकार के बारे में बात करनी है। यह जो वार्षिक प्रतिवेदन मिला है, यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें पेज नंबर - 124 में राज्य में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (P.O.C.S.O. Act) के अंतर्गत यह प्रकरण है। बहुत सारे जिलों में इसके प्रकरण दर्ज हुए हैं। लगातार 34 जिलों में इसके प्रकरण दर्ज हुए हैं। प्रकरणों की संख्या लगातार देखी गई है। इनका चालान तक पेश हुआ है, लेकिन चालान पेश होने के बाद और न्यायालय की प्रक्रिया के बीच में पता नहीं कि क्या हुआ है कि एक भी प्रक्रिया न्यायालयीन जांच तक नहीं पहुंची है। जब आप इसके पीछे में न्यायालयीन जांच की रिपोर्ट को देखेंगे तो वहां पर इसकी संख्या शून्य दिखाई जा रही है जबकि इसकी संख्या किसी में 118, किसी में 80, किसी में 70 और किसी में 55 है, जो sexual harassment के case दर्ज हुए हैं। लेकिन वह case न्यायालय में नहीं पहुंचे तो मैं कहना चाहूंगी कि कहीं न कहीं ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता है। जो बच्चों के साथ इस तरीके से अनाचार की हरकतें करते हैं। यहां पर उस विभाग के संबंधित अधिकारी भी उपस्थित हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पुन: कहना चाहूंगी कि यह बच्चों से जुड़ा हुआ बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जो खामियां रह गई हैं, उसको हम हमारी सरकार में दुरूस्त करें। मुझे लगता है कि दो-तीन गंभीर मुद्दों पर कोई ठोस कार्रवाई और आगे उसकी निश्चित अवधि तय करके उसकी जांच जरूर होनी चाहिए और पुराने मामलों की भी जांच होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ विषयों से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। मैं इन विषयों को अपनी मांग नहीं कहूंगी। मैं इसमें ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि सदन के माध्यम से मंत्री महोदय तथा सभी सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो। मुझे लगता है कि काफी लोग इससे सहमत भी होंगे। चूंकि हम सब जनप्रतिनिधि हैं और निर्वाचित होकर आये हैं। कहीं न कहीं हम में हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने की ललक है। हम स्कूल की बात करते हैं। मैं काफी सारे स्कूलों में जाती हूं। जब मैंने

स्कूलों का सर्वे किया और प्रिंसीपल से पूछा कि आपने जो स्कूल की यूनिफॉर्म सिलवाई है, आप इस यूनिफॉर्म को कहां से सिलवाते हैं ? उन्होंने कहा कि यह सरकार का काम है। मुझे इसकी प्रक्रिया नहीं पता, इसलिए मैं इसको आपको सामने रखना चाहती हूं। हमको सरकार इसकी सप्लाई करती है। मंत्री जी, मेरा एक सुझाव है, चूंकि छत्तीसगढ़ में काफी बड़ी संख्या में हमारी स्व सहायता समूह की बहनें काम करती हैं। जिसको आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से प्रमोट किया है। चाहे छोटे व्यवसाय के रूप में साबुन, अगरबत्ती बनाने का व्यवसाय हो, चाहे अन्य व्यवसाय हो तो क्या स्कूल की यूनिफॉर्म की सिलाई का काम अपनी स्व सहायता समूह की बहनों को दे सकते हैं ? इससे हमको कम समय में चीजें उपलब्ध होंगी, हमारे आवागमन के खर्चे बचेंगे और साथ में हमारी समूह की बहनों के आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा प्रावधान हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरे विषय पर कहना चाहूंगी कि भा.ज.पा. की सरकार में महिला कमाण्डो का गठन हुआ था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनको बैठा दिया गया था। कहीं न कहीं महिला कमाण्डो भी महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। गांव में इनकी छोटी-छोटी टोलियां बनती हैं और 10-15 महिलाएं महिला कमाण्डो के रूप में कार्य करती हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और गांव में सुरक्षा के लिए महिला कमाण्डो का पुन: गठन होना चाहिए। यह मेरी आपसे विशेष मांग है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा तीसरा विषय है कि हम sanitary pad machine की बात करते हैं। पुरानी सरकार ने अपने बजट में इसको लिखा था। मुझे लगता है कि काफी समय से यह चर्चा का विषय रहा है। शायद इसपर लोग खुले रूप से चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस सदन के माध्यम से मैं इस विषय पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी। जब मैं स्कूल जाती हूं और बच्चों के season लेती हूं तो growing age की बच्चियां उस विषय पर बात करने में हिचकिचाती हैं। मेरे सामने में 10-15 बच्चियां बैठती हैं और मैं उनसे बात करती हूं। वह मुझे या अपनी टीचर को यह बात नहीं बता सकती हैं। आप सोचिये कि अगर उनको स्कूल में उस स्थिति से गुजरना पड़ता है तो वे किससे बोलेंगी, क्या बोलेंगी ? गांव में *Awareness* की अभी कमी है। मैं कहना चाहूंगी की सेनेटरी पैड मशीन के लिए बजट का प्रावधान पिछली सरकार में था और इस बार भी बजट में प्रावधान में लेकर *compulsory* जहां पर आपकी Growing Age की Girls हैं, खासकर मीडिल स्कूल में सेनेटरी पैड मशीन की व्यवस्था होनी चाहिए । इसको प्राथमिकता पर लेना चाहिए क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है और बच्चियों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो मुझे लगता है कि इस विषय पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए ।

सभापति महोदय, मैं चौथी विषय की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी । महिलाओं के लिए व्यवसायिक परिसर होना चाहिए । जब भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत या गांव में पंचायतों में जब भी कोई दुकानों की व्यवस्था की जाती है, वह व्यवस्था हमेशा पुरूषों के लिए दुकान

लगाने के लिए की जाती है तो क्या महिलाओं के लिए ऐसा कोई व्यावसायिक परिसर खुल सकता है, जहां पर सिर्फ महिलाओं के लिए 8-10 दुकानें आवंटित कर दिया जाये, जहां से वह अपने रोजगार के अवसर आगे बढ़ा सके ।

सभापति महोदय, मैं अंतिम विषय पर कहना चाहूंगी । हम लगातार मिलेट्स की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी मिलेट्स की बात करते हैं । अभी हमें अधिवेशन में जाने का सौभाग्य मिला, वहां भी हमें मिलेट्स के फूड सर्व किए गए थे। चूंकि छत्तीसगढ़ में हम मिलेट्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए भी मिलेट्स कैफे जैसी व्यवस्था खास करके राजधानी में या बड़े शहरों में उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, यह मेरी आपसे मांग हैं ।

सभापति महोदय, बहुत सारे विषय हैं, जिस पर चर्चा करनी थी । चूंकि समय की अपनी मर्यादा है इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात खतम कर रही हूं । अंत में यही कहना चाहूंगी कि महिला बाल विकास मंत्रालय है और हमारी महिला मंत्री उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी -

अभी उड़ान और भी हैं, आगे आसमां और भी हैं ।
यह तो सिर्फ शुरूआत है, आगे मकाम और भी है ।।
अब नहीं रूकने का मौका, अब नहीं झुकने का दौर ।
अब तो खुद को पहचाना है हमने, अब पहचान और बाकी है ।।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए अभिनंदन ।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- सभापति महोदय, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या-34 समाज कल्याण एवं मांग संख्या-55 महिला एवं बाल विकास के बजट में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगी कि यह उनका पहला बजट है, आपको बहुत-बहुत बधाई ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं । समाज कल्याण विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग बच्चों के विकास एवं उसके सुधार कार्य के लिए अच्छी शिक्षा देना और अच्छी दिशा में ले जाने का कार्य करने वाला विभाग है । इस विभाग में ऐसे वर्ग के लोग हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते । अभी आपके द्वारा बजट में कोई प्रावधान या ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई है, जिससे ऐसे वर्ग के लोग लाभान्वित हों । प्रदेश में बहुत से विज्ञप्ति निकाले गए हैं, जिसमें उनकी कार्य कुशलता और शिक्षा के अनुसार पदों में आरक्षण मिलना चाहिए। दिव्यांग की सहायता के लिए, दिव्यांग मितान जो साथी हैं, उनके साथ में कार्य करते हैं, ऐसे मितान साथियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए । कम से कम

उनको एक दिन की रोजी तो मिलना ही चाहिए । ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है । विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की भी कमी है । ऐसा विभाग जो दिव्यांग भाई बहनों के विषय में विशेषज्ञों की आवश्यकता है । हर गांव में नशा मुक्ति केन्द्र होना चाहिए, इसे रोकने का भी प्रावधान किया जाना चाहिए क्योंकि नशे के कारण बच्चे बिगड़ते हैं । आजकल पूरे जिले में जहां बाल संरक्षण गृह है, उसके आसपास नशीली चीजों तम्बाखू, गुटका की बिक्री केन्द्र पर रोक लगानी चाहिए, उसे हटाना चाहिए, ताकि बच्चे गलत रास्तों में न जाएं ।

सभापति महोदय, हर ब्लॉकों में कार्यशाला का भी आयोजन होना चाहिए । जैसे बाल संरक्षण गृह के आश्रम होते हैं, उसमें सीटों की कमी होती है । जैसे बच्चे ज्यादा हैं और उनको वहां रखा जाता है तो भी दिक्कतें होती हैं तो बच्चों के लिए सीट बढ़ानी चाहिए । जैसे कोई बच्चा गंभीर अपराध करके आता है हैं, ऐसे बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग रखना चाहिए, जिससे उसका दुष्प्रभाव अन्य बच्चों पर ना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, बच्चों के सुधार के लिए अच्छा कदम उठाया जाना चाहिए। अब तो दोनों जगह राज्य और केन्द्र में आपकी सरकार है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, मोदी की गारन्टी है। वैसे भी इसमें केन्द्रीय योजनाएं ज्यादा रहती है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा केन्द्र सरकार से मदद लेनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया, मैं महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में कहना चाहूंगी। जैसे आंगनबाड़ी केन्द्र होते हैं, उसमें सहायिका और कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होती है। सहायिकाओं का काम है कि वह नन्हें बच्चों को अच्छा भोजन कराये, उनको घर से लाना, उनको अच्छी शिक्षा देना है। लेकिन सहायिकाओं को अलग से काम दे दिया जाता है। नन्हें बच्चों को घर से लाना चाहिए, बच्चों को घर से लाने की भी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चें अपने से वहां नहीं आ पाते, उनके पैरेन्टस अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र तक छोड़ते हैं। इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि सहायिकाएं बच्चों को घर तक पहुंचाये। वह तब पहुंचायेंगे, जब उनको कार्य करने के लिए खुली छूट देंगे। क्योंकि उनको अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है। जैसे बी.एल.ओ. बना दिया जाता है, कभी मतदाता सूची के कार्य में लगा दिया जाता है। उसके कारण वह अपना कार्य अच्छे नहीं कर पाती हैं और दूसरे कार्यों में उलझ जाती हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं चाहती हूं कि आपको इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह वह स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के विकास के लिए क्रीड़ा की सामग्री, झूला, रोलर, राउण्ड झूला सब खेल सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 190 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, 66 बालबाड़ी केन्द्र हैं। प्री प्रायमरी कक्षाओं का भी संचालन करना चाहिए। मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, उसको बड़ा आंगनबाड़ी केन्द्र में उन्नयन करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं, अपने क्षेत्र की कुछ मांग भी रखना चाहती हूं, माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की मांगों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। जैसे आंगनबाड़ी केन्द्रों में अहाता नहीं है तो वहां अहाता का निर्माण होना चाहिए। जहां जर्जर भवन है, वहां भी भवनों का निर्माण होना चाहिए। जहां पर नया भवन नहीं है, वहां नये भवनों का निर्माण होना चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। हमारी बहन संगीता सिन्हा जी ने कही, भावना बोहरा जी ने भी कही। इसमें और समय सीमा बढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि एक दिन का समय सीमा बढ़ाया गया है। क्योंकि ऑनलाईन आवेदन करना है और उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। उसमें बहुत सारे लोग छूट भी गये हैं। क्योंकि उसमें एक दिन का समय सीमा बढ़ाया गया है। क्योंकि आनलाईन आवेदन करना है। उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। उसमें बहुत सारे लोग आवेदन करना छूट गये हैं। इसलिए उसमें समय सीमा बढ़ाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय कन्यादान विवाह का है। आज धमतरी जिले में कन्यादान विवाह हो रहा है। मुझे आज पता चला है कि धमतरी जिले में कन्यादान विवाह हो रहा है। चूंकि मैं उस जिले की विधायक हूं, लेकिन मुझे खबर नहीं किया गया है। ना मुझे निमंत्रण दिया गया ना ही मेरा उस कार्ड में नाम है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हम लोग भी चुनकर आये हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। जिले में कहीं पर भी कोई कार्य हो तो वहां के विधायकों को जरूर सूचित करना चाहिए। ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि यह सिर्फ धमतरी जिले की बात नहीं है, और भी जगहों पर ऐसा हो सकता है। इसलिये आप पूरे प्रशासन को निर्देशित करें कि इस तरह की घटनायें नहीं होनी चाहिये । सभापति महोदय, अगर विवाह जिला मुख्यालय में होता है तो हर जगह से दूल्हा-दुल्हन हर क्षेत्रों से आते हैं, यह बहुत गंभीर मसला है, मैं इसलिये आपसे निवेदन करना चाहती हूँ । सभापति महोदय, दूसरी बात...।

सभापति महोदय :- अंबिका जी, 10 मिनट हो गये हैं । अपनी बातों को थोड़ा जल्दी से समाप्त करें ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- सभापति महोदय, मैं थोड़ी देर में खत्म कर रही हूँ।

सभापति महोदय :- मांग वगैरह है, उसको बता दीजिए ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रही थी कि जो भी मेरे क्षेत्र का कार्य है, उसको पत्र के माध्यम से अवगत करा दूंगी । आप उसको जरूर कराने का प्रयास करेंगे । सभापति महोदय, मैं इस बजट का घोर विरोध करते हुये अपनी बात को

यहीं पर समाप्त करती हूँ । माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्रीमती गोमती साय जी ।

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- धन्यवाद सभापति महोदय जी । मैं आज महिला एवं बाल विकास विभाग के मांगों पर भाग लेने के लिये और उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूँ । माननीय सभापति महोदय जी, हमारी सरकार वर्ष 2024-2025 में महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु 5619 करोड़ और 62 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिये बजट प्रावधान रखा गया है । सभापति जी, महिला एवं बाल विकास विभाग एक अहम विभाग है, जिसमें महिलाओं को सुरक्षित रखा जाता है और उसके साथ-साथ बाल विकास भी होता है । इसका बहुत मायने है और इसका अर्थ बहुत बड़ा है, इसलिये आज हमारी सरकार, इस बजट के लिये, योजना के लिये, जो अनुदान मांग लाये हैं, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिये । सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना की बहुत चर्चा हो रही थी, वास्तव में यह मोदी जी की गारण्टी योजना है । हमारी सरकार के द्वारा इस योजना को पूरा करने के लिये एक अच्छा खासा बजट रखा गया है, इसमें महिलाओं को 12 हजार रूपये वार्षिक डी.बी.टी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जायेगा और इसमें 3000 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है । सभापति जी, महिलाओं को घर में तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो महिलायें घर चला लिये वह गांव चला लेती है, जो गांव चला लिये वह देश को भी चला सकती है । सरकार के द्वारा महतारी वंदन के माध्यम से जो महिलाओं को शक्ति प्रदान की जा रही है, उसे महिला ही समझ सकती है, जब हम लोग फार्म भराने जाते थे, तब हमारी महिला बहने बोलती थी कि और फार्म बचा है क्या ? अगर बचा है तो हमारा भी फार्म भर दीजिए । हम लोगों ने इसे बहुत करीब से देखा है । अगर हर महिला को एक हजार रूपया महीना मिल जाये तो यह गृहणी के लिये, उसके परिवार के लिये एक अच्छा सहयोग हो सकता है, जिसका प्रावधान इस बजट में किया गया है । सभापति जी, हमारे प्रदेश में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और चहुमुखी विकास के लिये 700 करोड़ का बजट रखा गया है। सभापति महोदय, जिसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न हो, उसकी व्यथा हम सब लोग समझ सकते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य को भारत के पार्लियामेंट में भाषण देने का अनुभव है ।

श्रीमती गोमती साय :- जी, इसलिये हम ध्यान से सुन रहे थे । हम लोग साइलेंट थे । सुन रहे हैं । सभापति महोदय, महिला हो या पुरूष हो, अगर शारीरिक स्वास्थ्य न हो तो उसके लिये सब अंधेरा है । अगर उसका शरीर स्वस्थ हो तो उसका सब कुछ उजाला है, उसका मानसिक विकास भी अच्छा होना चाहिये । उसके पास सोचने, समझने की शक्ति हो, जिसके पास बौद्धिक विकास हो, उसको किसी चीज का कोई डर नहीं होता है, किसी समस्या का समाधान करने से हिचकता नहीं है। सभापति महोदय,

महिला बाल विकास का जो अनुदान मांग है, उसमें मानसिक विकास के लिये इस बजट में प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, मैं चहुंमुखी विकास के बारे में कहूंगी। पहले जिस तरह हम लोग आर्थिक तंगी से गुजरते थे। हम लोग 20-25 साल पहले चले जाते हैं, जब हमारे घर में आदमी काम करने जाते थे। महिला या पुरूष यह सोचते थे कि आज पैसा कमा कर लायेंगे या अन्न कमा कर लायेंगे। उस वक्त गृहणी पैसे के बारे में नहीं सोचती थी, वह यह सोचती थी कि जो हमारे पुरूष कमाने गये हैं, उसमें कम से कम कुछ अनाज मिल जाये तो हमारी शाम की दो रोटी बन जाये। यदि इस तरह से हम लोग 20 साल पहले चले जाये तो उस समय की समस्या को भी हम लोगों ने बड़े करीब से देखा है। लेकिन हमारी सरकार ने आज जिस तरह से इस बजट में प्रावधान किया है, इसमें आर्थिक विकास का भी ध्यान रखा गया है। जिससे पूरे प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सशक्त मिहला के रूप में उभर रही थी। लेकिन उसमें जो महिलाएं रेडी टू ईट बनाती थी, उस काम को पूर्ववर्ती सरकार ने महिला स्वयं सहायता से छीनकर उसका एकीकरण कर दिया । वह बड़ा गंभीर विषय है। मेरे पास बहुत सारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें भी आयी थी क्योंकि मैं सांसद थी और मैं पंचायत स्तर का भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हूं इसीलिये मैं महिलाओं के साथ बड़े करीब से जुड़ी हुई थी। मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से समझती थी। जब पूर्ववर्ती सरकार उनसे रेडी टू ईट का कार्य छीन रही थी तो कई स्वयं सहायता समूह की बहनें हमारे पास आयीं और बोलती थी कि दीदी हम लोगों ने कर्जा लेकर, मुद्रा लोन निकालकर लाखों रूपये की रेडी टू ईट बनाने की मशीन खरीद कर रखी है। अब हम लोग इस कर्जे को कैसे चुकायेंगे। यह सारा विषय जो आता है, इसमें कहने के लिये भाषण दे दिया जाता है। वाकई में यदि हम उन बहनों की तरह जीकर देखें, तो हमें उनका दुख और दर्द महसूस होता है। आज उनको सशक्त बनाने के लिये इस योजना में बजट का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से निवेदन करती हूं और हमारी जितनी भी अधिकारी बैठी हैं, सब महिला शक्ति ही है, जो हम लोगों के लिये मिल का पत्थर साबित हो सकती है। इसलिये जो महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से रेडी टू ईट बनाने का हक छीना गया है, वे उसी में मध्यान्ह भोजन बनाती थी, रेडी टू ईट बनाती थी, हम यह सारी शक्ति हमारी महिला शक्ति को देंगे। हम लोग विकसित भारत और सशक्त भारत का नारा लगाते हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है कि "मोदी जी है तो मुमकिन है"। मैं आपके माध्यम से इसकी मांग करती हूं कि उनको यह शक्ति जल्दी से जल्दी प्रदान करें। आज महिला विकास करेगी, सशक्त महिला बनेगी, तभी तो सशक्त भारत बनेगा। सभापति महोदय, मैं समय का ध्यान रखते हुए बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं मातृत्व वंदन योजना के बारे में कहूंगी कि वाकई में मातृत्व का गर्भवती से लेकर डिलीवरी तक जो पिरियड होता है, वह बड़ा गंभीर पिरियड होता है। मातृत्व को भी शक्ति देने के लिये, पूरक पोषण आहार देने के लिये, उसकी शारीरिक

क्षमता बढ़ाने के लिये, मां स्वस्थ रहेगी तभी तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, इसका भी ध्यान रखते हुए इस बजट में प्रावधान किया गया है। हमको गंभीरता से इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। हमने जनता में जो जागरूकता का काम किये हैं, इसको और जागरूक कैसे करें ताकि कोई भी महिला इस योजना का लाभ लेने से वंचित न हो, हम लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारे मंत्रालय में, महिला एवं बाल विकास विभाग में जितने भी अधिकारी-कर्मचारी काम करते हैं, मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप सब लोग इस विषय पर पुरजोर ध्यान दें। हमारी सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है कि आज हमारे राज्य में कुपोषण को नियंत्रण करने एवं सुपोषण में वृद्धि हेतु पोषण अभियान अंतर्गत बजट में 125 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और इसे अनुदान मांगों में रखा गया है ताकि हमारे बच्चे अच्छा अनाज खाये और स्वस्थ रहे।

माननीय सभापति महोदय, गरीब हो या अमीर। जबकि मैं तो अमीर लोगों को अधिक बोलूंगी और गरीब लोगों को कम बोलूंगी क्योंकि जब अमीर लोगों के घरों में बेटी पैदा होती है तो उनको उसी समय से चिंता हो जाती है कि मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई है, पहले इसे बोझ समझते थे परंतु अभी तो सबकी सोच समय के साथ-साथ बदल रही है । जब घर में लड़की पैदा होती है तो उसी समय से माता-पिता चिंतित होते हैं कि हमारे घर बेटी पैदा हुई है तो हम उसका शादी-ब्याह कैसे करेंगे। हम उसका लालन-पालन, देखरेख कैसे करेंगे। पहले इस तरह की चिंता रहती थी, पर समय के साथ-साथ अब वह विषय नहीं रहा। मैं तो यह चाह रही हूँ कि यह विषय आना ही नहीं चाहिए। उसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत भी 38 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान है जिसे अनुदान मांगों के माध्यम से रखा गया है ताकि इस प्रदेश में नवविवाहित जोड़ों का अच्छे से गठबंधन हो, उनका अच्छा वैवाहिक जीवन हो और वह अच्छे से चले। उनके माता-पिता को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए हमारी सरकार ने इस बजट में उसका भी ख्याल रखते हुए, प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिले का भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से समझती हूँ कि यहां आंगन बाड़ी केन्द्र, मिनी आंगन बाड़ी केन्द्र है, केन्द्रीय आंगन बाड़ी है, लेकिन समय के साथ उनका उन्नयन भी किया जाना चाहिए। जहां-जहां भवन नहीं हैं ...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यह डबल इंजन की सरकार है। अभी इस बार घोषणा होगी। जो आप मिनी आंगन बाड़ी को मेन आंगन बाड़ी केन्द्र में उन्नयन की बात कर रही हैं। पिछली बार माननीय स्मृति ईरानी जी घोषणा करके गई थीं। अब तो डबल इंजन की सरकार है तो इसकी घोषणा हो जाएगी।

सभापति महोदय :- माननीय गोमती जी आप बोलिए।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय, समय के साथ-साथ सब होगा। जहां-जहां मिनी आंगन बाड़ी केन्द्र हैं वहां नये भवन भी बनाने चाहिए, उनका उन्नयन भी करना चाहिए। यह मेरी

आप लोगों से मांग है। मैं पत्थलगांव विधान सभा क्षेत्र की विधायक हूँ। वैसे तो मैं पूरे प्रदेश के लिए मांग कर रही हूँ जहां-जहां इस विषय में कमियां पाईं गईं हैं तो आप लोग तत्काल सर्वे कीजिए ताकि जहां-जहां आप लोगों ने मिनी आंगन बाड़ी केन्द्र खोला है, जो किसी के घर में किराये से पढ़ा रहे हैं या फिर अन्य जगहों पर पढ़ा रहे हैं तो वहां पर भवन भी बन जाए और सारी सुविधायुक्त बने। वहां शौचालय बने। जहां पर पानी नहीं है वहां पर पानी की व्यवस्था हो जाए। उनके लिए ऐसा सर्वसुविधायुक्त बनाया जाये। इसलिए इस बजट में उसका भी प्रावधान है।

माननीय सभापति महोदय, मैं नोनी सुरक्षा योजना के संदर्भ में बताना चाहूंगी कि हमारे डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी तभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने नोनी सुरक्षा योजना बनायी। जिसके घर बेटी पैदा हो जाती है तो उसके 18 साल होने पर शादी के लिए कोई चिंता नहीं होती है। हमारी सरकार द्वारा उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान है।

सभापति महोदय :- माननीय गोमती जी आपको 10 मिनट से ज्यादा हो गये।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय, जी। हमारे समाज कल्याण विभाग का भी विषय आया है। इस प्रदेश में समाज कल्याण विभाग अपने दायित्व के अनुरूप दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। यहां दिव्यांगजनों के समग्र पुनर्वास तथा उनके लिए व्यावहारिक योजनाएं तैयार करने हेतु व्यापक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। दिव्यांगजनों को चिन्हांकित करने से उन्हें सेवाएं, संसाधन एवं अन्य सुविधाएं त्वरित उपलब्ध करायी जा रही है। हमारी सरकार ने इस बजट में उसका भी प्रावधान रखा है। मैं समय का ध्यान रखते हुए, हमारे इस बजट का समर्थन करती हूँ, हमारे दिव्यांगजनों के लिए दो पंक्तियां हैं, मैं उसे पढ़कर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी।

"सियान, दिव्यांग सब्बो बर, योजना चलत हे सुघ्घर-सुघ्घर
नइ छूटे हे अब कोनो हर अंजोर-अंजोर हे चारों डगर।"

माननीय सभापति महोदय, इन अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए, पास करना चाहिए। मैंने जो-जो खामियां बतायीं हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करती हूँ कि जहां-जहां इस प्रदेश में आंगन बाड़ी केन्द्र नहीं है जहां पानी, सड़कें, बिजली नहीं है। ऐसी जगहों को ध्यान में रखा जाए, यह मेरी मांग है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपने मुझे इस विषय को उठाने का अवसर दिया, आपने मुझे समय दिया। इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देती हूँ। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और मैं इस सदन के माध्यम तथा विधायक दल के माध्यम से उनको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती विद्यावती सिदार (लैलूंगा) :- माननीय सभापति महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा में आंगनबाड़ी केन्द्र की मांग के लिए खड़ी हुई हूं। माननीय मंत्री जी, सबसे पहले आपको महिला एवं बाल विकास मंत्री बनने पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूं। माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए मैं पहले आपका धन्यवाद करती हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहती हूं कि महिला एवं बाल विकास विभाग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन प्रदेश में किया जाता है, किन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा में बिल्कुल ही अभाव है। आंगनबाड़ी केन्द्र के बहुत सारे भवन जर्जर स्थिति में हैं। माननीय मंत्री जी, आंगनबाड़ी केन्द्रों में सही समय पर बच्चों को पूरक पोषण नहीं मिल पाता है। दूसरा महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं को शासन की योजनाओं की जानकारी एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये कोई उचित कार्य नहीं कराये जाते हैं, जिससे हमारी माताओं एवं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां पर कोई कार्य नहीं कराये जाते हैं जिस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हमारे मातायें, बहनें आत्मनिर्भर बनी रहें। माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि लैलूंगा विधान सभा में तीन ब्लाक आते हैं, लेकिन इन तीन ब्लाकों में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र में भवन नहीं हैं,। अभी माननीय गोमती साय दीदी ने ध्यान आकर्षित किया था कि लैलूंगा विधान सभा के 03 ब्लाक में मिनी आंगनबाडी केन्द्र अभी भी संचालित हैं, लेकिन भवन नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से इन मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रो के लिए भवन की मांग करना चाहती हूं। माननीय मंत्री महोदय जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा में आंगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका की कमी है। आंगनबाड़ी केन्द्र तो हैं, लेकिन वहां सहायिका की कमी पाई जा रही है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वहां पर जल्द से जल्द सहायिका की नियुक्ति की जाये, जिससे आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों को लाने और ले जाने में सुविधा हो। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- सम्माननीय सभापति महोदय जी, महिला एवं बाल विकास का जो शब्द है, उसी शब्द से पता चलता है कि महिला एवं बाल विकास का जो बिन्दु है, जहां से हमारे देश का विकास होता है। महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट है, सम्माननीय वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं कि महिला एवं बाल विकास विभाग का जो बजट है, उसमें सर्वश्रेष्ठ स्तर का बजट रखा गया है। मैं महिला एवं बाल विकास की मंत्री सम्माननीय लक्ष्मी राजवाड़े जी को भी हृदय से धन्यवाद देती हूं। बजट के विषय में सबने कहा है। हमारे सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 में महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु 5619 करोड रुपये राजस्व एवं 62 करोड़ रुपये पूंजी मद में बजट का प्रावधान किया गया है। महतारी वंदन योजना के लिए बजट में 300 करोड़ रुपये

का प्रावधान किया गया है। पूरक पोषण आहार योजना हेतु बजट में 700 करोड़ रुपये का प्रावधान है । इसी प्रकार मातृत्व वंदन योजना के लिए बजट में 117 करोड़ रूपये का प्रावधान है। मैंने बजट पुस्तिका में पढ़ा है। सभापति महोदय, मैं कुछ विशेष बात को बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगी। इसमें समाज कल्याण विभाग भी समाहित है। समाज कल्याण विभाग का जो बात है। जो दिव्यांग बच्चे हैं, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, सभी के लिए बजट में प्रावधान है और सबसे बड़ी बात कि दिव्यांग और विकलांग बच्चों का जो पुनर्वास केन्द्र है, चाहे आश्रम छात्रावास है, वहां रहकर वह विद्या अध्ययन करते हैं और सरकार ने उनके लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता की है, इसलिए भी मैं सरकार को और विष्णु देव साय जी को धन्यवादू देती हूं। सभापति महोदय जी, चूंकि जशपुर विधान सभा और सरगुजा संभाग में अति पिछड़ी जनजाति निवास करती है। उनमें विशेषकर पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, पंडो आदि जनजाति के लोग निवास करते हैं। चूंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाने से मुझे पता चलता है कि इनमें संरक्षित जनजाति भी है और इनमें विशेषकर पंडो, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, चूंकि यहां विभाग के भी अधिकारी बैठे हैं, इनके लिए जन-जागरूकता शिविर लगाना बहुत ही आवश्यक है। चूंकि इनके बीच में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराना अति आवश्यक है क्योंकि जब मैं बीच-बीच में कभी-कभी अस्पताल जाती हूं तो पता चलता है कि अति पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा महिलाएं जो डिलवरी के लिए हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो सबसे ज्यादा उनमें हाई रिक्स मदर रहती हैं। उनको खून की कमी रहती है और उनका हाईट भी बहुत कम रहता है और सबसे बड़ी चीज जो जागरूक करने वाली बात होती है कि मैंने उनके विवाह के समय में जो अनुभव किया है और उनके समाज में जो रीति-रिवाज है, वह जशपुर क्षेत्र में पहाड़ी कोरवा या बिरहोर हो, उनका मेन्स आने के पहले ही विवाह होना उनके समाज में रहता है। तो हम उस समाज में जाकर जन-जागरूकता शिविर लगाए ताकि 18 साल पूर्ण होने के बाद उनका विवाह हो। अभी-अभी पहाड़ी कोरवा क्षेत्र में पी.एम. जन-मन योजना के तहत शिविर लगी थी और वहां मैंने महसूस किया है कि 15 साल की महिला है और वह चार बच्चा गोद में लेकर बैठी है। इसलिए इनके बीच में जन-जागरूकता बहुत जरूरी है। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जन-जागरूकता शिविर लगाया जाए ताकि जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित हो। दूसरी चीज, हमारी भा.ज.पा. की पूर्व तत्कालीन सरकार में सम्माननीय डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस समय गरीब परिवार के बेटियों के लिए कन्यादान विवाह योजना शुरू हुई थी। वह बहुत ही अच्छी योजना है। वह योजना आज भी चल रही है। इस कन्यादान योजना को लगातार चालू रखना चाहिए और हम सबके बीच में महिलाएं ही कर्मचारी हैं, वह चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे सुपरवाईजर हो, चाहे अन्य अधिकारी हो। यह बहुत संवेदनशील विभाग भी है और महिला बाल विकास कहने से ही पता चलता है कि इस विभाग में महिला का भी विकास होता है और बच्चे के विकास की बात भी होती है अत: हम सभी मिलकर इस विभाग में अच्छा काम करें ताकि जच्चा-बच्चा और महिलाओं का विकास अच्छे से हो । हमारी बहन

संगीता जी ने बात उठायी थी, मैं उनकी बातों से बहुत से बहुत सहमत हूं कि स्वसहायता समूह का गठन महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये किया जाता है और पिछली सरकार में महिला स्वसहायता समूह के द्वारा रेडी टू ईट का कार्य किया जा रहा था और उस कार्य को छीनकर बीज निगम को दिया गया । जिसके कारण पूरे 5 साल स्वसहायता समूह की बहनें धरना-प्रदर्शन करती रहीं । मैं आज महिला बाल विकास मंत्री जी से मांग रखूंगी कि पुन: रेडी टू ईट का कार्य...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, हमारी महिलाओं से उस कार्य को छीना नहीं गया ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- संगीता बहन कृपया बैठ जाईये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, वह बांटने का काम स्वयं कर रही रहीं थीं बल्कि हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी की पूर्ववर्ती सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है । उनको गौठान में स्वसहायता समूह के रूप में काम करवाया है । (व्यवधान)

श्रीमती रायमुनी भगत :- देखिये, मैं बताना चाहती हूं कि इन 5 सालों में हमारी महिला बहनें, स्वसहायता समूह की बहनें भटकती रहीं उनका रोजगार छीना गया । रेडी टू ईट बनाने के लिये बड़ी-बड़ी कड़ाही, मशीनें खरीदी गयीं थीं । लोन लेकर खरीदा गया था उस लोन को नहीं चुका पाये । उन्होंने जमीन बेचकर कर्ज पटाया है ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, उनको अपनी बात रखने दीजिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आज भी महिलायें भटक रही हैं । (व्यवधान) यह जो अभी काम देंगे तो यह अपने लोगों को देंगे, अपने लोगों से वह कार्य करवायेंगे, केवल नाम महिलाओं का रहेगा । (व्यवधान)

श्रीमती रायमुनी भगत :- संगीता बहन जी, आप जो बता रही हैं नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी की बात कर रहे थे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये, आपने अपने समय में अपनी बात रख ली न । (व्यवधान) आप उनको बोलने दीजिये । (व्यवधान)

श्रीमती रायमुनी भगत :- स्वसहायता समूह की महिलायें गोबर बेचकर सायकल और मोटर सायकल खरीदने की बात कह रहे हैं और उनको सशक्त करने की बात कहे हैं तो वह बिल्कुल असत्य है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट अपनी बात रखना चाहूंगी । (व्यवधान) यह जो काम है उसे केवल अपने लोगों को देंगे केवल महिला स्वसहायता समूह का नाम रहेगा ।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय, आज महिला स्वसहायता समूह की बहनें बहुत खुश हैं । हमारी महिला बाल विकास मंत्री जी ने हमारे सवाल के जवाब में कहा है कि हम लोग जल्दी ही सोचेंगे कि रेडी टू ईट का कार्य हमारी महिला बहनों को दिया जायेगा । आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जन्मदिन भी है, मैं इस सदन की ओर से उनको बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनायें देती हूं । उनका भविष्य सदैव उज्जवल रहे इसी आशा और विश्वास के साथ कम शब्दों में अपनी बात को विराम देती हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी जी । नहीं हैं । (अनुपस्थित) । श्रीमती शेषराज हरवंश जी ।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि बात महिलाओं की हो रही है । महिला बाल विकास विभाग की हमारी माननीय मंत्री जी भी उपस्थित हैं । हमारी बहनों ने बहुत सारी बातें कीं हमारे हक में, हमारे अधिकार में चूंकि छत्तीसगढ़ में हमारी आधी आबादी है । मैं देश की महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो कई नियम और कानून बने हैं इसमें से कामकाजी महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश का प्रावधान है उसके बारे में कुछ कहूंगी । महिलाओं को इस अवकाश के दौरान कोई समस्या न हो इसके लिये उनको पूरी सैलरी भी दी जाती है, यह भी नियम में है ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जांजगीर जिले की एक समस्या है । स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक महिला को मातृत्व अवकाश के लिये पात्र न होना बताकर सभी महिलाओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हनीनडीह, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा स्टॉफ नर्स श्रीमती मंजूलता खूंटे को मातृत्व अवकाश से वंचित किया जा रहा है । खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा मातृत्व अवकाश के 180 दिवस का वेतन यह कहकर रोक दिया गया है कि छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के आव्हान पर दिनांक 21.08.2023 से 08.10.2023 तक शासन द्वारा एस्मा लागू किये जाने के बावजूद अनिश्चितकालीन आंदोलन में सम्मिलित रही तो क्या एक मां को प्रसवपूर्व यह ज्ञात था कि प्रेग्नेंसी के दौरान अचानक से विभाग द्वारा कई मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जायेंगी यह पता था ।

माननीय सभापति महोदय, उक्त हड़ताल के दौरान दिनांक 03.10.2023 को श्रीमती खूंटे द्वारा प्रसव पीड़ा को सहन करते हुए एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया गया, जिसे खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा वित्त निर्देश का हवाला देते हुए प्रसूति के दिन अवकाश में शामिल नहीं है कहकर निरस्त कर दिया गया एवं संबंधित कर्मचारी को मातृत्व अवकाश की पात्रता नहीं है कहकर मानसिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, इस सदन में एक महिला और एक मां होने के नाते मैं मांग

करती हूं कि स्टाफ नर्स श्रीमती मंजूलता खूंटे, कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनीडीह जिला- जांजगीर-चांपा को सभी नियमों को शिथिल करते हुए मातृत्व अवकाश की पात्रता प्रदान करते हुए रूके हुए वेतन भत्तों के भुगतान करने की मांग करती हूं। साथ ही संतान पालन अवकाश के लिए भी पात्र करते हुए सारी सुविधाएं प्रदान करने की मांग करती हूं। माननीय सभापति महोदय जी, महतारी वंदन योजना में उन बहनों को भी शामिल किया जाये जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर हैं एवं उम्र दराज हो चुकी हैं, जिनका भरण-पोषण माता-पिता के माध्यम से हो रहा है। पालक के नहीं होने पर उन्हें अपने भाई-बहनों पर आश्रित होना पड़ता है, अतः उसको भी इस योजना में शामिल किया जाये। महतारी वंदन योजना में अभी तक 70 लाख फार्म भरा चुके हैं। बजट में प्रावधान 3 हजार करोड़ का है तो फिर बाकी का पैसा कहां से आयेगा? माननीय मंत्री महोदय जी, इस पर प्रकाश डालेंगी और कहीं यह संशय है कि महिलाओं को ठगने का प्रयास तो नहीं हो रहा है । माननीय मंत्री जी ने तो सार्वजनिक सभा में घोषणा किये हैं कि प्रत्येक महिला को मिलेगा। कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी को भी मिलेगा तथा मंत्री जी की पत्नी को भी मिलेगा। इस पर भी स्पष्ट मत आना चाहिए। क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात है और जैसे मैंने पहले ही बोला है कि छत्तीसगढ़ में हमारी आधी आबादी है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें ठगने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें, जो गांव में रहती हैं, उनको बहुत आशा और उम्मीद है। यह सही बात है कि बहुत उत्साह के साथ वे फार्म को भर ही हैं। फार्म को भरने में बहुत interest ले रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि जितने उत्साह के साथ अभी वे फार्म भर रही हैं, कल वैसे ही निराशा के साथ उन्हें मुंह ताकना पड़े। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रही हूं और मैं मेरे क्षेत्र पामगढ़ विधान सभा के लिए मांग कर रही हूं कि जितने भी आंगनबाड़ी भवन जो जर्जर हो गये हैं, ऐसे काफी जर्जर हैं, उसमें नया बनवाने का प्रावधान लायें और जो हमारी आंगनबाड़ी समूह की बहनें हैं, उन्होंने हमेशा चुनाव प्रचार के दौरान भवन की मांग की है तो मैं अभी माननीय मंत्री महोदय जी से यहीं पर कहती हूं कि ये बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें समूह में छत्तीसगढ़ में काम करती हैं तो उनके लिए भवन का भी वहां प्रावधान होना चाहिए। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, एक बहुत गंभीर विषय है।

सभापति महोदय :- महिलाओं का विषय है। आप बीच में आ रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- महूं महिला मन साथ सात भंवर किंजरे हों। ओखरो दर्द महूं समझथव। 4-4 बेटी के शादी करे हव। भले मोर नहीं रहिस, लेकिन बड़े भाई के बेटी के शादी करे हव अउ महिला मन के जतका दुख, तकलीफ..।

सभापति महोदय :- दो-दो बहनें बची हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय बस दो मिनट बात करना चाहथव।

डॉ. चरण दास महंत :- महिलाओं के विषय में आप बात कर रहे हैं?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी-जी। महिलाओं के लिए ही है। माननीय सभापति महोदय, ऐसा गंभीर विषय है। 11 सितंबर, 2011 को 20 दिव्यांग बच्चों को लेकर मेरे विधान सभा कचांदूर में एक विशेष आवासीय प्रशिक्षण पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा था। 30 अप्रैल, 2016 तक संचालित हुआ, उसके बाद वह बंद हो गया। फिर स्थानीय लोगों की मदद से 5 जुलाई, 2019 से डी.एम.एफ. मद से मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया फिर उसके बाद से प्रारंभ हुआ और उसके बाद इसमें जो भी समस्याएं थीं तो मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन किया कि ये जो दिव्यांग स्कूल हैं, जिसकी नींव और आधारशिला पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने 50 बच्चों को लेकर विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र 1 अप्रैल, 2016 को भूमि पूजन किया था। वो बंद हो चुके थे। हमने पुन: उसे कैसे भी करके प्रारंभ कराया और 5 जुलाई, 2021 से जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से यह प्रारंभ हुआ है, लेकिन यह केवल वैकल्पिक व्यवस्था के हिसाब से चल रहा है। मैं चाहूंगा कि इसे समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जाये और जो वैकल्पिक व्यवस्था है, वह मात्र स्थायी बजट नहीं होने के कारण संस्था कभी भी बंद हो जायेगी तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा विशेष प्रशिक्षण आवासीय विद्यालय है, जहां 20 बच्चों के साथ संचालित हो रहा है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहता हूं। हर सप्ताह 15 दिन उधर जाना होता है। मैं बेटियों को, बच्चियों को देखता हूं। अभी ले देकर 15 से 16 बच्चे हैं, क्योंकि हम उसे सुविधा और संसाधन नहीं दे पा रहे हैं। उसके कारण वह पूरे तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा है तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो बेटियां एक उम्मीद लेकर वहां पढ़ रही हैं, जो बेटा वहां उम्मीद लेकर पढ़ रहा है, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। अभी हम वहां 3, 4 दिन पहले गये थे तो उन्हें टैबलेट भी दिए हैं, की-बोर्ड भी दिए हैं ताकि उनसे भी पढ़ाई कर सकें। उनके बारे में एक चिंता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उसे पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से संचालित किये जाने का इस सदन के माध्यम से आश्वस्त करें।

सभापति महोदय :- श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा जी।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आज महिला बाल विकास का बजट पेश हुआ है, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी बजट पेश करेंगी, मुझे उस विषय पर बोलने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले बहन लक्ष्मी राजवाड़े को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी। मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। हमारे महिला बाल विकास में इतना बजट दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, जो आंगनबाड़ी होता है, वह बच्चों की पहली पाठशाला होती है। जब बच्चे आंगनबाडी में जाते हैं तो आंगनबाड़ी से ही बच्चों की

शिक्षा शुरू होती है। यहां पर हमारी बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रावधान किया गया है। हमारे आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 700 करोड़ रूपए बजट प्रावधान है। हमारी आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाएं के लिए भी सुविधाएं दी गयी है।

समय :
7:17 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय, उनको गर्म भोजन दिया जाता है ताकि जो बच्चे पेट में पल रहे हैं, वह स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, उनको कुपोषण न हो। हमारी गर्भवती महिलाओं को रेडी टू ईट दिया जाता है। हमारी सरकार पेट में पल रहे बच्चे से लेकर उनके प्रसव तक का ध्यान रखती है। जब शादी का समय आ जाता है, उसके लिए भी उसमें प्रावधान किया है। अभी हमारी बहनें मातृत्व अवकाश के लिए बोल रही थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार हमारी बहनों के लिए ही नहीं हमारे भाईयों को भी पितृत्व अवकाश मिलता है। हमारी बहनों को 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलता है, हमारे भाईयों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। यह प्रावधान है। मैं बताना चाहूंगी कि जब 15 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अध्यक्ष महोदय, आप 2005 में मुख्यमंत्री रहा करते थे, उसी समय से आपने गरीब परिवारों की चिंता की। जब हमारे गरीब परिवार के बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह करने के लायक हो जाते हैं तो माता-पिता को चिंता होती है कि अब हमारे बेटा बेटी बड़े हो गये हैं, उनका शादी विवाह करना है, किससे कर्ज लेंगे, यह चिंता होती थी। उस समय बहुत गरीबी की स्थिति थी। हमारे गरीब परिवार सेठकारों से कर्जा लेकर अपने बेटा-बेटी की शादी करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार में आपने इसकी चिंता की और उसी समय वर्ष 2005 में आपने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लागू किया। गरीब परिवार के जो बेटा-बेटी शादी करने के लायक हो जाते थे, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत् उनके विवाह करने की योजना शुरू की। उस समय की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अभी भी चल रही है। इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत् आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने प्रत्येक जोड़े को 50 हजार रूपये की राशि देने का प्रावधान रखा है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गारंटी योजना और महतारी वंदन योजना के तहत् हमारी बहनों को हर महीने 1 हजार रूपये देने की गारंटी ली है। निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ की सभी बहनों को इसका फायदा मिलेगा और उनके खात में साल में कुल 12 हजार रूपये जमा होंगे। यह भी हमारे बजट में शामिल है। मैं इसके लिए आदरणीय मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगी। इसी प्रकार, अभी हमारी बहनें मिनी आंगनबाड़ी के बारे में कह रही थीं। मैं अपनी बहनों को बताना चाहूंगी कि हमारे बजट में आंगनबाड़ी केन्द्र शामिल हैं और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र के उन्नयन का प्रावधान भी हमारे बजट की पुस्तक में शामिल है। आने वाले

समय में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र आंगनबाड़ी केन्द्र बन जाएंगे। इसी प्रकार, हमारी स्व सहायता समूह की बहनें रेडी टू ईट के निर्माण का कार्य करती थीं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय भा.ज.पा. की सरकार थी, उसी समय आपने स्व सहायता समूह को गठित करने का काम किया था। उसी समय एक महिला से लेकर, दूसरी महिला से लेकर तीसरी महिला, ऐसे करते-करते एक समूह का गठन हुआ। आपने स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेडी टू ईट निर्माण का कार्य दिया। लेकिन पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ की हमारी 12 हजार स्व सहायता समूहों के हक को छीन लिया और उसको एक निजी कंपनी को दे दिया गया। जैसे ही हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, उस दिन से स्व सहायता समूह की हमारी बहनें खुशी से मंत्री महोदया से मिलने और धन्यवाद देने के लिए आ रही हैं कि मंत्री महोदया, आप पुन: हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को रेडी टू ईट का संचालन करने का मौका दीजिए। इस तरह से हमारी महिलाओं को जो सम्मान प्राप्त हुआ है, उसको इस सदन में बैठे हुए हम सभी लोग बजट में पारित करेंगे। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की इस चर्चा में समाज कल्याण विभाग भी शामिल है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि राज्य के लगभग 22 लाख से अधिक वृद्धजन, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांगजन और बौने व्यक्तियों को पेंशन योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। हितग्राहियों की पेंशन राशि के भुगतान में पारदर्शिता लाने तथा त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पेंशन राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में जमा कराई जा रही है। खाते में राशि जमा करने में त्रुटि न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए D.B.T. के माध्यम से राशि आहरित की जा रही है । इससे भुगतान प्रक्रिया सुगम तथा पारदर्शितापूर्ण होगी ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 21 शासकीय तथा 45 स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देकर दिव्यांग बच्चों के लिए नि:शुल्क आवासीय शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है । इससे दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के अधिकार का अवसर प्राप्त होगा । विभाग द्वारा वृद्धजनों, विधवा, परित्यकता महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं बौने व्यक्तियों के लिए सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं । अत: मैं विभागीय अनुदान मांग वित्तीय वर्ष 2024-25 को पारित करने का समर्थन करती हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं ।

श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिला एवं बाल विकास विभाग के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ी हूं । मैं दो लाईन कहना चाहूंगी -

रहे जहां नारी का सम्मान, बनता है वह देश महान ।

आज महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट के पक्ष में यह लाईनें हमारी सरकार के पक्ष में सही साबित होती है । यह बजट माननीय मोदी जी की गारंटी स्वरूप छत्तीसगढ़ में नारी सम्मान बढ़ाने में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मिल का पत्थर साबित होगी । नारी सम्मान को बढ़ाने के लिए महतारी वंदन योजना लागू की गई है । छत्तीसगढ़ में आज से पहले ऐसी कोई भी योजना पिछली सरकार ने लागू नहीं की है । यह योजना महिला बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मांग करना भूल गई थी ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी बोलते समय नहीं, आप आखिरी में बोलिएगा ।

श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते :- महतारी वंदन योजना पात्र महिलाओं को 12 हजार रूपए वार्षिक डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी को सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करती हूं । राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं चहुंमूखी विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण आहार हेतु 700 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो काफी सराहनीय है । नोनी सुरक्षा योजना के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवार के बच्चियों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद की जाती है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब आप मुख्यमंत्री थे, उसी समय आपने इस योजना की शुरूआत की गई थी । इसके लिए 25 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है । इसके लिए मैं आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं । आज महिला बाल विकास के पक्ष में बोलने का अवसर मिला है, इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं । प्रधानमंत्री जी ने देश में नारी वंदन अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत लोकसभा एवं विधान सभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं । इससे विपक्ष की महिला बहिनें भी बहुत ही प्रसन्नता महसूस करेंगी क्योंकि इसका लाभ उनको भी मिलेगा ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संगीता बहिन रेडी टू ईट के विरोध में बीज निगम को रेडी टू ईट देने की मांग कर रही थीं । ऐसा लगता है कि इनका मकसद महिलाओं को बेरोजगार करना है । जब रेडी टू ईट का कार्य बीज निगम को दिया गया था तो 22 हजार महिला स्व सहायता समूह की बहिनें बेरोजगार हो गई थीं । (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार महिला बहिनों को आगे बढ़ाने के लिए रेडी टू ईट को पुन: महिला स्वयं सहायता समूह को देने का विश्वास दिलाया है, इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं । (मेजों की थपथपाहट) संगीता जी ने गोठान के बारे में भी बात की है । गौठान योजना आपकी सरकार की पूरी तरह से फेल योजना है । हम जब भी गौठानों का निरीक्षण करने गए थे तो वहां पर न गाय मिली, न चारा मिला । अगर गाय गौठानों में रहती थीं तो सड़कों पर गाय का झुण्ड देखने के लिए क्यों मिलता था ? अंबिका मरकाम जी नशा के बारे में बोल रही थीं। प्रदेश में नशा मुक्ति हेतु महिलाओं द्वारा चलाये जाने वाला प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रमों तथा नशे की रोकथाम हेतु प्रशासन के सहयोग से पुनर्वास केन्द्रों एवं सामाजिक संगठनों की सहायता से नशा पीड़ित लोगों

को इस व्यसन से दूर करने के लिए भारतमाता वाहिनी का गठन किया गया है। इस बजट में इसके लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के लोगों ने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी कि शराब बंदी करेंगे और लज्जा की बात यह है कि कोरोना काल में आनलाईन शराब की बिक्री की गई।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार में किसी ने कसम नहीं खाया था।

अध्यक्ष महोदय :- पहली बार जीतकर आई हैं। पहली बार बोल रही हैं। आप सीनियर सदस्य हैं। आपको तो इतना समझ होना चाहिए कि पहली बार वह इतनी हिम्मत से बोल रही हैं, आपको उनको नहीं टोकना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कुछ भी बोल रही हैं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- कुछ भी नहीं बोल रही हूं।

श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा :- कुछ भी नहीं, वह सही बोल रही है। सही बात है (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमने हाथ में रखकर कसम नहीं खाई थी। हाथ में गंगाजल लेकर हमने कसम नहीं खाई थी।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, पहली बार सब कोई कुछ भी नहीं बोलते हैं। वह बोल रही हैं तो उनकी तारीफ करो। आपकी सहेली हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, जब हमने 20 क्विंटल धान खरीदी की बात की तो माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि ग्रामीणों के खेत में 20 क्विंटल धान होता ही नहीं है। तो आपने 21 क्विंटल खरीदी की घोषणा कैसे कर दी ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आप यह बताओ कि अजय चन्द्राकर जी के बात का वह क्या जवाब देगी ? (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, गंगाजल की बात किए तो मै बोली।

अध्यक्ष महोदय :- कोई तथ्य के आधार पर बात हो तो समझ में आता है। चलिये आप कन्टीन्यू करिये।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग ऐसे व्यक्तिओं को लाभान्वित करता है, जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या किसी भी कारण से विवश हो। विभाग द्वारा ऐसी योजना संचालित की जा रही है, जिससे वरिष्ठजन, दिव्यांगजनों, उभयलिंगी व्यक्तियों, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं तथा नशे से पीड़ित व्यक्तियों को सहयोग प्रदान किया जा सकता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार दिव्यांगजनों के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रोत्साहित करने के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना संचालित कर रही है, जिससे दिव्यांगजनों में छिपी प्रतिभाएं निखर रही हैं तथा दिव्यांगजन मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार नि:शक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना से प्रतिभाशाली दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर आर्थिक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांग बच्चों के नि:शुल्क शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए 21 शासकीय तथा 45 स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से विशेष विद्‌यालय स्थापित किए गए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में विभाग ने सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए नि:शक्तजनों को नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। इस निगम के माध्यम से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उभयलिंगी व्यक्ति हमारे अभिन्न अंग हैं। समाज कल्याण विभाग इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलम्बी बना रहा है। उभयलिंगी व्यक्तियों का समग्र पुनर्वास केन्द्र के लिए नवातिहार योजना संचालित की जा रही है। जिसमें शिक्षण-प्रशिक्षण, रोजगार तथा व्यवसायिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 25 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग सभी विभागीय योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। मैं विभाग की अनुदान मांग वर्ष 2024-2025 का समर्थन करती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहूंगी कि जब जब नारी के विकास की गाथा लिखी जायेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला स्वसहायता समूह की परिकल्पना हमारे पूर्व भा.ज.पा. सरकार ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही ने किया था। वही वह ऐतिहासिक क्षण रहा जब बहनें घर से चार दीवारी से बाहर निकलकर तमाम क्षेत्रों में कार्य करने हेतु बाहर निकली है। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं। मैं इस बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिन है। इस अवसर पर मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- शकुंतला जी, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। (मेजों की थपथपाहट) अगली बार पूरा नही पढ़ना है। आधा पढ़ना है और आधा बिना देखे बोलना है। आप धीरे-धीरे कोशिश करिये।

आप अच्छा तैयार करके आई थीं। मगर पूरा शत-प्रतिशत नहीं पढ़ना है। आधा देखना है और आधा बोलना है। हम लोग भी आधा देखकर ही बोलते हैं। हम लोग भी एक बार में नहीं बोल सकते हैं। हम लोग देखकर ही पढ़ते हैं। मगर थोड़ा-थोड़ा सहारा लेकर बोलते हैं। पहली बार अच्छा बोली हैं। आपको बधाई हो।

श्री भैया लाल राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- आप महिला बाल विकास विभाग में। (हंसी)

श्री भैया लाल राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप तो बोलिये। आपका बिलकुल स्वागत है। आप महिला बाल विकास की चिंता कर रहे हैं। मगर आपके बाल कम हैं।

श्री भैया लाल राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सब लोगों ने अभी बोला, मैंने अच्छे से सुना। लेकिन एक बात किसी ने नहीं किया। कौन सी बात ? सन् 2002 की सूची के बिना आज कोई भी निराश्रित पेंशन, वृद्धा पेंशन स्वीकृत नहीं होता है। अब वर्ष 2000 की सूची खोजते रहो । आज जितना विडो हो रहे हैं, वैसे के वैसे रह जा रहे हैं, जितने वृद्ध हो रहे हैं, वैसे के वैसे हो रहे हैं, इसके लिये कोई शिथिल करके वर्ष 2011 की सूची या वर्ष 2018 की सूची लायें ताकि सब को मिल सके, मेरा आपसे यह आग्रह है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद । यशोदा नीलाम्बर वर्मा जी आप दो मिनट में खत्म करिये ।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा (खैरागढ) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले हमारे महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ । आज एक नारी शक्ति एक मंत्री के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, अत: विश्वास किया जाना चाहिये कि वह बजट में मातृशक्ति के लिये अधिक से अधिक प्रावधान करेंगी । चूंकि महिला बाल विकास बच्चों से जुड़ा हुआ विभाग है, अत: अपेक्षा की जाती है कि बच्चों के लिये भी समुचित बजट राशि का प्रावधान होगा । मेरी यह शुभकामनायें है और आशा करती हूँ कि इससे प्रदेश के महिलाओं और बच्चों का अधिकाधिक विकास होगा । सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना के तहत जेन अभी जो मोदी जी के गारण्टी हे, अभी यही चलथ हे कि महतारी वंदन योजना...।

अध्यक्ष महोदय :- पूरा छत्तीसगढ़ी बोलना, हिन्दी और छत्तीसगढ़ी नहीं । पूरा छत्तीसगढ़ी बोल बिना चिंता के ।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, डी.बी.टी.टी. के माध्यम से प्रतिमाह 1 हजार रूपये आर्थिक सहयोग दिया जाना है । इस योजना से जुड़ने के लिये 20 फरवरी तक आवेदन की मियाद तय की गई है । अध्यक्ष महोदय जी, इस योजना को लेकर कई तरह की आशंकायें हैं । अभी हमारे बीच

में भावना बहन जी ने 60 लाख महिलाओं की बात कर रही थी कि उन्होंने मातृ वंदन योजना के तहत फार्म जमा किये हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में 75 लाख विवाहित महिलायें और 70 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है । अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि आगे चलकर इस योजना से जुड़ने के लिये क्या प्रावधान किये गये हैं । यहां दसतावेजों की कमी, हितग्राहियों की भीड़, आपाधापी के बीच में, कई महिलायें आवेदन नहीं कर पाई है । अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में शादी ब्याह का दौर हर वख्त चलता रहता है, गर्मी के मौसम अधिक संख्या में विवाह होते हैं, ऐसे में योजनाओं से वंचित होने वाली महिलाओं को इस योजना से किस तरह जोड़ा जा सकेगा, किस तरह से योजना का लाभ मिल पायेगा, यह भी सुनिश्चित किया जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, पेंशनधारियों और दिव्यांग महिलाओं को योजना का पूर्ण लाभ न दिये जाने पर आपत्ति है । मोदी जी की गारण्टी के तहत वादा किया गया था कि सभी विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपये दिये जायेंगे, लेकिन योजना को लागू किये जाने के बाद पेंशनधारियों जिनमें दिव्यांग है, विधवा है, जो अपने ससुराल को छोड़कर माता पिता के घर बैठे हैं, यह महिलायें भी शामिल हैं । पेंशन से अंतर की राशि को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । यह दिव्यांग, विधवा और ससुराल से बैठी हुई महिलायें हैं, इनके साथ अन्याय है, उन्हें इस योजना का पूर्ण लाभ दिया जाना चाहिये । इन महिलाओं को पूर्व में जो पेंशन मिल रहा है, वह तो उनका मानव अधिकार है । माननीय मंत्री जी को तत्काल इस पर घोषणा करना चाहिये कि पेंशनधारियों को उसके अतिरिक्त महतारी वंदन योजना के तहत एक हजार रूपये प्रतिमाह दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से दिव्यांग महिलायें हैं, जिनकी शादी नहीं हो पाती है, ऐसी भी महिलायें हैं जो मानसिक रूप से पीड़ित है, उनको भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना चाहिये, ताकि उनके परिवारवालों को बोझ न उठाना पड़े । अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, इसलिये उनको भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि संभागवाईज दो-दो नारी निकेतन संस्था खोली जाये, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिल सकेगा, मानसिक रूप से विकलांग है, उसे भी प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से एक और मांग करना चाहती हूँ कि पूरे प्रदेश और खैरागढ़ विधान सभा के आंगनबाड़ी ऐसे हैं, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जर्जर हालत में है, कई किराये पर संचालित हैं । आपसे निवेदन है कि आप नये भवन का निर्माण करिये और जो आंगनबाड़ी संचालित हैं, उनमें हमारे दिव्यांग बच्चे (बेटे और बेटियां) भी पढ़ने के लिये जाते हैं, मैं यह मांग करती हूं कि उनके लिये भी अलग से शौचालय की सुविधा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है। बहुत अच्छा।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में नारी शक्ति के विषय में दो लाइनें बोलना चाहती हूं। चूंकि आज यहां महिला एवं नारी शक्ति की चर्चा हुई है और हमारी नारी शक्ति के रूप

में हमारी महिला सदस्य और माननीय मंत्री जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे भैया के घर में भी नारी शक्ति उपस्थित है और पूरे छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति के लिये मैं दो लाइन बोलना चाहती हूं।

"नारी कोमल है, कमजोर नहीं है
यह छत्तीसगढ़ के नारी हे,
जग को जीवन देने वाली
मौत भी इनसे हारी है।"

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक मांग थी।

अध्यक्ष महोदय :- आपने आधे घण्टे तक भाषण दिया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, उसमें मिस हो गया था इसलिये मैं इसमें बोलने वाली थी।

अध्यक्ष महोदय :- आप इधर-उधर की बातें ज्यादा करती है इसलिये मिस हो जाता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, हमारे पास दो-तीन महिलाएं आयी थीं और यहां भी महिलाएं आयी थी तो मैंने उनसे चर्चा की। इसमें जो अविवाहित महिलाएं हैं, उनकी भी मांग है कि उनको भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना चाहिए। यह जरूरी है और यह संविधान का मौलिक अधिकार है। संविधान में समानता का अधिकार है तो उन महिलाओं को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है। आपका सुझाव आ गया। धन्यवाद। मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के संबंध में अपना पक्ष रखने से पूर्व सदन की ओर से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज महिला एवं बाल विकास विभाग पर चर्चा थी इसलिये इसमें महिलाओं ने अपने पक्ष एवं विपक्ष की बातें रखी। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा में हमारी सदस्यगण संगीता सिन्हा जी, भावना बोहरा जी, अंबिका मरकाम जी, गोमती साय जी, विद्यावती सिदार जी, रायमुनी भगत जी, शेषराज हरवंश जी, उद्धेश्वरी पैकरा जी, शकुंतला सिंह पोर्ते जी, यशोदा वर्मा जी, ने अपने विचार रखें। मैं उन सभी सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देती हूं। माननीय महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने विचार के कुछ अच्छे सुझाव भी दिये, मैं ऐसे सभी सकारात्मक सुझाव का स्वागत करती हूं और आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करती हूं कि हमारी माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार मातृशक्ति के सम्मान और सुरक्षा के लिये वचनबद्ध है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के सर्वोच्च पद पर महिला राष्ट्रपति का आसन होना हम सब के लिये गर्व का विषय है (मेजों की थपथपाहट)। वर्तमान लोकसभा के कार्यकाल में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये विधेयक पारित होना भी मोदी सरकार की उपलब्धि है (मेजों की थपथपाहट)। उपरोक्त सभी उदाहरण हमारी सरकार की महिला सम्मान और सुरक्षा के प्रति हमारी नियत और नीति का प्रमाण है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे श्री विष्णु देव साय जी की सरकार ने इस बजट में हमारे आर्थिक विकास का केंद्र, जिसे हमारे वित्त मंत्री जी GYAN के माध्यम से उसका अर्थ समझाये थे। जिसमें G मतलब गरीब, Y मतलब युवा, A मतलब अन्नदाता और N मतलब नारी है। इसमें नारी अर्थात् मातृशक्ति से है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरूवार, 15 फरवरी, 2022 को मैंने अखबार में एक समाचार पढ़ा। जिसमें देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने अपने एक भाषण में कहा कि देश की 70 करोड़ महिलाएं घर में बैठेगी तो यह देश कैसे चलेगा? माननीय राष्ट्रपति जी ने समाज के विकास में, देश के विकास में नारी शक्ति के योगदान को रेखांकित किया है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि हमारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों माननीय राष्ट्रपति जी की मंशा के अनुरूप महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर रूप में कार्य कर रही है। मैं यह बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता: अर्थात् जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) हमारी माननीय विष्णु देव जी की सरकार ने इस भाव को समझते हुए, महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने के लिए एक संपूर्ण कार्ययोजना के साथ कार्य प्रारंभ किया और यह संकल्प लिया कि प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बनायेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान की शुरूआत की। इस राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से समाज में मातृ शक्ति के प्रति सम्मान का भाव बढ़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2003 से वर्ष 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय आप मुख्यमंत्री थे। उस अवधि में भी आपके मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग ने जो उपलब्धियों का इतिहास रचा। इस अवसर पर उसका उल्लेख भी आवश्यक समझती हूँ। हमारे राज्य में आंगन बाड़ी केन्द्रों के लिए स्वसहायता समूह के माध्यम से रेडी टू ईट फूड का निर्माण, सबला योजना, किशोरी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, नोनी सुरक्षा योजना, मातृ सहयोग योजना, सरस्वती सायकल जैसी अनेक योजनाएं परिणाम मूलक साबित हुईं हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने पूर्व में संचालित महिला कल्याण के समान उद्देश्य वाली योजनाओं को समायोजित करते हुए 10 नवीन अम्ब्रेला योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए 628 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि :-

"लइका नोनी अउ महतारी, गांठ बांध लो मोर गोठ के

सुग्घर बेला आ गे हे मोर कौशल्या धाम के।।" (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग के वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल राशि 5 हजार 682 करोड़ 85 लाख 43 हजार रूपये के अनुदान मांगें छत्तीसगढ़ राज्य की महतारियों को समर्पित करते हुए, उनका वंदन, अभिनंदन करती हूँ। (मेजों की थपथपाहट) विभाग का यह बजट प्रदेश की नारी शक्ति किशोरी बेटियों और नौनिहालों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन में विभाग के महत्वपूर्ण आंकड़े रखना चाहती हूँ। इसी दिशा में कार्य करते हुए महतारी वंदन योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को 1 हजार रूपये प्रतिमाह खाते में आतंरिक करने का निर्णय लिया गया है (मेजों की थपथपाहट) और आगामी माह में हम राशि अंतरण का कार्य आरंभ कर देंगे। इस पूरी योजना में लगभग 800 करोड़ रूपये का व्यय संभावित है। वर्ष 2024-25 में प्रथम चरण में 3 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विभाग की योजनाओं एवं दी जाने वाली सेवाओं में उन्नत तकनीकी को अपनाए जाने वाले हेतु विभाग को डिजिटलाईजेशन करने का निर्णय लिया है। इस हेतु 5 करोड़ 75 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु वर्ष 2024-25 के बजट में 82 करोड़ 80 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। यहां कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल, पोषण के लिए 1500 स्थानों में पालना केन्द्र के संचालन के लिए बजट में 20 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। महिला सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु 5 करोड़ 27 लाख रुपये का बजट में प्रावधान रखा गया है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जनजागरूकता के साथ ही विशेष अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु प्रस्तावित बजट में 1 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित विभागीय भवनों की मरम्मत हेतु 20 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपये, पूंजीगत संपत्ति निर्माण हेतु 19 करोड़ 74 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुविधाओं, संसाधन व संचालन के लिये 2024-25 के बजट में आंगनबाड़ी सेवायें सामान्य अंतर्गत 642 करोड़ 36 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों और पौष्टिक आहार हेतु बजट में 700 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों को नर्सरी स्कूल की तरह विकसित करने के लिए 29 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। राज्य के लगभग 100 कन्या शालाओं एवं महाविद्यालयों में सेनेटरी नेपकीन की ए.टी.एम. वेडिंग मशीन एवं भस्मक मशीन हेतु 13 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में पोषण अभियान के संचालन हेतु 125 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एकीकृत बाल विकास सेवायें अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2024-25 के बजट में 5 करोड़ 72 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी भवनों के लिये 24 करोड़ रुपये एवं शहरी क्षेत्र में 100 आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु 7600 कन्याओं का लक्ष्य रखते हुए 38 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा दिनांक 28.09.2021 से स्वं-सहायता समूहों के ऋण सीमा के वृद्धि करते हुए स्वं-सहायता समूहों को प्रथम बार में ही एक, दो लाख रुपये तक ऋण प्रदाय किया जा रहा है। ऋण योजना का लाभ अधिक से अधिक समूहों पहुंचाने हेतु बजट में छत्तीसगढ़ महिला कोष हेतु राशि 25 करोड़ 20 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि 8 करोड़ 10 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। पीड़ित जरूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकतानुसार चिकित्सा, विविध पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, आश्रय, गृह सुविधा कराने हेतु प्रदेश के 27 जिला मुख्यालयों में "सखी वन स्टाप सेंटर" संचालित है। इस हेतु 19 करोड़ 58 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। केन्द्र सरकार द्वारा लागू मिशन शक्ति हेतु 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। संकटग्रस्त महिलाओं एवं विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत एवं परित्यक्त महिलाओं को आश्रय व सहारा प्रदाय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ 39 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा वर्तमान में महिला हेल्प लाईन 181, चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 सबका integration toll free number 112 में किया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 11 करोड़ 28 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना अंतर्गत 116 करोड़ 56 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाल गृहों का संचालन, बच्चों की सुविधा एवं उनके संरक्षण के लिये मिशन वात्सल्य योजना संचालन हेतु वर्ष 2024-25 के बजट में 94 करोड़ 80 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अधिकार संरक्षण आयोग के संचालन हेतु आयोग के लिए वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ 10 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट में 3 करोड़ 37 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि हमारा यह विश्वास है कि प्रदेश की बेटियों, बहनों और माताओं ने विधान सभा चुनाव में हमें जो सहयोग और समर्थन दिखाया था, आने वाले लोक सभा चुनाव में भी हमें पुन: उनका अपार जन-समर्थन प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग राज्य के दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं, बौने व्यक्ति, कुष्ठ मुक्त व्यक्ति के

शिल्पकारों एवं उभयलिंगों व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सकारात्मक क्रियान्वयन कर रहा है, जिससे इसकी सामाजिक और आर्थिक प्रगति हुई है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, उभयलिंगों व्यक्तियों के साथ ही अन्य व्यक्तियों के लिए विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसका त्वरित निराकरण करने के लिए हेल्पलाईन सेंटर की स्थापना की गई है। हेल्पलाईन सेंटर का संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट में में 1 करोड़ 30 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, नशापान करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नारी शक्तियों का उपयोग कर नशा मुक्ति का वातावरण विकसित किया गया है। राज्य के समस्त विकासखण्डों की ग्राम पंचायतों में 8 सदस्य 2951 भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में 15 नशामुक्ति केन्द्र संचालित हैं, जिसमें प्रत्येक माह नशा पीड़ितों का उपचार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांग व्यक्तियों को अत्याधुनिक कृत्रिम और सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण निर्मित केन्द्र पी.आर.आर.सी. स्थापित है। दिव्यांग व्यक्तियों की नि:शक्तता को कम कर उनकी गतिशीलता बढ़ाने के लिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किये जाते हैं। इस वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट में 1 करोड़ 59 लाख 72 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। वर्तमान में 21 शासकीय संस्थायें तथा 45 अशासकीय संस्थायें कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट में 8 करोड़ 89 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इसमें जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों को मार्गदर्शन, उपचार संधारण एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी नि:शक्तता के अनुरूप आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिसके लिए ग्राम पंचायत स्तर तक शिविरों का आयोजन कर उनकी पहचान चिकित्सीय परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जाता है। सहायक उपकरण उपलब्ध कराने एवं शिविर मेलों का आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट में 3 करोड़ 80 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति, बौद्धिक मंदता, प्रमस्तिष्क अंगघात से ग्रसित व्यक्तियों के जीवन की देखभाल करने के लिए घरौंदा योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में 260 हितग्राहियों के लिए 11 घरौंदा आश्रय गृह संचालित है। इस वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट में 3 करोड़ 25 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मानसिक रोग से उपचार पश्चात् स्वस्थ हुए व्यक्तियों को परिवार से पुर्नस्थापित करने तक उन्हें आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से दो जिलों में हाफ वे होम (Half way home) का संचालन किया जा रहा है । जिसमें 210 हितग्राही लाभांवित हो रहे हैं । वर्ष 2024-25 में 2 करोड़, 25 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मानसिक बीमार महिलाओं के लिये एकीकृत महिला सहायता केंद्र की स्थापना रायपुर में की गयी है जिसमें उनकी समुचित देखरेख, चिकित्सकीय सुविधायें तथा पारिवारिक वातावरण के साथ आश्रय प्रदान किया जा रहा है । केंद्र के संचालन के लिये वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 11 लाख 20,000 रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास के लिये नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित है । जिसमें दिव्यांग दंपत्ति को विवाह उपरांत 1 लाख रूपये तक एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है । इसमें इस वर्ष 2024-25 में 4 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । दिव्यांगजनों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये संघ तथा राज्य प्रशासकीय सेवा परीक्षा से उत्तीर्ण होने या सेवा से चयनित होने पर सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 50,000 तक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है । वर्ष 2024-25 में 15 लाख का बजट प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केंद्र द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक-प्रशिक्षक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाकर आधुनिक तकनीकी से अवगत कराया जाता है । इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं, अधिनियमों से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया जाता है । इस वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 98 लाख 60,000 का बजट प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति समाज में सम्मानजनक वातावरण निर्मित करने के लिये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किये जाते हैं । वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिये राज्य के 24 जिलों में 33 वृद्धा आश्रम का संचालन किया जा रहा है । बजट वर्ष 2024-25 में 4 करोड 15 लाख 2,000 का बजट प्रावधान किया गया है । डिमेंशिया से पीड़ित अर्थात् निष्क्रिय अवस्था से बिस्तर पर रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति बहुत ही कष्टप्रद होती है ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा और देखभाल की व्यवस्था के लिये 6 मासिक देखरेख गृह की स्थापना की गयी है । इस वर्ष 2024-25 में 75 लाख का बजट प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 22 लाख 81,000 से अधिक विधवा, परित्यक्त महिला, दिव्यांग तथा बौने व्यक्तियों को सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजना से लाभांवित किया जा रहा है । राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार में कमाउ मुखिया की आकस्मिक मृत्यु होने पर 20,000 एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजना की पेंशन राशि में वृद्धि कर 500 रूपये प्रतिमाह हितग्राही पेंशन राशि दी जा रही है । इस हेतु वर्ष 2024-25 में

14 अरब 38 करोड़ 8 लाख 33,000 का बजट प्रावधान किया गया है । हितग्राहियों का शत्-प्रतिशत डिजिटलाईजेशन किया जाकर भुगतान प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है जिससे पेंशन राशि का वितरण सुगम और पारदर्शितापूर्ण सुनिश्चित हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, उभयलिंगी समूहों से व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास के लिए विभिन्न विभागों के सौम्य से उद्यमिता विकास और कौशल उन्नयन जागरूकता सृजन, शल्य क्रिया की व्यवस्था आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उभयलिंगी व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास के लिए नवा पिलहर योजना संचालित की जा रही है, जिसमें शिक्षण-प्रशिक्षण स्वरोजगार तथा व्यावसायिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए व्यवस्था की गई है। इस वर्ष 2024-25 में राशि 25 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवनशैली एवं निरोग जीवन जीने के लिए योग से परिचित कराने और प्रतिदिन योगाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहन के उद्देश्य से योग आयोग गठित है। इस वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारांश में कुछ चंद पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूं :-

वरिष्ठों के सम्मान हर्ष उल्लास और दिव्यांग,
उभयलिंगियों का स्वाभिमान, सरकार रखी है सबका ध्यान,
विकसित हो रहा छत्तीसगढ़, सभी चल रहा है विकास डगर,
उत्कर्ष हमारा मूल मंत्र, विकसित भारत का संकल्प,
समुदाय का साथ और भागीदारी, नहीं किसी के बैर हमारी,
बौने विधवा या परित्यक्त नारी, सभी को लाभ दे रही सरकार हमारी। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट प्रावधान को सर्वसम्मति से पारित कर बच्चों एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास, कल्याण, संरक्षण एवं संवर्धन में सहभागी बनें और सभी सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि मेरे विभाग में बजट अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करें। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नेता जी, सर्वसम्मति से कर दें न? नेता जी, सर्वसम्मति से पारित कर दें। एक नयी महिला मंत्री ने इतना अच्छा बोला है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34 एवं 55 पर कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाये।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का बचा है।

अध्यक्ष महोदय :- बाकी है?

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- नहीं, वैसे जितने भी सदस्यों ने अपनी-अपनी मांगों को रखा है, ये बजट में आ गया है। मैं नहीं समझती, जहां तक हमारी सिन्हा दीदी, मिनी आंगनबाड़ी के उन्नयन के लिए मांग की थी तो वो हमारे बजट में है। प्रदेश में 779 मिनी आंगनबाड़ी मुख्य आंगनबाड़ी में उन्नयन हो चुके हैं। 4835 मिनी आंगनबाड़ी को मुख्य आंगनबाड़ी में उन्नयन हेतु प्रस्ताव भी वित्त मंत्री को प्रेषित कर दिया गया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। जय हिन्द। जय भारत। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संगीता जी, बधाई दीजिए न। बधाई दीजिए न।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- लक्ष्मी बहन, वो दिव्यांग स्कूल की आधारशिला माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 2016 में रखी थी, उसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया था, उसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया था। डॉ. साहब ने आधारशिला रखी थी, उसके लिए आपसे निवेदन किया था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- महिलाएं महिलाओं को बधाई नहीं देती क्या?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- धन्यवाद, मंत्री महोदया, लेकिन वो पेयजल की भी व्यवस्था कर देते और अविवाहित महिलाओं को भी 1 हजार रूपये दिलवा देते।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चिंता न करें। सब धीरे-धीरे हो रहा है । अभी 3 महीने ही हुए हैं। सब लाइन से होगा।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- मंत्री जी, धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्यों, महिलाएं महिलाओं को बधाई नहीं देती क्या?

श्री रामकुमार यादव :- काय न बहिनी, धीरे-धीरे झन करो न। साय -साय कर दे कर न वो। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 34 एवं मांग संख्या -55 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 34 समाज कल्याण के लिए - एक सौ इक्कीस करोड़, छिहत्तर लाख, सत्ताईस हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 55 महिला एवं बाल विकास के लिए - दो हजार आठ सौ सतासी करोड़, इक्यावन लाख, सतासी हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(3)	**मांग संख्या**	19	**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**
	मांग संख्या	79	**चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय**
	मांग संख्या	50	**बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए - चार हजार चार सौ तेरह करोड़, सोलह लाख, पांच हजार रूपये,

मांग संख्या - 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये - एक हजार सात सौ अठासी करोड़, छियासी लाख, बारह हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिए - चार करोड़, उनचास लाख, पैंतीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 19

<u>लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</u>

1.	डॉ. चरण दास महंत	8
2.	श्रीमती अनिला भेंडिया	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

3.	श्री दिलीप लहरिया	5
4.	श्रीमती संगीता सिन्हा	2
5.	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा	2
6.	श्रीमती अंबिका मरकाम	2
7.	श्री कुंवर सिंह निषाद	5
8.	श्रीमती शेषराज हरवंश	5
9.	श्री संदीप साहू	2

मांग संख्या - 79

<u>चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय</u>

1.	डॉ. चरण दास महंत	1
2.	श्रीमती अंबिका मरकाम	2
3.	श्री ब्यास कश्यप	1
4.	श्री संदीप साहू	1

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा कल होगी।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 22 फरवरी, 2024 को 11:00 बजे तक के लिए स्थगित।

(08 बजकर 14 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 22 फरवरी, 2024 (फाल्गुन 3, शक सम्वत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छत्तीसगढ़) **सचिव**

दिनांक : 21 फरवरी, 2024 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं